21 मार्च, 1985

30 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टमाला, खण्ड 2, दूसरा सत्र, 1985/1906 (शक)

अंक 8, गुरुवार 21 मार्च, 1985/30 फाल्गुन, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
* तारांकित प्रश्न संख्या : 121 और 128	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—97
तारांकित प्रश्न संख्या : 122, 129 से 135 और 137 से 140	21—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 661 से 687, 689 से 718, 720 से 741 और 743 से 749	31—97
ईरान-ईराक युद्ध के विस्तार से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य	98
श्री राजीव गांधी	98
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	98—101
राज्य सभा से संदेश	102
भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथा पारित	102—106
इलैक्ट्रानिक्स सम्बन्धी समेकित नीति-उपायों के बारे में वक्तव्य	106—113
श्री शिवराज वी० पाटिल	106

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

समितियों के लिए निर्वाचन 114—115

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली 114

(दो) ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन आफ इण्डिया की केन्द्रीय समिति 114

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ 114

कार्य मंत्रणा समिति

तीसरा प्रतिवेदन 115

नियम 377 के अधीन मामले 115—121

(एक) केरल के लिए मिट्टी के तेल के मासिक कोटे को बढ़ाने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजय राघवन 115

(दो) छितौनी तथा बगाहा रेल स्टेशनों के बीच प्रस्तावित रेल सड़क पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता 116

श्री मदन पाण्डे 116

(तीन) हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति तथा फसल को हुई हानि आदि को पूरा करने के लिए उस राज्य को और अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता 116

श्री के० वी० सुल्तानपुरी 116

(चार) उड़ीसा में अपर-कोलाब बहु-प्रयोजनीय परियाजना का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर करने के लिए आवश्यकता 117

श्री के० प्रधानी 117

(पांच) कोणार्क में ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम चलाने के लिए मंजूरी देने की मांग 118

श्रीमती जयन्ती पटनायक 118

(छः) भारत और बंगाल-देश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने की आवश्यकता 118

श्री चिन्तामणि जैन 118

(सात) डायमंड हार्बर के वर्तमान मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में परिवर्तित करने तथा उसे माइक्रोवेव द्वारा कलकत्ता से जोड़ने की आवश्यकता 119

श्री अमल दत्त 119

(आठ) जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र में कुंए खोदने तथा नहर से उद्वहन सिंचाई के लिए और अधिक धन का प्रावधान करने हेतु योजना आयोग को परामर्श देने की आवश्यकता 119

श्री जनक राज गुप्ता 119

(नौ) इलाइची बोर्ड की तरह एक काली मिर्च बोर्ड गठित करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन 120

(दस) कुरसियोंग में अल्प-शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता 121

श्री अमर राय प्रधान 121

सामान्य बजट, 1985-86 सामान्य चर्चा 122—174

और

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1984-85 177—205

श्री सी० माधव रेड्डी 127

श्री बी० आर० भगत 134

श्री ब्रह्मदत्त 143

श्री सोमनाथ रथ 151

श्री हन्नान मोल्लाह 154

श्री बनवारीलाल पुरोहित 163

श्री सी० पी० ठाकुर 167

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी 171

श्री पी० सेलवेन्द्रन 179

श्री गौरी शंकर राजहंस 183

श्री ओवेसी 185

श्री उमाकांत मिश्र 188

श्री महेन्द्र सिंह 192

श्री लाल विजय प्रताप सिंह 197

श्री जगन्नाथ पटनायक 199

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी 202

अहमदाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में वक्तव्य 175—177

श्री एस० बी० चह्वाण 175

1985-86 के विपणन मौसम के लिए गेहूं के वैधानिक मूल्य और जौ के समर्थन मूल्य के बारे में वक्तव्य 177

श्री बूटा सिंह 177

कृषि उत्पाद के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने की अविलंब आवश्यकता पर चर्चा 205—244

प्रो० मधु दंडवते 205

प्रो० एन० जी० रंगा 215

श्री बी० सोमनाद्रीसबरा राव 218

श्री राजेश पायलट 221

श्री उत्तम राठौर 225

श्री जैनुल अबेदिन 228

श्री चिन्तामणि जेना 230

श्री पी० सेलवेन्द्रन 232

श्री डी० बी० पाटिल 234

श्री बूटासिंह 236

लोक सभा

गुरुवार, 21 मार्च 1985/30 फाल्गुन, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बच्चों की ऊंची मृत्यु दर रोकना

*121. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिवर्ष बच्चों की उच्च मृत्यु दर के क्या मुख्य कारण हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : शिशुओं और बच्चों की मृत्यु के मुख्य कारण हैं उनका समय से पहले जन्म, सांस सम्बन्धी विकार, अतिसार, टेटनस, कुपोषण और विभिन्न प्रकार के बुखार। सातवीं योजना के दौरान जच्चा-बच्चा परिचर्या कार्यक्रम में सुधार करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए जो कदम उठाये गए हैं, उनमें स्वास्थ्य के मौजूदा आधारभूत ढांचे का विस्तार करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य शिक्षा, रिस्क अप्रोच अंगीकार करना, सारे देश में बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण करना, अतिसार वाले रोगों पर नियंत्रण, पोषण की कमी से होने वाली खून की कमी की रोकथाम और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक पोषण की व्यवस्था करना शामिल है।

श्री अमर राम प्रधान : आज के बच्चे भारत का भविष्य हैं। परन्तु जन्म के बाद उनका जीवन कितना होता है ? खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, भारत में प्रत्येक वर्ष 230 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। इनमें से 30 लाख बच्चे कुछ हद तक स्वस्थ होते हैं। 1000 में से 120 बच्चे एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहते। 7 में से एक बच्चा 5 वर्ष की उम्र होने से पहले ही मर जाता है। 10 में से 7 बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं।

शिशु मृत्यु के मामले में भारत का नम्बर दुनिया में सबसे पहले आता है। दुनिया में कुल शिशु मृत्यु की संख्या में से 38 प्रतिशत भारत में है। भारत में बच्चों की स्थिति में सुधार करने में 'समेकित शिशु विकास योजना' और 'माता एवं शिशु स्वास्थ्य योजना' पूरी तरह से असफल सिद्ध हुये हैं।

अगर आप प्रथम पंच-वर्षीय योजना से लेकर छठी पंच-वर्षीय योजना तक की समीक्षा करें तो पायेंगे कि शिशु विकास योजनाएं और शिशु स्वास्थ्य योजनाओं का कोई खास योगदान नहीं रहा है।

मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को चिली के नोबल पुरस्कार विजेता श्री गेब्रिला मिस्ट्रेल की कविता को याद दिलाना चाहता हूं।

कर सकते हैं स्थागित हम अपनी आवश्यकताओं को
और उनकी पूरा होने की प्रतीक्षा भी हम कर सकते हैं,
किन्तु, बच्चा तो प्रतिक्षा नहीं कर सकता है,
यही तो समय है,
जब उसकी हड्डियां आकार ग्रहण कर रही है,
बन रहा है रक्त और
उसकी ज्ञानेन्द्रियों का विकास हो रहा है,
नहीं, उसकी किसी भी आवश्यकता को हम नहीं टाल सकते
'कल' के लिए,
जो भी आवश्यक है, उसे 'आज' ही चाहिए।

क्या मैं माननीया मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि बच्चों के कल्याण के लिये आपके तात्कालिक कार्यक्रम क्या हैं? क्योंकि आज के बच्चे भारत का भविष्य हैं। वर्ष 1983-84 के लिये शिशु मृत्यु दर क्या है?

प्रो० मधु दंडवते : माननीय मंत्री महोदय हमें इस कविता के बारे में भी अपने विचार बतायें।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय-सदस्य जी ने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है कि हमारे देश में इन्फैन्ट मोर्टेलिटि बहुत ऊंचा था। मैं यह बताना चाहती हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में और पिछली छठी पंचवर्षीय योजना में हमने इस बात की पूरी कोशिश की है कि हैल्थ-इन्फ्रास्ट्रक्चर एवेलेबिल हो। दो साल पहले इसी सदन में नेशनल हैल्थ पालिसी के बारे में चर्चा भी हुई थी, जिसमें यह विचार किया गया था कि हम अपने हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करें कि वह नीचे के लोगों तक जा सके और इसका फायदा वे लोग भी उठा सकें। आप देखें इन्फैन्ट मोर्टेलिटी रेट एक हजार लाइव-बर्थ के ऊपर 1978 में 127 था, 1980 में 114 और 1981 में 110, जो इस वक्त लेटैस्ट फीगर है।

[अनुवाद]

1000 जीवित शिशुओं में से 110। इससे पता चलता है कि यह दर कम हो रही है। प्रगति अधिक तीव्र नहीं है परन्तु यह कम हो रही है।

[हिन्दी]

जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है और जो हम काम कर रहे हैं वह काफी इफैक्टिव है। हमारे मदर और चाइल्ड हैल्थ-केअर के जो प्रोग्राम हैं उनमें काफी इजाफा हुआ है। इन्फैन्ट मार्टेलिटी और एक्सपैक्टेन्ट मदर्ज डेथ, ये जितनी चीजें हैं सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और इसीलिये हमने मास-इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। अब तक हम पांच इंजेक्शन्ज देते थे, ट्रिपल-एन्टीन बी० सी० जी०, पोलियो, लेकिन अब सातवें प्लान से एक नया मीजल्स का इंजेक्शन शुरू कर रहे हैं जो 0 से 1 साल के बच्चे को दिया जाएगा। इसी तरह से एक्सपैक्टेंट मदर के लिये टेटिनस के खिलाफ मास-इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है। उम्मीद है 1990 तक इसको पूरा कर लेंगे।

जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है वह आप को मालूम है। आप ने कहा है कि यह सब पेपर्ज पर है। मैं यह कहना चाहती हूं कि उसके जरिये काफी काम हुआ है और आप की स्टेट में भी काफी काम हो रहा है। इसके बारे में यही कहूंगी कि इतनी ग्लूमी पिक्चर न देखें, उम्मीद रखें और आप सब और हम मिलकर पूरा करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि 1980 में शिशु मृत्यु-दर प्रति 1000 में 110 है। यह विश्व में सबसे अधिक है। क्या हम दावा कर सकते हैं कि यह भारत के लिये बहुत अच्छे आंकड़े हैं ? माननीय मंत्री महोदया जी ने यह ठीक ही कहा है कि शिशु मृत्यु के प्रश्न को अकेले नहीं लेना चाहिये; माता के स्वास्थ्य का प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है। भारत, एल सेलवेडोर, अर्जेन्टीना में 'यूनीसेफ' द्वारा हाल में किये गये सर्वेक्षण 'बच्चों में कम अन्तर, बहुत अधिक बच्चे तथा कम उम्र में मां बनना" से यह खतरा देखा जा सकता है। इससे पता चलता है कि बच्चों की उम्र में 3-4 वर्ष के अन्तर का अर्थ है शिशु मृत्यु दर 80 प्रतिशत है, और एक वर्ष से कम के अन्तर में यह मृत्यु दर बढ़ कर 200 हो जाती है; 20 वर्ष की उम्र से कम में मां बनने के मामलों में बच्चों की मृत्यु दर 20 वर्षीय और इससे अधिक माता के बच्चों से दुगनी होती है। अतः बच्चों के स्वास्थ्य का अर्थ है मां का स्वास्थ्य, मां की उम्र तथा परिवार नियोजन। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि सातवीं योजना में माता के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिये क्या कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं ? और सातवीं योजना में इस उद्देश्य के लिये कितनी धन राशि आबंटित की जा रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : सातवें प्लान के लिये क्या एमाउन्ट है—वह अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। जब तक प्लानिंग कमीशन फाइनलाइज नहीं करेगा, मैं कुछ कह नहीं सकती हूं। लेकिन जो हमारे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स, सब सेन्टर्स और कम्यूनिटी हैल्थ सेन्टर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के लिये आपने कहा है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं—हमारे प्राइमरी

हैल्थ सेन्टर्स, सब सेन्टर्स की संख्या 76,500 है, और सातवें प्लान में जो प्रपोज्ड है, उसमें 50,000 और बढ़ाने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

इस समय 6,500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और अगली योजना में हम 10,250 ऐसे और केन्द्र बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को मजबूत करने के लिये हम ये कदम उठा रहे हैं। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य गाइड तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए० एन० एम०) तथा दाईया हैं जिन्हें हम इस कार्यक्रम को वैज्ञानिक तरीके से शुरू करने के लिये प्रशिक्षण दे रहे हैं; बच्चे के जन्म के समय उन्हें वहां होना चाहिये; गम्भीर मामलों में दाईयों की सहायता करने के लिये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होती हैं। वे गम्भीर मामलों को जिला अस्पतालों अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों या दर्जा बढ़ाये गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भेज सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : माननीय मंत्री महोदया ने कहा है कि 1980 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 लगभग 110 शिशु था। क्या मैं जान सकता हूं कि शिशु मृत्यु दर भारत में इस समय कितनी है एवं सन् 2000 तक के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जब 'सभी के लिये स्वास्थ्य' के आदर्श वाक्य को हम प्राप्त करेंगे ?

मैं इस समय केरल में वर्तमान शिशु मृत्यु दर को भी जानना चाहता हूं और अगर यह सन् 2000 के लिये निर्धारित किये लक्ष्य से कम है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस कारण की वजह से केरल को पर्याप्त राशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है और क्या आप केरल को उन्हें अच्छा कार्य करने के एवज में अधिक धन देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती महोसिना किदवई : केरल राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अच्छा कार्य कर रहा है और हम उन्हें पुरस्कार दे रहे हैं। मैं चाहती हूं कि केरल को भी यह पुरस्कार मिलना चाहिये। हमारा लक्ष्य है कि सन् 2000 तक हम शिशु मृत्यु दर 60 प्रति हजार शिशु जन्म तक कम कर देंगे।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : जो लक्ष्य सन् 2000 के लिये निर्धारित किया गया है, केरल में वह आज भी उससे कम है। शिकायत यह है कि इस कारण की वजह से आप समुचित धन-राशि नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह सही नहीं हैं। हम केरल को भी धन दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम उन्हें कुछ और धन दे सकें।

श्री मनोरंजन भक्त : दूर-दराज के क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और

निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में साधारण चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। विशेषरूप में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कोई भी शिशु विशेषज्ञ नहीं है। यहां तक कि स्त्री विशेषज्ञ भी नहीं है और इस समय 'सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी' के पद भी खाली पड़े हुए हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये क्या माननीय मंत्री महोदया हमें सदन में आश्वासन देंगी कि इन दूर-दराज के क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर नियंत्रित करने के लिये सातवीं योजना अवधि में कुछ विशेष कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : दुर्गम क्षेत्रों में डाक्टर जाने के लिये तैयार नहीं हैं। इसीलिये हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाक्टर कार्यरत हैं उनके लिये 400 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें 250 रुपये उनका भत्ता एवं 150 रुपये आवास के लिये है जहां उन्हें सरकारी मकान उपलब्ध नहीं होता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम चाहते हैं कि डाक्टर वहां जायें और दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करें। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी वही समस्या है जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में है। इसीलिए हम कुछ प्रोत्साहन देकर कोई समाधान ढूंढ़ रहे हैं। हम ग्रामीण इलाकों एवं दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिये डाक्टरों को 400 रुपया फालतू दे रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि वर्तमान प्रतिरक्षण की व्यवस्था में लम्बी-लम्बी कतारें हैं और पर्याप्त दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हैं। आपने प्रतिरक्षण के सार्वभौमिकरण को सातवीं योजना का लक्ष्य बताया है। मैं जानना चाहती हूं कि सार्वभौमिकरण से आपका मतलब क्या है ? आप इस प्रतिरक्षण केन्द्रों को किस प्रशासनिक स्तर तक शुरू करना चाहती हैं और क्या इसे वर्तमान में स्थित 0-1 से अधिक बढ़ाया जा सकता है ? अन्यथा यह सर्वव्यापी प्रतिरक्षण नहीं होगा।

श्रीमती मोहसिना किदवई : इस प्रतिरक्षण के लिये कोई विशेष केन्द्र शुरू नहीं कर रहे हैं। हमारे वर्तमान आधारभूत ढ़ांचे में, उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए० एन० एम०) हैं जो बच्चों को इंजेक्शन देने में समर्थ हैं। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में बच्चों के प्रतिरक्षीकरण के लिये व्यवस्था है और जिला मुख्यालय में भी इसकी व्यवस्था है। अतः हमारे आधारभूत ढ़ांचे के द्वारा ही 0-1 आयु की उम्र के सभी शिशुओं तथा गर्भवती माताओं के प्रतिरक्षीकरण की व्यवस्था है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या यह आपकी व्यवस्था में शामिल है ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : जी हां।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

रांची से कोरबा तक रेलवे लाईन

*123. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची (बिहार) और कोरबा (मध्य प्रदेश) के बीच रेलवे लाईन के निर्माण का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या इसे सातवीं योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) रांची-लोहारदगा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और लोहारदगा से कोरबा तक नयी बड़ी लाइन के लिए 1975-76 में एक प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार परियोजना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं थी। संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा पहले से चालू कार्यों की भारी मात्रा को देखते हुए इस प्रस्ताव को संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

कुमारी पुष्पा देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि रांची से लोहारदगा और लोहरदगा से कोरबा में एक प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण 1975-76 में किया गया था और सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं होगी।

इसका तीन बार सर्वेक्षण हो चुका है, और हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिया था कि इस लाइन का कार्य शुरू किया जायेगा क्योंकि इसमें पिछड़े कम विकसित जनजातीय क्षेत्र आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और सातवीं योजना में इसे शामिल करेंगे ताकि खनिज क्षेत्र जोकि अभी कम विकसित हैं उन्हें भविष्य में विकसित किया जा सकता है ?

श्री बंसी लाल : निकट भविष्य में इस पर कार्य करना संभव नहीं है।

श्री नारायण चौबे : महोदय, रेल मंत्रालय में ऐसा लगता है कि राजा के जाने के बाद उसके आदेश भी समाप्त हो जाते हैं। अकबर का शासन समाप्त होता है, जहांगीर आता है। अकबर के आदेश भी चले जाते हैं और जहांगीर के आदेश शुरू होते हैं। एक मंत्री हटता है तो उसके सभी आदेशों को भी रद्द कर दिया जाता है। नया मंत्री आता है और नये आदेश देता है उन्हें भी रद्द कर दिया जाता है जब कोई और नया मंत्री आता है।

महोदय, 1981 में स्वर्गीय केदार पांडे के सदन में वायदा किया था कि पुरुलिया से कोटशिला तक की लाइन बड़ी लाइन में बदल दी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या

सरकार स्वर्गीय श्री केदार पांडे के वायदे को पूरा करेगी। वे स्वर्ग में यह देखकर प्रसन्न होंगे कि उनके वायदों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री बंसी लाल : महोदय, इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है।

प्रो० के० वी० थामस : मैं माननीय मंत्री की सूचना में एक बात लाना चाहता हूं कि केरल में पहले गाड़ी नं० 307 और 308 मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के स्टेशन पर रुकती थीं·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। अतः कृपया बैठ जाइये।

फरीदाबाद तापीय बिजली घर द्वारा कम बिजली का उत्पादन

*124. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद तापीय बिजली घर का बिजली उत्पादन 195 मेगावाट के स्थान पर केवल 8 मेगावाट है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या श्रमिक यूनियन की गतिविधियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है; और

(घ) इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) यह कहना सही नहीं है कि फरीदाबाद ताप विद्युत केन्द्र का विद्युत उत्पादन केवल 8 मेगावाट है। जनवरी, 1985 में औसत विद्युत उत्पादन 58 मेगावाट और फरवरी, 1985 में 78 मेगावाट था जबकि इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 195 मेगावाट है।

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन कम होने के मुख्य कारण कोयला मिलों की समस्याएं घटिया गुणवत्ता का कच्चा पानी, अधिक संख्या में कर्मचारियों का होना, अनुशासनहीनता तथा अन्य कारणों में कार्मिकों की समस्याएं शामिल हैं।

(घ) कार्मिकों की समस्याओं पर काबू पाने के लिए किए जा रहे उपायों के अलावा, विद्युत केन्द्र के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए एक व्यापक नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में जो थर्मल पापर स्टेशंस हैं, मेरे ख्याल से फरीदाबाद का तो एक उदाहरण आपके सामने रखा गया है, यह फरीदाबाद का आपका थर्मल पावर स्टेशन सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही लगा होगा। यह कब लगा और लगने के बाद इसकी कैपेसिटी कितनी थी और कब कौन-कौन से साल में इसकी कितनी कैपेसिटी का यूटीलाइजेशन आपने किया। आपने जो उत्तर दिया है आज—

[अनुवाद]

"जनवरी 1985 में औसत विद्युत उत्पादन 58 मेगावाट और फरवरी, 1985 में 78 मेगावाट था जबकि इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 195 मेगावाट है।

[हिन्दी]

इसमें यूटीलाइजेशन कम होने के कारण कितना घाटा आपको हुआ और कौन-कौन से साल में कितना घाटा हुआ ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके लिए आपने क्या कार्यवाही की ? इसमें दोषी कौन है और दण्डित किसको किया गया ? किन अधिकारियों को आपने नौकरी से निकाला, किसी की जिम्मेदारी है या नहीं ? किसी अकाउन्टेबिलिटी है या नहीं, यह बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि विद्युत उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता 195 मेगावाट है। 15 मेगावाट क्षमता की एक यूनिट फरवरी 1966 में शुरू की गई थी। 60 मेगावाट क्षमता की एक यूनिट नवम्बर, 1974 में, 60 मेगावाट क्षमता की दूसरी यूनिट मार्च 1976 में तथा 60 मेगावाट क्षमता की तीसरी यूनिट अप्रैल 1981 में शुरू की गई।

यह सत्य है कि अनेक कारणों से इन यूनिटों में कार्य-निष्पादन संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है। जहां तक 15 मेगावाट क्षमता वाले यूनिट के 'प्लांट लोड फैक्टर' का सम्बन्ध है मैं यह कहूंगा कि 1984-85 में अप्रैल से फरवरी के दौरान प्लांट लोड फैक्टर 41.80 है। अन्य यूनिटों का 'प्लांट लोड फैक्टर' (संयंत्र भार अनुपात) इस प्रकार है :—

यूनिट सं० 1	(60 मेगावाट)	14.30
यूनिट सं० 2	(60 मेगावाट)	38.40
यूनिट सं० 3	(60 मेगावाट)	29.50

प्रो० एन० जी० रंगा : इसका प्रबन्ध कौन संभाल रहा है ?

एक माननीय सदस्य : इसे सभा-पटल पर रखा जाए।

श्री बी० शंकरानन्द : उनके प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिये जाने की जरूरत है। सदन चाहेगा कि मैं विस्तार से उत्तर दूं।

असन्तोषजनक कार्यनिष्पादन के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) हैमर टाइप कोयला खानों, जिन्हें लगभग 100 कार्य घन्टों के बाद पुन:स्थापन करने की जरूरत होती है, का असंतोषजनक कार्य निष्पादन।

(2) गुड़गांव नहर का घटिया किस्म का कच्चा पानी जिससे कूलिंग टावर में काई लग रही है और कन्डेसर ट्यूबें अवरुद्ध हो रही हैं।

(3) 60 मेगावाट क्षमता की यूनिटों में एच० पी० रोटर के ब्लेडों में लवण जमा होने से हाई एक्सियल शिफ्ट।

(4) इकनोमाइजर तथा प्लेटन ट्यूबों का बार-बार खराब होना।

(5) बेकरों से मिल में कोयले की अनियमित सप्लाई।

श्री जी०जी० स्वैंल : कृपया इसे सभा पटल पर रखें। जवाब बहुत लम्बा है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि मंत्री का उत्तर लम्बा हो तो उसे सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिए।

श्री बी० शंकरानंद : इन यूनिटों के प्रबन्ध कार्यों को ठीक ढंग से चलाने के लिए उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

श्री एन० जी० रंगा : इतने सालों के दौरान क्या होता रहा है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पूछा था कि फरीदाबाद तापीय विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन केवल 8 मेगावाट होने के क्या कारण हैं ? उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप मंत्री जी को मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहेंगे ? मैं एक खास प्रश्न पूछा है और उनसे इसका उत्तर देने तथा प्रबन्धकों की भूमिका के बारे में बताने का अनुरोध किया है उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर देने दीजिए।

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : महोदय, पिछले साल हरियाणा में प्लांट 'लोड फैक्टर' 34% था जोकि बहुत कम था। माननीय सदस्य को यह जान करके बहुत खुशी होगी कि फरवरी माह में यह 48% था जिसका तात्पर्य है कि काफी सुधार हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे दूसरा पूरक प्रश्न पूछना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने कुछ कारण बताये हैं।

[हिन्दी]

जो रीजन्स अपने बतलाए है, वे आपको कौन से साल में मालूम हो गए थे और उनको करेक्ट करने में कितना समय लगा ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, चालू करने के साल मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आपको ये सब कारण कब पता चले ? उनको दूर करने के लिए आपने क्या उपाय किए ? महोदय, उन्होंने इतना ही कहा है कि ये कारण थे।

श्री बी० शंकरानन्द : मेरे मित्र सोच रहे हैं कि ये सभी बातें मेरे ध्यान में एकदम आई हैं जोकि संभव नहीं है। जब भी ऐसा होता है तो हमारे ध्यान में आता है। लेकिन कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विद्युत केन्द्र में नवीकरण तथा आधुनिकीकरण की योजना तैयार की गई थी। इस कार्यक्रम पर लगभग 39.66 करोड़ रु० खर्च आना है जिसमें से 19.39 करोड़ रु० केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे। योजना पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विचार किया है।

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, मुद्दा वास्तव में बहुत दिलचस्प है। ऐसा क्यों है कि इन विद्युत केन्द्रों में बिजली का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम हो रहा है। इसके लिए आपने अनेक कारण बताए हैं। परियोजना तैयार करते समय इन पर विचार क्यों नहीं किया गया था ? क्या इस समय जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनका पूर्वानुमान नहीं था ? क्या ये अप्रत्याशित घटनायें थीं जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सका था ? आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जबाब नहीं दिया है। इस विद्युत केन्द्र के न चल पाने के लिए क्या कोई जिम्मेदार पाया गया है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ या इस कमी के लिए क्या कोई कार्रवाई की गई अथवा इसके लिए कोई भी जिमेदावार नहीं पाया गया है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं आपको पहले ही 'प्लांट लोड फैक्टर' बता चुका हूं। मेरे साथी भी इसके बारे में तथा इसमें हुए सुधार के बारे में बता चुके हैं यह 48% हो गया है। इसका तात्पर्य है कि विद्युत केन्द्र के कार्य में सुधार हुआ है।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है। इस असफलता के लिए कौन उत्तरदायी था ? परियोजना तैयार करते समय क्या इनका पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था ?

श्री बी० शंकरानंद : कृपया धीरज रखिए और ध्यान से सुनिए। विभिन्न विद्युत केन्द्रों की समस्याओं का पूर्वानुमान उनके लगाये जाने के समय किया जाता है और हमेशा यह ध्यान

रखा जाता है कि वे समस्याएं बाद में पैदा न हों। इसके बावजूद कुछ समस्याएं पैदा हो ही जाती हैं जिनके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता अतः किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री एच० एम० पटेल : यह तो सही जवाब नहीं है। यह तो साफ टालमटोल है। मैंने उनसे वास्तव में यह पूछा था देश में स्थित बहुत से विद्युत केन्द्रों में से कितने विद्युत केन्द्र विद्युत उत्पादन की अपनी स्थापित क्षमता का इतना कम उत्पादन करने में भी असफल रहे हैं। यदि इस केन्द्र में दोगुना विद्युत उत्पादन भी किया जाने लगे तो भी वह कुल स्थापित क्षमता का एक अंश मात्र ही होगा। "इतना कम उत्पादन करने वाले देश में ऐसे कितने केन्द्र हैं।" आपका कहना है कि विद्युत केन्द्र स्थापित करने से पहले विभिन्न अपेक्षित पहलुओं पर विचार किया जाता है और यदि वे ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते तो इसके लिए कोई कारण नहीं है और किसी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया नहीं जा सकता। ऐसा कैसे संभव है ? आपको बता दूं कि मैं स्वयं बहुत से विद्युत केन्द्रों, के लिए उत्तरदायी हूं जब मैं एक विद्युत बोर्ड का अध्यक्ष था। और निस्सन्देह यदि इस तरह का कार्यनिष्पादन हुआ तो बहुत से लोगों के लिए गम्भीर समस्याएं उठ खड़ी होगीं·····(व्यवधान) मैं हैरान हूं। मंत्री को हमेशा सही जवाब देना चाहिए। यदि वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकते तो वह कह सकते हैं कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है।

श्री बी० शंकरानंद : मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि माननीय सदस्य स्वयं एक विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने स्वयं ऐसा कहा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या वह यह कहना चाहते हैं कि इन विद्युत केन्द्रों में जो कुछ हुआ उसके लिए वे जिम्मेवार थे। मैं यह तात्पर्य नहीं लगा रहा था·····(व्यवधान)

मैंने विद्युत केन्द्रों के असंतोषजनक कार्य के कारण बताएं हैं। मैंने यह नहीं कहा कि विद्युत केन्द्र का कार्य सन्तोषजनक है। मेरा यह तात्पर्य नहीं है। मैंने कहा है कि यह सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहा है। मैंने असन्तोषजनक कार्य के कारण भी बताए हैं और मैंने सदन को यह भी बताया है कि स्थिति में सुधार के लिए मैं क्या उपाय करूंगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : माननीय मंत्री क्या सदन को बताएंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि एच० एस० ई० बो० के इंजीनियरों ने मांग की थी कि एच० एस० ई० बी० का अध्यक्ष एक 'टेक्नोक्रैट' होना चाहिए। जब से एच० एस० ई० बो० की स्थापना हुई है, नौकरशाही इसके अध्यक्ष रहे हैं। अब बोर्ड का अध्यक्ष इंजीनियर होने से क्या उसमें कोई सुधार हुआ है ? क्या यह भी सही है एक नहीं, अपितु 80 इंजीनियरों के तबादले होने से वहां कुछ कशमकश की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे संयंत्रों के कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

श्री बी० शंकरानंद : यह कहना सही नहीं है कि इन कार्मिकों की समस्याओं के कारण विद्युत केन्द्र का कार्य खराब है·····(व्यवधान) उन्होंने इंजीनियरों का एक साथ स्थानांतरण किए जाने का उल्लेख किया है। मैं नहीं समझता कि खराब कार्य का कारण यह है।

एक माननीय सदस्य : यह उत्तर नहीं है।

जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी जंक्शन को मिलाने वाली नई रेलवे लाइन

*125. **श्री आनंद पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यू जलपाईगुड़ी को सिलीगुड़ी जंक्शन से बरास्ता रंगपानि से जोड़ने वाली एक नई बड़ी लाइन तथा मीटरगेज के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिससे सिलीगुड़ी शहर के बीचों बीच, अक्सर होने वाली यातायात बाधा को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्तरी बंगाल के लोगों के व्यापक हित को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव पर विचार किया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। तथापि, सिलीगुड़ी में हिलकार्ट रोड पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के विकल्प के रूप में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने सिलीगुड़ी टाउन में यातायात सम्बन्धी भीड़-भाड़ को समाप्त करने के प्रयोजन से सिलीगुड़ी टाउन और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशनों के बीच वर्तमान मीटर/छोटी लाइनों को मोड़ कर महानन्दा नदी के पूर्वी तट के समानान्तर कर देने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ख) चूंकि रेल लाइन का दिक्परिवर्तन सम्बन्धी काम ऊपरी सड़क पुल के बदले में किया जाना है, अत: वर्तमान नियमों के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 50 प्रतिशत की लागत वहन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।

श्री आनन्द पाठक : महोदय, उत्तर बहुत ही अस्पष्ट है। मेरे प्रश्न का जवाब समुचित ढंग से नहीं दिया गया है।

सिलीगुड़ी शहर का विकास तेजी से हो रहा है। एक प्रकार से इसे उत्तर बंगाल का द्वार कहा जाता है। उत्तर बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, भूटान से तथा अन्य क्षेत्रों से हजारों लोग सिलीगुड़ी से होकर जाते हैं और इन प्रदेशों के लिए आवश्यक वस्तुएं आदि भी सिलीगुड़ी के रास्ते ही ले जायी जाती हैं। सिलीगुड़ी शहर स्टेशन के पास रेल द्वार और रेल फाटक सुचारू यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं। दिन और रात के समय कई बार द्वार को बार-बार बन्द कर दिया जाता है। शहर के व्यस्त व्यवसाय केन्द्र में इसके कारण यातायात ठप्प हो जाता है और सड़क संचार व्यवस्था घन्टों के लिए अव्यवस्थित हो जाती है। उत्तर बंगाल के सभी लोग, बड़े जनसंगठन तथा राजनैतिक दल रेल द्वार को हटाने और रंगापानी से लाइन को मोड़ने की मांग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लोगों की इस अत्यधिक महत्वपूर्ण मांग पर विचार करेगी और उपचारात्मक उपाय तुरन्त उठाएगी ?

श्री बंसी लाल : यह किया जा सकता है अगर राज्य सरकार भूमि लागत के अतिरिक्त 50 प्रतिशत भुगतान करें।

श्री आनन्द पाठक : यह कहा गया है कि एन० एफ० आर० ने भी इस मांग का समर्थन किया है और यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

श्री बंसी लाल : राज्य सरकार ने अभी तक इसकी मजूंरी की सूचना नहीं दी है।

श्री मानिक सान्याल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रश्न के उत्तर के दूसरे भाग में बताए गए मौजूदा नियम क्या सभी राज्यों के लिए लागू होंगे या कुछ राज्यों को इससे छूट मिली है और अगर हां तो उसके क्या कारण हैं तथा उन राज्यों के क्या नाम है ?

श्री बंसी लाल : सभी राज्यों पर यह नियम लागू होता है।

अच्छी किस्म की औषधियों का उत्पादन

*126. **श्री रेणुपद दास†:**

डा० सरदीश राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच किए जाने वाले भारतीय औषधियों के नमूनों में से लगभग 15 प्रतिशत नमूने घटिया स्तर के पाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी उत्पादकों द्वारा निर्मित औषधियों की गुणवत्ता सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करेगी ;

(ग) यदि ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं तो सरकार द्वारा अच्छी किस्म की औषधियों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कब तक कार्य-व्यवस्था कर दी जाएगी; और

(घ) दोषी औषध कम्पनियों को दंडित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) देश में तैयार की जाने वाली औषधियों की क्वालिटी ठीक रहे यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जो विशिष्ट उपाय किये हैं उनमें ये बातें शामिल हैं—औषधि और

प्रसाधन सामग्री अधिनियम का 1982 में संशोधन करना ताकि औषधि निरीक्षकों को अतिरिक्त शक्तियां मिल सकें तथा कतिपय अपराधों के लिए उसमें कड़े दण्डों की व्यवस्था की जा सके, नकली और घटिया दवाओं की समस्या पर विचार करने के लिए टास्क फोर्स की नियुक्ति, औषधि निरीक्षकों और औषधि विश्लेषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा दवाएं बनाने वाली फर्मों, औषधियों का परीक्षण करने वाली मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं, रक्त बैंकों आदि का निरीक्षण करने में राज्यों की मदद करना।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) औषधि और प्रशाधन सामग्री अधिनियम में ऐसे औषधि निर्माताओं के विरुद्ध जिनकी दवाइयां घटिया पाई जाएं, पर्याप्त दांडिक और प्रशासनिक उपबन्ध शामिल हैं। दाण्डिक उपबन्धों को और कड़ा करने के लिए औषधि और प्रशाधन सामग्री अधिनियम में हाल ही में 1982 में संशोधन किया गया है।

श्री रेणुपद दास : महोदय, सदन में घटिया और नकली दवाओं के बारे में यह प्रश्न पिछले दो-तीन वर्षों में कई बार उठाया गया और हर बार मंत्रालय द्वारा विभिन्न भाषाओं में वही उत्तर दिया गया। प्रस्तावित उपाय पूरे देश में घटिया और नकली दवाओं के उत्पादन, वितरण और बिक्री की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं हैं। आखिर अन्त में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम पास किया किया और सरकार ने इसे 1982 में संशोधन किया। इसके बाद सरकार ने श्री एस० मणि की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया। इसने कुछ अच्छी सिफारिशें दी जिन पर लम्बे समय के लिए विचार किया गया। बाद में सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि घटिया और नकली दवाओं के उत्पादन के बारे में बढ़ती हुई घटनाओं से जूझने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक दण्ड व्यवस्था की गई हैं हालांकि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है इसको देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के लागू होने के बाद से कितने निर्माताओं और इनके सहयोगियों को जेलों में डाला जा चुका है और क्या स्थिति को इतना सम्भाल लिया गया है कि वह सहनीय हो सके।

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : माननीय सदस्य ने यह शिकायत की है कि प्रश्न और उत्तर दोनों एक जैसे हैं। अगर प्रश्न एक जैसे हों तो उत्तर भी एक जैसे होंगें। यदि वही आज या कल पूछा जाता है तो मैं अपने उत्तरों को बदल नहीं सकता अगर वही लेकिन विशेष प्रश्न के बारे में जो उन्होंने पूछा है मैं माननीय सदस्य को 1978-79 से 1982-83 वर्षों के बारे में सूचना दे सकता हूं अथवा अगर वह एक विशेष वर्ष के बारे में सूचना चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं। 1982-83 के दौरान शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या 53 थी, 27 का निर्णय किया गया, 13 मामलों में जेल हुई और 4 मामलों में जुर्माना किया गया तथा 10 मामलों को छोड़ दिया गया। अब अगर वह पिछले वर्ष की

सूचना चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं या अगर वह चाहते हैं कि पूरे विवरण को सदन के पटल पर रख दिया जाए तो मैं रख सकता हूं जैसा भी उपाध्यक्ष महोदय निर्णय लें।

प्रो० एन० जी० रंगा : जो कुछ उनके पास है इस सारी सूचना को सदन के पटल पर रख दिया जाए।

श्री रेणुपद दास : मैं सोचता हूं कि मणि समिति ने एकमात्र लाइसेंसधारियों को तुरन्त समाप्त करने की सिफारिश की थी और यह राय थी कि पूरे देश में इस तरह की नकली और घटिया दवाओं के मूलस्रोत एकमात्र लाइसेंसधारी ही हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस पद्धति को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं इसके लिए अलग से सूचना चाहूंगा। यह अलग किस्म का प्रश्न है।

श्री रेणुपद दास : लेकिन सरकार ने मणि समिति की सिफारिशें स्वीकार की हैं। नकली दवाओं के मामले में सरकार ने इन्हीं उपायों को अपनाया। (**व्यवधान**) सरकार को कम से कम एकमात्र लाइसेंसधारियों के बारे में उत्तर देना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि इन एकमात्र लाइसेंसधारियों के बारे में क्या किया गया है ? (**व्यवधान**)

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उत्तर के भाग (क) में मंत्री महोदय ने जी हां कहा। इस प्रतिशत का कब पता लगाया गया ? क्या यह 1982 में अधिनियम के संशोधित होने से पहले किया गया था ? अगर हां, तो क्या अधिनियम में संशोधन करने के बाद से सुधार आया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मेरे पास 1984 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। यह 1979 में यह 15.41 प्रतिशत, 1980-81 में 15.06 प्रतिशत, 1981-82 में 18.3 प्रतिशत, 1982-83 में 17 प्रतिशत, 1983-84 में 14 प्रतिशत था। इसलिए मैंने कहा कि लगभग सभी मामलों में यह एक जैसा ही था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अधिनियम में संशोधन करने के बाद से प्रतिशत में 18 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह नहीं बढ़ी है और इससे यह भी पता नहीं चलता क्योंकि बाजार से नमूने लाए गए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी दवाएं नकली और घटिया हैं।

प्रो० पी०जे० कुरियन : ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ दवाएं जिन पर पश्चिमी देशों में रोक लगी हुई हैं वे हमारे देश में बेची जा रही हैं। मैं यह जाना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस तरह की रिपोर्टें देखी हैं और यदि हां तो क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस तरह की दवाइयों का देश में आयात नहीं किया जाता।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने कहा कि पश्चिमी देशों में कुछ दवाओं पर रोक लगी हुई है क्योंकि वे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं लेकिन हमारे देश में उनका प्रचलन है। इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। क्या आपने इस तरह की कोई रिपोर्ट देखी हैं ? यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है ? अगर नहीं तो क्या आप कृपया समस्या की जांच करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह भी इस प्रश्न से नहीं उठाता है। लेकिन मैं समस्या की जांच अवश्य करूंगा।

[हिन्दी]

श्री बलरामसिंह यादव : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत इस प्रकार के मामले जिसमें निम्न स्तर की दवाइयां बनाना शामिल हैं, कितने प्रकाश में आये हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मेरे पास आल इण्डिया की फिगर है।

[अनुवाद]

लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

डा० कृपासिन्धु भोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसी 27 दवाएं हैं जिन पर वास्तव में रोक नहीं लगी है लेकिन इन दवाओं को उपयोग करने या न करने के लिए प्रत्येक देश के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वे अपनी भूभौतिक स्थिति को देखते हुए उनका प्रयोग करें या न करें। उन 27 दवाईयों में से 21 दवाईयों पर भारत में रोक लगी हुई है लेकिन भारत में शेष 6 दवाईयां प्रचलन में हैं क्योंकि वे हमारी भूभौतिक स्थिति के उपयुक्त हैं।

दूसरा, मैंने प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय से सुना और मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि साधारणत: औषध और औषधीय प्रयोगशालाएं जो देश में कुकरमुत्ता की तरह बढ़ रही हैं वे कोई मानक उत्पादन नहीं कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में बी० फार्म और अन्य विशेषज्ञता वाले योग्य लोगों की पर्याप्त संख्या, उपलब्ध है या कहा जाए कि कम से कम 1 : 15 के अनुपात में उनके निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं ताकि देश के लोग इस तथ्य से अवगत हो जाएंगे कि के० सं० स्व० यो० के द्वारा भी देश में नकली और घटिया दवाएं दी जाती हैं। आई० डी० पी० एल० जैसी सरकारी फर्मों तथा अन्य कम्पनियों को जो इस तरह की दवाएं बना रहे हैं, अच्छा स्तर रखना चाहिए और अच्छी दवाएं उत्पादित करनी चाहिएं।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह कहना कि आइ० डी० पी० एल० में भी स्पूरियस ड्रग्स बन रही हैं.....

डा० कृपासिन्धु भोई : मैंने स्पूरियस नहीं कहा, मैंने सब-स्टैंडर्ड कहा था।

श्रीमती मोहसिना किदवई : जहां तक सब-स्टैंडर्ड ड्रग्स बनने का सवाल है, वह जो 15 परसेंट सैम्पल्स इस तरीके से लिए जाते हैं, उसमें से देखा जाता है कि सब-स्टैंडर्ड ड्रग्स कहां पर बन रही हैं। जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पांसिबिलिटी है वह तो है ही, स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग है। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की अच्छी और वैल इक्विप्ड लेबोरेटरीज होनी चाहिएं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो लेबोरेटरी हैं, एक कैलकटा में और एक गाजियाबाद में जहां से हमारा काम होता है और बाकी जो स्टेट्स चाहती हैं उनका काम भी होता है। सारी स्टेट्स को लिखा गया है कि वह क्वालिफाइड ड्रग-कंट्रोलर अपने यहां रखें। लेकिन कुछ स्टेट्स को छोड़कर बाकी ने नहीं रखा है। यह अमेंडमेंट जो किया गया है वह इसलिए किया गया है कि इस को स्ट्रेंथेन किया जाय, टैस्टिंग फैसिलिटीज ज्यादा हों, क्वालिफाइड अमला हो और ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स अपने यहां इस काम को कर सकें।

जहां तक ऐसे ड्रग्स की बात है जो दूसरे मुल्कों में बैन्ड हैं और यह यहां चल रही हैं.....(**व्यवधान**).....कूरियन साहब ने जिक्र किया था।

तो मैं यह कह रही थी कि हमारे मुल्क की जो आबो हवा है और जिस तरह से डाक्टर्स यहां पर दवायें प्रेस्क्राइब करते हैं वही दवायें यहां पर दी जाती हैं। यह नहीं कि वहां के डाक्टर्स जो बैन करें वह न दें। दूसरे मुमालिक में डी० डी० टी० पर बैन है लेकिन यहां पर हम डी० डी० टी० का स्प्रे करते हैं। इसी तरह से कुछ और भी ड्रग्ज ऐसी हैं लेकिन उनके बारे में इस वक्त मेरे पास तफसील नहीं है क्योंकि यह सवाल उठता नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इत्तला दी जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम : जब कभी सरकार को घटिया किस्म की दवाओं का पता चलता है तो निर्माताओं तथा व्यापारियों आदि के विरुद्ध कार्यवाई करने के अलावा वह प्राप्त स्टाक का क्या करते हैं ? क्या वे इसे जब्त करते हैं या इसे नष्ट करते हैं ? क्या व्यापारी दवा को निरन्तर बेचता है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसे नष्ट किया जाता है।

श्री एस० एम० भट्टम : पिछले तीन वर्षों में नष्ट किए गए दवाओं का कुल क्या मूल्य था ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : वे आकड़ें मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

नशीली औषधियों के व्यसन से प्रभावित व्यक्ति

*127. **श्री एम० डेनिस** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर नशीली औषधियों तथा मनोविकारी पदार्थों की किस्म और उनसे होने वाले नुकसान, विशेष रूप से इनसे प्रभावित व्यक्तियों और नशीली औषधि की लत के सरलता से शिकार बन जाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में, सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा कराने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार ने नशीली औषधि की लत के हानिकर प्रभावों के बारे में शिक्षा प्रदान करने तथा व्यापक प्रचार हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से कार्यक्रम तैयार करने के लिए समुचित कार्यवाही की है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) समाज और महिला कल्याण मंत्रालय के विश्वविद्यालयों तथा दूसरी शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से मदिरापान और नशीली औषधियों के व्यसन के क्षेत्र में अनुसंधान प्रायोजित किये थे। 9 विश्वविद्यालयों में हाल ही में नये अध्ययन प्रायोजित किये गये हैं जिन्हें 1986 के मध्य तक पूरा किये जाने की सम्भावना है।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(1) सरकार जन संचार माध्यम द्वारा प्रचार करते हुए और शैक्षिक प्रचार के लिए अनुदानों के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित करते हुए मदिरापान और नशीली औषधियों के व्यसन की बुराईयों के बारे में लोगों को शिक्षित करने हेतु सतत् प्रयास कर रही है।

(2) मदिरापान और नशीली औषधियों के व्यसन के खिलाफ संदेश प्रसारित करने के लिए "नया सवेरा" और "आखिर क्यों" नामक प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम शुरू किये गए हैं।

(3) छात्र समुदाय को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर मंत्रालय द्वारा मदिरापान और नशीली औषधियों के व्यसन के खिलाफ निबन्ध और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं प्रयोजित की गई हैं।

(4) प्रचार को और अधिक रुचिकर बनाने के लिए 9 क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों के साथ-

साथ विश्वविद्यालयों में मंत्रालय द्वारा, दूरदर्शन नाटक प्रतियोगिता का प्रायोजन किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुख तीन पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 5000, 3000 और 2000 रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किये गए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मेजबान विश्वविद्यालय को 5000 रुपये का सहायक अनुदान दिया गया था। प्रत्येक क्षेत्र प्रमुख दो पुरस्कार विजेता नाटकों को रिकार्ड किया जाएगा और उनका प्रसारण किया जाएगा।

(5) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से यह आग्रह किया है कि वे विश्वविद्यालयों से अनुरोध करें कि विश्वविद्यालय कैम्पसों/होस्टलों में मदिरापान और नशीली औषधियों के व्यसन के खिलाफ कड़ी निगरानी रखी जाए। यह भी अनुरोध किया गया है कि शैक्षिक संस्थाओं में इन नशीली औषधियों के व्यसन के सम्बन्ध में जब भी कोई सूचना उनके नोटिस में आए तो राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शीघ्र सूचित किया जाए। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे जन शैक्षिक और प्रेरणक कार्यक्रमों को शुरू करें ताकि लोगों को नशीली औषधियों और मनोविकारी पदार्थों के सेवन की आदत से छुड़ाया जा सके।

(6) सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए देश में नशीली औषधियों की स्थिति की समीक्षा करने और प्रबोधन करने के लिए तथा इस क्षेत्र में अपेक्षित उपायों के बारे में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक अन्तर मंत्रालय दल का गठन किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वित्त, गृह, सूचना और प्रसारण तथा शिक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि इस दल के सदस्य हैं।

श्री एम० डेनिस : नशीली औषधियों का व्यसन एक विश्वव्यापी खतरा बन गई है। यह व्यसन बढ़ता ही जा रहा है तथा हमारे देश में भी हालात गम्भीर हैं। इसने हमारी शिक्षा संस्थाओं को खोखला कर दिया है। इस प्रश्न के उत्तर में केवल शिक्षाप्रद और अनुनेय पहलू का ही उल्लेख किया है। इस खतरे को रोकने के लिए केवल यह उपाय प्रभावी नहीं हो सकता। हानिकारक औषधियों की उपलब्धता, इन औषधियों की तस्करी के लिए दी जानी वाली हल्की सजा, इस खतरे से निपटने हेतु कानूनों में विविधता तथा उनमें बचाव के रास्ते आदि ने इस खतरनाक व्यसन को देश में तीव्र गति से फैलाने में सहयोग दिया है। अतः क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन हानिकारक द्रव्यों और औषधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए क्या राष्ट्रीय स्तर पर शीघ्र ही एक व्यापक कानून बनाया जाएगा? क्या उन औषधियों पर रोक लगाई जाएगी जो हानिकारक हैं तथा जिनका कोई औषधिय गुण नहीं है?

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर : मादक द्रव्यों और मनोविकारी पदार्थों के सम्बन्ध में एक व्यापक कानून बनाया जा रहा है, जिससे इन पर वर्तमान नियन्त्रण कड़ा हो जाएगा तथा शास्तियों को बढ़ा दिया जाएगा। यह मामला वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्री एम० डेमिस : इस बुराई की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय नीति की अत्यावश्यकता है। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि समाज कल्याण मंत्री अथवा स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समेकित राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा तथा क्या नशीली औषधियों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी ?

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर : जहां तक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सम्बन्ध है हमने पिछले वर्ष के अन्त में एक अन्तर-मंत्रालय समिति गठित की थी। क्योंकि समाज और महिला कल्याण मंत्रालय एक ध्रुवीय/केन्द्रीय मंत्रालय है अतः यह हमारी जिम्मेदारी है। इस समिति में अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी हैं। हम समिति की बैठकें प्रायः करते रहते हैं। कुछ ही दिन पहले समिति की एक बैठक हुई थी।

श्री शान्ताराम नायक : मंत्री महोदय को शायद पता हो कि हिप्पी लोग सभी प्रकार के मादक द्रव्य और अन्य नशीले पदार्थ ले जाकर गोवा में बड़ा भारी खतरा पैदा कर रहे हैं। वे अंजना और बागतोर आदि गांवों में नंगे घूमते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस विशेष बात पर विचार किया है तथा इस खतरनाक व्यसन का इलाज करने का कोई उपाय किया है ताकि स्थानीय लोगों और उनकी संस्कृति पर इसका प्रभाव नहीं पड़े।

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर : कानून को लागू करने वाले अभिकरण इस समस्या से निपट रहे हैं तथा वे इस प्रकार की किसी वस्तु को देश में लाने की इजाजत नहीं देते और यदि कोई ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाए तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

श्री ए० के० पंजा : क्या माननीय मंत्री महोदया इस बात का उत्तर देंगी कि क्या सरकार को इस विषय में कोई सूचना मिली है कि विश्वविद्यायर्यों के युवा छात्र खासकर मेडिकल कालेजों के छात्र मादक द्रव्यों के व्यसनी हो गए हैं क्योंकि विभिन्न औषधालयों और बहिरंग विभागों से ये द्रव्य आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं ?

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर : जैसा कि मैंने अपने उत्तर, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है, में कहा है कि किए गए अध्ययन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह बुराई हमारे विश्वविद्यालयों में अभी इतनी प्रबल नहीं है। अध्ययन मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों पर केन्द्रित था। हमने यह देखने के लिए कि उसमें कितना सुधार हुआ है, उन्हीं स्थानों पर फिर से अध्ययन किया है। हमें विद्यार्थियों, जिनमें यह बीमारी फैल सकती है, को ही अधिक चिन्ता नहीं है परन्तु हमें इसके औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में फैलने की भी बहुत चिन्ता है।

बेंगान्नूर और त्रिवेन्द्रम के बीच नई रेल लाइन

*128. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेंगान्नूर से त्रिवेन्द्रम के बीच एक नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सर्वेक्षण प्रगति पर है।

(ख) सर्वेक्षण कार्य 1986 में पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) कोल्लम के रास्ते सीधे दोहरी लाइन बिछाने के एक विकल्प के रूप में कोट्टारकरा के रास्ते इस नयी लाइन का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सर्वेक्षण प्रगति पर है; परन्तु मंत्रालय केरल राज्य की इस शिकायत से परिचित है कि केरल राज्य की न्यायसंगत मांगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। रेलवे को क्षेत्रीय असंतुलन कम करने में एक साधन सिद्ध होना चाहिए। रेलवे लाइन का राष्ट्रीय औसत 10 कि० मी० है। इसका अर्थ है कि जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए उसका 50% भी हमें नहीं मिल रहा है। मैं केरल के प्रति किए जा रहे इस सौतेले व्यवहार का कारण जानना चाहता हूं तथा मन्त्री महोदय केरल राज्य को कोई अन्य लाइन की अनुमति न दिए जाने के अपने रुख पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री बंसी लाल : केरल के प्रति कोई भेद-भाव नहीं बरता गया है। लाइन का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है तथा ज्योंहि इसकी रिपोर्ट आएगी, हम इस पर विचार करेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्योंकि लाइन का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है अतः मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या सर्वेक्षण के पूरा होते ही माननीय मंत्री इस रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को हाथ में लेने के लिए तैयार हैं।

श्री बंसी लाल : इस समय मैं कोई वचन नहीं दे सकता।

श्री सुरेश कुरूप : मैं यह जानना चाहूंगा कि केरल में नई रेल लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने संघ सरकार के सामने कौन-से प्रस्ताव रखे हैं ?

श्री बंसी लाल : यहां बात प्रस्तुत प्रश्न से नहीं उठती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बीरभूम से कलकत्ता के लिये अधिक सवारी रेलगाड़ियां

*122. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बीरभूम जिले से कलकत्ता जाने वाले यात्रियों को अपर्याप्त रेल सेवाओं के कारण होने वाली परेशानियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अधिक रेलगाड़ियां चलाने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) श्रीमन, 6 जोड़ी मेल-एक्सप्रेस गाड़ियों सहित 11 जोड़ी गाड़ियां पहले ही मौजूद हैं जो बीरभूम जिले को कलकत्ता से सीधे जोड़ती हैं।

(ग) से (ङ) सवारी डिब्बों, रेल इन्जनों जैसे संसाधनों की कमी तथा मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता और टर्मिनलों पर टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण फिलहाल नयी गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है ।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगें

*129. **श्री ललित माकन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मार्च, 1983 को दिल्ली परिवहन निगम में हुई एक दिन की हड़ताल के बाद दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है;

(ख) क्या पेंशन योजना सहित अनेक सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सरकार ने समिति की सभी सिफारिशों को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन जो मामले वित्तीय हैं उन पर विशेष विचार होना है ।

(ख) और (ग) अधिकांश सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं। कुछ को कार्यान्वित किया जा रहा है और कुछ ऐसी सिफारिशों के बारे में, जो व्यय से संबंधित है, अभी अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना बाकी है । इनमें पेंशन स्कीमें शामिल हैं । इन सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय कुछ अनौपचारिक कार्रवाई और कानूनी शर्तें पूरी करने के अलावा विविध यूनियनों से सम्पर्क करना तथा आन्तरिक बजटीय स्थिति आदि को भी ध्यान में रखना पड़ता है ।

सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब

*130 **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1985 के नव भारत टाइम्स में "सिंचाई परियोजनायें लागू होने तक करोड़ों रुपये बढ़ जाते हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो लागत में वृद्धि के कारण इन परियोजनाओं पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को बचाने के लिये सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, हाँ।

(ख) चूंकि सिंचाई एक राज्य विषय है अत: परियोजनाओं की आयोजना, वित्त-पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार, निर्माणाधीन परियोजनाओं को आवश्यक निधियां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराकर उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही है। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग चुनिंदा परियोजनाओं की मानीटरी करता है जिसमें सिंचाई तथा विद्युत सेक्टर के लिए सीमेंट के आबंटन जैसी दुर्लभ सामग्री की सप्लाई में बाधाओं तथा कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। राज्य सरकार के लिए ऐसी सामग्रियों के लिए सहायता तथा अन्य तकनीकी सहायता का प्रबन्ध किया जाता है। अतिरिक्त योजनागत सहायता प्राप्त करने में राज्यों को मदद करने के लिए विश्व बैंक, कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि तथा अन्य द्विपक्षीय एजेंसियों जैसी विदेशी ऋणदाता एजेन्सियों से क्रेडिट/ऋण सहायता के लिए भी केन्द्रीय सरकार प्रबंध करती है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

*131. **श्री एस० एम० गुरुडी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे पत्तनों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में छोटे पत्तनों के विकास के लिए ऐसी कोई योजना शामिल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) अभी सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि पत्तन क्षेत्र सम्बन्धित कार्यदल ने कुछ चुने हुए लघु पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता देने की सिफारिश की है।

यात्री भाड़े में वृद्धि

*132. श्री अमल दत्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान भारतीय रेल ने कितनी बार यात्री भाड़े में वृद्धि की है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान माल भाड़े और यात्री भाड़े में की गई वृद्धि का अनुपात क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) पिछले दस वर्षों के दौरान यथा 1974-75 से 1983-84 के बीच यात्री किरायों में सात बार वृद्धि की गयी।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान यात्री किरायों तथा माल भाड़े की दरों में क्रमश: 85 प्रतिशत तथा 168 प्रतिशत वृद्धि हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये चिकित्सा स्नातकों को प्रोत्साहन

*133 श्री चिन्तामणि जेना :

श्री अमर सिंह राठवा :

कल्याण मंत्री यह बताने की क्या स्वास्थ्य और परिवार कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1984 को प्रत्येक राज्य में बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों की संख्या कितनी थी;

(ख) सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है जबकि दूसरी ओर अस्पतालों/औषधालयों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के औषधालयों में अर्हताप्राप्त चिकित्सा कर्मचारियों की कमी है;

(ङ) क्या चिकित्सा स्नातकों को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते औषधालय शुरू करने की सरकार की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार सिक्किम, दादर व नगर हवेली को छोड़कर 24 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 30-6-1984 को चिकित्सा स्नातकों (स्नतकोत्तरों सहित) की संख्या 19.954 थी। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड सभी चिकित्सा स्नातक/स्नातकोत्तर बेरोजगार हों, यह जरूरी नहीं है क्योंकि रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक आधार पर होता है।

राज्य	30-6-84 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर में संख्या
1	2
1. आंध्र प्रदेश	3539
2. असम	125
3. बिहार	1413
4. गुजरात	618
5. हरियाणा	291
6. हिमाचल प्रदेश	124
7. जम्मू व कश्मीर	5
8. कर्नाटक	1690
9. केरल	949
10. मध्य प्रदेश	308
11. महाराष्ट्र	1846
12. मणिपुर	6
13. मेघालय	3
14. नागालैंड	—
15. उड़ीसा	456
16. पंजाब	407
17. राजस्थान	533
18. सिक्किम*	
19. तमिलनाडु	2016

1	2
20. त्रिपुरा	6
21. उत्तर प्रदेश	1051
22. पश्चिम बंगाल	1555
संघ शासित क्षेत्र	
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—
2. अरुणाचल प्रदेश —	
3. चंडीगढ़	307
4. दादर व नगर हवेली**	
5. दिल्ली	2483
6. गोवा	76
7. लक्षद्वीप *	5
8. मिजोरम	—
9. पांडिचेरी	142
अखिल भारत योग :	19954

नोट : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है।

2. **इस संघ शासित क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय है किंतु वहां से आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

3. —कोई बकायदा रोजगार कार्यालय काम नहीं कर रहा है। कुछ रोजगार सेल काम कर रहे हैं, किन्तु इनसे अभी आंकड़े प्राप्त किये जाने हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार डाक्टरों के 31,247 पदों में से (भारतीय चिकित्सा पद्धति के डाक्टरों सहित) 28,953 डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसमें आंध्र प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों की सूचना शामिल नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर आठवें वित्त आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निम्नलिखित के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 89.88 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन करने की सहमति प्रदान कर दी है।

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों के लिए आवासीय मकानों का निर्माण,

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों के लिए 250 रुपये प्रति माह ग्रामीण स्वास्थ्य भत्ते की मंजूरी,

(3) जहां सरकारी मकान देने की व्यवस्था नहीं है, वहां 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से मकान किराया भत्ता देना,

(4) तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे डाक्टरों द्वारा बेहतर कार्य करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था करना।

ग्रामीण स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है। आशा है कि सातवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक 30,000 प्राथमिक स्वास्थ्य के केन्द्र और 1,30,000 उप-केन्द्र खोल दिए जाएंगे। राज्यों द्वारा जहां आवश्यक होता है, मोबाइल औषधालयों की व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

नर्मदा घाटी परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता

*134. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उपलब्ध वित्तीय सहायता का निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं तो कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया और उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नर्मदा घाटी विकास स्कीम में मध्य प्रदेश सरकार को इसकी परियोजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना

*135. **श्री अजय बिश्वास :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को त्रिपुरा में राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) 1979 में जब राज्य बिजली बोर्ड के गठन के लिए त्रिपुरा सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, उस समय दिसम्बर, 1978 में विद्युत के लिए नियुक्त की गई समिति संगठनात्मक ढांचे, प्रबन्ध सम्बन्धी प्रणालियों, लेखा प्रणालियों, प्रचालन की कार्यकुशलता, वित्तीय कार्य निष्पादन, टैरिफ ढांचे और वैधानिक ढांचे सहित विद्युत के उत्पादन पारेषण और वितरण में लगे राज्य बिजली बोर्डों और केन्द्रीय संगठनों के कार्यों के सभी पहलुओं की जांच कर रही थी। विद्युत सम्बन्धी समिति की सिफारिशों तथा विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले पर अब पुनः जांच की जा रही है।

प्रमुख रेलवे उत्पादन एकक

*137. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित प्रमुख रेलवे उत्पादन एकक कितने हैं;

(ख) वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ नए रेलवे उत्पादन एकक खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के एकक किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) मौजूदा एककों की कार्यकुशलता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) देश में रेलवे क्षेत्र में पांच प्रमुख रेलवे उत्पादन यूनिटें हैं जिनमें से एक निर्माणाधीन है।

(ख)

यूनिट का नाम	स्थान
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	चितरंजन
डीजल रेल इंजन कारखाना	वाराणसी
सवारी डिब्बा कारखाना	मद्रास
पहिया और धुरा संयंत्र	बेंगलूर
डीजल पुर्जा कारखाना (निर्माणाधीन)	पटियाला

(ग) और (घ) जी हां। रेल इंडिया टेक्निकल सर्विसेज (राइट्स) को रेलवे क्षेत्र में नये सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा स्थान निर्धारण सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था। राइट्स से प्राप्त रिपोर्ट में स्थान निर्धारण तथा अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की गयी हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है।

(ङ) इन यूनिटों के उत्पादन की मात्रा और किस्म को निरन्तर मानीटर किया जाता है और उन पर निगरानी रखी जाती है। रेलवे की उत्पादन यूनिटों के प्रबन्ध के लिए रक्षा उत्पादन विभाग की तरह रेल मंत्रालय के अधीन एक अलग विभाग का सृजन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आशा है इससे इन यूनिटों की कार्यकुशलता में और सुधार होगा।

औषधि कम्पनियों द्वारा दवाओं के पैकेटों में औषधि सम्बन्धी जानकारी पत्र रखना बन्द करना

*138. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषधि कम्पनियों ने लागत में कटौती करने के आधार पर दवाओं के पैकेटों मे औषधि सम्बन्धी जानकारी पत्र रखना बन्द कर दिया है;

(ख) क्या इस प्रकार के जानकारी पत्र रखा जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि अधिकांश डाक्टरों के पास चिकित्सा सम्बन्धी पत्रिकायें पढ़ने और औषधि सम्बन्धी अद्यतन जानकारी से अपने आपको अवगत रखने के लिए बहुत कम समय होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम में तदनुसार संशोधन करके इस प्रकार की भूलचूक को जुर्माने तथा कैद दोनों के साथ दंडनीय बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त संशोधन का क्या ब्यौरा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) यह वांछनीय है।

(ग) से (ङ) दवाओं के पैकटों में उनके बारे में छपे कागज आदि को अनिवार्य रूप से रखने का उपबन्ध जोड़ने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार का उपबन्ध शामिल करने से पहले, दवाओं पर मूल्य अंकित करने जैसे कई पहलू हैं जिनकी सावधानीपूर्वक जांच किए जाने की जरूरत है।

डिग्रियों की मान्यता समाप्त करना

*139. **श्री के० राममूर्ति** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अर्जित शक्तियों के अधीन अपेक्षित स्तर प्राप्त न कर सकने वाले कालिजों से ली गई ऐसी डिग्रियों का ब्यौरा क्या है जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है;

(ख) इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 10-2-85 को बम्बई में हुई बैठक में क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में किये गये संशोधन से आयोग को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह किसी कालेज से प्राप्त की गई डिग्रियों की मान्यता को समाप्त कर दें। संशोधित प्रावधान से आयोग केवल इतना कर सकता है कि वह उन कालेजों को रोके जो सम्बन्धित अर्हता में किसी छात्र को डिग्री प्रदान करने से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा-12-क के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों का उल्लंघन करते हैं। आयोग ने इस प्रावधान के लिये अभी तक आग्रह नहीं किया है।

(ख) और (ग) आयोग ने संशोधित प्रावधान के अंतर्गत विनियमों को तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है। समिति को 9 फरवरी, 1985 को बम्बई में एक बैठक हुई थी जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कुछ गैर-सहायता प्राप्त तथा स्वतः समर्थित कालेजों के प्रिंसिपलों के साथ चर्चा की गयी थी। ऐसी ही एक और बैठक 26 फरवरी, 1985 को बंगलौर में आयोजित की गई थी। इन बैठकों के पश्चात् समिति ने चुनिन्दा प्राइवेट कालेज-प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों के साथ और आगे चर्चा करने का निर्णय किया। इन चर्चाओं को अभी किया जाना है।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए धनराशि का आबंटन

*140. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, इस उद्देश्य से कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि उक्त राशि का उचित उपयोग हो और वह सही व्यक्तियों को प्राप्त हो ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित धनराशि दी गई है :

	1981-82	1982-83 (लाख रुपए में)	1982-83
स्वयंसेवी संगठन	31,53	40.27	46.30

2. मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की अभी हाल में हैदराबाद में स्थापना की गई है।

1983-84 और 1984-85 के दौरान इस प्रयोजन के लिए पांच-पांच लाख रुपए की राशि दी गई थी।

3. मंत्रालय, मन्द बुद्धि बच्चों के लिए नई दिल्ली में एक विशेष स्कूल, अर्थात् मन्द बुद्धि बच्चों के लिए माडल स्कूल, भी चलाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कूल को निम्नलिखित धनराशि दी गई :—

	1981-82	1982-83 (लाख रुपए में)	1983-84
स्कूल	6.90	7.24	8.47

4. नौवीं और इससे आगे की कक्षाओं के बच्चों को, जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, छात्रवृत्तियां दी जाती है ताकि वे स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक अध्ययन जारी रख सकें। रोजगार की व्यवस्था करने के लिए, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का विशेष रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन किया जाता है।

6. राज्य सरकार की सिफारिशों और पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर सेवा कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रीय संस्थान, माडल स्कूल और छात्रवृत्ति योजना के लेखाओं का लेखा परीक्षण भारत के नियन्त्रण और महा लेखाकार द्वारा किया जाता है।

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा फोटो के अभाव में ड्राइविंग लाइसेंसों को रद्द करना

661. **श्री जी० विजयरामा राव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा पालन किये जा रहे उन नए नियमों की जानकारी है, जिनमें ड्राइवरों के फोटो के अभाव में सभी वैध ड्राइविंग लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को उस बात की जानकारी है कि वैध लाइसेंस रखने वाले 10-20 वर्षों से अधिक अनुभवी ड्राइवरों को भी "लर्निस लाइसेंस" लेने को कहा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रकार के वैध लाइसेंस धारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मोटर यान अधिनियम का संशोधन 1982 में किया गया था। इस संशोधन के तहत मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 11 में एक विशेष प्रावधान के अनुसार यह अनिवार्य कर दिया गया कि सभी नये लाइसेंसों पर और उन लाइसेंसों पर, जो इस संशोधन से पहले जारी हुए हैं, निर्धारित अवधि में सम्बन्धित ड्राइवर का फोटो लगा होना चाहिए।

(ख) और (ग) जिन लाइसेंस धारकों ने निर्धारित अवधि में अपने-अपने लाइसेंसों पर अपने-अपने फोटो नहीं लगवाएं हैं, वे अपने पास वैध लाइसेंस नहीं रखे हुए हैं।

तथापि, ऐसे मामलों में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली मोटर यान नियमावली के नियम 2.14 के तहत लर्नर्स लाइसेंस के लिए निर्धारित 60 दिनों की अवधि की छूट दे रहा है और मोटर-यान अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट औपचारिकताओं के पूरे लिए जाने पर, नये लाइसेंस जारी कर रहा है।

विद्युत इंजिनों से चलाई जा रही रेल गाड़ियां

662. **श्री लक्ष्मण मालिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में विद्युत इंजिनों से चलाई जा रही रेलगाड़ियों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : भिन्न-भिन्न रेलों पर बिजली रेल इंजनों द्वारा प्रतिदिन कर्षित मेल, एक्सप्रेस और अन्य यात्री गाड़ियों की औसत संख्या नीचे दी गयी :—

मध्य	84.5*
पूर्व	117.70
उत्तर	103.4*
दक्षिण ब० ला०	48.0
मी० ला०	44.3*

दक्षिण पूर्व	92.7*
दक्षिणी मध्य	37.3*
पश्चिम	54.0

*प्रतिदिन न चलने वाली कुछ गाड़ियों का औसत निकाला गया है, इसलिए गाड़ियों की संख्या पूर्णांक में नहीं है।

भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्षणों द्वारा चलायी जाने वाली माल गाड़ियों की संख्या प्रत्येक मंडल में खंडवार रखी जाती है। अतः प्रत्येक खंड में चलायी जाने वाली गाड़ियों का संचयी जोड़ सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करेगा क्योंकि कई गाड़ियां एक खंड से दूसरे खंड तक तथा अन्य रेलों से होकर भी चलती हैं। अतः इसकी बजाय, वर्ष 1983-84 में बिजली रेल इंजनों द्वारा ढोये गये माल यातायात के आंकड़े शुद्ध टन किलोमीटर के हिसाब से, नीचे दिये गये हैं :—

	शुद्ध टन किलोमीटर (मिलियन) बिजली कर्षण
मध्य	3,825
पूर्व	12,137
उत्तर	13,878
दक्षिण (ब० ला०+मी० ला०)	1,905
दक्षिण मध्य	2,878
दक्षिण पूर्व	16,483
पश्चिम	2,765
जोड़	53,871

विद्युत उत्पादन एककों के लिए उपकरणों का आयात

663. **श्री संकुद्दीन चौधरी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत उत्पादन करने वाले एककों के लिए उपकरणों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसके विरुद्ध है;

(ग) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विरोध के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विरोध को ध्यान में रखते हुए अपने रुख पर पुनर्विचार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द):(क) से (घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा विकसित की गई उत्पादन क्षमता का उपयोग बढ़ाने का प्रयास है और इसलिए विद्युत उत्पादन उपस्करों को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी निर्माताओं पर बुनियादी तौर पर निर्भरता बनाए रखी गई है। केवल चुनिन्दा और गुणावगुण के आधार पर पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए आयात किया जाता है।

विद्युत उत्पादन संयंत्रों का आयात वर्तमान आयात-निर्यात नीति के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

उड़ीसा में हाड़मांगी सिंचाई परियोजना

664. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उड़ीसा के गंजम जिले में हाड़मांगी सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन को शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार निधियां उपलब्ध कराती हैं। छठी योजना के अन्त तक इस परियोजना पर राज्य लगभग 10 करोड़ रुपए व्यय करेगा।

(ख) परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 34 करोड़ रुपए है।

(ग) परियोजना की शेष सम्पूर्ण लागत को कवर करने के लिए उड़ीसा सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 24 करोड़ रुपए के आवंटन हेतु प्रस्ताव किया है ताकि इस परियोजना को सातवीं योजना के अन्त तक पूरा किया जा सके।

चिकित्सा विज्ञान और जन-स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भारत और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षर किया गया समझौता (प्रोटोकोल)

665. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने चिकित्सा विज्ञान और जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सहयोग के नये क्षेत्रों के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अन्तर्गत लिए जाने वाले नये क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या दोनों देश वर्ष 1985-86 के दौरान परस्पर शिष्टमण्डलों के आदान प्रदान और सहयोग की विशिष्ट योजनाओं पर भी सहमत हुए हैं; और

(घ) इस समझौते को कब तक क्रियान्वित करना शुरू कर दिये जाने की संभावना है;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) आयुर्विज्ञान और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक अन्तर-सरकारी करार पर भारत और सोवियत संघ के बीच 14 मार्च, 1979 को हस्ताक्षर किए गये थे। उक्त करार के अन्तर्गत संयुक्त भारत सोवियत स्थायी समिति की दूसरी बैठक 4 से 9 फरवरी, 1985 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक की समाप्ति पर दोनों सरकारों द्वारा एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गये। इस प्रोटोकोल में कुछेक नए क्षेत्रों, नामत: लीवर सेल ट्रान्सफ्यूजन थिरेपी, पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओं की मानिटरिंग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है।

(ग) और (घ) इस बैठक में करार को लागू करने हेतु वर्ष 1985-86 के लिये एक सहयोग योजना भी अपनाई गई। इस योजना में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न समस्या वाले क्षेत्रों में दोनों देशों के विशेषज्ञों का समय-समय पर आदान-प्रदान करने और उन क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य योजनाओं को सम्पन्न करने की बात कही गई है। इस योजना पर पहले ही कार्य आरम्भ हो गया है।

सातवीं योजना के दौरान महिला कल्याण की योजनाएं और प्रत्येक योजना के लिये निर्धारित राशि

666. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं योजना में महिला कल्याण और विकास सम्बन्धी

योजनाओं के लिये 262 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना में महिलाओं के कल्याण के लिये किन-किन प्रमुख योजनाओं के आरम्भ किये जाने की सम्भावना है;

(ग) प्रत्येक योजना के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(घ) इन परियोजनाओं से महिलाओं को किस सीमा तक सहायता मिलेगी; और

(ङ) क्या योजना में उनके लिये रोजगार के अवसरों की भी व्यवस्था की गई है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वर्ष 1985 से प्रारम्भ होने वाली सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यक्रम के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

रेलवे उत्पादन एककों का पृथक विभाग के अन्तर्गत लाया जाना

667. श्री बी० बी० देसाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी प्रमुख रेलवे उत्पादन एककों को एक पृथक विभाग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विभाग रक्षा उत्पादन विभाग की भांति एक स्वायत विभाग होगा;

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय इन एककों में उत्पादन में किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुआ है;

(घ) यदि हां, तो विभाग की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिये अन्य उपाय किये जा रहे हैं;

(ङ) क्या इन एककों में सुधार लाने की आवश्यकता है; और

(च) इन उपायों से उत्पादन में किस सीमा तक सहायता मिली है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (च) जी नहीं। बहरहाल, सभी मुख्य रेलवे उत्पादन यूनिटों को रक्षा विभाग के समान सृजित किये जाने वाले नये विभाग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। यह आवश्यक समझा जाता है और ऐसी आशा है कि अब उपर्युक्त उपायों को कार्यान्वित किया जायेगा, उस समय उत्पादन यूनिटों के निष्पादन में सुधार हो जावेगा।

कलकत्ता पत्तन न्यास को केन्द्रीय राजसहायता

668. **श्री जी० वी० देसाई :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास, जो एक दशक से अधिक समय से घाटे में चल रहा है, केन्द्र से मिलने वाली तमाम आर्थिक सहायता गंवा देगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने कलकत्ता पत्तन न्यास को देय राजसहायता इसके न भुगताए गए ऋणों के विरुद्ध समायोजित करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई राज-सहायता देने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) क्या यह कदम इसलिए आवश्यक था क्योंकि कलकत्ता पत्तन न्यास में एक दशक से अधिक समय से वित्तीय अव्यवस्था चल रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) 31-3-85 तक की अवधि के लिए मौजूदा आदेशों के अनुसार कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट इसकी 90 प्रतिशत राशि प्रत्यक्षतः नदी निकर्षण और नदी अनुरक्षण तथा हल्दिया की ओर जाने वाले नौचालन चैनल के अनुरक्षण निकर्षण पर व्यय के लिए है केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता पाने का पात्र हैं। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने अनुरोध किया है कि आर्थिक सहायता को 31-3-85 के बाद भी जारी रखा जाय।

वर्ष 1978 में यह निर्णय किया गया कि पोर्ट ट्रस्ट को जो आर्थिक सहायता देय होगी उसकी 50 प्रतिशत राशि उस ऋण में समंजित की जाएगी जो वर्ष 1978-79 से पोर्ट ट्रस्ट द्वारा चुकता नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) नहीं। सरकार ने वर्ष 1984-85 में 21.50 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी और मौजूदा आदेशों के अनुसार 10.75 करोड़ रुपए बकाया ऋण में समंजित किए गए हैं।

[हिन्दी]

पंचेश्वर परियोजना के कर्मचारियों की छंटनी

669. **श्री हरीश रावत :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचेश्वर परियोजना में कार्यरत कुछ कर्मचारियों की या तो छंटनी कर दी गई है या उनका किसी अन्य जगह तबादला कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। चूंकि भारत ने पंचेश्वर परियोजना के अपनी ओरके अन्वेषण सम्बन्धी कार्य अधिकांश पूरे कर लिए हैं इसलिए फालतू कर्मचारियों का स्थानान्तरण केन्द्रीय जल आयोग की अन्य परियोजनाओं में कर दिया गया है। एक वर्क-चार्ज कर्मचारी वैकल्पिक रोजगार स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं था, अतः उसकी छंटनी कर दी गई है।

[अनुवाद]

पटना में गंगा नदी पर पुल

670. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण काफी समय से लम्बित पड़ा है; और

(ख) उक्त पुल का निर्माण पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) और (ख) पुल बनाने के लिए व्यावहारिकता अध्ययन करने हेतु इंजीनियरी क्षेत्र सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और रिपोर्ट तैयार हो रही है। साथ ही यातायात सर्वेक्षण कार्य भी प्रगति पर है। विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसके सभी पहलुओं की जांच करने के बाद बिहार सरकार के परामर्श से अन्तिम निर्णय किया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और योजना आयोग इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे।

[हिन्दी]

जी० टी० एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विलम्ब होना

671. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15-डाउन जी० टी० एक्सप्रेस, जोकि 6 जनवरी, 1985 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, के घायल यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में कितना समय लगा था;

(ख) उन्हें चिकित्सा सहायता करने में विलम्ब होने क्या कारण थे; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार का विलम्ब और चूकें न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) 6-1-85 को दुर्घटनाग्रस्त हुई 15 डाउन जी० टी० एक्सप्रेस के घायल यात्रियों को रेलवे डाक्टरों द्वारा तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा दी गयी थी जो 7.05 बजे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये थे। अतः, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ था।

(ग) रेलें तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए दुर्घटना स्थल पर शीघ्रता से चिकित्सा राहत गाड़ी भेजने के लिए अनिवार्यतः यथोचित सावधानी बरतती है। इसके अलावा, दुर्घटना स्थल के आस-पास के सभी संभव स्रोतों से भी चिकित्सा सहायता प्राप्त की जाती है।

[अनुवाद]

विद्यालय जाने वाले विकलांग बच्चों के लिये सुविधायें

672. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालय जाने वाले विकलांग बच्चों को सरकार द्वारा क्या सुविधायें देने का प्रस्ताव है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : केन्द्र सरकार द्वारा स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों को दी गई सुविधाओं के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

9 वीं कक्षा से आगे शिक्षा जारी रखने के लिए भारत सरकार विकलांक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। ये छात्रवृत्तियां तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, अध्ययन पत्राचार पाठ्यक्रम, कार्य प्रशिक्षण के लिए भी दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त नेत्रहीनों को रीडर्स भत्ता, अस्थि विकलांग व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक/परिवहन भत्ता दिया जाता है। पुस्तकों, लेखन सामग्री और विशेष उपकरणों की खरीद के लिए भी सहायता दी जाती है।

2. विकलांग व्यक्तियों को जिनमें छात्र भी शामिल हैं उनके भौतिक पुनर्वास के लिए आवश्यक सहायक यंत्र एवं उपकरण दिये जाते हैं। सहायक यंत्रों का मूल्य 25 रुपये से 1500 रुपये के बीच होता है। ये उपकरण उन विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त दिये जाते हैं जिनके परिवार की मासिक आय 750 रुपये से कम होती है और यदि आय 751 और 1500 रुपये के बीच होती है तो उन्हें उपकरणों के लिए 50 प्रतिशत लागत देनी होती है।

3. सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। :विकलांग छात्रों की समेकित शिक्षा योजना के अन्तर्गत उन स्कूलों के लिए अतिरिक्त विशेष अध्यापकों, संसाधन कमरों और दूसरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं।

4. विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता स्कूलों के निर्माण, होस्टल निर्माण, उपकरणों की व्यवस्था, स्कूलों के रख-रखाव, होस्टलों के रख-रखाव, परिवहन आदि के लिए दी जाती है।

हल्दिया में दो और सामान्य माल घाटों की स्थापना

673. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन ने सरकार से हल्दिया में दो और सामान्य माल घाट स्थापित करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) पोर्ट ने हल्दिया में एक जनरल कार्गो के निर्माण का प्रस्ताव किया था। सातवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए पत्तन क्षेत्र के कार्यदल ने इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की है। अभी सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों को नए पोत खरीदने के लिए वित्तीय सहायता

674. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पोत-वणिक परिषद ने सरकार से नई पोत खरीदने के लिए गैर सरकारी नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता देने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार की नीति भी यही रही है।

गोहाटी से नई दिल्ली और बम्बई तक सुपर फास्ट रेल गाड़ियों को चलाया जाना

675. **श्री बाजू बन रियान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश की मुख्य धारा में लाने के लिये गोहाटी से नई दिल्ली

और बम्बई तक सुपर फास्ट रेलगाड़ियां चलाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ख) इस प्रस्ताव की जांच की गयी है लेकिन संसाधनों की कमी और मार्गवर्ती खण्ड पर लाइन क्षमता की तंगी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए विदेशों से विशेषज्ञता

676. श्री बी० बी० देसाई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क निर्माण में किस्म नियंत्रण के लिए विदेशी विशेषज्ञता प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में योजना आयोग के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो देश में सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए योजना आयोग ने क्या सुझाव दिया है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने योजना आयोग के सुझावों पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो मंत्रालय ने इन सुझावों पर किस हद तक स्वीकृति प्रदान की है; और

(च) देश में सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्वविद्यालयों पर केन्द्र का नियंत्रण

677. श्री अनिल बसु : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत लाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रोजेक्ट/ओपन लाइन श्रमिकों का खपाया जाना

678. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग में प्रोजेक्ट/ओपन लाइन श्रमिकों को नियमित रोजगार प्रदान करने का मानदण्ड क्या है;

(ख) भारतीय रेल विभाग में प्रोजेक्ट/ओपन लाइन में ऐसे कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं जो नियमित रोजगार पाने की प्रतीक्षा में हैं; और

(ग) क्या रेल विभाग में नैमित्तिक श्रमिकों को वेतनमान नि:शुल्क पास, चिकित्सा छुट्टी आदि जैसी वे सुविधाएं प्राप्त हैं जो नियमित कर्मचारियों को प्राप्त हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) नैमित्तिक श्रमिकों को, केवल समय व्यतीत होने पर स्वत: ही नियमित नियोजन में समाहित नहीं किया जाता है। नियमित सेवा में उनको समाहित करना विभिन्न कारकों जैसे समाहन की संबद्ध यूनिट में रिक्तियों की उपलब्धता, नियमित सेवा के लिए उपयुक्तता और नैमित्तिक श्रमिक के रूप में सेवा अवधि पर निर्भर करता है। तथापि, इस प्रकार समाहित करने से लाभान्वित होने वालों की संख्या में वृद्धि करने की दृष्टि से, वस्तुत: सभी वर्ग "घ" (श्रेणी-VI) की रिक्तियां (कारखानों और अनुकंपा के आधार पर, खेलकूद कोटे आदि में की जानी वाली नियुक्तियों जैसे अपवादों को छोड़कर) इस समय स्क्रीन किये गये/पैनल वाले नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों में से भरी जा रही है। इस प्रयोजन के लिए ये अनुदेश हैं कि समाहन की प्रत्येक यूनिट के लिए रिक्तियों का परिकलन करने के बाद उन सभी नैमित्तिक श्रमिकों को, जिन्होंने न्यूनतम 120 दिन की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, चाहे मंडल में किसी चालू लाईन पर अथवा किसी निकटवर्ती निर्माण, परियोजनाओं में, स्क्रीनिंग के लिए सूची में रखा जाना चाहिए और उनकी वरिष्ठता नैमित्तिक श्रमिक के रूप में संचयी कुल सेवा के आधार पर परिकलित की जानी चाहिए।

(ख) इस समय रेलों पर ऐसे लगभग 2.20 लाख नैमित्तिक श्रमिक हैं जो प्रचलित अनुदेशों के अनुसार उपर्युक्त आधार पर समाहन के लिए विचार किये जाने के पात्र होंगे।

इसके अलावा, वर्तमान अनुदेशों में यह भी व्यवस्था है कि चालू नैमित्तिक श्रमिक रजिस्टर में रखे गये बर्खास्त नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाये यदि वे स्क्रीनिंग के साथ प्रशासन से इसके लिए अनुरोध करें।

(ग) सतत नियोजन के 120 दिन पूरे कर लेने पर चालू लाइन पर काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी पद दे दिया जाता है। अब परियोजना नैमित्तिक श्रमिकों को भी सतत नियोजन के 360 दिन पूरे कर लेने पर अस्थायी पद के लिए पात्र किया जा चुका है। यह लाभ उनको चरणों में दिया जा रहा है।

अस्थायी पद दिये जाने पर नैमित्तिक श्रमिक नियमित/अस्थायी रेल कर्मचारियों को दिये जाने वाले बहुत से लाभों, जैसे रेलवे पास, सुविधा टिकट आदेश, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं और वेतन का नियमित समय वेतनमान के पात्र हो जाते हैं। परियोजनाओं के नैमित्तिक श्रमिक जिन्होंने 180 दिन की सतत सेवा पूरी कर ली हो, वेतनमान के न्यूनतम पर मासिक समेकित मजूरी तथा महगाई भत्ता और वर्ष में नौ छुट्टियों के पात्र हो जाते हैं।

अस्पतालों में काम आने वाले उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क से छूट

679. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पताल में काम आने वाले उन उपकरणों का विवरण क्या है जिनके आयात पर वित्त मंत्रालय की दिनांक 30 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 279/83 कस्टम जी० एस० आर० संख्या 767 (ई) के अनुसार सीमा शुल्क में दी गई है; और

(ख) उक्त अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से आज तक निर्माणाधीन अस्पतालों सहित ऐसे अस्पतालों/मेडिकल कालेजों/संस्थानों/शोध केन्द्रों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने विभिन्न उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क से छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया था तथा जिन्हें उनके मंत्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने उक्त छूट प्रदान की है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसे सभी उपकरणों/उपस्करों और यंत्रों को जिनमें फालतू पुर्जे तथा सहायक-उपकरण शामिल हैं और जिन में उपभोज्य पदार्थ शामिल नहीं है और जिनका भारत में निर्माण नहीं होता तथा जिन्हें रोगी परिचर्या के लिए अनिवार्य समझा जाता है, सीमा-शुल्क दिए बिना आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) एक विवरण अनुबन्ध में दिया गया हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 599/85]

भारतीय जहाजरानी निगम को उसके जहाज एम वी चिदाम्बरम में आग लग जाने के कारण हुई हानि

680. श्री के० प्रधानी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजरानी निगम को उसके जहाज एम० वी० चिदाम्बरम में आग लग जाने कारण कुल कितनी हानि हुई;

(ख) भारतीय जहाजरानी निगम के उक्त जहाज का कितनी धनराशि के लिए बीमा किया गया था तथा बीमा कम्पनी से कितनी धनराशि मिलने की संभावना है;

(ग) क्या आग लगने से क्षतिग्रस्त हुए इस जहाज को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा या इसे मरम्मत करके पुनः प्रयोग किया जाएगा; और

(घ) इसकी मरम्मत पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमन अन्सारी) : (क) भारतीय नौवहन निगम को कुल कितनी क्षति हुई, इसका पता साल्वेज एसोसिएशन से सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही लग सकता है, जिसे जहाज के बीमाकर्ताओं की ओर से सर्वेक्षक नियुक्त किया गया है ।

(ख) इस जहाज का बी०ा 10.15 करोड़ रु० के लिए किया गया था । यह इस शर्त के अधीन था कि अगर किसी दुर्घटना में 6.25 लाख रु० तक का नुकसान हुआ तब यह रकम नहीं दी जायगी । निगम को इसके अतिरिक्त सुरक्षा व क्षतिपूर्ति समितियों (पी० एंड आई० क्लबों) से कितनी धनराशि मिलेगी इसका पता तभी लग सकेगा जब उक्त समितियां दावे के सम्बन्ध में विधिवत विचार कर लेगी ।

(ग) सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(घ) 1·25 करोड़ रुपये ।

दक्षिण भारत को इस्पात की ढुलाई

681. **श्री आर० अन्नादानाम्बी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि रेलवे द्वारा पूरे दक्षिण भारत के लिए इस्पात की ढुलाई प्रतिदिन एक रेक तक सीमित करने के हाल ही में किए गए निर्णय के परिणामस्वरूप दक्षिण में इंजीनियरिंग उद्योगों को लोहा और इस्पात की अनुपलब्धता के कारण भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रतिदिन कम से कम चार रेकों की न्यूनतम अनुमानित आवश्यकता की तुलना में प्रतिदिन एक रेक अर्थात् 22-22 मीट्रिक टन के 30 माल डिब्बे बिल्कुल अपर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का दक्षिण भारत को इस्पात की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में रेक आबंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क), (ग) और (घ) दक्षिण के इंजीनियरी उद्योग ने हाल ही में दक्षिण के लिए इस्पात के संचालन में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन दिया है । नवम्बर और दिसम्बर 1984 में चक्रवात के कारण दरारें पड़ जाने से दक्षिण की ओर का संचलन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इस्पात, खाद्यान्न, कोयले और अन्य अनिवार्य वस्तुओं के संचलन में भारी गतिरोध पैदा हो गया ।

जनवरी और फरवरी 1985 में, इस्पात कारखानों से दक्षिण के गन्तव्यों के लिए इस्पात सामग्री के प्रतिदिन औसतन 1.5 से अधिक रेकों का लदान किया गया। इस महीने में दक्षिण की ओर इस्पात के निर्गम में यथोपेक्षित वृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) इस्पात सामग्री से लादे जाने वाले रेक की सामान्य संरचना 30/35 बोगी माल डिब्बे हैं तथा प्रत्येक माल डिब्बे की वाहन क्षमता लगभग 55 टन होती है।

हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण में प्रगति

682. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी**

श्री नारायण चौबे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को यह पता है कि पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी लागत बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त पुल के निर्माण के लिए अब तक कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) उक्त परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां। दूसरा हुगली पुल राज्य की सड़क पर है और इसलिए पश्चिमी बंगाल सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी बातों के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार विशेष रूप से 150 करोड़ रुपये की सिर्फ ऋण सहायता दे रही है। इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य राज्य सरकार की हुगली नदी पुल आयोग नामक एजेंसी कर रही है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना के कुछ खंडों पर निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सटीक रूप से नहीं चल रहा है। तथापि इस पुल के दिसम्बर, 1987 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) विलम्ब के मुख्य कारण हैं :—

(1) कलकत्ता और हावड़ा की ओर ऐसे भूभाग का मिलना जहां काफी भीड़-भाड़ रहती है।

(2) आवश्यक निर्माण सामग्रियों की खरीद में लगातार कठिनाई और श्रमिक समस्याएं।

(3) मुख्य पुल की डिजाइन सम्बन्धी कुछ मुद्दों पर विदेशी परामर्शदाताओं के बीच मतभेद।

(ग) राज्य सरकार को 5-2-1982 तक 7912.61 लाख रुपए दिए जा चुके हैं।

(घ) परियोजना के निर्माण में निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

(i) कलकत्ता की ओर पहुंचमार्ग	:	61 प्रतिशत
(ii) हावड़ा की ओर पहुंचमार्ग	:	32.5 प्रतिशत
(iii) मुख्य पुल	:	42 प्रतिशत

भारतीय रेलों में कर्मचारियों की संख्या

683. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रेलों में गैंगमैन सहित कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना अवधि में उनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) प्रत्येक योजना अवधि में भारतीय रेलों के अधिकारियों की संख्या कितनी थी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर कर्मचारियों की संख्या वित्तीय वर्ष के आधार पर रखी जाती है अर्थात् (वर्ष में 31 मार्च के आधार पर) प्रत्येक योजना वर्ष के अन्त के साथ-साथ 31 मार्च, 1984 को कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

(कर्मचारियों की संख्या हजार में)

के अन्त में	समूह क और ख (श्रेणी I और II)	समूह ग (श्रेणी III)	समूह घ (श्रेणी IV)	जोड़
प्रथम योजना (31-3-56)	2.7	373.3	648.8	1024.8
द्वितीय योजना (31-3-61)	4.4	463.1	689.5	1157.0
तृतीय योजना (31-3-66)	6.6	550.7	795.0	1352.3
अन्त: योजना (31-3-69)	7.5	562.4	784.0	1353.9
चौथी योजना (31-3-74)	8.8	622.4	801.0	1432.2
पांचवी योजना (31-3-78)	9.5	662.9	822.4	1494.8
षष्ठ योजना (31-3-80)	10.5	707.4	832.5	1550.4
31-3-84 को (छठी योजना का चौथा वर्ष)	12.0	778.0	803.3	1593.3

गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज

684. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्रीमती आर० आर० मावाणि :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने देश में गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से उत्तीर्ण छात्रों का पंजीकरण करने से इन्कार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे गैर-मान्यता प्राप्त कौन-कौन से कालेज हैं तथा इनमें से प्रत्येक कालेज को मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् देश में गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों से उत्तीर्ण डाक्टरों को रजिस्टर नहीं करती है।

(ख) निम्नलिखित मेडिकल संस्थाओं को, जो स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा यथानिर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं, अभी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मन्जूरी/मान्यता नहीं दी गई है।

1. कम्पोगोडा इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइसेंज, बंगलौर।
2. सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश।
3. एम० एस० रमैय्या मेडिकल कालेज, बंगलौर।
4. डा० बी० आर० अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर।
5. मेडिकल कालेज, त्रिचूर।

भारतीय जहाजरानी निगम के जहाजों में आग लगना

685. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय जहाजरानी निगम के यात्री जहाज एम० वी० चिदाम्बरम में बीच समुद्र में आग लग जाने के कारण जान और माल की भारी हानि हुई;

(ख) क्या इससे पूर्व भी भारतीय जहाजरानी निगम के माल वाहक तथा यात्री जहाजों को इस प्रकार की हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जहाजों के रखरखाव के पर्यवेक्षण में कमी रही है और कई मामलों में भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा पुराने और जीर्ण-शीर्ण जहाज खरीदे गये हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा भारतीय जहाजरानी निगम के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भाग (क) में उल्लिखित मामलों के अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम के यात्री जहाज में आगजनी की कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें जान-माल की क्षति हुई हो। पिछले पांच वर्षों में भारतीय नौवहन निगम के जहाज में आगजनी के कारण कारगो की क्षति में से सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

विवरण

क्रम सं०	विवरण	अनुमानित क्षति (रुपये में)		व्यक्ति/सामान
		जहाज	कारगो	
1.	आराधना 29-11-81 मंगलौर इंजिन रूम में आग	6,40,000	—	—
2.	स्टेट आफ मध्य प्रदेश 11.1.81 कलकत्ता में आग	—	5,00,000	—
3.	स्टेट आफ उत्तर प्रदेश 1-2-81 कलकत्ता में आग	5,000	3,00,000	—
4.	ए० के० आजाद 4.8.81 सावनाह में आग	99,85,000	—	—
5.	बरौनी 18-3-82 ससेबो शिपयार्ड जापान में आग	4,83,32,000	—	जापान के कारखाने में 10 व्यक्ति मारे गये और दो घायल हुए
6.	विश्व पंकज 18-6-82 अधिकारी आवास में आग	18,50,000	—	—
2.	विश्व भक्ति 19-11-82 इंजिन रूम में आग	6,04,000	—	—
8.	शाम्पेन—24-9-83 पोर्टब्लेयर के रास्ते में आग	—	6,00,000	—
9.	मोती लाल नेहरू—19-5-83 सिंगापुर में इंजिन रूम में आग	5,00,000	—	—
10.	लाजपत राय2—4-10-84 बम्बई में आग	3,00,000	75,00,000	8 जहाज स्टाफ की मृत्यु हो गई
11.	विश्वमोहनी 9-10-84 कलकत्ता में आग	1,00,000	—	—

मनुगुरू (आंध्र प्रदेश) में दूसरा सुपर ताप बिजली केन्द्र

686. **श्री बड्डे सोभानेश्वीसवारा राव :**

श्री एस० एम० भट्टम :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा इस बात का संकेत दिया गया था कि दूसरे पिट-हैड सुपर ताप बिजली केन्द्र के लिए मनुगुरू अधिक उपयुक्त स्थान रहेगा ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का संकेत दिया है कि मनुगुरू में दूसरा सुपर ताप बिजली केन्द्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चुने गये स्थान पर विचार किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो मनुगुरू में दूसरा पिट-हैड सुपर ताप बिजली केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) देश में वृहत् ताप विद्युत केन्द्रों के स्थान के लिए स्थलों का पता लगाने के लिए, भारत सरकार द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने, अन्य के साथ-साथ, आंध्र प्रदेश में दो स्थलों नामश: रामागुण्डम और मानगुरू की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को मानुगुरू सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने को कहा है।

आसनसोल तथा बर्दवान के बीच ई० एम० यू० डिब्बे लगाना

687. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी रेलवे के आसनसोल-बर्दवान सैक्शन में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए आसनसोल तथा बर्दवान के बीच ई० एम० यू० डिब्बे लगाने की पश्चिम बंगाल के लोगों की मांग पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसीलाल) : (क) से (ग) आसनसोल और बर्दवान के बीच एक बिजली गाड़ी चलाने की मांग की जांच की गई है, परन्तु बर्दवान-आसनसोल खंड पर प्लेटफार्मों को ऊंचा करने, पैदल ऊपरी पुल बनाने, संरचनाओं का स्थान बदलने तथा अतिरिक्त क्रास ओवरों की व्यवस्था करने के लिए बहुत अधिक निवेश अपेक्षित होने के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त कलकत्ता क्षेत्र में बिजली गाड़ी के सवारी डिब्बों की अत्याधिक कमी के कारण, इसका आसनसोल तक विस्तार करना व्यवहारिक नहीं है।

मंजूरी की प्रतीक्षा में गुजरात की नई विद्युत योजनाएं

689. श्री आर० पी० गायकवाड : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई कितनी और कौन-कौन-सी नई विद्युत योजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण योजना आयोग के पास मंजूरी के लिये लंबित पड़ी हैं;

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, योजना आयोग के पास लंबित पड़ी योजनाएं किस वर्ष भेजी गई थी और वे प्रगति के किस चरण में हैं तथा मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में विद्युत की भारी कमी को ध्यान में रखते हुये इन्हें शीघ्र मंजूरी प्रदान करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गुजरात प्राधिकारियों से प्राप्त पांच विद्युत उत्पादन स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दिए जाने के पश्चात् निवेश सम्बन्धी निर्णय के लिये भेजा गया है। इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में दो स्कीमों का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) परियोजना के लिए आवश्यक निवेश, राज्य प्राधिकारियों के स्पष्टीकरण और राज्य योजना में साधनों की उपलब्धता के पश्चात् मामले की स्थिति के अनुसार प्रस्तावों को मंजूर किया जा सकेगा।

विवरण

1. निवेश सम्बन्धी निर्णय के लिए भेजी गई स्कीमें

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त होने की तारीख	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किस तारीख को स्वीकृत की गई	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
जल विद्युत				
1.	सरदार सरोवर (साँझा परियोजना)	जुलाई, 1983	10-1-1984	परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति दी जानी बाकी है।

1	2	3	4	5
2.	पनाम नहर	फरवरी, 1983	26-3-1984	राज्य योजना में साधनों में बाधाएं।
ताप विद्युत				
3.	कच्छ लिग्नाइट विस्तार	मई, 1981	6-11-1982	—वही—
4.	गांधी नगर विस्तार	जून, 1982	26-3-1983	—वही—
5.	उकाय प्रतिस्थापन	मई, (संयोजित)	31-12-1984	—वही—

2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्कीमों की जांच की जा रही है

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
ताप विद्युत			
1.	सिंगरौली विस्तार	जुलाई, 1983	—कोयला लिंक अभी सुनिश्चित किया जाना है। —पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति होनी है। —गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा 9-1-85 को मृदा अन्वेषण और लागत अनुमान के बारे में प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण की

1	2	3	4
			केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है।
2.	साबरमती प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण स्कीम (संशोधित)	अप्रैल, 1984	—पर्यावरण विभाग से तथा जल और गुजरात वायु प्रदूषण केन्द्रीय बोर्ड से मंजूरी प्राप्त होनी है।

"कोलफील्ड एक्सप्रेस" का बर्दवान में रुकना बहाल किया जाना

690. श्री सुधीर राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बर्दवान के लोग और यात्री कोलफील्ड एक्सप्रेस का बर्दवान में रुकना बहाल किए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने बर्दवान में कोलफील्ड एक्सप्रेस का रुकना जो कि रेल प्राधिकारियों द्वारा कुछ समय पूर्व रद्द कर दिया गया था, बहाल किए जाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसीलाल) : (क) से (ग) जी हां। कोल फील्ड एक्सप्रेस को बर्धवान में फिर से ठहरने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) कोल फील्ड एक्सप्रेस को बर्दवान में फिर से ठहराने का कोई प्रस्ताव नहीं है, चूंकि क्षतिपूर्ति के रूप में बर्दवान और हावड़ा के बीच बिना किसी ठहराव के एक बिजली गाड़ी पहले से ही आरम्भ कर दी गयी है, जिसका चलने का समय लगभग वही है जो कोल फील्ड एक्सप्रेस का है।

भारतीय जहाजरानी निगम से जहाज किराए पर लेने वाली कम्पनियों से देय राशियों की वसूली

691. श्री राम भगत पासवान : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन कम्पनियों से एक बड़ी राशि की वसूली की जानी है जो कि भारतीय जहाजरानी निगम से जहाज किराए पर लिए जाने के लिए उनकी ओर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कम्पनियो से यह राशि वसूल की जानी है और यह राशि किस वर्ष से उनकी ओर बकाया है;

(ग) क्या उन कम्पनियों में से कोई कम्पनी अभी भी भारतीय जहाजरानी निगम के जहाजों का उपयोग कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जिन विभिन्न नौवहन कम्पनियों ने भारतीय नोवहन निगम लिमिटेड से जहाज किराए पर लिये थे, उनसे 142.52 लाख रुपए अभी वसूल नहीं हो पाये हैं।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	नौवहन कम्पनी का नाम	बकाया राशि	जिस समय से राशि बकाया है
1	2	3	4
		(लाख रुपए)	
1.	मैसर्स सलगांवकर ब्रदर्स प्रा० लि०	7.66	1975-78
2.	मैसर्स गोवलैन्ड्रीज शिपिंग कम्पनी, यू० के०	14.74	1975-76
3.	मैसर्स शिनवा कौन कैशा, जापान	2.86	1977, 78, 79
4.	मैसर्स जापान लाइन्स, जापान	4.44	1977-78
5.	मैसर्स ओसनिकशिफहंट्स	2.86	1979-80
6.	मैसर्स पी० जे० आक्टकर हैम्बर्ग	7.26	1980-81
7.	मैसर्स निपन शिपिंग कं० जापान	4.86	1977-78
8.	मैसर्स सेरीजिना मेक्सीजिना	3.92	1980-81
9.	मैसर्स काबेलफ्रैट—एन० वी०	3.61	1977-78
10.	मैसर्स मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट ओवरसीज डब्ल्यू० जी०, जर्मनी	1.55	1979-80
11.	मैसर्स पुष्पुहार शिपिंग कारपोरेशन	47.33	1980-81 और 1982-83

1	2	3	4
12.	मैसर्स चायना ट्रेडट्रांस पोर्ट कारपोरेशन, चीन	2.91	1980-81
13.	मैसर्स अहजू शिपिंग, सिओल, द० कोरिया	2.88	1981-82
14.	मैसर्स स्वैडल जेरन आफ पेरिस	3.49	1982-83
15.	मैसर्स नवट्रांस	12.04	1980-81
16.	मैसर्स पलौटा कोलम्बिया, कोलम्बिया	2.66	1981-82
17.	मैसर्स आई० आर० आई० एस० लाइन, तेहरान	11.87	1980-81 और 1982-83
18.	मैसर्स सैक्को शिपिंग कम्पनी, जापान	1.94	1977-78
19.	मैसर्स सेन्ट्रल गल्फ लाइन्स	3.64	1983
		143.52	

(ग) और (घ) हां। सिर्फ मैसर्स पुम्पुहार शिपिंग कारपोरेशन (तमिलनाडु सरकार का एक उपक्रम) नामक एक नौवहन कम्पनी के पास भारतीय नौवहन निगम के तीन जहाज अर्थात् एम० वी० हरगोविन्द, एम० वी० हरकिशन और एम० वी० हर राय चार्टर पर हैं।

महिलाओं को वाहन चालन प्रशिक्षण के लिए योजना

692. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में महिलाओं को वाहन चालन प्रशिक्षण के लिए एक योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस योजना को निजी वाहन मालिकों में अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ताकि वे लोग यातायात के नियमों से भलीभांति परिचित हो सकें ?

नौवहन और परिवहन राज्य मन्त्री (जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) हालांकि सरकार के पास केवल महिला चालकों के लिए कोई प्रशिक्षण स्कीम नहीं है, फिर भी शाहदरा, दिल्ली में पुरुष और महिला प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1984 में ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने का अनुरोध किया गया है। शाहदरा की स्कीम में सुनियोजित मार्गों पर आधुनिकतम प्रशिक्षण

उपकरणों और योग्य प्रशिक्षकों आदि की सहायता से ब्यौरेवार प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

(ग) इस स्कीम में सभी श्रेणियों के वाहनों को शामिल करने के लिए इसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें महिला प्रशिक्षुओं के लिए महिला अनुदेशकों की नियुक्तियां भी शामिल हैं।

दिल्ली में स्वास्थ्य जांच सुविधा वाले क्लिनिक

693. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने व्यक्तियों ने स्वास्थ्य जांच क्लिनिक की सुविधा का लाभ उठाया; और

(ख) इस प्रकार के क्लिनिकों की सेवाओं का यदि कम उपयोग हुआ हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के स्वास्थ्य जांच क्लिनिकों की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

1.	1982	1222
2.	1983	947
3.	1984	1036
4.	1985	194 (16 मार्च 1985 तक)

(ख) इन सेवाओं का कम उपयोग नहीं हुआ है क्योंकि स्वास्थ्य जांच क्लिनिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच के अतिरिक्त समूह "ब" के कर्मचारियों की पहली बार नियुक्ति होने पर स्वास्थ्य परीक्षा भी करते हैं।

गुजरात में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

694. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बड़ी तथा मध्यम ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जो पूरी होने की प्रतीक्षा में अधूरी पड़ी हैं;

(ख) सातवीं योजना परिव्यय में इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान 111 बृहद् तथा मध्यम स्कीमें अभी पूरी की जानी थीं।

(ख) और (ग) चूंकि राज्य की सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है अत: यह बता पाना कठिन है कि यह स्कीमें कब तक पूरी हो सकेंगी।

उड़ीसा में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं

695. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निष्पादित की जा रही प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के नाम तथा उनकी संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं के छठी योजना के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना थी;

(ग) उनमें से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) उड़ीसा में क्रियान्वयनाधीन बृहद् सिंचाई परियोजनाएं, उनकी अनुमानित लागत तथा उन पर हुई प्रगति संलग्न विवरण में दिए गए हैं। दो मुख्य परियोजनाओं नामश: महानदी डेल्टा तथा सालन्दी के छठी योजनावधि के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	3/85 तक संभावित व्यय (लाख रु० में)
1	2	3	4
(एक)	**छठी योजना पूर्व स्कीमें**		
1.	महानदी विरुपा बराज	9265.00	4917.99
2.	अपर इन्द्रावती :		
	(क) बांध	10035.00	2117.91
	(ख) सिंचाई	8332.68	876.15

1	2	3	4
3.	रेंगाली :		
	(क) बांध (सिंचाई भाग)	3192.00	2927.53
	(ख) सिंचाई	79203.93	4358.22
4.	महानदी डेल्टा	7056.41	7056.44
5.	सालन्दी	1637.91	1637.91
6.	आनन्दपुर	1217.84	1150.33
7.	अपर कोलाब :		
	(क) बांध (सिंचाई भाग)	4194.39	2858.79
	(ख) सिंचाई	7241.60	1635.83.
(दो) छठी योजना की नई स्कीमें			
1.	सोमाकोई	8239.52	116.49
2.	कानूपुर	7721.15	51.96
3.	लोअर इन्द्रा (इन्द्रा बांध)	6493.79	63.12
4.	ओंग चरण दो (चिरोली)	5264.03	55.86
5.	हीराकुंड बांध को अतिरिक्त स्पिलवे	606.00	1.00
6.	सुवर्णरेखा	39149.00	350.45

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए चिकित्सा पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव

696. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा का पाठ्यक्रम पुनर्गठन करने और यह संभव करने का है कि बहुत से लोग इस शिक्षा से लाभान्वित हो सकें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके;

(ख) क्या यह सच है कि चीन में ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा सेवा संबंधी आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करके पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसा कब किया जाएगा ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, जिसे देश में चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम समान स्तर को बनाए रखने का दायित्व सांविधिक रूप से सौंपा गया है, समय समय पर स्नातकपूर्व-पाठ्यक्रम की समीक्षा करती है और उसमें संशोधन करती है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं सहित देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। भारत सरकार ने वर्तमान चिकित्सा प्रणाली की समीक्षा करने और उसमें आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए सितम्बर, 1981 में एक चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति भी गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए अतिरिक्त लाभ देने, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटनों को प्रशिक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए डाक्टरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने संबंधी सिफारिशें की थी। पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक शक्तिसम्पन्न समिति नियुक्त की गई थी जिसने सरकार को अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

(ख) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की बहुप्रयोजनीय सिंचाई परियोजनाएं

697. **श्री हरीश रावत** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की कितनी बहुप्रयोजनीय सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी हैं और इनमें से प्रत्येक परियोजना कब से लंबित पड़ी है;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाएं अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण लंबित हैं; और

(ग) अन्तर्राज्यीय विवादो को हल करने के लिए मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश की चार बहुद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र के अनुमोदन हेतु लम्बित पड़ी हैं, जैसाकि नीचे दिखाया गया है। इनमें से दो परियोजनाएं अन्तर्राज्यीय मामलों के कारण लंबित पड़ी हैं।

प्रस्ताव का नाम	प्राप्ति की तारीख
1. विशऊ बांध परियोजना	1978
2. लखवार व्यासी परियोजना (संशोधित परियोजना)	1979
3. टिहरी बांध परियोजना (संशोधित परियोजना)	1980
4. पंचनाद बांध परियोजना	1980

(ग) विशऊ बांध परियोजना को हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में जलमग्नता के संबंध में उनकी स्वीकृति की आवश्यकता है। ओखला (दिल्ली) तक उपलब्ध यमुना के जल के बंटवारे के सम्बंध में भी बेसिन राज्यों में समझौता होना है। एक सर्वसम्मत हल निकालने के संबंध में केन्द्र, राज्यों की सहायता करता आ रहा है।

पंचनाद बांध परियोजना यमुना नदी पर उसकी निचली पहुंचों पर है। केन्द्र ने उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया है कि इस परियोजना को हाथ में लेने के लिए वह सम्बन्धित राज्यों नामश: मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सहमति प्राप्त कर लें।

[अनुवाद]

पदोन्नति पद्धति के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की सिफारिशें

698. **श्री जी०जी० स्वैल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षक आयोग ने कालेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए पदोन्नति की द्वि-स्तरीय पद्धति की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I और II से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटना विश्वविद्यालय के लिए केन्द्रीय दर्जा

699. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भोजनालयों में परिवर्तनों सम्बन्धी नीति

700. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल स्टेशनों पर इस समय चल रहे भोजनालयों की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने की सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उन स्थानों पर, जहां जनता के लिये खान-पान, व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, ऐसा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) रेलों द्वारा स्टेशनों तथा गाड़ियों में भोजन की किस्म और खान-पान सेवाओं में सुधार करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए, विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से बार-बार निरीक्षण किया जाता है और दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध उपयुक्त निवारक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, खान-पान स्तर में और सुधार करने के लिए, पायलेट परियोजना के रूप में नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खान-पान व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम को भी परार्शदाता का काम सौंपा गया है जिसका प्राप्त अनुभव के आधार पर अन्य स्टेशनों पर विस्तार किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल के लिए विद्युत उत्पादन उपकरण का आयात

701. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा बिजली उत्पादन उपकरण का आयात करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त दो प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन उपस्कर के आयात करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावों पर सरकार सहमत नहीं हुई है क्योंकि उपस्कर उचित शर्तों पर स्वदेश में ही उपलब्ध है।

जलार-पेट-बंगलौर रेल लाइन का विद्युतीकरण

702. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि त्वरित यातायात हेतु जलार-पेट-बंगलौर रेल लाइन का विद्युतीकरण करने की सख्त जरूरत है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान जलार-पेट-बंगलौर लाइन का विद्युतीकरण करेगी ?

रेल मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) और (ख) रेलों ने जोलारपेट्टै-बेंगलूर खंड के विद्युतीकरण का अनुमोदन कर दिया है, लेकिन वास्तविक कार्य-निष्पादन, अन्य उच्चतर प्राथमिकता वाले खंडों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, धन के उपलब्धता पर निर्भर करेगा। फिलहाल, धन की अपर्याप्तता के कारण जोलारपेट्टै-बेंगलूरु खंड के विद्युतीकरण का काम आस्थगित है।

महिलाओं को उचित स्थान, समान दर्जा और अवसर प्रदान करने के लिए उपाय

703. श्री एस० एस० भट्टम् : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार सरकार ने महिलाओं को उचित स्थान दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु कोई विशिष्ट उपाय किये हैं या किये जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिये नौकरियों में कुछ आरक्षण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या महिलओं के लिये समान दर्जा और अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित और लागू करने हेतु सरकार का विचार कुछ विशिष्ट उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां। प्रस्तावित उपायों में महिलाओं के सभी क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रमों में लगाना जैसे उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा और व्यासायिक प्रशिक्षण आदि में अधिक महत्व देना शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) संविधान से महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है और भेदभाव निषेध है। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक देने और महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था। महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कहा गया है।

कलकत्ता गोदी में कन्टेनर हैंडलिंग काम्पलेक्स

704. श्री रेंगपद दास : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकता गोदी में प्रस्तावित कन्टेनर हैंडलिंग काम्पलेक्स की स्थिति क्या है; और

(ख) यदि इस संबंध में अब तक कोई प्रगति हुई तो वह क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सरकार ने 10.36 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से कंटेनर हैंडलिंग उपकरण लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

नई चलाई जाने वाली गाड़ियां : रेल

705. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किस-किस रूट पर कितनी नई रेल गाड़ियां चलाये जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : चालू वित्त वर्ष अर्थात् 1984-85 की शेष अवधि के दौरान कोई नयी यात्री गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

देश में होम्योपैथी चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने हेतु कदम और होम्योपैथी के अस्पतालों की संख्या और उनके स्थान

706. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय होम्योपैथी के कितने अस्पताल कार्य पर रहे हैं और वे किन स्थानों पर हैं;

(ख) इस प्रकार प्रत्येक अस्पताल में बिस्तरों की संख्या कितनी है;

(ग) इस देश में होम्योपैथी के और अधिक अस्पताल खोलने की भारी मांग है, और

(घ) यदि हां, तो देश होम्योपैथी चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने और सातवीं योजना अवधि के दौरान होम्योपैथी के और अधिक अस्पताल खोलने हेतु सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 अप्रैल,1983 को देश भर में 120 होम्योपैथिक अस्पताल थे जिसमें कुल 3,771 पलंग थे।

(ग) और (घ) नए अस्पताल खोलने की मांगों पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाता है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल खोलना मुख्यत: राज्य का विषय है।

होम्योपैथिक उपचार के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में 1,175 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

देश में आयुर्वेदिक कालेजों की संख्या और स्थान

707. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने आयुर्वेदिक कालेज काम कर रहे हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या ऐसा कोई अस्पताल है जो किसी आयुर्वेदिक कालेज से सम्बद्ध है, यदि हां, तो किस स्थान पर और इस प्रकार के प्रत्येक अस्पताल में बिस्तरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि यह चिकित्सा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यन्त लोकप्रिय है, और

(घ) यदि हां, तो इस चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने और निकट भविष्य में देश में और अधिक आयुर्वेदिक कालेज खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) देश में पहली अप्रैल,1983 को 98 आयुर्वेदिक कालेज कार्य कर रहे थे। इन कालेजों तथा इनके साथ सम्बद्ध/संलग्न अस्पतालों का स्थान तथा प्रत्येक अस्पताल में पलंगों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०600/85]

(ग) यह उपचार पद्धति ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में लोकप्रिय है।

(घ) देश में आयुर्वेद के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 44.00 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। आयुर्वेदिक कालेजों का खोलना मुख्यतः राज्य का विषय है और इस प्रकार यह काम सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा दक्षिण भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन

708. **श्री जी० विजयरामा राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट का विचार दक्षिण भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए बंगलौर में एक शाखा स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दक्षिण भारतीय भाषाओं में मौलिक तथा अनुदित कितनी पुस्तकें प्रेस की कमी और अन्य कठिनाईयों के कारण प्रकाशन के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा अब तक भाषावार प्रकाशित पुस्तकों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने दक्षिणी क्षेत्र के लिए 21 जून, 1984 को बंगलौर में एक क्षेत्रीय कार्यालय पहले से ही खोल दिया है। इस क्षेत्रीय कार्यालय को इसके प्रकाशनों के दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवादकों और भाषा प्रेसों के निकट सम्पर्क के माध्यम से शीघ्र सम्पादन और मुद्रण को ध्यान में रखते हुए खोला गया है। यह कार्यालय अपने प्रकाशनों की बिक्री और प्रोन्नति और पुस्तक प्रदर्शनियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं के आयोजन तथा क्षेत्र में पुस्तक प्रोन्नति सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(ग) दक्षिण भारतीय भाषाओं में 15 मार्च की यथा स्थिति के अनुसार अनिर्णीत पड़े प्रकाशनों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

तेलगु	:	54
तमिल	:	33
कन्नड़	:	27
मलयालम	:	50

(घ) न्यास के वर्ष 1957 में अस्तित्व में आने से फरवरी 1985 तक भाषावार प्रकाशित पुस्तकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

अंग्रेजी	515
हिन्दी	485
असमी	144
बंगाली	215
गुजराती	175
कन्नड़	139
मराठी	184
मलयालम	111
उड़िया	164
पंजाबी	151
तमिल	146
तेलगु	176
उर्दू	231
संस्कृत	1
सिन्धी	4
कुल :	2841

कोचीन शिपयार्ड द्वारा आयल टैंकरों का निर्माण

709. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड द्वारा शीघ्र ही आयल टैंकरों का निर्माण किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम में 86000 डी० डब्लू० टी० के तीन तेल टैंकरों का निर्माण करने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को आशय पत्र दिया है । इन टैंकरों के नक्शों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

कोचीन शिपयार्ड द्वारा विस्तार के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव

710. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड के पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत आदि में विस्तार के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सरकार द्वारा जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत के संबंध में सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए गठित कार्यदल ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से इसके जहाज निर्माण/जहाज मरम्मत की क्षमता में विस्तार करने के लिए प्राप्त कुछ प्रस्तावों पर विचार किया ।

(ख) चूंकि अभी सातवीं पंचवर्षीय योजना के विषय और आकार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए सकल सातवीं पंचवर्षीय योजना और ऐसी स्कीमों के ब्यौरेवार आर्थिक और वित्तीय तर्कसंगत मुददे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी ।

बज-बज नामखाना रेल लाइन

711. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वर्षों से सरकार के विचारधीन बज-बज-नामखाना रेल लाइन प्रस्ताव की स्थिति क्या है ;

(ख) इसका निर्माण कार्य कब शुरू होगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) यह परियोजना बजट में शामिल है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण योजना आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं दी गयी है। स्वीकृति मिलने पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

साहिबगंज और तारापीठ यात्री रेलगाड़ी को हावड़ा/सियालदाह तक बढ़ाना

712. **डा० सरवीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहिबगंज यात्री रेलगाड़ी और तारापीठ यात्री रेलगाड़ी को हावड़ा या सियालदाह तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है जिसके लिए वीरभूम जिले के यात्री काफी लम्बे अर्से से आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) 317/318 तारापीठ पैसेंजर गाड़ी और साहिबगंज पैसेंजर गाड़ी को हावड़ा/सियालदह से/तक बढ़ाने की व्यवहारिकता की जांच की गयी है परन्तुसवारी डिब्बों, रेल इंजनों, मार्ग में अतिरिक्त लाइन क्षमता और हावड़ा/सियालदह में टर्मिनल सुविधायों जैसे संसाधनों की कमी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

खाद्यान्नों के लिए रेलवे रैक्स का आवंटन

713. **श्री बाजू बन रियान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानसून के महीनों के लिए खाद्यान्नों का आरक्षित भण्डार बनाने की दृष्टि से सरकार का विचार पर्याप्त संख्या में रेलवे रैक्स आवटित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) उत्तरी क्षेत्र से अभाव वाले राज्यों, जिनमें

उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी शामिल है, को प्रायोजित खाद्यान्नों की ढुलाई उत्तर रेलवे के साथ परामर्श करके भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनायी गयी मासिक योजना के आधार पर की जाती है। असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित अन्य राज्यों को ढुलाई के लिए नियोजित खाद्यान्नों की कुल मात्रा सितम्बर, 1984 से और उसके बाद बढ़ाकर प्रति महीने 1.60 लाख टन के स्तर तक कर दी गयी है। सितम्बर, 1984 से पूर्व, आबंटन एक लाख टन के आस पास था। अर्थात, 84 से फरवरी, 85 की अवधि के दौरान, रेलें प्रायः हर महीने एक लाख टन की ढुलाई कर रही थीं। यद्यपि, रेलों के लिए फरक्का के रास्ते क्षमता संबंधी कुछ मामूली समस्याएं हैं, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी बड़े आमान के टर्मिनलों पर और अधिक भाल डिब्बे रिलीज करने में कठिनाई महसूस की गयी है। मानसून से पूर्व भारी स्टाक एकत्र करने के उद्देश्य से, असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों को पर्याप्त खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए समन्वित कदम उठाये गये हैं और इस दिशा में किसी प्रकार की गम्भीर कठिनाई पैदा होने की संभावना नहीं है।

कृष्णा/गोलकुण्डा/नरसापुर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का गरला स्टेशन पर रोकना

714. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें दक्षिण मध्य रेलवे पर आन्ध्र प्रदेश में गरला में अप और डाउन कृष्णा/गोलकुण्डा/नरसारपुर एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को रोकने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर सहानुभूति पूर्ण विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ग) मांग प्राप्त हुई है और इसकी जांच की गयी है परन्तु गरला स्टेशन से प्राप्त होने वाले लम्बी दूरी के बहुत कम यातायात के कारण इसका औचित्य नहीं समझा गया है।

रियायती दर पर सीजन टिकट के बारे में अभ्यावेदन

715. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में और मद्रास के आसपास के रेलवे विभाग के कार्यालयों में कार्यरत और कार्यालयों से दूर रहने वाले रेलवे कर्मचारियों का प्रधान मंत्री को संबोधित 19 फरवरी, 1985 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें मद्रास सेन्ट्रल से "फ्री जोन" को 100 कि० मी० बढ़ाने और रियायती दर पर सीजन टिकट के लिए दूरी को 150 कि० मी० तक बढ़ाने की मांग की गई है;

(ख) क्या यह रियायत आम जनता को उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सुविधा रेल कर्मचारियों को भी दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। आम जनता मासिक, त्रैमासिक सीजन टिकटों की हकदार होती है न कि रियायती सीजन टिकटों की जैसे कि रेल कर्मचारियों को उपलब्ध होती है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

न्यू जलपाईगुड़ी/सिलीगुड़ी में "इनलैंड कन्टेनर डिपो"

716. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल को और उत्तर बंगाल से माल को लाने ले जाने के लिए न्यू-जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी में एक "इनलैंड कन्टेनर डिपो" स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) न्यू जलपाईगुड़ी अथवा सिलीगुड़ी में अन्तर्देशी कंटेनर डिपो की स्थापना का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उस क्षेत्र में कंटेनरीकरण के लिए उपलब्ध यातायात की संभावनाओं पर निर्भर करना होगा, स्थान की उपयुक्तता और अन्य सम्बद्ध कार्यों के बारे में सम्बधिन्त एजेंसियों द्वारा अध्ययन किया जाना है।

बोलपुर और हावड़ा के बीच सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाना

717. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलपुर (शांति निकेतन) और हावड़ा के बीच एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि इस सेक्शन पर यात्रियों की भीड़-भाड़ कम की जा सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी कब से चलाई जाएगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) खाना-सैंथिया खंड पर लाइन क्षमता की तंगी और कोचिंग स्टाक की कमी तथा हावड़ा और बोलपुर में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण फिलहाल बोलपुर और हावड़ा के बीच कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने

का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, बोलपुर और हवड़ा/ सियालदह पहले से ही 4 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों सहित 8 जोड़ी गाड़ियों से जुड़े हुए हैं जिन्हें वर्तमनान यातायात स्तर के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

भोपाल की गैस प्रभावित बस्तियों में गर्भवती माताओं को गर्भपात कराने की सलाह

718. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपल में गैस प्रभावित बस्तियों में गर्भवती माताओं को, उन पर नशीली "मिक" के प्रभाव के कारण संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय गर्भपात कराने की सलाह दी गई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में गैस-प्रभावित क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण भी किया गया है जिससे यह पता चला है कि जनवरी, 1985 में जन्मे कुछ शिशुओं के अंग लकवाग्रस्त थे, उनके पैर के अगूंठों से खून बह रहा था, उनकी आंखों पर भी प्रभाव था, उनकी आंखो में जमे हुए खून के धब्बे थे तथा उनमें ऐसे ही अन्य समान दोष ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने भोपाल में गैस से प्रभावित इलाकों की गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन (एम० पी० टी०) कराने की सलाह नहीं दी है।

(ख) और (ग) एम० आइ० सी० गैस से प्रभावित क्षेत्रों में नवजात शिशुओं की वृद्धि और विकास के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1 जनवरी, 1985 से एक अध्ययन किया गया है। प्रथम सप्ताह में 7 से 40 दिन की आयु के लगभग 100 बच्चों की जांच की गई थी। इनमें से अधिकांश बच्चे पूरी अवधि के हैं लेकिन उनका जन्म के समय वजन 2 किलोग्राम के औसत से कम था। इनकी माताओं का वजन 40 से 45 किलोग्राम के आसपास था और वे सामान्यतया कुपोषणा से पीड़ित थीं। विकास के अनुसार बच्चे सामान्य पाए गए। तीन नवजात शिशुओं में छोटी-मोटी जन्म विसंगतियां, जैसे पेरियारिकुलर नाडयूल और हानिया पाया गया। वैसे, ये घटनाएं आम लोगों में पाई जाने वाली घटनाओं से अधिक नहीं थीं।

न्यू-जलपाईगुड़ी और नई दिल्ली के बीच एक और सीधी रेलगाड़ी

720. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यू जलपाईगुड़ी और नई दिल्ली के बीच एक सीधी रेलगाड़ी शुरू करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उक्त प्रस्ताव पर कब तक विचार करने और उसे कार्यान्वित करने का है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इस प्रस्ताव की जांच की गयी है लेकिन संसाधनों की कमी और मार्गवर्ती खण्ड पर लाइन क्षमता की तंगी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में भारत-बंगलादेश वार्ता

721. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री के० प्रधानी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार ने हाल में भारत सरकार से गंगा के पानी के बंटवारे संबंधी पेचीदा मसले के बारे में बातचीत करने का अनुरोध किया है, क्योंकि जनवरी-मई गंगा प्रवाह समझौता दिनांक 31 जनवरी, 1985 को समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) भारत-बंगलादेश समझौता ज्ञापन-अक्तूबर, 1982 के अनुसार फरक्का में गंगा के उपलब्ध प्रवाह के बंटबारे की व्यवस्था 31 मई, 1984 को समाप्त हो गई है । बंगलादेश सरकार ने गंगा के जल के बंटबारे के मामले पर विचार-विमर्श करने हेतु हाल ही में भारत सरकार से सम्पर्क किया है । दिसम्बर, 1984 में, भारत तथा बंगलादेश के सिंचाई मंत्रियों ने फरक्का में शुष्क मौसम में गंगा के प्रवाह के दोनों देशों के बीच बंटवारे संबंधी मामले तथा फरक्का में शुष्क मौसम में गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया । इस वार्ता को जारी रखने की आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्होंने शीघ्र ही ढाका में मिलने पर सहमति व्यक्त की है।

एर्णाकुलम-अल्लप्पी और अल्लप्पी-कायमकुलम रेल लाइनों के लिए धनराशि

722. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एर्णाकुलम-अल्लप्पी और अल्लप्पी-कायमकुलम रेल लाइनों के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) एर्णाकुलम-अल्लेप्पी और अल्लेप्पी-कायमकुलम रेलवे लाइन के लिए 1984-85 के दौरान 3.01 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी थी । चालू वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त धन आबंटित करने का प्रस्ताव नहीं है, बहरहाल, 1985-86 में इन दो लाइनों के लिए प्रस्तावित परिव्यय 2 करोड़ रुपये है ।

कुट्टीपुरम और त्रिचूर के बीच बड़ी रेल लाइन

723. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुट्टीपुरम और त्रिचूर के बीच बरास्ता गुरुवयूर एक नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं । फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण

724. धर्मपाल सिंह मलिक

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता चला है कि विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों में यह कार्यक्रम निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का देश के विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यद्यपि छठी योजना के लिए ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्यों को पहले ही पार कर लिया गया है, फिर भी आन्ध्र प्रदेश,

असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पम्प सैटों के उर्जन का कार्यक्रम पूर्णरूप से पूरा नहीं हो पाएगा।

(ग) लक्ष्यों को पूरा करने में कमियों के लिए उत्तरदायी कारणों में ये शामिल हैं; कुछ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधायों की कमी, निर्माण सामग्री की कम सप्लाई, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में दुर्गम तराईयां तथा मूल्य वृद्धि।

(घ) पिछड़े तथा असंचित क्षेत्रों में विद्युतीकरण की गति को तेज करने की दृष्टि से स्कीमों को उदार शर्तों और अनुबंधनों तथा व्यवहार्यता के मानदण्ड को कम करके मंजूर किया जाता है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि नए क्षेत्रों के लिए स्कीमें तैयार करते समय मुख्य गांवों के साथ-साथ हरिजन बस्तियों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

नर्मदा घाटी विकास परियोजना की प्रगति

725. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के फैसले के अनुसार मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजना-वार अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह प्रगति फैसले के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो प्रगति की गति धीमी होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या धीमी गति के कारण सभी परियोजनाओं की वित्तीय हालत खराब हो गई है और उक्त प्रत्येक परियोजनाओं की पुनरीक्षा करना आवश्यक हो गया है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने कभी हानि का अनुमान लगाया है;

(च) क्या सरकार का नर्मदा घाटी विकास परियोजना के कार्य की प्रगति पर नजर रखने के लिए मध्य प्रदेश में कोई निगरानी अभिकरण स्थापित करने का विचार है; और

(छ) यदि हां तो यह कब तक स्थापित कर दिया जाएगा और इसके सदस्य कौन-कौन होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (छ) इस संबंध में प्रधानमंत्री का कोई फैसला नहीं है। अतः यह विभिन्न प्रश्न नहीं उठते। तथापि, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दिया है जिसके अनुसार अन्तर्राज्यीय सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध, न्यायाधिकरण के फैसले के प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के अन्दर, पूरे किये जाने अपेक्षित हैं।

रेलगाड़ियों का देर से चलना

726. श्रीमती जयन्ती पाटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रायः देर से चलने वाली रेलगाड़ियों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गाड़ियों के क्या नाम है; और

(ग) रेलगाड़ियों का समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) कुछ लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों, जिनका समय-पालन कुछ समय के लिए संतोषजनक नहीं रहा है, का पता लगा लिया गया है ।

(ख) उन गाड़ियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. 15/16 मद्रास-नई दिल्ली जी० टी० एक्सप्रेस
2. 21/22 हैदराबाद-नयी दिल्ली दक्षिण एक्सप्रेस
3. 121/122 मद्रास-नयी दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस
4. 123/124 सिकन्दराबाद-नयी दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस
5. 125/126 तिरुवनन्तपुरम-नयी दिल्ली केरल एक्सप्रेस
6. 127/128 बेंगलूरु-नयी दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस
7. 905/906 निजामुद्दीन-बेंगलूरु एक्सप्रेस
8. 907/908 कन्याकुमारी-जम्मूतवी हिमसागर एक्सप्रेस
9. 911/912 कोच्चिन-गोरखपुर एक्सप्रेस
10. 145/146 अहमदाबाद-मद्रास नवजीवन एक्सप्रेस
11. 107/108 वाराणसी-झांसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस
12. 903/904 अहमदाबाद-तिरुवनन्तपुरम एक्सप्रेस
13. 1/2 हावड़ा-बम्बई वी० टी०मेल
14. 59/60 हावड़ा-बम्बई वी०टी० गीतांजाति एक्सप्रेस
15. 141/142 मद्रास हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस
16. 901/902 तिरुवनन्तपुरम-गुवाहाटी एक्सप्रेस
17. 155/156 गुवाहाटी-नयी दिल्ली तिनसुकिया मेल

18. 191/192 नयी दिल्ली-पटना मगध एक्सप्रेस

19. 85/85 और 3/4 नयी दिल्ली-बरौनी-डिब्रूगढ़ असम मेल

20. 101/102 नयी दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस

21. 173/174 जम्मूतवी-हावड़ा हिमगिरि एक्सप्रेस

22. 915/916 नयी दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस

23. 175/176 नयी दिल्ली-पुरी नीलाचल एक्सप्रेस

24. 137/138 अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस

25. 77/78 निजामुद्दीन-पुरी उत्कल एक्सप्रेस

26. 143/144 निजामुद्दीन-पुरी कलिंग एक्सप्रेस

27. 177/178 जम्मूतवी-पूणे झेलम एक्सप्रेस

28. 5/6 बम्बई वी०टी-फिरोजपुर पंजाब मेल

29. 57/58 अमृतसर-दादर एक्सप्रेस

30. 149/150 जबलपुर-निजामुद्दीन कुतुब एक्सप्रेस

(ग) गाड़ियों के समय पालन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर चुनिन्दा डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों का नियंत्रण गहन कर दिया गया है।

(ii) गाड़ियों की परिहार व रूकोनी के मामलों का विश्लेषण किया जा रहा है और निवारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(iii) खतरे की जंजीर खींचने, होज पाइप अलग करने और शरारतपूर्ण गति-विधियों को रोकने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाये रखा जा रहा है।

अन्धेपन की रोकथाम के लिए सातवीं योजना में निर्धारित धनराशि

727. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान (वर्ष वार) अन्धेपन की रोकथाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का सातवीं योजना के दौरान अन्धेपन सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम को

100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में रखने का विचार है;

(ग) यदि हां तो उक्त प्रयोजन के लिए सातवीं योजना के दौरान अनुमानतः कितनी धन-राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) अन्धेपन की रोकथाम हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

विकसित सेवाएं	छठी योजना के	उपलब्धियां					
	शुरु में	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1. केन्द्रीय सचल एकक	30	15	—	20	15	—	80
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना	1100	500	—	70	—	330	2000
3. जिला अस्पतालों की सुदृढ़ी करण	150	50	50	66	44	44	404
4. जिला सचल एकक	—	—	—	—	—	30	30
5. मेडिकल कालेजों के नेत्र उपचार विभागों का वर्गा बढ़ाना	26	—	4	10	11	9	60
6. क्षेत्रीय संस्थानों को सहायता देना	—	—	5	—	—	—	5

1	2	3	4	5	6	7	8
7. नेत्र उपचार सहायकों के लिए प्रशिक्षण स्कूल	—	—	18	19	—	—	37
8. राज्य नेत्र उपचार सैल	—	—	—	—	—	18	18
9. मोतियां बिन्द के किये गए आपरेशन (लाखों में)	—	—	5.5	9.04	10.69	7.63*	32.86

*जनवरी, 1985 तक

(ख) जी, हां।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटन के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) विभिन्न स्तरों पर पहले से स्थापित की गई मौजूदा सेवा यूनिटों को जारी रखने के अलावा नेत्र बैंक स्थापित करने का भी विचार है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को भी बढ़ावा देने का विचार है। एक से छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को विटामिन "ए" देकर उनमें कुपोषण के कारण होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम के कार्य को जारी रखा जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क बनाने की मंजूरी के लिए लम्बित पड़े प्रस्ताव

728. **श्री हरीश रावत** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से संबंधित उत्तर प्रदेश के कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) भारत सरकार सिर्फ उन्हीं सड़कों के लिए जिम्मेदार है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। उक्त सड़क का निर्माण हो जाएगा, तब वह राज्य सरकार के नियंत्रण में

राज्य सड़क होगी। इसलिए इन सड़कों के निर्माण के किसी प्रस्ताव के इस मंत्रालय में रुके रहने का प्रश्न नहीं होता।

[अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की पुनरीक्षा

729. **श्री जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कुछ कमियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कमियों को दूर करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हां।

(ख) इस पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप जहां-जहां बाधाओं का पता चला है, वे हैं खाद्य उत्पादन तथा नियंत्रण प्रणाली, आधारभूत ढांचा और अनुसंधान तथा विकास के प्रयासों में कमी जन-जागृति आदि जैसे अन्य संबंधित विषय।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की सिफारिशों को देखते हुए राज्य सरकारों को निम्नलिखित सलाह दी गई है :—

1. वे तकनीकी अर्हता प्राप्त स्टाफ की नियुक्ति करने और बेहतर सुविधायों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करके राज्य स्तर पर प्रयोगशाला तथा प्रवर्तन सेवाओं को बढ़ाया जाए।

2. राज्य सरकारों को चाहिए कि वे खाद्य सम्बन्धी कानूनों और सफाई के मामलों के बारे में खाद्यान्न हैंडल करने वालों तथा खाद्य उद्योगों के लिए अपने मुख्यालय में सलाहकारी तथा विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करें।

3. निर्माता यूनिटों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में लाइसेंसिंग और सफाई संबंधी स्थितियों की समय-समय पर जांच की जाए। स्कूलों और अस्पतालों के आस-पास बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए।

4. जन प्रचार माध्यमों से उपभोक्ताओं को शिक्षा और सूचना देने सम्बन्धी कार्य को तेज किया जाए, ताकि इस कार्य में उपभोक्ताओं की भागीदारी बढ़े।

5. मामलों की जांच करने में होने वाले विलम्ब तो रोका जाए और राज्य मुख्यालय में कानूनी यूनिटें खोली जाएं।

6. निर्माण भण्डार अथवा बिक्री के स्थलों पर सफाई रखने के लिए लाइसेंसिंग शर्तों को सख्ती से लागू किया जाए।

7. विभिन्न कार्यकर्ताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण और विषय परिचायक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

8. शैक्षिक कार्यक्रमों और लोगों में जागृति पैदा करने के लिए इस काम में लगे संगठनों को सक्रिय बनाया जाए।

9. खाद्य अपमिश्रण निवारण के मामलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाए।

10. राज्य/जिला स्तर पर सलाहकार समितियां गठित की जाएं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी केन्द्रीय सरकार ने ध्यान में आई अड़चनों को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं जिनमें एक तरफ राज्यों के साथ तालमेल करने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तथा दूसरी तरफ निगरानी और मूल्यांकन के कार्य की मानीटरिंग करने के लिए मुख्यालयों में प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। शिक्षा, जन जागरुकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई है।

जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान की मान्यता समाप्त करना

730. **श्री के० राममूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 1985 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में जवाहरलाल नेहरु स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान की मान्यता समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस प्रमुख संस्थान को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन भारत में किसी भी चिकित्सा संस्था की चिकित्सा अर्हता की मान्यता समाप्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास है।

(ख) जी नहीं।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद को समाप्त करना

731. श्री राममूर्ति :

श्री के० प्रधानी :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सड़क परिषद को समाप्त करने के क्या कारण हैं, जिसे संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था;

(ख) सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में दिनांक 28 फरवरी, 1985 की नई दिल्ली में समाप्त हुई तीन दिवसीय गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जिराउर्रहमान अन्सारी) : (क) अभी तक किसी भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की स्थापना नहीं की गई है इसलिए इसे समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) दिल्ली पुलिस प्राधिकरण से, जिन्होंने इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया था, यह सूचना मिली है कि इसकी सिफारिशें मुख्यत: आंकड़ों का उचित रीति से संकलन किए जाने, सड़क दुर्घटनाओं की जांच करवाने, गाड़ियों के माडेल में शुरू से ही सुरक्षा के उपायों की व्यवस्था राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की स्थापना, मोटर यान अधिनियम, 1939 के प्रावधानों का कड़ाई के साथ लागू करना आदि के बारे में हैं।

(ग) इस विचार गोष्ठी की ब्यौरेवार रिपोर्ट की प्रतियों को परिचालित करना उसके संयोजकों पर निर्भर करता है, जिससे कि संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के अनुसंधान छात्रों द्वारा घेराव

732. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के अनुसंधान छात्रों ने दिनांक 2 मार्च, 1985 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक का घेराव किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के अनुसंधान अध्येताओं ने स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिग्री सहित पी० एच० डी० कार्यक्रमों में दाखिल किए उन छात्रों को किन्तु जो अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से नहीं आए थे, संशोधित

दरों पर छात्रवृत्ति देने से इन्कार करने के विरोध में 2 मार्च, 1985 को संस्थान के निदेशक का घेराव किया था।

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य संस्थानों से प्राप्त पत्रों पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति की संशोधित दरों का लाभ देने का निर्णय किया है जो इन कार्यक्रमों में है तथा जिनके लिए पहले अखिल भारतीय परीक्षा निर्धारित नहीं की गयी थी।

गुजरात को स्लैक कोयले की ढुलाई के लिये वैगन

733. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के गुजरात को स्लैक कोयले की ढुलाई हेतु प्रतिमास कितने वैगनों का कोटा निर्धारित लिए गया है;

(ख) क्या यह कोटा गुजरात में ईंट निर्माता यूनिटों की आवश्यकता पूर्ति हेतु अपर्याप्त है क्योंकि तीव्र औद्योगिक विकास के कारण गुजरात में बड़ी संख्या में ईंट निर्माता यूनिटें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी स्थापित हो गई हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने स्लैक कोयले के लिये वैगनों के कोटे के आबंटन में वृद्धि के लिये अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) वर्ष 1985 के लिए गुजरात राज्य का स्लैक कोयले का कोटा 260 माल डिब्बे प्रतिमाह है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार स्लैक कोयले के लिए माल डिब्बों के कोटे वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन करती रही है। स्लैक कोल की कुल उपलब्धता, परिवहन क्षमता और अन्य क्षेत्रों/राज्यों की जोरदार मांगों को ध्यान में रखते हुए गुजरात राज्य के लिए वर्तमान आबंटन में वृद्धि करना व्यावहारिक नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, 1984 में गुजरात राज्य के उपभोक्ताओं द्वारा स्लैक कोयले के पूरे कोटे का उपयोग नहीं किया गया था।

अहमदाबाद और बम्बई के बीच सुपरफास्ट गाड़ी

734. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और बम्बई खण्ड के यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिये इस मार्ग पर एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाये जाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) सवारी डिब्बों, रेल इंजनों और मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की तंगी जैसे संसाधनों की कमी के कारण अहमदाबाद और बम्बई के बीच सुपर फास्ट गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाले एकक

735. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1981 में रेलवे सवारी निर्माण के प्रस्तावित यूनिट की स्थापना गुजरात में किये जाने के लिये अभ्यावेदन दिया था;

(ख) क्या योजना आयोग ने रेलवे सवारी डिब्बा निर्माण करने का एक नया यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और रेलवे इंडिया टेक्नीकल एन्ड इकोनामिकल सर्विसिज लि० को परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है जिसमें स्थान सर्वेक्षण, लागत प्राक्कलन आदि शामिल हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने पर "रेलवे इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनाकिमल सर्विसिज लि०" ने पेठापुर और काशीपुरा स्थानों के विषय में ब्यौरावार सूचनायें एकत्र की हैं;

(घ) क्या रेलवे इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिकल सर्विसिज लि० ने स्थान सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या स्थापना स्थान के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है; और

(च) स्थानों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) से (च) राइट्स से उनको रिपोर्ट में स्थान के लिए यथा प्राप्त सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है।

गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता

736. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह और बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक नर्मदा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत गुजरात में नवगांव में बनाये जाने वाले सरदार सरोवर के लिए ऋण देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि क्या है, ब्याज की दर कितनी होगी; वापस अदायगी कितने वर्षों में की जाएगी और अन्य शर्तें आदि क्या हैं; और

(ग) क्या ऋण का एक भाग दे दिया गया है, यदि नहीं तो क्या दिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) हाल ही में, विश्व बैंक के साथ नर्मदा (गुजरात) नदी विकास सरदार सरोवर बांध तथा विद्युत परियोजना के लिए क्रमशः एस० डी० आर० 99.7 मिलियन (100 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर) तथा 200 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता तथा नर्मदा (गुजरात) नदी विकास-जल वितरण तथा जल-निकास परियोजना के लिए एस० डी० आर० 149.5 मिलियन (150 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर) की ऋण सहायता के संबंध में एक करार हो गया है।

इन दो परियोजनाओं के अन्तर्गत आई० डी० ए० ऋणों की वापसी की अवधि 50 वर्ष है तथा 10 वर्ष की रियायत अवधि है। इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं है परन्तु वितरित की गई राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष दर से सेवा प्रभार तथा वितरित न की गई राशि पर 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वचनबद्धता प्रभार है। आई० बी० आर० डी० ऋण की वापसी की अवधि 5 वर्ष की रियायत अवधि सहित 20 वर्ष है तथा उस पर वितरित न की गई राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष के वचनबद्धता प्रभार के अतिरिक्त षठ मासिक परिवर्ती दर से ब्याज (इस समय 9.29 प्रतिशत) देय है।

इन परियोजनओं के लिए आई० डी० ए० तथा आई० बी० आर० डी० के साथ करारों पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुये हैं। करारों पर हस्ताक्षर हो जाने तथा क्रेडिट/ऋण के प्रभावी घोषित हो जाने के बाद आई० डी० ए०/आई० बी० आर० डी० भारत सरकार को क्रेडिट/ऋण वितरित करना शुरू कर देंगे।

लम्बी दूरी की गाड़ियों में जन संबोधन प्रणाली और स्टेशनों के बीच बेतार सम्पर्क उपलब्ध कराना

737 श्री जो० विजय रामा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने प्रकोष्ठ युक्त लम्बी दूरी की गाड़ियों जन संबोधन प्रणाली आरम्भ की थी जिसका उपयोग संगीत और समाचार आदि के प्रसारण के लिये किया जाता था;

(ख) यदि हाँ, तो यह सुविधा कितनी और कौन सी गाड़ियों में उपलब्ध कराई गई और पिछले तीन वर्षों में इस पर कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या इनमें से कई गाड़ियों में जन संबोधन प्रणाली का प्रयोग बन्द कर दिया गया है और यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लम्बी दूरी सभी प्रकोष्ठयुक्त गाड़ियों में जन संबोधन प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ङ.) क्या सरकार का विचार सभी स्टेशनों के बीच टेलीफोन प्रणाली को बदलने/मजबूत बनाने के लिए बेहतर सम्पर्क सेवा उपलब्ध कराने का भी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हाँ ।

(ख) (1) नयी दिल्ली और हवड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस,

(2) नयी दिल्ली और बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस,

(3) तमिलनाडु एक्सप्रेस

(4) सर्वोदय एक्सप्रेस

(5) गरीब नवाज एक्सप्रेस

(6) आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस

पिछले तीन वर्षों के दौरान 9.56 लाख रुपये खर्च हुये ।

(ग) निम्नलिखित गाड़ियों में मुहैया की गयी सुविधाएं समाप्त कर दी गयी हैं :—

(1) तमिलनाडु एक्सप्रेस

(2) सर्वोदय एक्सप्रेस

(3) गरीब नवाज एक्सप्रेस तथा

(4) आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस

परिचालनिक तथा अनुरक्षण की कठिनाईयों के कारण यह सुविधा समाप्त की गयी अर्थात :—

(I) यह प्रणाली वातानुकूल सवारी डिब्बों में ही संतोषजनक ढंग से कार्य करती है, और ऐसे डिब्बों का एक दूसरे से सटा होना चाहिए ।

(II) उपस्कर और परिचालन तथा अनुरक्षण प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों द्वारा घेरे गये स्थान की वजह से यात्रियों के उपयोग के लिए उपलब्ध स्थान कम रह जाता है ।

(III) इस सुविधा की गम्भीर आलोचना सहित जनता की भिन्न-भिन्न राय ।

(घ) जी नहीं । केवल राजधानी गाड़ियों में ही सुविधा जारी रखने का प्रस्ताव है ।

(ङ.) जी नहीं ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के किरायों की पुनरीक्षा

738. **श्री रामभक्त पासवान** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में दिल्ली परिवहन निगम की बसों के किरायों में संशोधन करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया और पटना के बीच बरास्ता फरक्का जल परिवहन सेवा

739. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया और पटना के बीच बरास्ता फरक्का जल परिवहन सेवा में कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी की जायेगी और राष्ट्रीय जल मार्ग पर जल परिवहन सेवा आरम्भ हो सकेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) हल्दिया और फरक्का के बीच नदी सेवाएं पहले से ही सी० आई० डब्लु० टी० द्वारा चलाई जा रही हैं। फरक्का में नेवीगेशन लाक के बनकर तैयार नहीं होने/नहीं चालू होने के कारण नदी सेवाएं फरक्का से ऊपर को ओर आगे नहीं बढ़ाई जा सकी हैं।

(ख) हल्दिया और फरक्का के बीच नदी संरक्षण कार्यों, नौचालन के लिए सहायक साधन' चैनल मार्किंग, टर्मिनलों की संस्थापना आदि का प्रबन्ध करने के लिए एक स्कीम मंजूर की जा चुकी है। फरक्का और पटना के बीच उपखंड का विकास करने के लिए एक ऐसी ही स्कीम को अन्तिम रूप दे दिया गया है और वह मंजूर होने वाली है। ये दोनों स्कीमें वर्ष 1986-87 में पूरी होने के लिए निर्धारित की गई हैं। फरक्का में नेवीगेशन लाक के दिसम्बर, 1985 तक पूर्ण होने की आशा है उसके बाद नदी सेवाएं फरक्का से ऊपर ओर बढ़ाई जा सकेंगी।

विखरोली में रेल टर्मिनल

740. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विखरोली (पश्चिम रेलवे) बम्बई से एक रेल टर्मिनल को बनाने की कोई योजना है,

(ख) इस परियोजना पर कितने व्यय का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ड.) क्या सरकार ने इस परियोजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) विखरोली में प्रस्तावित रेल टर्मिनल के लिए भूमि का अधिग्रहण एक अनुमोदित कार्य है। इसकी वर्तमान लागत लगभग 10 करोड़ रुपये होगी। टर्मिनल स्टेशन बनाने के कार्य के पहले चरण के लिए 1985-86 के बजट में लगभग 24.38 करोड़ रुपये प्रस्ताव किया गया है।

(ग) जी हाँ।

(ख) और (ड.) रेल सुधार समिति ने जनसंख्या के विक्षेपण के लिए नयी सुविधाओं के विकास की सिफारिश की है। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

741- **श्री अमर सिंह राठवा** :

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1984 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1984-85 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) 1984-85 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्य-वार कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) विद्युतीकृत किए गए कुल गांवों की कुल संख्या तथा लक्ष्यों और 1984-85 के परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	31.3.1984 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या	1984-85 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य	1984-85 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए परिव्यय** (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21,661	1,190	21.00
2.	असम	9,555	3,000	5.97
3.	बिहार	32,794	3,000	19.80
4.	गुजरात	14,930	1,200	17;51
5.	हरियाणा	6,731	—(*)	8.40
6.	हिमाचल प्रदेश	13,664	538	5.79
7.	जम्मू कश्मीर	5,529	270	5.41
8.	कर्नाटक	21,242	1,560	20.66
9.	केरल	1,268	—(*)	2.90
10.	मध्य प्रदेश	36,777	3,010	28.90
11.	महाराट्र	32,024	1,100	45.06
12.	मणिपुर	532	60	1.19
13.	मेघालय	1,138	156	2.53
14.	नागालैण्ड	580	33	1.34
15.	उड़ीसा	22,520	1,125	14.08
16.	पंजाब	12,126	—(*)	8.10
17.	राजस्थान	18,565	940	16.75
18.	सिक्किम	154	52	—
19.	तमिलनाडु	15,673	20	12.28

1	2	3	4	5
20.	त्रिपुरा	1,705	180	1.802
21.	उत्तर प्रदेश	58.029	3,432	38.47
22.	पश्चिम बंगाल	18,320	1,950	19.80
	जोड़ (राज्य)	3,45,517	22,916	297.76

* शत प्रतिशत गाँवों का विद्युतीकरण पहले ही कर दिया गया है

** परिव्यय में संस्थागत वित्त पोषण शामिल नही है ।

टिप्पणी (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम के अन्तर्गत विशेष कृषि परियोजना कार्यक्रम के लिए 92.00 करोड़ रूपए का एक मुश्त प्रावधान भी किया गया है ।

(2) ग्राम सहकारिताओं के अन्तर्गत 10.00 करोड़ रूपए का भी प्रावधान किया गया है

तीस्ता बराज पर चार जल-विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

743. **श्री अनिल बसु** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू तीस्ता बराज सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर चार विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार योजना आयोग द्वारा इसकी शीघ्र स्वीकृति के लिए कार्यवाही करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राज्य प्रधिकारियों से प्राप्त तीस्ता नहर प्रपात पर आधारित तीन बिजली घरों के निर्माण की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और पर्यावरण विभाग द्वारा स्वीकृत कर दी गई हैं राज्य योजना में शामिल करने हेतु इनकी सिफारिश योजना आयोग को कर दी गई है ।

रेलवे को विश्व बैंक द्वारा ऋण

744. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली के "पेइंग फार नथिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) रेलवे वर्कशापों के आधुनिकीकरण और रेलवे विद्युतीकरण के लिए विश्व बैंक के ऋण का उपयोग न करने के क्या कारण हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन 70,000 रुपए "कमिटमेंट चार्ज" की लेवी लग रही है;

(घ) इस गलती के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है, और

(ङ) राजकोष को और अधिक हानि से बचाने के लिए इस मामले से किस प्रकार निपटने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हाँ।

(ख) से (ङ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) से (ङ) : रेलवे विद्युतीकरण और कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच 280.7 मिलियन यू० एस० डालर के ऋण के संबंध में मई, 1984 में हस्ताक्षर हुए थे। यह राशि 1990 तक छः वर्षों के दौरान चरणबद्ध रूप (यथा अपेक्षित) निकाली जानी थी।

2. विश्व बैंक के सभी ऋणों पर कमिटमेंट चार्जों का भुगतान करना एक अन्तर्निहित प्रक्रिया है। ये, निकाले न गये ऋण के भाग पर देय ऋण राशि का मामूली प्रतिशत बनते हैं। निकली गयी राशि पर जब तक ऋण वापिस नहीं किया जाता है तब तक कमिटमेंट चार्जों की तुलना में अधिक ऊँची दरों पर ब्याज देय होता है। रेल विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए इस ऋण की अन्तिम तिथि सितम्बर, 1990 है। परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।

3. इस ऋण को सार्थकता की शर्त के रूप में परिचालन सूचना प्रणाली (ओ० आई० एस०) के लिए एक सहयोगी का चयन स्वीकार किया गया था। प० सू० प्र० एक अत्याधिक जटिल परियोजना है जो किसी मार्गदर्शक मिशाल के बिना देश में अपने किस्म की पहली परियोजना है। इसी कारण से, इस परियोजना के लिए एक सहयोगी के चयन के संबंध में कार्रवाई करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय अन्तः मंत्रालय समिति को नियुक्ति की थी और प्रत्येक चरण पर संबंधित मंत्रालयों से बार-बार परामर्श करना पड़ा था। इस प्रक्रिया में, प० सू० प्र० के एक उपयुक्त सहयोगी के चयन में पूर्व प्रत्याशित समय से कुछ अधिक समय लग गया।

तथापि, इस विलम्ब से राजकोष को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

4. इस परियोजना पर लगातार निगरानी रखी जा रही ताकि इसका कार्यान्वयन समय पर हो सके।

गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा माल डिब्बों का निर्माण

745. श्री राम भगत पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं को माल डिब्बों के निर्माण हेतु आर्डर दिए हैं जबकि सरकारी उपक्रम की क्षमता का सरकार से आर्डर प्राप्त न होने के कारण कम उपयोग हो रहा है, और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न निर्माताओं को माल डिब्बों के लिए दिए गए आर्डरों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा अलग-अलग क्या मूल्य उद्धृत किए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधाराव सिंधिया (क) और (ख) : संलग्न विवरण में निजी क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र में माल डिब्बा निर्माण इकाइयों को दिये गये आर्डरों का ब्यौरा दिया गया है। विवरण से यह पता चलेगा कि 1984-85 के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के सन्दर्भ में सार्व जनिक और निजी क्षेत्र की सभी इकाइयों के पास जो कार्यभार है वह तीन वर्षों के लिए पर्याप्त है।

1984-85 के दौरान चौपहियों के हिसाब से माल डिब्बों के लिए निर्धारित कुल उत्पादन लक्ष्य 11,812 में से निजी क्षेत्रों ने 6280 चौपहिये अर्थात् कुल लक्ष्य का 52 प्रतिशत उत्पादन किया।

जहां तक मालडिब्बा निर्माताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्यों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि उनसे निवदाएं आमंत्रित करने की कोई प्रथा नहीं है। मालडिब्बों के मूल्य निर्धारण के लिए ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कास्ट्स एण्ड प्राइसिस की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, मूल्य वैगन इंडिया लिमिटेड के साथ परस्पर वार्ताओं के माध्यम से तय किये जाते हैं।

विवरण

1.4.84 तक मालडिब्बा निर्माण यूनिटों पर बकाया भार, पिछले दो वर्षों के दौरान दिए गए आर्डर, 1984-85 से आगे निर्माण के लिए उपलब्ध कुल भार, 1984-85 के लिए निर्धारित लक्ष्य और 1984-85 के लिए निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में महीनों के हिसाब से भार की मात्रा।

(आंकड़े चौपहियों में)

क्रम सं०	माल डिब्बा निर्माण इकाई का नाम	1.4.84 को बकाया भार	पिछले दो वर्षों में औपचारिक ठेकों/ मांग पत्र द्वारा दिए गए आर्डर	1984-85 के बाद उपलब्ध कुल भार	1984-85 के लिए निर्धारित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
	सार्वजनिक क्षेत्र				
1.	मैसर्स भारत वेगन एंड इन्जीनियरिंग कं० लि०, मुजफ्फरपुर	965	867.5	1832.5	490
2.	मैसर्स भारत वेगन एंड इन्जिनियरिंग कं० लि०, मोकामा	1145	875	2020	590
3.	मैसर्स ब्रैथवेट एंड कं० लि०, कलकत्ता	4022.5	880	4902.5	1290
4.	मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कं० लि०, बर्नपुर	4537.5	1670	6207.5	1670

1	2	3	4	5	6
5.	मैसर्स बर्न स्टेंडर्ड कं० लि० हवड़ा	4650	2317.5	6967.5	1890
6.	जेस्सप एंड कं० लि० कलकत्ता	892.5	355	1247.5	350
				जोड़	6280
					अग्रेनीत 6280
निजी क्षेत्र					
7.	मैसर्स सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग कं०, भरतपुर।	4550	935	5485	1530
8.	मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, नांगलोई, दिल्ली	1940	187.5	2127.5	350
9.	मैसर्स माडंन इंडस्ट्रीज, सहिबाबाद	1702	255	1957	537
10.	मैसर्स टेक्समेको, कलकत्ता	6755	4190	10945	3115
				जोड़	11812

वर्ष 1983-84 में भारतीय जहाजरानी निगम को घाटा

746. श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम को वर्ष 1983-84 के दौरान 50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) भारतीय नौवहन निगम को 1983-84 में 51.64 रूपए का घाटा हुआ।

(ख) यह मुख्यत : नौवहन उद्योग में विश्वव्यापी मंदी के कारण हुआ, जिससे भाड़ा दरों में गिरावट आई।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिश

747. प्रो० मधु दंडवते : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजायियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपने 43 वें प्रतिवेदन (1983-84) में यह कहा है कि वह उसकी 15 सिफारिशों पर सरकार द्वारा दिये गए उत्तरों से संतुष्ट नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच उक्त समिति की सिफारिशों पर पुनर्विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो विशेषकर (एक) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए "कट आफ बाई पाउंट" (उक्त प्रतिवेदन का पैरा 1.10) (दो) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए प्रतिपरिवार बच्चों की संख्या की सीमा (पैरा (1.16) तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से आंकड़ों की उपलब्धता (पैरा2.3) (चार) चयन समिति में शामिल करने (पैरा 2.12) के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने अपनी 43 वीं रिपोर्ट (1983-84) के माध्यम से सरकार को विचारार्थ 15 सिफारिशें वापिस भेजी थी। इनमें से कुछ सिफारिशों पर समिति को सरकार संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए "कट आफ पाइन्ट" को और कम करने के सम्बन्ध में है इस समस्या के सम्बन्ध में सरकार के पहले वाले दृष्टीकोणों को दोहराया गया है। अन्य सिफारिशों पर विभिन्न सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से पुनर्विचार किया जा रहा है।

गंगा-भगीरथी-हुगली नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग

748. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग का, तत्सम्बंधी व्यय सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फरक्का पर पोषक नहर के नौपरिवहन सम्बन्धी जलपाश-द्वारों का निर्माण कार्य जुलाई 1984 तक पूरा हो जाने का अनुमान था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह परियोजना पूरी हो गई है तथा अब नौपरिवहन शुरू हो चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके कब शुरु होने की आशा है;

(ङ.) क्या कार्य-निष्पादन में विलम्ब से अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ेगी;

(च) क्या सरकार का देश में ऐसे अन्य जल मार्गों की व्यवस्था करने विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों के हल्दिया और इलाहाबाद के बीच के भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। इस भाग में नदी सेवाओं को शुरू करने के लिए इस राष्ट्रीय जल मार्ग को विकसित करने की दृष्टि से इस भाग को हल्दिया-फरक्का-पटना, और पटना-इलाहाबाद नामक तीन उपखंडों में विभाजित किया गया। हल्दिया और फरक्का उपखंड के बीच आधारभूत सुविधाएं जुटाने के लिए एक स्कीम (जिसकी लागत 189.50 लाख रु० है) मंजूर की जा चुकी है। फरक्का और पटना के बीच उपखंड के विकास के लिए 390 लाख रु० लागत की एक ऐसी ही स्कीम बनाई जा चुकी है और इस पर विचार हो रहा है। जहां तक पटना और इलाहाबाद के बीच के उपखंड का संबंध है, यहां नदी सेवाओं को शुरू करने से पहले इस उपखंड के विकास में आड़े आने वाली कठिनाओं का ब्यौरेवार अध्ययन करने और समस्याओं का पता लगाने के लिए 978.06 लाख रु० की लागत की एक पायलट परियोजना भी मंजूर की जा चुकी है।

(ख) से (घ) फरक्का में नेवीगेशन लाक और सहायक कार्यों के पूर्ण होने की तारीख समय समय समय पर बढ़ाई जाती रही है। दिसम्बर, 1984 तक इन कार्यों के पूर्ण होने की आशा थी। तथापि नवीनतम सूचनाओं के अनुसार, कैसिअन स्टाप लाग्स में अन्तिम रूप से संशोधन करने में विलम्ब होने के कारण अब नेवीगेशन लाक के दिसम्बर, 1985 तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है, जिसके बाद पटना और फरक्का के बीच सीधा नौचालन सम्भव हो जाएगा।

(ङ.) फरक्का में नेवीगेशन लाक की लागत हाल ही में संशोधित की गई है और दिसम्बर 1985 तक इसके पूर्ण होने में अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

(च) और (छ) सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन संबंधी कार्यदल ने निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किये जाने की सिफारिश की है :—

(i) ब्रह्मपुत्र
(ii) गोदावरी
(iii) वेस्ट कास्ट कैनाल
(iv) सुन्दरवन
(v) कृष्णा

सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है।

327. अप नागपुर पैसेंजर गाड़ी में लगी आग के कारण

749. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री वासुदेव आचार्य :

श्री के० प्रधानी :

श्री सनत कुमार मण्डल :

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23 फरवरी, 1985 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के राजबन्द गांव-डोंगरगढ़ सैक्सन में 327 अप नागपुर पैसेंजर गाड़ी के दो डिब्बों में लगी आग के कारणों की कोई जांच कराई गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के संरक्षा आयुक्त द्वारा 23.2.85 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के दुर्ग-डोंगर खंड पर 327 अप नागपुर पैसेंजर में हुई आग की दुर्घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय आप भी उसी परम्परा का अनुसरण कर सकते हैं जिसका अनुसरण माननीय अध्यक्ष महोदय करते हैं। वे हमें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देते

हैं और उस पर अपना निर्णय देते हैं। आप मुझे आय प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिए और उस पर आप अपना निर्णय दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, कहिए, क्या कहना है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बहुत ही गम्भीर वृत्तांत इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। जिसके लिए मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं। अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले गुजराती समाचार पत्रों के आज के अंक में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुआ है कि अहमदाबाद के एक बहुत बड़े उद्योगपति श्री मृगेश जयकृष्ण के जिनके घनिष्ठ राजनीतिक सम्पर्क हैं दो महवत्पूर्ण प्रतिनिधि हैं, के चन्द्रकान्त अमीन और आशुतोष नानावती 19 मार्च को सहार हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए तथा उनसे 48 लाख रुपये कीमत के डालर बरामद किए गए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे डालर उनको अहमदाबाद के उद्योगपति मृगेश जयकृष्ण ने हांगकांग बैंक में जमा करने के लिए दिए थे। उनको पकड़ लिया गया है। अहमदाबाद के आज के सभी समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है। यह एक गम्भीर मामला है। गुजरात के सांसद यह जानते हैं कि इस उद्योगपति के उच्च राजनैतिक सम्बन्ध है। इसलिए मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। मै चाहूंगा कि आप इस पर अपना निर्णय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुआ है।

श्री जी० जी० स्वैल : पक्षपात न करें। आप को प्रत्येक को अनुमति देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा। कृपया बैठ जाइए।

प्रो० मधु दंडवते : क्योंकि पक्षपात का आरोप लगाया गया है, कृपया मेरी बात भी रिकार्ड आने दीजिए कि मैंने दो नोटिस दिए हैं—एक स्थगन प्रस्ताव तथा दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। आपको अपना विनिर्णय देने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करूंगा।

श्री जी० जी० स्वैल : कोई पक्षपात नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : आपने अहमदाबाद की स्थिति पर मेरे स्थगन प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। परन्तु मैंने दो अन्य नोटिस भी दिए हैं; एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा एक प्रस्ताव नियम 193 के अधीन। दोनों सम्प्रदायों के जान और माल का नुकसान हो रहा है। परन्तु,

मेरे विचार से शायद अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का निर्वाह और उसको सुदृढ़ कर रहे हैं अथवा नहीं। मैं सदन में इस पर पूर्णकालिक चर्चा कराना चाहता हूं। बगैर इस बात पर ध्यान दिए कि मन्त्री जी आज अपराह्न में वक्तव्य देते हैं अथवा नहीं, इस पर कम से कम नियम 193 के अधीन चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आपने स्थगन प्रस्ताव रद्द कर दिया है अतः इस पर नियम 193 के अधीन पूर्ण-कालिक चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय वक्तव्य देने जा रहे हैं। कृपया आप बैठ जाइये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं बैठ जाऊंगा। यह स्वभाविक है। परन्तु नियम 193 के अधीन चर्चा का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाएं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने एक नोटिस दिया है। आपने इसे अवश्य देखा होगा। त्रिपुरा में सक्रिय टी० एन० वी० गुरिल्लाओं ने भारत के एक भूखण्ड को आजाद घोषित कर दिया है। राज्य सरकार अपने सामान्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कर्त्तव्य को भी नहीं निभा सकी है। हमारे सुरक्षा बलों के बहुत से जवान टी० एन० वी० गुरिल्लाओं ने मार दिए हैं। आज अखबार में यह खबर छपी है कि·····(व्यवधान)·····कि सात लोग मारे गए हैं। अब सदन में हमारे सामने एक दृष्टांत है—शायद आप गुजरात पर बहस की अनुमति देने जा रहे हैं—हम सरकार की कानून और व्यवस्था बनाए रखने की असफलता के सम्बन्ध में त्रिपुरा पर भी बहस की मांग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.5 म० प०

[अनुवाद]

ईरान-ईराक युद्ध के विस्तार से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री राजीवगांधी)— माननीय सदस्यों को पता ही है कि से ईरान इराक में साढ़े चार वर्ष चले आ रहे युद्ध का पिछले कुछ सप्ताह में काफी विस्तार हुआ है। हाल की स्थिति का अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ यह है कि दोनों देशों द्वारा युद्ध का विस्तार नागरिक लक्ष्यों एवं आवासीय क्षेत्रों में किया गया, जिसमें राजधानियों तथा डाक एवं अन्य नागरिक केन्द्रभी सम्मिलित हैं, जिससे बहुत से नागरिकों की जानें गईं तथा सम्पत्ति विनष्ट हुई। यह भी आरोप है कि रासायनिक शस्त्रों-का भी उपयोग हुआ।

हम, भारत के रूप में और 'नाम' के चेयरमैन के रूप में इन घटनाओं से अत्यन्त चिन्तित और स्तब्ध हैं। हमारे दोनों देशों के साथ प्राचीन काल से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं तथा संघर्ष के शुरू से ही दोनों देशों से हम आग्रह करते आये हैं कि युद्ध समाप्त कर अपने मतभेद शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा बातचीत से दूर करें। इस प्रकार की वृहद सैनिक कार्यवाहियों से केवल उन बाह्य शक्तियों को लाभ पहुंचता है जो इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता के विरुद्ध हैं। पिछले सप्ताह मैंने दोनों देशों के महामहिम राष्ट्रपतियों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर युद्ध समाप्त करने की दशा में पहले कदम के रूप में नागरिक लक्ष्यों पर, हमले बन्द करने की अपील की थी जैसा कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव के साथ 12 जून, 1984 को हुए समझौते के अनुसार इससे सहमत हो गये थे। मैंने इसके साथ ही सचिव स्तर के विशेष सन्देशवाहक भेज कर इस बात को आगे बढ़ाया, तथा पिछले रविवार 16 मार्च को मेरे व्यक्तिगत सन्देश दोनों राष्ट्रपतियों को पहुंचा दिये गये।

मंगलवार 19 तारीख को ईरान के विशेष दूत, जो कि अपने राष्ट्रपति से मेरे लिए संदेश लाये, के साथ लम्बी बातचीत की। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से भी मुझे पत्रोत्तर मिल गया है।

चूंकि युद्ध में कोई कमी नहीं आयी अतः मैंने बगदाद तथा तेहरान को उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल भेजे। विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री खुर्शीद आलम खां कल विदेश सचिव श्री रमेश भण्डारी के साथ गये हैं। वे दोनों देशों की राजधानियों में जाकर पूरे 'नाम' की ओर से चिन्ता व्यक्त करेंगे। वे भारत की ओर से तथा सभी निर्गुट देशों की ओर से पहले कदम के रूप में नागरिक लक्ष्यों पर हमले करने, युद्ध बन्दियों की अदला-बदली तथा खाड़ी में नागरिक पोतों पर हमले करना तुरन्त समाप्त करने का आग्रह करेंगे।

मुझे उम्मीद है कि सभा श्री खुर्शीद आलम खां के इस अभियान की सफलता की कामना में मेरा साथ देगी।

12.8 म० प०

[अनुवाद]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं समीक्षा, मालवीय क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, जयपुर, मौलाना आजाद कालेज आफटे कनालोजी भोपाल, तथा कर्नाटक क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज सूरथकल के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षा लेखे

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं श्री कृष्णचन्द्र पंत की ओर से अग्रलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारण को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या ए० ल० टी० 532/85]

(3) मालवीय क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, जयपुर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 533/85]

(4) मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नालोजी, भोपाल, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 534/85]

(5) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, सूरथकल, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल०टी०535-85]

हास्पिटल सर्विसेज कंसलटेन्सी कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1983-84 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और एक विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मती मोहसिना किदवई) : मैं अग्रलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हास्पिटल सर्विसेस कंसलटेंसी कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हास्पिटल सर्विसेज कंसलटेंसी कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कीटिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । संख्या एल०टी० 534-85]

(2) केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की अपेक्षित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 533/85]

महापत्तन न्यास अधिनियम, के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; भारतीय सड़क निर्माण निगम समिति, नई दिल्ली की समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन पाराद्वीप महापत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शियाउर्रहमान अंसारी : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 829 (अ), जो 29 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कांडला पत्तन कर्मचारी (आचरण) तीसरा संशोधन विनियम, 1984 अनुमोदित किये गये हैं ।

(दो) अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 74, जो 19 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बम्बई पत्तन न्यास की गोदियां (संशोधन) उप-नियम, 1981 अनुमोदित किये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखे गये : देखिए संख्या एल०टी० 538-85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम सीमित, नई दिल्ली को वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल०टी० 539-84]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, पाराद्वीप पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) पाराद्वीप पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय म रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 540-85]

(5) नौवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा-वर्ष की समाप्ति से नौ महीनों की अपेक्षित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। संख्या एल०टी० 541-85]

(6) नव मगलौर पत्तन न्यास, पेरम्बूर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी 542-85]

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की वर्ष 1983-84 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा पत्रों के विलम्ब से रखे जाने के सम्बन्धी विवरण

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं अग्रलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुतान लेटेक्स लिमिटेड के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-प्ररीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०543-85]

राज्य सभा में संदेश

12.09 म० प०

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 18 मार्च, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित भोपाल गैस लीक विभीषिका (दावा कार्यवाही) विधेयक, 1985 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुवा है।"

भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) विधेयक
राज्य सभा द्वारा यथापारित

[अनुवाद]

महासचिव : मैं भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) विधेयक 1985, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

श्री० जी० एम० बनातवाला (पोत्रानी) : जब आपने कुछ सदस्यों की बात सुनी है, तो अन्यों के प्रति भेदभाव क्यों बरता जाये। यह व्यवहार भेदभावपूर्ण है। आपको अन्य सदस्यों को भी अपनी बात कहने देना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। श्री शिवराज पाटिल को अपना वक्तव्य देने दें।

श्री जी० एम० बनात वाला : यह भेदभाव पूर्ण व्यवहार उचित नहीं है।

श्री० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपने हममें से कुछ को अपना वक्तव्य देने का अवसर दिया है। आप अन्य को भी अनुमति क्यों नहीं देते ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

श्री जी०जी० स्वैल (शिलांग) : यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो मैं नहीं बैठूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

प्रो० के०के० तिवारी : (बक्सर) महोदय, मुझे अपनी बात कहने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाये।

श्री जी० ऐम० बनात वाला : कल मन्त्री महोदय ने अहमदाबाद की स्थिति पर वक्तव्य देने का वचन दिया था। वक्तव्य अभी तक नहीं आया। वक्तव्य देने में बिलम्ब क्यों किया जा रहा है। वक्तव्य तुरन्त दिया जाना चाहिए तथा उस पर चर्चा आज ही की जानी चाहिए...ताकि चर्चा उपयोगी, ज्ञान-वर्धक एवं फल दायक हो। वक्तव्य को न रखे जाने के कारण नहीं बताये गये हैं? वक्तव्य की कब तक दिये जाने की संभावना है? इसे दिन में दिया जाना चाहिए तथा दिन में चर्चा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कल इस पर चर्चा हुई थी। उसके बाद प्रधान मंत्री ने सूचित किया कि गृह मंत्री अहमदाबाद गये हैं तथा वापस आने के बाद वक्तव्य देंगे। वह अभी वापस नहीं आये।

श्री जी०एम० बनातवाला : वह वापस आ गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा। कृपया बैठ जायें।

श्री जी० एम० बनातवाला : कब पता लगायेंगे? इस मामले का सम्बन्ध जनता के जान और माल से है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वैल, आपको क्या कहना है। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है। मुझे अपनी पूरी बात कहने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी इस तरह खड़े हो जायेंगे तो मैं आपकी बात कैसे सुनुंगा। श्री स्वैल आपने क्या कहना है।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा को इस सभा में गौण स्थान मिल रहा है। पिछले दो तीन सप्ताह से देश की सीमाओं पर तथा उनके निकट होने वाली घटनाओं पर ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं दे रहा हूं जिन्हें आपने स्वीकार नहीं किया। आपको पता है कि दिसम्बर के महीने में मणीपुर के मुख्य मन्त्री बाल-बाल बचे तथा उनकी सुरक्षा सेना के चार व्यक्ति, मारे गये। इसके एक महीना बाद विद्रोही नागाओं ने हमारी सुरक्षा सेनाओं के 14

जवानों की हत्या कर दी। जहां पर सरकार मिजो राष्ट्रीय फ्रन्ट से बातचीत कर रही है। दो सप्ताह पूर्व मिजो विद्रोहियों द्वारा मणिपुर के पुलिस कैम्प पर हमला किया गया तथा भारी मात्रा में विस्फोटकों को ले भागे—मुझे बताया गया है कि बारूद तथा 17,00 बारूद की छड़े ठीक मणिपुर राइफलस् से लूट लीं गईं तथा मिजोरम से एजवाल जाते हुए एक ट्रक सेना द्वारा रोक लिया गया। बताया गया कि उसमें पूरे एजवाल को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक पदार्थ पर्याप्त थे। उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि मणिपुर में एजवाल की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। सेना द्वारा एक ट्रक पकड़ा गया जोकि विस्फोटकों से पूरी तरह भरा हुआ था तथा बताया गया कि ये विस्फोटक पदार्थ राजस्थान से लाये गये थे।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह चीजें हो रही हैं? क्या इनसे सरकार अवगत है तथा क्या माननीय गृह मंत्री जी इस विषय पर वक्तव्य देने सामने आयेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसकी सूचना दी है?

श्री जी०जी० स्वैल : मैंने सभी सूचनाएं दे दी हैं। कृपया उन सभी सूचनाओं को पढ़ लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो के०के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय मैं जो कह रहा था वह श्री स्वैल द्वारा कही गई बात से ही सम्बन्धित थी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसके बारे में सूचना दे दी है?

प्रो के०के० तिवारी : महोदय, मैंने सूचना दे दी। त्रिपुरा का एक हिस्सा भारत से आजाद घोषित किया जा चुका है तथा यह टी० एन० वी० गोरिल्लाओं द्वारा किया गया है। राज्य सरकार.....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने इसकी सूचना दे दी है तो मैं इस पर गौर करूंगा। अब श्री शिवराज पाटिल वक्तव्य देंगे।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : वह बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहें हैं। कृपया ध्यान से सुनिए।

श्री अभय विश्वास : (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं त्रिपुरा से हूं। कृपया मुझे बोलने की अनुमति...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इसके लिए समय समाप्त हो गया है। मैंने पहले ही कई सदस्यों को सुन लिया है। अब मैंने श्री शिवराज पाटिल को वक्तव्य देने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : महोदय, इलेक्ट्रानिकी से सम्बन्धित नीतिपर एकीकृत उपायों पर वक्तव्य थोड़ा लम्बा है। मैं विनयपूर्वक सदन की स्वीकृति मांगता हूं तथा आशा करता हूं। कि मुझे पूरा वक्तव्य पढ़ने दिया जाएगा।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रानिकी की कितनी लाभदायक भूमिका है। वस्तुतः इलेक्ट्रानिकी द्वारा हमारी कई परियोजनाओं और पूंजीनिवेश के कई मामलों में पूंजी-निर्माण अनुपात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ये वक्तव्य दे रहे हैं। यह10 पृष्ठ का वक्तव्य है। यह सदन के सभा-पटल पर रख दिया जाए। यह 10 पृष्ठ का वक्तव्य है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसीरहाट) : देखिए इतने लम्बे वक्तव्य को सुनकर हम समझ नहीं पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह से इसे रोक नहीं सकता। वे वक्तव्य पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि यह सदन के सभा-पटल पर रखा जाए तो मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा। क्या आप इसे सदन के सभा-पटल पर रखवाना चाहते हैं?

श्री शिवराज वी० पाटिल : आरम्भ में ही मैंने पूरा वक्तव्य पढ़ने की अनुमति मांगी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : पर अब वे केवल यही करने को कह रहे हैं। मैं आपकी राय चाहताहूं :

प्रो० एम० जी० रंगा (गुंटूर) : यह नीति से संबंधित विषय है। हमारी वक्तव्य सुनने में दिलचस्पी है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसे आप सदन के सभा-पटल पर रखना चाहते हैं?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे पढ़ने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : वे पढ़ना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : हमें इसे समझने के लिए समय चाहिए। दस हजार रुपए या लगभग इतनी ही राशि, केवल वक्तव्य पढ़ने से ही निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या वे बहुत उत्सुक हैं कि सदन का समय बचाया जाए ? यह नीति सम्बन्धित मामला है तथा हम चाहते है कि मन्त्री महोदय द्वारा पूरा वक्तव्य पढ़ा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य पढ़ रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

प्रो० मधु दंडवते : तब, सदस्यों को प्रतियां दे दी जाएं।

इलैक्ट्रानिक्स सम्बन्धी समेकित नीति उपायों के बारे में वक्तव्य

12.22 म०प०

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : माननीय सदस्य अवगत होंगे कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रानिकी की कितनी लाभदायक भूमिका है। वस्तुतः, इलेक्ट्रानिकी हमारी कई परियोजनाओं और पूंजीनिवेश के कई मामलों के पूंजी-निर्माण अनुपात को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, अतः यह आवश्यक है कि हम इस अवसर का उपयोग इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को और अधिक गतिशील बनाने में करें। दिन प्रतिदिन इलेक्ट्रानिकी के साफ्टवेयर की मात्रा बढ़ती जाती है और भारत इसका लाभ उठाने की सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति में है।

इन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए, सरकार ने निर्णय किया है कि इलेक्ट्रानिक उपस्करों के प्रयोग में अब तेजी लाना जरूरी है, जैसे कि संचार उपस्कर, जिनमें जन-संचार उपस्कर शामिल हैं, कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण उपस्पर, आंकड़ा संचार तथा आंकड़ा संसाधन उपस्कर। हमारे जैसा विशाल देश ऐसे उपस्करों के आयात का भार नहीं बर्दास्त कर सकता। अतः वर्ष

1989-90 के लिए 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के स्थानीय उत्पादों का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव है। इसे हासिल करने के लिए नीति संबंधी कई एकीकृत उपाय करने का प्रस्ताव है :

1. **औद्योगिक लाइसेंसों को व्यापक बनाना :**

अब से पूंजीनिवेश का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण के लिए एक ही व्यापक लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसे "ब्राड-बैंड" लाइसेंस कहा जाएगा :—

(i) मनोरंजन इलेक्ट्रानिक, जिसमें रेडियो रिसीवर, टेप रिकार्डर, टू-इन-वन, ऐम्पलीफायर (ध्वनि-प्रवर्धक), रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड चेंजर, श्याम एवं श्वेत तथा रंगीन दूरदर्शन सेट, बन्द परिपथ दूरदर्शन (सी०सी०टी०वी०) प्रणाली शामिल हैं, किन्तु लघु उद्योग के लिए आरक्षित वस्तुएं शामिल नहीं हैं;

(ii) इलेक्ट्रानिक खिलौने जिनमें रेडियो नियंत्रिक तथा खेल शामिल हैं;

(iii) कम्प्यूटरों के उपान्त-उपस्कर (पेरीफेरल);

(iv) इलेक्ट्रानिक परीक्षण तथा परिमापन उपकरण, किन्तु इनमें लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित ऐसे उपकरण शामिल नहीं हैं; तथा

(v) पृथक् सेमीकंडक्टर युक्तियां।

2. **वी० सी० आर० वी० सी० पी० तथा सूक्ष्मतरंग चूल्हों से संबंधित नीति :**

लगभग अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर इलेक्ट्रानिक उपस्करों के निर्माण की नीति को ध्यान में रखते हुए, सरकार वीडियो कैसेट रिकार्डरों/वीडियो कैसेट प्लेयरों तथा सूक्ष्मतरंग चूल्हों के विनिर्माण के लिए निम्नलिखित आधार पर एक औद्योगिक तथा लाइसेंसिंग नीति तैयार कर रही है :—

वी० सी० आर०/वी० सी० पी० :

इलेक्ट्रानिकी विभाग अथवा इसके द्वारा नामित अभिकरण वी०सी०आर०/वी०सी०पी० के लिए प्रौद्योगिकी की खरीद करेगा, जिसमें डेक मैकेनिज्म के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी शामिल होगी। डेक मैकेनिज्म का विनिर्माण, जिसमें हैड/ड्रम का संयोजन शामिल है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसे इलेक्ट्रानिकी विभाग बाद में नामित करेगा। इसके अतिरिक्त डेक मैकेनिज्म के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र में एक अन्य यूनिट को अनुमोदित किया जा चुका है।

जो वर्तमान लाइसेंसशुदा/पंजीकृत यूनिटें अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहती हैं, उनसे दुबारा आवेदन करने को कहा जाएगा और उनके आवेदनों पर अन्य आवेदनों के साथ विचार किया जाएगा।

समय-समय पर इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा जैसा निर्णय किया जाएगा, उसके अनुसार प्रत्येक उत्पादन यूनिट में उत्पादन और परीक्षण से संबंधित न्यूनतम उपस्कर प्रतिष्ठापित करने होंगे।

सूक्ष्मतरंग चूल्हे :

इलेक्ट्रानिकी विभाग अथवा इसके द्वारा नामित कोई अभिकरण इस वस्तु के लिए प्रौद्योगिकी की खरीद करेगा। इसके लिए वही नीति अपनाई जाएगी जो वी०सी०आर०/वी०सी०पी० के लिए अपनाई गई है।

3. अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियां :

इलेक्ट्रानिक घड़ियों की वर्तमान औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय नीति में अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों (डी०ई०डब्ल्यू०) के विपणन का कार्य अनन्यतः केन्द्र तथा राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के लिए आरक्षित रखा गया है। परिवर्तित प्रौद्योगिकी को मद्देनजर रखते हुए, जिसके कारण अब पूरे विश्व में बहुत सस्ती इलेक्ट्रानिक अंकीय घड़ियां उपलब्ध हैं, निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :—

(क) सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड (एस०सी०एल०) को कम लागत की अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के माड्यूलों का विनिर्माण करके उन्हें न केवल राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र के अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के संयोजनकर्ताओं, अपितु यांत्रिकीय घड़ियों, हस्तशिल्प आदि के निर्माण में लगी अन्य यूनिटों को भी बेचने की अनुमति होगी।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र की यूनिटों को सीधे बाजार में कम लागत की अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों अथवा अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के के माड्यूलों पर आधारित वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी जा सकती है।

यदि मांग सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता से आगे बढ़ जाती है, तो इन माड्यूलों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र में एक दूसरी यूनिट को अनुमति दी जाएगी।

4. पैराग्राफ (1) में उल्लिखित सभी टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों के लिए ऐसे आवेदकों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी जो वित्तीय संस्थानों के साधन-स्रोतों पर निर्भर नहीं करते हैं।

5. गुणवत्ता (क्वालिटी) तथा विश्वसनीयता :

सरकार टिकाऊ इलेक्ट्रानिक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए क्वालिटी के प्रमाणीकरण के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैय्या कराएगी ताकि उपभोक्ता विश्वसनीय उत्पादों के बारे में आश्वस्त हो सकें।

6. **उदार-विकास :**

किसी नए उत्पाद के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करते समय, निकट भविष्य में होने वाली प्रत्याशित मांग के साथ-साथ उस उत्पाद की तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता का भी ध्यान रखा जाएगा। सरकार इस बात पर जोर देगी कि वे पूंजीगत उपस्करों में न्यूनतम पूंजी तो अवश्य ही लगाएं ताकि देश में पर्याप्त संवर्द्धित मूल्य का इत्मीनान हो सके तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने और उसे विकसित करने का अवसर मिल सके। न्यूनतम उत्पादन-क्षमता पर जोर दिया जाएगा। एक बार लाइसेंस जारी करने पर लाइसेंसधारी को इस बात से आश्वस्त किया जाएगा कि उसे आगे बढ़ने के लिए उदारतापूर्वक सुविधाएं दी जाएंगी।

7. चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान करते समय, सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि आयातित, टांके लगे मुद्रित परिपथ बोर्डों पर निर्भरता कम हो जाए और देश के अन्दर प्रामाणिक विनिर्माण को बढ़ावा मिले।

8. भारतीय कम्पनियों को, जिनमें 40 प्रतिशत अथवा उससे कम विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) वाली कम्पनियां शामिल हैं, संगठित निजी क्षेत्र के लिए खुले इलेक्ट्रानिकी के किसी क्षेत्र से अब मात्र इसी कारण वंचित नहीं किया जा सकेगा कि उनमें विदेशी-साम्या-पूंजी (इक्विटी) लगी हुई है।

9. **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां :**

सरकार ऐसे इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों, सामग्रियों तथा अन्य घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध उच्च प्रौद्योगिकियों के लिए विनिर्माण की सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) वाली कम्पनियों (अर्थात् जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्या-पूंजी लगी है) का स्वागत करेगी, जिनमें हमारा देश अनुसंधान तथा विकासकार्य में पर्याप्त पूंजी-निवेश नहीं कर सका है

10. देश में इलेक्ट्रानिकी का एक समुचित आधार स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की मुक्त रूप से अनुमति दी जा सकेगी। किन्तु उद्योगों को अपने संस्थानों के अन्दर प्रौद्योगिकी का आधार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्रौद्योगिकियों का बार-बार आयात करने की आवश्यकता न रहे।

11. प्रौद्योगिकी के सारणीबद्ध आयात का सहारा केवल उसी स्थिति में लिया जाएगा जब विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों से कारण अन्तराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में स्वदेशी उत्पाद महंगे पड़ते हों, क्योंकि इस नीति का एक उद्देश्य यह भी है कि उपस्करों को अन्तराष्ट्रीय के कारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के लगभग समकक्ष मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए।

12. . **उद्योगों की अवस्थिति :**

इलेक्ट्रानिक उद्योग को किसी भी स्वीकृत स्थान पर स्थापित करने की अनुमति होगी

पहाड़ी जिलों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक उद्योग विकसित करने की दिशा में और अधिक प्रयास किए जाएंगे।

13. **एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार-पद्धति अधिनियम की धारा 21 तथा 22 से छूट :**

इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे (सभी प्रकार के एकीकृत परिपथो अर्थात् वी०एल०एस०आई०, एस०एस०आई०, एम०एस०आई०, एस०एस०आई० सेमीकंडक्टरों, प्रकाशित-वोल्टता के संघटक-पुर्जों आदि से भिन्न), कम्प्यूटर पेरीफेरल (उपान्त उपस्करों), कम्प्यूटर साफ्टवेयर, कम्प्यूटरों में इस्तेमाल किए जाने वाले चुम्बकीय टेपों, वीडियो उपस्करों, हार्ड डिस्कों, कम्प्यूटरों और परीक्षण तथा परिमापन उपकरणों के काम में आने वाले फ्लापी डिस्कों तथा डिस्केटों को एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21 तथा 22 से पहले ही छूट प्राप्त है। यह छूट निम्नलिखित सामग्रियों के लिए भी उपलब्ध होगी :—इलेक्ट्रानिकी की सामग्रियाँ, कम्प्यूटर प्रसारण उपस्कर, नियंत्रण यंत्रीकरण तथा औद्योगिक एवं व्यावसायिक इलेक्ट्रानिकी तथा संचार उपस्कर।

14. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 24 प्रकार के इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों, कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटरों के उपान्त-उपस्करों (पेरीफेरलों) से उत्पादन शुल्क हटा दिया है। यह स्वदेश में निर्मित इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की कीमतें घटाने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है और इससे कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग समकक्ष होंगी।

15. **जन शक्ति विकास :**

इलेक्ट्रानिकी एक ज्ञान-उन्मुख क्षेत्र है तथा इसकी विशिष्टता यह है कि इसमें एक ओर तो द्रुत गति से नित-नूतन परिवर्तन होते रहते हैं तो दूसरी ओर पुरानी प्रणालियां शीघ्र अप्रचलित हो जाती हैं, अतः इलेक्ट्रानिकी के विकास के लिए, चाहे वह अनुसंधान तथा विकास, उत्पादन, अनुक्षण, कार्योत्तर सेवा के क्षेत्र में हो अथवा अनुप्रयोगों के क्षेत्र में, काफी ऊंचे स्तर के विशिष्ट एवं प्रशिक्षित एवं जनशक्ति की बड़ी संख्या में नियमित रूप से आवश्यकता होती है और इस जनशक्ति के कौशल से निरन्तर अद्यतन बनाए रखना भी उतना ही निर्णायक एवं महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र का द्रुत गति से विकास करने के संबंध में सरकार के घोषित उद्देश्यों के संदर्भ में, इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में जनशक्ति के प्रशिक्षण पर अधिकाधिक एवं तत्काल ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही थी। इस निर्णायक क्षेत्र में जो पहल की गई है तथा कदम उठाए गए हैं और कार्यक्रम अपनाए गए हैं, उनका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :—

(i) कम्प्यूटर-विज्ञान में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 5 प्रमुख संस्थानों अर्थात् बम्बई, दिल्ली, कानपुर तथा मद्रास स्थित चार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा जादवपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं।

(ii) **कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम :** यह कार्यक्रम देश भर के 6 संस्थानों में शुरू किया गया है। कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए छः-छः सप्ताह की अवधि के 4 माड्यूलों के माध्यक से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(iii) कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर उपाधि का कार्यक्रम 14 केन्द्रों में आरम्भ किया गया है।

(iv) अगले वर्ष में इलेक्ट्रानिकी में मास्टर कार्यक्रम को तीन विश्वविद्यालयों में आरम्भ किये जाने की संभावना है। इस समय विज्ञान-स्नातक उपाधि स्तर पर उपलब्ध परम्परागत गणित, भौतिक, रसायन-शास्त्र के मिले-जुले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, इलेक्ट्रानिकी को अन्य विषयों के समूह के साथ एक अलग विषय के रूप में लागू करने के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया गया है।

(v) कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 28 केन्द्रों को चुना गया है जिनमें से 17 केन्द्रों ने यह पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है।

(vi) **पालीटेकनिक के उपरान्त कम्प्यूटर अनुप्रयोगों पर 18 महीनों की अवधि का डिप्लोमा कार्यक्रम :**

यह कार्यक्रम 16 केन्द्रों में लागू किया गया है।

(vii) "कंसोल प्रचालक-व-प्रोग्राम सहायक" तथा "आंकड़ा निर्माण सहायक" नामक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) के दो व्यावसायिक विषयों पर प्रशिक्षण पाठ्क्रम को 13 केन्द्रों के लिए अन्तिम रूप दिया गया है।

(viii) **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में सतत शिक्षा कार्यक्रम :**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग से लिए गए कम्प्यूटर व्यवसायविदों तथा शैक्षणिक संस्थानों से लिए गए शिक्षकों को अल्पकालीन माड्यूलर पाठ्यकम उपलब्ध कराना है। इनमें से 60 प्रतिशत स्थान शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं यह कार्यक्रम दिसम्बर, 1984 में शुरू किया गया है।

16. इस उद्योग की एकीकृत रूप से योजना बनाने तथा विदेशी मुद्रा कम से कम खर्च करने का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से संगठित और लघु उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों के, सभी इलेक्ट्रानिक विनिर्माताओं से विस्तृत आंकड़ा प्राप्त करना जरूरी है। अतः एक ही अनिवार्य प्राफार्मा लागू

करने का प्रस्ताव है जो औद्योगिक इकाईयों द्वारा वर्ष में एक बार इलेक्ट्रानिकी विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।

17. वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तावों की छान-बीन करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे इलेक्ट्रानिकी के लिए पृथक कक्षों की स्थापना करें और साथ ही उन्हें इलेक्ट्रानिकी विभाग की परियोजना मूल्यांकन समितियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

18. 19 नवम्बर, 1984 को घोषित कम्प्यूटर-नीति को इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक नियंत्रण उपस्करों, यंत्रीकरण एवं प्रणालियों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक इलेक्ट्रानिकी तथा आंकड़ा संचार उपस्करों के लिए भी उचित रूप से लागू किया जाएगा।

19. **संघटक-पुर्जे :**

दिनांक 16 मार्च, 1985 को उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रेस-नोट द्वारा यह पहले ही घोषित किया जा चुका है कि अब इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों उद्योग के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसके फलस्वरूप, संघटक-पुर्जों का उत्पादन करने के लिए जो उद्यमकर्ता संघटक-पुर्जा उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वे तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास अपना नाम पंजीकृत करा सकेंगे।

20. सरकार ने पहले यह घोषणा की थी संघटक-पुर्जों का विनिर्माण अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए, अतः कुछ ऐसे संघटक-पुर्जों को आरक्षण से मुक्त करने का प्रस्ताव है जिन्हें आज वह लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था।

21. संघटक-पुर्जों के लिए आमतौर पर मध्यवर्ती स्तर पर विनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है, किन्तु, द्विध्रुवीय, रेखिक तथा अंकीय एकीकृत परिपथों के मामलों में, जहां भारी पूंजी-निवेश की आवश्यका होती है, उद्योग को शुरू-शुरू में, मध्यवर्ती स्तर से संयोजन करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे कम से कम 5 करोड़ रु० का पूंजीनिवेश करें।

22. **संचार :**

संचार के क्षेत्र में कुछ उत्पाद-श्रृंखलाएं निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी गई हैं, जैसाकि इलेक्ट्रानिकी उपमंत्री ने मार्च, 1984 में घोषण की थी। इस नीति के फलस्वरूप, निजी क्षेत्र को इलेक्ट्रानिक पी०ए०बी०एक्स० के लिए 5 आशय पत्र तथा इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरण के लिए 27 आशय पत्र जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रानिक दूरमुद्रक के विनिर्माण के लिए एक आशय पत्र, सार्वजनिक टेलीफोन के विनिर्माण के लिए दो आशय पत्र तथा टेलीफोन-उत्तर प्रदायी (आन्सरिंग) एवं अभिलेखी मशीन के विनिर्माण के लिए दो आशय-पत्र भी निजी क्षेत्र को जारी किए गए हैं। पहले यह प्रस्ताव किया गया था कि स्विचन प्रणालियों के लिए निजी पार्टियों की 49 प्रतिशत से अधिक की सहभागिता को अनुमति नहीं दी जाएगी।

किन्तु, सरकार के साधन-स्रोतों की सीमाओं को देखते हुए तथा इनकी अपर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जिसके स्विचन के क्षेत्र में महसूस किए जाने की संभावना है, अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र द्वारा स्वदेश में ही विकसित की जा रही प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली की फैक्टरी स्थापित की जाए। इस उद्यम में सरकार का पूंजीनिवेश 26 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा; 25 प्रतिशत की पेशकश निजी क्षेत्र की एक पार्टी को जाएगी और 49 प्रतिशत का पूंजीनिवेश आम जनता के लिए छोड़ दिया जाएगा। औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प में संशोधन करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

23. अनुसंधान तथा विकास :

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में हमारे इलेक्ट्रानिक उद्योग को विदेशी प्रौद्योगिकियों पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जैसे कि आज स्थिति है, सरकार ने अनेक अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, इसने टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र की स्थापना की है; यह राष्ट्रीय रेडार परिषद् के माध्यम से अनुसंधान को प्रोत्साहन दे रही है; प्रौद्योगिकी विकास परिषद् के माध्यम से यह शैक्षिक संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकास के कार्यकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसने हाल ही में एक राष्ट्रीय सूक्ष्मइलेक्ट्रानिकी परिषद् के गठन की घोषणा की है तथा इलेक्ट्रानिकी के लिए एक सामग्री विकास केन्द्र गठित करने का विचार करती है।

मुझे विश्वास है कि इन तमाम व्यापक उपायों के फलस्वरूप इलेक्ट्रानिक उद्योग निश्चय ही ऐसे समुचित इलेक्ट्रानिक उपस्करों की आपूर्ति करने में सक्षम होगा जिनकी हमारी उत्पादकता में सुधार लाने तथा अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए नितान्त आवश्यकता है।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : क्योंकि अब एतराज समाप्त हो गए हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को सभी सदस्यों में परिचालित किया जाए ताकि हम इसे आराम से पढ़ और समझ सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसीरहाट) : सरकारी क्षेत्र के लिए कुछ नहीं है। हर वस्तु गैर सरकारी क्षेत्र को ही जा रही है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : केवल प्रो० रंगा इसे समझ पाए हैं। हम नहीं समझ पाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : वक्तव्य पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। सिलिकन की सुविधा के बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मोहसिना किदवई।

———

12.30 म०प०

समितियों के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याणमन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं : "कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा पर (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1956 की धारा पर (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(दो) ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया की केन्द्रीय समिति

श्रीमती मोहसिना किदवई : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं;

"कि ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया ने नियमों और विनियमों के खंड 3 (सात) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें ट्यूबक्लोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया की केन्द्रीय, समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया ने नियमों और विनियमों के खंड 3 (सात) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें' ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन आफ इंड़िया की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966, की धारा 5 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा

तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966, की धारा 5 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.33 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 20 मार्च 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा 20 मार्च, 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रण समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.34 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

एक केरल के लिए मिट्टी के तेल के मासिक कोटे को बढ़ाने की आवश्यकता

***श्री वी०एस० विजय राघवन** (पालघाट) : महोदय, मिट्टी के तेल का मुख्य रूप से खाना पकाने

*मंत्रालय में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

के लिए प्रकाश करने के लिए तथा औद्योगिक तथा कृषि के प्रयोग के लिए किया जाता है। इसकी मांग इसकी सप्लाई से बहुत कम है। परिणाम यह है कि गांव के गरीब लोगों को मिट्टी का तेल बिल्कुल नहीं मिलता या बिल्कुल ही कम मात्रा में मिलता है। केन्द्र द्वारा दी जाने वाली मात्रा वास्तविक मांग को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में केन्द्र 15, 750 मीटरिक टन मिट्टी का तेल प्रदान कर रहा है। जनता की मांग को पूरा करने के साथ-साथ केरल को उद्योग, कृषि, मछली, शिल्प उद्योग तथा टिटेनियम के उत्पाद की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है। केरल के मछेरे अधिक मिट्टी के तेल के लिए आन्दोलन कर रहे हैं क्योंकि वे इसका इस्तेमाल परम्परागत मछली पकड़ने की नौकाओं में लगे इंजिन को चलाने के लिए प्रयुक्त इंजन के लिए करते हैं ;

इसीलिए यह आवश्यक है कि केरल को दिये जाने वाले मिट्टी के तेल की मासिक मात्रा बढ़ाई जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मिट्टी के तेल की केरल को प्रतिमाह दी जाने वाली मात्रा 18000 मीटरिक टन कर दी जाए।

(दो) छितौनी तथा बगाहा रेल स्टेशनों के बीच प्रस्तावित रेल सड़क पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी तथा बिहार का उत्तर-पश्चिमी भाग बड़ी गंडक नदी द्वारा दुर्भेद्य दो भागों में बंटे होने के कारण इस अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र में विकास होने की सम्भावाएं ठप्प पड़ी हुई हैं। दोनों प्रदेशों की इस इलाके की एक करोड़ आबादी गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहकर जीवन-यापन करने के लिए विवश है। नेपाल से सटा भू-भाग होने के कारण इस क्षेत्र का पिछड़ापन जंगल पार्टी तथा अन्य अराजक तत्वों की शरणस्थली बन गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी अति संवेदनशील होता जा रहा है। इस क्षेत्र में सड़कों का अभाव तथा बड़ी गंडक पर पुल का न होना और छोटी लाइन का आमान परिवर्तन होना इस दयनीय दशा का प्रमुख कारण है।

स्वर्गीया प्रधान मंत्री इन्दिरा जी ने वर्षों पहले बड़ी गंडक पर छितौनी बगहा के बीच एक रेल रोड पुल निर्माण हेतु शिलान्यास किया था, परन्तु अभी तक निर्माण में प्रगति नहीं हुई। लोगों में उक्त कारण से असंतोष तो हो ही रहा है, विकास न होने से राष्ट्रीय क्षति भी हो रही है।

अत: इस क्षेत्र के बहुमुखी विकास तथा औद्योगीकरण और राज्यीय सुरक्षा के हित में मेरा अनुरोध है कि पूर्वोत्तर रेलवे के छितौनी बगहा स्टेशनों के बीच लम्बे अर्से से प्रस्तावित रेल रोड पुल का निर्माण कराया जाये और मुजफ्फरपुर से बगया और गोरखपुर से छितौनी रेल खण्ड का आमान परिवर्तन कराकर इस क्षेत्र के विकास तथा औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाये।

(तीन) हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति तथा फसल को हुई हानि आदि को पूरा करने के लिए उस राज्य को और अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में अभी तक

बारिश न पड़ने के कारण तमाम फसलें सूख रही हैं और लोग अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं। फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और भारी नुकसान होने की वजह से घरों की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रही कि वह अपनी उदरपूर्ति कर सकें। मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार क्षतिपूर्ति के लिए अधिक धनराशि देकर लोगों के असंतोष को दूर करने की कृपा करें एवं जिस तरह रेलवे विभाग ने गन्ना उत्पादकों को गन्ने की ढुलाई में रियायत दी है, हिमाचल प्रदेश में जो सेब उत्पादक हैं तथा बीज का आलू पैदा करने वाले हैं, उनको भी इसी प्रकार की रियायत देने की घोषणा करें ताकि पहाड़ी क्षेत्र के लोग भी, जो किसानों से संबंधित हैं, लाभान्वित हो सकें। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उक्त मांग की तरफ तुरन्त ध्यान दिया जाये।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा में अपर कोलाब बहुप्रयोजनीय परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर करने की आवश्यकता

*श्री के प्रधानी (नौरंगपुर): उड़ीसा के कोलाब बहुद्देशीय परियोजना के पूरा हो जाने पर इसकी निर्धारित क्षमता 240 मेगावाट होगी तथा इससे कुल 1.10 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। विद्युत उत्पादन की पहली यूनिट छठी योजना के अन्त तक चालू करने का अनुमान था। लेकिन यह अभी तक चालू नहीं हुई है। छठी योजना में अपर कोलाब सिंचाई परियोजना पर खर्च के लिए केवल 8 करोड़ रुपए थे। इस सीमित परिव्यय से इस परियोजना को छठी योजना की अवधि के दौरान पूरा करना सम्भव नहीं था। यह अनुमान लगाया गया कि योजना में में दी गई 8 करोड़ राशि के अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए और खर्च करने की व्यवस्था से छठी योजना के अन्त तक कोरापुर, जो एक आदिम जाति जिला है, के लगभग 12000 एकड़ जमीन की सिंचाई सम्भव हो जाती। इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार को ध्यान देने की शीघ्र आवश्यकता है।

उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के लिए केन्द्र से 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता के लिए केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री से प्रार्थना की है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अपर कोलाब बहुद्देशीय परियोजना के शीघ्र पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की मंजूरी दी जाए।

*उड़ीसा में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(पांच) कोणार्क में ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम चलाने के लिए मंजूरी देने की मांग

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय कोणार्क के सूर्य मन्दिर पर चार दिशाओं से प्रकाश डाला जाता है। उड़ीसा सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सामने प्रस्ताव रखा है कि कोणार्क में ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाये। परन्तु ऐसी अनुमति इस आधार पर नहीं दी जा रही है कि यह एक मंदिर था। राज्य सरकार ने इस बारे में यह स्पष्टीकरण दिया था कि राजा नरसिंह देव ने यह मंदिर न केवल सूर्य देवता की उपासना के लिए बल्कि उत्तर से दक्षिण की अपनी विजय के स्मारक के रूप में भी इसे बनवाया था। कोणार्क अब एक जीवन्त स्मारक के रूप में नहीं देखा जाता। वस्तुतः ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम कोणार्क आने वाले दर्शकों को बहुत आकर्षक करेगा तथा इससे इसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि लाल किले में जहां पर इस समय एक मस्जिद विद्यमान है ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम दिखाया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों की देश के अन्य स्थानों पर भी अनुमति दी गई है। यदि यहां पर ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे दी जाये तो इससे मंदिर का रखरखाव अधिक अच्छी प्रकार से हो सकेगा और इससे यहां की संभावनायें भी अधिक बढ़ जायेंगी।

अतः प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वह कोणार्क में ध्वनि-प्रकाश संयंत्र लगाने के लिए अनुमति प्रदान करें।

(छः) भारत और बंगाल देश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : भारत-बंगाल देश के सीमा क्षेत्र में बंगाल देश की तरफ के ग्रामीण स्वचालित राइफलों तथा 303 बन्दूकों से लैस भारत द्वारा सीमा पर तार लगाने का विरोध करने के लिए कटिबद्ध हैं। इस समय औसतन 40 से 50 बंगलादेशी प्रतिदिन बंगलादेश में भारत में आ रहे हैं। यह एक बहुत चिंता का विषय बन गया है। यद्यपि भारत सरकार ने सीमा पर तार लगाने का निर्णय किया था लेकिन यह कार्य बंगला देश के सीमा सुरक्षाबलों द्वारा गोली चलाये जाने के कारण बीच में ही रुक गया है। विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि बंगलादेश का सीमा सुरक्षाबल इन गांव वालों को ऐसा प्रशिक्षण दे रहा है जिससे वे स्वचालित बन्दूकें आदि चलाकर भारत को सीमा पर तार न लगाने दें। यदि सीमा पर तार लगाने का काम रुक गया है तो अन्ततः यह हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक गम्भीर खतरा होगा।

अतः भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सीमा पर तार लगाने का कार्य शुरू करके इसे राष्ट्र की सुरक्षा हेतु यथासंभव शीघ्र पूरा कराया जाये।

(सात) डायमंड हार्बर के वर्तमान मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में परिवर्तित करने तथा उसे माइक्रोवेव द्वारा कलकत्ता से जोड़ने की आवश्यकता

श्री अमर दत्ता (डायमंड हार्बर) : महोदय, डायमंड हार्बर स्थित मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंज का दर्जा बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम दो वर्ष पूर्व ही किया जाना था। जिसका उद्देश्य विद्यमान मानव चालित एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलने और एक्सचेंज को माइक्रोवेव द्वारा कलकत्ता से जोड़ना भी था।

संचार विभाग के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने खर्च पर एक ब्लैक-टाप पहुंच सड़क टेलीफोन एक्सचेंज तक काफी चौड़ी बनाई है ताकि टेलीफोन एक्सचेंज के अन्दर निर्माण कार्य के लिए भरे हुए ट्रक आसानी से सामान पहुँचा सकें। यद्यपि सड़क कार्य एक वर्ष से अधिक समय पूर्व शुरू किया गया तथा पूरा हो गया था लेकिन कार्यक्रम के अनुसार इसका दर्जा बढ़ाना अभी बाकी है। कलकत्ता के टेलीफोन अधिकारियों का कहना है कि नये स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपकरण अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं तथा कुछ और समय तक ये प्राप्त भी नहीं होंगे। इस सत्य के बावजूद कि यह टेलीफोन एक्सचेंज 1983 के दौरान ही तैयार हो जाना था यह सब कुछ हो रहा है। टेलीफोन विभाग की इस विलम्बता के कारण स्थानीय लोगों में बहुत निराशा उत्पन्न कर दी है।

संचार मंत्री को डायमंड हार्बर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज उपकरण तत्काल लगाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

(आठ) जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र में कुंए खोदने तथा नहर से उद्वहन सिंचाई के लिए और अधिक धन का प्रावधान करने हेतु योजना आयोग को परामर्श देने की आवश्यकता

श्री जनकराज गुप्ता (जम्मू) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं अर्थात जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था न होने से उत्पन्न हुई स्थिति। यहां पर किसानों के पास अपनी भूमियों की सिंचाई करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और अपने परिश्रम का पूरा लाभ उन्हें मिलना बहुत कठिन हो रहा है जबकि भूमि बहुत ही उपजाऊ है और अगर वहाँ पर पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हों तो किसान तीन फसलें पैदा कर सकते हैं। वहां पर हरित क्रांति और अनाजों के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी लायी जा सकती है जिससे किसानों, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार और अन्य लोगों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं देने के लिए ट्यूबवैल लगाने के लिए धनराशि दी है लेकिन इससे भी पर्याप्त मात्रा में उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

अतः यह अनुरोध है कि योजना आयोग को वहां पर और नलकूप खोदने और डीफ्रन्स चैनल में से उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं के लिए सुझाव दिया जाना चाहिए।

अतः सरकार से अनुरोध है कि इन क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाएं।

(सी) इलायची बोर्ड की तरह एक काली मिर्च बोर्ड गठित करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : मसालों में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा काली मिर्च के निर्यात से प्राप्त की जाती है तथा मसालों के कुल निर्यात से हुई आमदनी का 50 प्रतिशत इससे प्राप्त होता है। लेकिन काली मिर्च की खेती के बारे में समुचित योजना के अभाव और इसके उत्पादकों की समस्याओं को सही नजरिए से न देखने के कारण काली मिर्च के उत्पादकों को हानि हो रही है।

1983 के भयंकर सूखे के कारण केरल के एक बड़े भाग में काली मिर्च की फसल नष्ट हो गई थी। केरल में 80 प्रतिशत से अधिक काली मिर्च उत्पादक छोटे उत्पादक हैं और यही लोग सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। सूखे का असर अभी तक जारी है और उत्पादक मुसीबत में हैं।

काली मिर्च उत्पादकों ने बड़ी राशि के ऋण लिए हैं परन्तु उसे वापस करने की स्थिति में वे नहीं हैं। अधिकारी-गणों ने अभी तक उनकी सहायता के लिए कुछ नहीं किया है। अतः मैं यह मांग करता हूं कि ऋणों को लौटाने के सम्बन्ध में ऋण स्थगत आदेश तुरन्त जारी किए जायें।

इसी प्रकार, सरकार द्वारा ब्याज में रियायत दी जानी चाहिए क्योंकि अधिक ब्याज देना उत्पादकों की शक्ति से बाहर है।

काली मिर्च के पौधे फुटरोट नामक बीमारी हो जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार इस बीमारी से 1980-81 के दौरान 40 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई थी। इससे इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में तेजी लाकर उपचारात्मक उपायों का पता लगाना अति आवश्यक हो गया है।

एक स्वायत्त निकाय बनाकर इसी प्रकार की अन्य समस्याओं से प्रभावी ढंग से निबटा जा सकता है। ऐसे निकाय की स्थापना के लिए मांग की गई है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि विश्व में काली मिर्च के व्यापार में भारत का हिस्सा 1947 के 80 प्रतिशत से घटकर अब 21 प्रतिशत रह गया है। इससे अधिकारियों में काली मिर्च की तरफ ज्यादा ध्यान देने की अपेक्षित चेतना उत्पन्न होनी चाहिए।

अतः मेरा सरकार के इलायची बोर्ड के समान काली मिर्च बोर्ड की स्थापना करके इस महत्वपूर्ण मसाले को मुसीबत से बचाने का अनुरोध है।

(बस) कुरसियोंग में अल्प-शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : कुरसियोंग में उच्च शक्ति वाला टेलीविजन ट्रांसमीटर लगाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है ताकि इससे टेलीविजन प्रसारण का क्षेत्र उत्तर बंगाल के कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग क्षेत्रों तक बढ़ जाये।

एक मास पहले कुरसियोंग में एक कम शक्ति वाला टेलीविजन रिले सैंटर स्थापित किया गया था यद्यपि इस पवित्र सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि एक 10 किलोवाट का उच्च शक्ति वाला टेलीविजन ट्रांसमीटर कुरसियोंग में लगाया जायेगा ताकि बंगलादेश के सीमाक्षेत्र में रहने वाले लोग बंगला देश के टेलीविजन कार्यक्रम देखने के बजाय भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम देख सकें क्योंकि यह राष्ट्रहित में आवश्यक है। लेकिन इस कम शक्ति वाले टेलीविजन ट्रांसमीटर तथा कुरसियोंग (भारत) और बंकुर (बंगला देश) से एक ही चैनल से कार्यक्रम प्रसारित होने के कारण यहां पर टेलीविजन में प्रकाश की सिर्फ कुछ किरणें या मिला-जुला कार्यक्रम नजर आता है। उदाहरण के तौर पर, मैलबोर्न में रवि शास्त्री को बल्लेबाजी करते दिखाया जा रहा था और उसके साथ साथ कुछ ही सैकण्डों में एक बंगलादेशी लड़की गाती हुई दिखाई दे रही थी। इससे दुविधा पैदा होती है तथा टेलीविजन प्रसारण एक मजाक बन जाता है। इन हालातों में, मैं सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहूंगा ताकि दूरदर्शन में तुरन्त सुधार हो सकें तथा उनके विचारार्थ निम्नलिखित सुझाव भी देना चाहता हूं :—

(क) कुरसियोंग स्थित टेलीविजन रिले सैंटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति वाला टेलीविजन ट्रांसमीटर तुरंत लगाया जाये।

(ख) कुरसियोंग टेलीविजन रिले सैंटर से अलग-अलग चैनलों पर कार्यक्रम प्रकाशित किये जायें ताकि कार्यक्रमों में भ्रम न हो।

(ग) ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कलकत्ता दूरदर्शन से दिखाये जाने वाले कार्यक्रम कुरसियोंग टेलीविजन रिले सैंटर से आगे दिखाये जा सकें तथा कुरसियोंग में टेलीविजन कार्यक्रम तैयार करने की सुविधा दी जानी चाहिए; तथा

(घ) कूच बिहार में दूसरा टेलीविजन ट्रांसमीटर लगाया जाये ताकि जलपाईगुड़ी तथा उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिलों जैसे दूर-दराज के सीमा क्षेत्रों में टेलीविजन का प्रसारण बढ़ सके।

———

12.50 म० व०

सामान्य बजट, 1985-86—सामान्य चर्चा और अनुदानों की अनुपूरक मांगें 1984-85 (सामान्य)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12 तथा 13 पर एक साथ विचार करेंगे। श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर तीन कटौती प्रस्ताव का नोटिस दिया है, परन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें—

मांग संख्या : 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 96, 100, 101, 104, 105, तथा 109"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 1984-85 (सामान्य) की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
कृषि मंत्रालय		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	35,85,000	—
2.	कृषि	19,30,01,000	—
3.	मीन उद्योग	1,62,00,000	—

1	2	3	4
4.	पशु पालन और डेयरी विकास	1,000	—
7.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	10,27,000	—
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
9.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	119,59,34,000	—
	वाणिज्य मंत्रालय		
10.	वाणिज्य मंत्रालय	19,15,000	—
11.	विदेशी व्यापार और निर्यात उत्पादन	3,000	—
12.	वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	22,98,55,000	141,35,89,000
	संचार मंत्रालय		
17.	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय	—	49,00,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
18.	रक्षा मंत्रालय	45,47,17,000	2,000
19.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	393,64,00,000	—
21.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	62,61,39,000	—
23.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	39,60,00,000
	शिक्षा और संस्कृत मंत्रालय		
25.	शिक्षा	69,57,000	10,00,000
26.	संस्कृति विभाग	4,75,75,000	—
27.	पुरातत्व	1,80,00,000	—
	ऊर्जा मंत्रालय		
31.	गैर-पारस्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	3,000	—
	विदेश मंत्रालय		
32.	विदेश मंत्रालय	8,79,27,000	—

1	2	3	4
	वित्त मंत्रालय		
33.	वित्त मंत्रालय	1,67,24,000	—
34.	सीमा-शुल्क	5,56,90,000	15,65,05,000
35.	संघ उत्पादन-शुल्क	7,71,83,000	—
36.	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर	9,41,48,000	—
37.	स्टाम्प	—	1,50,50,000
38.	लेखा परीक्षा	13,79,24,000	—
39.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	8,76,50,000	—
40.	पेंशन	19,57,07,000	—
41.	अफीम और एल्केलाइट कारखाने	—	8,54,000
43.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	5,000	168,05,92,000
44.	सरकारी सेवकों आदि को उधार	—	13,45,00,000
	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
45.	खाद्य विभाग	253,21,22,000	21,90,62,000
46.	नागरिक पूर्ति विभाग	—	1,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
47.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	5,00,000	—
48.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	4,17,06,000	12,22,94,000
49.	परिवार कल्याण	10,12,88,000	—
	गृह मंत्रालय		
50.	गृह मंत्रालय	1,49,12,000	—
52.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	1,83,03,000	—
53.	पुलिस	82,98,19,000	7,68,21,000

1	2	3	4
54.	अन्य प्रशासनिक और सामान्य सेवाएं	54,17,48,000	4,60,60,000
55.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	5,42,17,000	—
56.	दिल्ली	34,59,22,000	5,000
57.	चण्डीगढ़	5,04,94,000	—
58.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	3,12,86,000	1,61,68,000
59.	दादरा और नगर हवेली	44,99,000	—
60.	लक्षद्वीप	2,47,35,000	84,69,000
	उद्योग मंत्रालय		
61.	उद्योग मंत्रालय	20,15,000	—
62.	उद्योग	37,03,79,000	—
63.	ग्राम और लघु उद्योग	—	2,53,75,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
64.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	21,34,000	—
65.	सूचना और प्रचार	6,47,19,000	—
66.	प्रसारण	13,42,21,000	5,16,87,000
	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय		—
68.	श्रम विभाग	16,77,000	—
69.	श्रम और रोजगार	57,18,06,000	7,00,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		—
71.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	23,58,000	—
	योजना मंत्रालय		
75.	योजना आयोग	59,43,000	—

1	2	3	4
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
76.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1,000	—
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
77.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	47,11,000	—
78.	सड़कें	8,64,90,000	10,98,52,000
76.	पत्तन, दीप-स्तम्भ और नौवहन	4,000	4,000
80.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	1,000	12,12,50,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
82.	इस्पात विभाग	138,98,24,000	549,97,46,000
83.	खान विभाग	1,000	24,55,00,000
	पर्यटन और नागर विमान मंत्रालय		
85.	मौसम विज्ञान	36,59,000	—
86.	विमानन	—	1,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
88.	निर्माण और आवास मंत्रालय	18,76,000	—
89.	लोक निर्माण	1,87,18,000	—
91.	आवास और नगर विकास	1,65,00,000	2,00,01,000
	इलेक्ट्रोनिक्स विभाग		
96.	इलेक्ट्रोनिक्स विभाग	1,000	1,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
100.	भारतीय सर्वेक्षण	3,47,70,000	—
101.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान	8,50,00,000	—

1	2	3	
पूर्ति विभाग			
104.	पूर्ति विभाग	4,75,000	—
105.	पूर्ति और निपटान	25,00,000	—
संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग			
108.	संसदीय कार्य विभाग	3,35,000	—
109.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,85,000	—

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सी० माधव रेड्डी को सामान्य बजट तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा शुरू करने के लिए कहता हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बजट पर जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस माह की 16 तारीख को प्रस्तुत किया था उस पर कुछ टिप्पणियां करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय यह नई सरकार का पहला बजट है और यह सातवीं पंच-वर्षीय योजना का भी प्रथम वर्ष है। स्वाभाविक रूप से इस बजट से यह आशा की जाती है कि यह सरकार की अगले पांच वर्षों के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों को दर्शाने वाला होगा। हमने बजट को इस दृष्टि से परखा है। हमने यह पाया है कि यह बजट बहुत ही निराशाजनक है। हमें यह बताया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में विकास की दर 7 प्रतिशत थीं और अब हमें बताया जा रहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जायेगी और इस विकास दर को प्राप्त करने के लिए अधिक धनराशियों की आवश्यकता होगी। लेकिन हमने यह पाया है कि सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में इस्पात जैसी मुख्य मदों के लिए बहुत कम राशि निर्धारित की गई है। महोदय, किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए इस्पात बुनियादी चीज है और हमारे जैसे विकासशील देश के लिए तो यह और भी आवश्यक है।

12.53 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

मैंने देखा है कि इस वर्ष केन्द्रीय योजना के लिए आबंटन कम कर दिया गया है। 1984-85 में लगभग 17.500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। उसकी तुलना में 1985-86 के लिए प्राक्कलित परिव्यय केवल 18.500 करोड़ रुपये का है जो लगभग 1000 करोड़ रुपये अधिक हैं। मेरे विचार से यह राशि बहुत ही कम है। 1984-85 में इस्पात के उत्पादन के लिए

1,340 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। किन्तु 1985-86 के लिए केवल 925 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो गत वर्ष आबंटित की गई राशि से 415 करोड़ रुपये कम है। इस्पात के लिए इतनी कम राशि के आबंटन की सरकार की इस नीति से इस्पात परियोजनायें प्रभावित हुई हैं, विशेषकर विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। चालू वित्त वर्ष के लिए इस संयन्त्र के लिए इस वर्ष आबंटन कम करके 215 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह परियोजना मेरे राज्य के लिए बहुत ही महत्व की है और बहुत समय से खटाई में पड़ी हुई है। यह परियोजना लगभग 15 वर्ष पहले आरम्भ की गई थी और अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस परियोजना को चालू परियोजना नहीं माना गया है, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि चालू परियोजनायें पूरी की जायेंगी। किन्तु इस परियोजना को चालू परियोजनाओं के अन्तर्गत नहीं माना गया है और इस परियोजना के लिए केवल 215 करोड़ रुपये की अल्प राशि आबंटित की गई है। विभाग इस्पात संयन्त्र, जो देश का एक मात्र समेकित इस्पात संयन्त्र है, का इस्पात उत्पाद में बहुत बड़ा महत्व है और भविष्य में निर्यात के मामले में भी इसका बड़ा महत्व रहेगा। अब तक 1250 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। 1250 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी, हम आज उसे चालू परियोजना नहीं मानते हैं। गत वर्ष मौटे तौर पर 650 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। 1985-86 के लिए परिव्यय को घटाकर 215 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो बहुत ही निराशाजनक है। हमें यह बताया जाता है कि संसाधनों की कमी है। हमें सदा यह कहा जाता है कि धन की कमी है। सरकारी उपक्रम की परियोजनायें स्वयं पोषित होनी चाहिए। सरकारी उपक्रमों पर 30,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है और उससे कोई आय नहीं है। यदि सरकारी उपक्रम लाभ नहीं दे रहे हैं तो इसमें किसका दोष है? इसका क्या कारण है? क्या हमें सरकारी उपक्रमों को केवल इसीलिए त्याग देना चाहिए कि उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि परियोजनाओं की कार्यान्वित न होने के पीछे मुख्य कमी अथवा दोष सरकार द्वारा कई परियोजनाओं का कार्य एक साथ शुरू किया जाना है। परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने, अधिक समय तक चलते रहने, लागत को बढ़ने तथा इसके बाद 15-20 वर्ष में परियोजनाओं को पूरा किये जाने का यही कारण है।

मैं एक बार पुनः विशाखापटनम इस्पात संयन्त्र का उदाहरण दूंगा। इसे 15 वर्ष पहले आरम्भ किया गया था और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसे पूरे होने में 15 वर्ष और लगेंगे। यदि आप किसी परियोजना को 30 वर्ष में पूरा करेंगे तो उससे आय कब होगी? क्रियान्वयन में असाधारण विलम्ब तथा लागत में अत्यधिक वृद्धि ही सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक परियोजना का इतिहास रही है और इस तरह से परियोजना जब हर प्रकार से पूर्ण हो जाती है तब वह अलाभकारी सिद्ध होती है। कई परियोजनाओं का एक साथ शुरू करने का कारण यह है कि इसके लिए सार्वजनिक दबाव पड़ता है और प्रजातंत्र में सभी लोग अपने क्षेत्र में एक सरकारी उपक्रम चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार दबाव में क्यों आ जाती है? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो परियोजना हाथ में है उसे पूरा हो जाने के बाद दूसरी परियोजना आरम्भ करें?

सभापति महोदय से अब मैं हिन्दी में बोलने की अनुमति चाहता हूं।

[हिन्दी]

ऐसा होता है, जैसे हमारे यहां तिरुपति में नाई लोग होते हैं। सिर मुंडाने वालों की संख्या के मुकाबले नाई लोगों की संख्या बहुत कम है। हजारों लोग वहां सिर मुंडाने आते हैं। जब ऐसा होता है तो वहां का नाई एक-एक आदमी का आधा सिर मूंड कर छोड़ देता है। इस तरह सुबह से शाम तक आधा सिर मुंड़े हुए लोग रह जाते हैं किसी का पूरा सिर नहीं मुंडता है···

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं इनकी नीति जानता हूं, इसलिए मैंने गंजा होना पसंद किया है।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : आपके सैन्ट्रल प्रोजेक्टस का भी यही हाल है। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करते हैं। एक प्रोजेक्ट को पूरा करके दूसरे को लें, इससे प्रोजेक्ट भी पूरा होगा और आपको रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन समय पर पूरा न होने से उस प्रोजेक्ट का दाम बढ़ जाता है और दाम बढ़ जाने से वह अनइकानामिक हो जाता है। जब प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आता है तो इतने प्राफिट्स नहीं होते हैं कि वह उसके ओवर-हैडस को मीट कर सके। यह बचिंग आफ प्रोजेक्टस बहुत बुरी बला है; जिसकी वजह से प्राजेक्टस को पूरा फण्ड नहीं मिल रहा है।

आपके "वाइजैग स्टील प्लांट" के बारे में यह अर्ज है कि तिरुपति के नाई की तरह से आधा सिर मुंडा कर नहीं रखना चाहिए। उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए 1 हजार करोड़ रुपया चाहिए, जिसको आपने नहीं माना है। तो मेरी यह विनती है कि आप वाइजैग स्टील प्लान्ट के लिए ज्यादा पैसा एलोट करें। उसके लिए 1 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। अगर उसके लिए आप इतना पैसा एलोट कर देते हैं, तो तीन साल के अन्दर वह प्रोडक्शन में आ जायेगा।

1.00 म०प०

ग्रोथ रेट के बारे में यह कहा गया है कि पिछले 4-5 साल में छठी फाइव इयर प्लान में 4 परसेन्ट ग्रोथ रेट रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है, वह पिछले 20 साल के अन्दर साढ़े तीन परसेन्ट रहा है, जिसको एकोनामिस्ट हिन्दू ग्रोथ रेट कहते हैं क्योंकि हिन्दू सोसाइटी न टूटती है और न बढ़ती है। तो यह जो हिन्दू ग्रोथ रेट था, इसको आपने तोड़ दिया और साढ़े तीन परसेन्ट से बढ़ाकर चार परसेन्ट कर दिया। यह बड़ी खुशी की बात है। अब आप यह चाहते हैं कि यह जो चार परसेन्ट ग्रोथ रेट है, इसको 5 परसेन्ट बढ़ा दिया जाए और सातवीं फाइव इयर प्लान में आपने कहा है कि साढ़े 5 परसेन्ट ग्रोथ रेट होगा। इस ग्रोथ रेट

के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, यह देखना होगा। यह नहीं कि ग्रोथ रेट आपने इस्टीमेट कर दिया और उसके लिए पैसा नहीं है। आपने जो इस प्लान के इस्टीमेट्स दिये हैं, उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि यह प्लान कोई चलने वाला नहीं है। यू आर गोइंग टू हेव ए प्लान होली डे। आज हर आदमी के दिमाग में यह है कि हम लोग सातवीं फाइव इयर प्लान चला सकेंगे या नहीं या दूसरा प्लान होलीडे शुरू कर देंगे। इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से इल्तिजा करूंगा कि वे साफ कह दें कि प्लान बराबर चलेगा और उसके लिए जितने फंड्स की जरूरत है, उनका एलाटमेंटी बराबर होगा।

अब इस सिलसिले में मुझे यह ख्याल पड़ता है कि जो टैक्स रिलीफ आपने दिए हैं, वे किसके लिए हैं। चर्चा यह की जाती है कि कामन मैन को काफी सहूलियतें दी गई हैं। इसके बारे में जो रीएक्शन्स हैं, वह रोजाना अखबारों में आ रहे हैं। आप न्यूजपेपर्स में स्टेटमेंट देखिए। कौन इससे खुश हैं। कभी भी आज तक सन् 1952 से लेकर आज तक, बजट की तारीफ जो पेपरों में हम लोग अब देख रहे हैं, वह पहले नहीं देखी थी मगर यह तारीफ करने वाले कौन लोग हैं। हू आर ब्रूबीलेंट ? कौन लोग खुश हैं। दिल्ली के आपके पहाड़गंज के मार्केट के लोग नहीं और आम आदमी नहीं। इण्डियन चेम्बर ऑफ कामर्स के कोरीडोर्स में लोग बहुत खुश हैं और मिठाइयां बांट कर खुशी मना रहे हैं। कलकत्ता और बम्बई के स्टाक एक्सचेन्ज के लोग बहुत खुश हैं। जो लोग बोल सकते हैं और जिनके पास सत्ता है और पेपर जिनके हैं, वे सबके सब खुश हैं। इससे पता लगा लीजिए कि यह बजट किसका है। यह बजट कामन मैन का नहीं है। अगर यह बजट कामन मैन का बजट होता, तो इसकी तारीफ टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, और हाऊस-वाइव्ज करतीं। पिछले पांच दिनों के अन्दर कोई चीज ऐसी नहीं है, जिसके दाम न बढ़े हों। कितने बढ़े हैं, इसका अन्दाजा आप नहीं लगा सकते। अनप्रोपार्शनेटली दाम बड़े हैं। ऐसा क्यों हुआ है। इसकी वजह यह है कि आपने बहुत होशियारी से क्या किया कि इनडाइरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स थोड़े-थोड़े सभी बढ़े, मगर सबसे ज्यादा टैक्स जो बढ़ा वह इम्पोर्टेड क्रूड पर बढ़ा। इम्पोर्टेड क्रूड पर टैक्स बढ़ाकर आपने सारी एकोनामी को आघात पहुंचाया है और इससे प्राइसेज बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। मैं तो ऐसा समझता हूं कि इन्डीजिनस क्रूड के दाम भी इससे बढ़ेंगे क्योंकि आपको पैरीटी लानी पड़ेगी। इम्पोर्टेड क्रूड पर तो बढ़ ही गया है। इण्डीजिनस क्रूड का देखा जाएगा कि इम्पोर्टेड क्रूड के दाम के बराबर होता है या नहीं। फिर इसकी हालत क्या होगी ? नानी पालकीवाला ने लास्ट ईयर एक रिमार्क दिया था। वह मुझे बहुत याद आता है—

"भारत की अर्थव्यवस्था तेल (पेट्रोलियम) पर निर्भर है।"

उन्होंने कहा था कि 29 मिलियन टन तेल का उत्पादन हुआ था, इसी से हमारी इकोनोमी बच गई। क्योंकि आपने क्रूड आयल का दाम बढ़ा दिया। यह दाम बढ़ाकर आपने यह बता दिया कि इकोनोमी को खतरा पैदा हो गया है एण्ड इट इज लाइकली टू बी ड्राउण्ड। इसका ध्यान रखिए।

टैक्स के बारे में हमें बताया गया कि जितना रिलीफ बिग बिजनेसमैन को मिलेगा उससे वह इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ऐसा वह नहीं करने वाले हैं। जब उनके हाथ में पैसा आयेगा, एफ्लुएन्ट सेक्शन के हाथ में आयेगा तो वह जमीन खरीदेंगे। आपने मेट्रोपोलिटन का एरिया बढ़ा दिया है। मनी का वे इस तरह से सरकुलेशन करेंगे कि ब्लैक मनी बढ़ायेंगे, फिर व्हाइट मनी करेंगे। इसलिए यह कहना गलत है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। इससे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं आयेगा, इससे ब्लेक मनी और जेनरेट होगी।

आई० एम० एफ० ने एक असेसमेंट किया था। कुछ लोग उसको डिस्पयूट करते हैं लेकिन मैं नहीं करता हूं। उसमें कहागयाहै कि इण्डिया में एक घंटे में डेढ़ करोड़ रुपये ब्लेकमनी जेनरेट होता है।

[अनुवाद]

वे जानते हैं कि अपने काले धन को श्वेत-धन में किस तरह बदला जा सकता है। ऐसे करने के अनेक तरीके हैं। पिछले दिनों भी वे लोग ऐसा करते रहे हैं और भविष्य में भी वे लोग ऐसा करते रहेंगे।

[हिन्दी]

यह नेशनल इनकम का 22 परसेंट हो जाता है। यह जो नेशनल इनकम की 22 परसेंट ब्लैक मनी जेनरेट होती है इससे पेरेलल इकोनोमी चलती रहती है। मैं आपको कहता हूं कि आप मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हैं। आप तो बरायेनाम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आपके हाथ में इकोनोमी नहीं है। हमारे देश की इकोनोमी तो पेरेलल इकोनोमी चलाने वालों के हाथ में चल रही है। वे इसे चाहे किधर भी ले जा सकते हैं। आप कन्ट्री के जितने भी रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स बनायेंगे।

[अनुवाद]

हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 22 प्रतिशत भाग काले धन में परिवर्तित हो जाता है।

[हिन्दी]

वे हमारी इकोनोमी को डायरेक्ट करेंगे। आपके रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स इकोनोमी को डिजायर्ड चेनल्स में डाइरेक्ट करेंगे लेकिन वे इसको अनडिजायर्ड चेनल्स में ले जायेंगे। क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है।

इसका क्या नतीजा होगा ? ज्यादा कंज्युमर गुड्स बढ़ेगा। कंज्युमर गुड्स में भी ज्यादा लग्जरी गुड्स बढ़ेगा। आपको तो पता है कि हम लोग कितना नेशनल कंजम्पशन करते हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जो अपनी नेशनल इनकम का 78 परसेंट कंज्यूम करता हो।

[अनुवाद]

78 प्रतिशत का उपभोग हम अपनी बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय में कर रहे हैं।

[हिन्दी]

यह अपने देश में ही होता है। यहां अब जितना गुड्स बढ़ेगा वह ज्यादातर लग्जरी सैक्टर में बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट उधर चला जाएगा। आप इसको रोक नहीं पायेंगे, चाहे आप कितना भी कंट्रोल कर लें, चाहे आप कितनी भी डायरेक्शन दे दें। अभी आपने इण्डस्ट्रीज को कर दिया है—

[अनुवाद]

अगले पांच वर्षों में देश में विलासिता की वस्तुयें निर्मित की जायेंगी और हमें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए।

जितना हमारा लग्जरी गुड्स बढ़ता है उतना ही ज्यादा हमारा कंजम्पशन बढ़ता है और उतना ही इन्वेस्टमेंट डिजायर्ड चेनल्स में नहीं जाता है।

मैं तो यह कहूंगा कि यह बजट आम लोगों के खिलाफ है। कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस बजट से हमें ज्यादा सहूलियत मिली है। जब मैं पार्लियामेंट आ रहा था तो एक साहब कह रहे थे कि हम तो टैक्स पेयर थे, अब हम बच गए। हम बड़े खुश हो गए कि हम बच गए, क्योंकि टैक्स से हम बच गए हैं, हमारी 18000 के अन्दर आमदनी है, इसलिए हमें कुछ सहूलियत मिल रही है। लेकिन यह डेढ़ सौ, दो सौ रुपये तो बच गए, लेकिन मिडिल क्लास आदमी से उससे दुगुना, चौगुना लिया जा रहा है। इस हाथ से दे रहे हैं, उस हाथ से दुगना, चौगुना ले रहे हैं। उसको पेट्रोल पर ज्यादा खर्च करना होगा, स्कूटर पर बेचारे आते हैं, स्कूटर में पैट्रोल डालना है, इससे ज्यादा खर्चा होगा। तरकारी महंगी होगी और सोप ज्यादा महंगा हो गया, और भी कई जरूरत की चीजें महंगी हो जाएंगी। इसका नतीजा है कि छोटा क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों को जो सहूलियतें आपको देनी चाहिए थीं, वे नहीं दी हैं। वे लोग खुश हैं लेकिन दे आर वैरी बैडली हिट, मैं बजट प्रपोजल्स के बारे में पब्लिक सैक्टर के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता था। हम गर्व करते थे—

[अनुवाद]

कि हमारे सरकारी क्षेत्र का सदा विस्तार होता रहा है और उसकी प्रमुख भूमिका रही है।

[हिन्दी]

अब आपने क्या कर दिया, आज किसी पब्लिक सेक्टर के किसी आफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर से बातें करें तो वह मुंह नीचे कर लेता है, क्योंकि वहां पर गरीब की बात नहीं रही है। उनको कलंक लगा दिया गया है। मिलें ठीक काम नहीं कर रही हैं।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों से हमें लाभ नहीं हो रहा है और इसीलिए हम उसे नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप समाजवाद नहीं चाहते हैं।

[हिन्दी]

ठीक है आपको सोशलिज्म की जरूरत नहीं है। बेचारे जवाहरलाल नेहरू और लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जो गरीब की बात करती थीं, सोशलिज्म की बात करती थीं, वह पुरानी बात हो गई है, दकियानूसी बात हो गई है और 21वीं सदी में कोई कंसेप्शन नहीं है, आपतो 21वीं सदी में ले जाने वाले हैं और अब सोशलिज्म की क्या जरूरत है, सोशलिज्म नहीं चाहिए। मैं अर्ज करूंगा कि पब्लिक सैक्टर को कमजोर करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे बहुत ही गलत और बहुत ही बुरे स्टैप हैं और आइंदा चल करके इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर का जो डामीनेंट रोल देश की तरक्की में रहा है, वह रोल आप अब प्राइवेट सैक्टर को देने वाले हैं।

एक मसला और है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, वह यह है कि जितने टैक्सेस हम लगाते हैं, उसमें स्टेट्स का शेयर होता है। अब आपने टैक्सेस ऐसे आइटम्स के ऊपर बढ़ाए हैं, बहुत ही एहतियात के साथ कि उसमें स्टेट्स का शेयर ही नहीं है। जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी है, इसमें स्टेट का कोई शेयर नहीं है, क्रूड आयल पर टैक्स लगाया, जिससे 620 करोड़ रुपया मिलेगा, इसमें से एक धेला भी आप स्टेट्स को नहीं देंगे। एक सेंटेंस जरूर आपने कह दिया है कि बारोइंग्स, पब्लिक बारोइंग्स में हम स्टेट्स को ज्यादा शेयर देने वाले हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसकी भी अब तक की जो हिस्ट्री रही है, उसको देखिए—

[अनुवाद]

सार्वजनिक ऋण के बारे में, हमारा अनुभव बहुत ही खेदजनक रहा है।

[हिन्दी]

क्योंकि थर्ड फाइव इयर प्लान में स्टेट्स का शेयर 50 परसेंट था। जितना पब्लिक बारोइंग्स था, उसमें 50 परसेंट स्टेट्स का शेयर था। 1984 में वह शेयर घटकर दस परसेंट हो गया और पब्लिक बारोइंग्स आप बढ़ाएंगे, इसके बावजूद भी स्टेट्स को पूरा शेयर नहीं मिल पाएगा। 1961-65 में स्टेट्स का शेयर 435 करोड़ था और सेन्टर का शेयर 423 करोड़ था। यानी सेन्टर का शेयर कम था। फोर्थ प्लान में स्टेट्स का शेयर 590 करोड़ हो गया और सेन्टर का 1540 करोड़ हो गया। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में स्टेट्स का 854 करोड़ हो गया और सेंटर का 2966 करोड़ हो गया। 1981-84 में स्टेट्स का 1503 करोड़ और सेन्टर का 13202 करोड़ हो गया। अगर यह फ्यूचर में होगा तो इससे हमको फायदा नहीं होगा। मेरी अर्ज यह है कि स्टेट्स को जो बारोड कैपिटल है, उसमें ज्यादा शेयर दिया जाना चाहिए। पब्लिक का पैसा है। इसको बराबर शेयर करने में क्या हर्ज है। स्टेट को क्यों इतना कम रेवेन्यु दिया जाता है। एग्रीकल्चर का जो डवलपमेंट हुआ है, सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। अब तक स्ट्रेटेजी यह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई पर जोर दिया जाए और कंसन्ट्रेट किया जाए पंजाब जैसे राज्य में जहां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं और सीरियल्स का

प्रोडक्शन भी बढ़ा है। सब जानते हैं कि वह बढ़ गया है। गरीब लोग आज रागी, माइनर मिलेट्स और मक्का खाते हैं। राइस के साथ अगर मिलाकर देखें तो पता चलेगा कि कितना कम प्रोडक्शन हो गया है। पलसेज, जो गरीब आदमी के लिए एक प्रोटीन फूड है, वह मिलता ही नहीं है। अगर मिल जाए तो दाम बहुत बढ़े हुए होते हैं। जहां इर्रीगेशन होता है, वहां आयल सीड्स प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ड्राइ लैण्ड कल्टीवेशन पर भी हमारा ध्यान नहीं गया है। उस पर ज्यादा तवज्जुह नहीं दी गई जिससे कि ज्यादा उत्पादन हो सके। यह स्ट्रेटेजी हमको चेंज करनी चाहिए। अब तक कि जो स्ट्रेटेजी है कि कुछ क्षेत्रों में एग्रीकल्चर में इन्टेन्सिव डवलपमेंट हो, उसको छोड़ना चाहिए, नहीं तो मुझे डर है कि भविष्य में हमें काफी मात्रा में एडीबल ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर 1200 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। भविष्य में ऐसा लगता है कि और बढ़ जायेगा। इसका एक्सचेकर पर काफी बोझ पड़ेगा। यह कहते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : सभापति महोदय, नई सरकार का यह पहला बजट है। अन्य उपबन्धों के बारे में कहने से पहले मैं इस बजट के मूल सिद्धांत पर प्रकाश डालना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री के भाषण की दो पंक्तियां उद्धृत करूंगा जिनमें उन्होंने हमारे नये और सक्रिय प्रधानमन्त्री के बारे में जो कुछ कहा है। उससे इस बजट के मूल सिद्धांत पर प्रकाश पड़ता है—"हमें भारत को सभी पहलुओं से आत्मनिर्भर बनाना है। हमें इस देश को इतना गतिशील बनाना है जो विश्व के किसी भी अन्य देश की बराबरी कर सके।"

मैं वित्त मंत्री को ऐसा बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं जिसमें योजना अवधि तक और योजना अवधि के बाद नवें दशक तक चरण-बद्ध रूप से इस उद्देश्य को प्राप्त करने की चेष्टा की गई है जब अन्ततोगत्वा हम एक ऐसा समाज तैयार कर सकेंगे जो आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और सम्पन्न होगा जिसमें न गरीबी होगी और न बीमारी। जैसा कि हमारी स्वर्गीया और श्रद्धेय प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था, सातवीं योजना का मूल उद्देश्य काम, भोजन और उत्पादन है और अभी भी इसका यही उद्देश्य है। यदि हम इन तीन मानदण्डों पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि इस बजट में इन तीनों पक्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रयत्न किया गया है। वास्तविकता यह है कि बजट तैयार करना बहुत ही कठिन कार्य है और किसी भी प्रकार से बजट ऐसा नहीं हो सकता जिससे सभी को प्रसन्नता हो। किन्तु वित्त मन्त्री ने ऐसा चमत्कार किया है कि वह अधिकांश जनता को प्रफुल्लित कर सके हैं। भ्रम में पड़े कुछ व्यक्ति का कहना है कि उन्होंने धनी व्यक्तियों को राहत दी है, तो दूसरे कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि वह एकाधिकार घराने सृजित कर रहे हैं किन्तु ऐसे लोगों न केवल भ्रम में है अपितु बजट के प्रति उनका रवैया बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। बजट के समग्र पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए और मैं बजट के पूर्ण दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इस बजट का उद्देश्य क्या है।

यह एक शक्तिदायक बजट है क्योंकि इस बजट में अर्थ-व्यवस्था को तथा समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को सही दिशा देने का प्रयास है। इससे उत्पादन बढ़ेगा, कार्यकुशलता बढ़ेगी और

सभी क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था में गरीबों को, चाहे वे शहरी हैं अथवा ग्रामीण— निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्ग के किसानों को राहत मिलेगी। इसमें श्रमिक वर्ग को जो वर्ग सबसे अधिक उत्पादन करता है—सहायता देने के प्रस्ताव हैं जिसके पीछे यह उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपने क्षेत्र में श्रेष्ठतम कार्य करें और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और राहत दी जाएगी।

वित्त मन्त्री द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जोड़ा गया है और मेरे विचार से किसी भी वित्त मन्त्री ने पहली बार ऐसा किया है। मेरा विचार है कि इससे पूर्व शायद एक ही बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया था। यह एक ऐसा बजट है जो बहुत ही प्रगतिशील है और जिससे भविष्य में देश का आर्थिक ढांचा ही बदल जाएगा। इस तरह का बजट केवल वर्ष 1957 में श्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने प्रस्तुत किया था जो जब उन्होंने बजट में कुछ परिवर्तन किया था समय के अनुरूप खरा उतरा था। इसी प्रकार वर्तमान वित्त मंत्री ने आर्थिक नीति को पूर्णतः नया स्वरूप देने तथा उन उद्देश्यों को पूरा करने की चेष्टा की है जिससे उत्पादन बढ़ेगा, कार्यक्षमता बढ़ेगी और सभी वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी जिससे कि वे लोग और अधिक कार्य कुशलता के साथ उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो सकें। उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि यह आर्थिक नीति केवल एक वर्ष के लिए ही नहीं अपितु योजना के अनुरूप है और इसीलिए इन नीतियों को हमें निश्चित रूप से योजना के सन्दर्भ में, एक लम्बी अवधि के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। उन्होंने अपनी कुछ नीतियों के बारे में वाद-विवाद किए जाने की मांग की है और इस संसद में विचार-विमर्श चलता रहेगा। उन्होंने संसद सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमन्त्रित किया है जिससे कि हम सभी उन मौलिक उद्देश्यों को पूरा करने में, अर्थात् अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ करने, असमानता कम करने तथा गरीबी दूर करने में, अपना सहयोग प्रदान कर सकें। इन उद्देश्यों के लिए, जो हमारे देश की राष्ट्रीय जागृति के रूप में उभरकर आई, हमें लड़ना नहीं चाहिए अपितु सहयोग देना चाहिए। यदि कोई कमी है तो हम उसे दूर करेंगे और उसके स्थान पर कोई और अच्छा तरीका अपनाएगे। उदाहरण के तौर पर व्यक्तिगत कराधन को लें। यह कहा जाता है कि इससे धनी व्यक्तियों को राहत मिलेगी। कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना है कि 18,000 से 25,000 तक की आय खंड पर आयकर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। किन्तु यदि आप 15,000 से 20,000 तक की आय खंड पर दी गई कुछ छूट को देखें तो आप देखेंगे कि प्रथम स्लैब पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है।

यदि आप 15,000 रुपये से 18,000 रुपये तक के खण्ड को लें तो यहां 100 प्रतिशत रियायत दी गई है। परन्तु यदि आप पूरे खण्ड को देखें तो रियायत 50 प्रतिशत है। अगले उच्चतर खण्ड में 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक यह रियायत 22 प्रतिशत तथा 50,000 रुपये से 100,000 रुपये तक यह 18 प्रतिशत है।

एक माननीय सदस्य : किसको राहत ?

श्री बी० आर० भगत : उनको, जो कर अदा करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आयकर देने वालों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं।

श्री बी० आर० भगत : जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें गरीबी-रेखा से ऊपर लाया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : कितने वर्षों में ?

श्री बी० आर० भगत : अन्यमनस्क तरीके से बात मत करें। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ें। वहां यह उल्लेख किया गया है कि छठी योजना अवधि में 145 लाख लोगों को नौकरियां देकर गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। मैं गरीबी निवारण योजना पर बाद में आऊंगा। अभी मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कर अदा करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। अतः साफ-साफ कहिए। अन्यमनस्क तरीके से बात मत कीजिए··· (व्यवधान)

निगमित क्षेत्र में कर में 5 प्रतिशत की रियायत दिए जाने के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि हमने निगमित क्षेत्र को अत्यधिक कर रियायतें दी हैं तथा एकाधिकार-गृहों की परिभाषा में ऊपरी सीमा के सम्बन्ध में ही संशोधन किया है। परन्तु आपको उन्हें उन रियायतों के साथ मिला कर देखना चाहिए, जो निगमित क्षेत्र को पहले से मिली हुई थी और जिनमें से कुछ का जिक्र वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में किया था। अतिरिक्त मूल्य ह्रास सम्बन्धी रियायत वापिस ले ली गई है। जहां मूल्य ह्रास में छूट की सामान्य दर बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दी है वही अन्य रियायतें बन्द कर दी हैं। ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रमों हेतु निगमित क्षेत्र को दी जाने वाली कुछ रियायतें बंद कर दी गई हैं। भारतीय कम्पनियों द्वारा कतिपय विदेशी कम्पनियों से प्राप्त लाभांश के सम्बन्ध में दी जाने वाली कर-रियायत समाप्त कर दी गई है। अतः अदि आप निगमित क्षेत्र द्वारा पहले भोगी जा रही रियायतों, जिन्हें समाप्त कर दिया गया है तथा अब उन्हें प्राप्त वर्तमान राहत को मिलाकर देखें तो अन्तिम रूप से उनको कोई रियायत नहीं मिली है। इससे वित्त मन्त्री ने निगमित क्षेत्र से लगभग 250 करोड़ रुपये की राजस्व-वृद्धि का प्रावधान रखा है। इससे किसी समग्र रियायत का पता नहीं चलता है।

असली बात यह है कि यह राहत निजी क्षेत्र को विकसित होने की दृष्टि से दी गई है क्योंकि यह भी राष्ट्रीय क्षेत्र का एक भाग है। मैं निजी क्षेत्र पर फिर आऊंगा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में हमारा उचित परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। यदि इसे कोई भूमिका निभानी है तो उसके विकास को अवरुद्ध करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। साथ ही इसे हमारी राष्ट्रीय नीति और औद्योगिक नीति से मेल खाना चाहिए।

बजट भाषण और आर्थिक सर्वेक्षण में सरकारी क्षेत्र द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की बात की गई है। इसमें मात्र कोई कीर्तिमान स्थापित करने की बात नहीं है परन्तु यह आधार भूत बात है। किसी भी वित्त मन्त्री को जिस संकट का सामना करना पड़ता है वह यह है कि आन्तरिक संसाधनों में कोई वृद्धि नहीं होती। सरकारी क्षेत्र में हमारा करीब 30,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश है। छठी योजना के दौरान भी सरकारी क्षेत्र में संसाधनों में वृद्धि आशानुरूप नहीं थी तथा लक्ष्य तक नहीं पहुंच पायी थी। आर्थिक सर्वेक्षण में यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें अधिक दक्ष बनाना होगा। आपने सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध की बात की। मैं इसके एक पहलू अथवा दूसरे पहलू की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सम्पूर्ण प्रबन्ध मानदण्ड, उनका योगदान, उनके द्वारा आंतरिक संसाधनों में की गई वृद्धि, उनका कुल लाभ, निवल लाभ, निवेश और उत्पादन के अनुपात के विषय में कह रहा हूं, जहां बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित कुछ वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा :—

"वर्ष 1983-84 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में जो ह्रास हुआ वह मुख्य रूप से कोयले और बिजली जैसी आवश्यक आधार भूत निविष्टियों की अनुपलब्धि। अपर्याप्त उपलब्धि के कारण क्षमता का कम उपयोग किये जाने और निविष्टियों की लागत में वृद्धि होने के कारण से हुआ है।"

इसलिए मैं प्रबन्धकों को दोष नहीं देता। यदि उन्हें ऊर्जा नियमित रूप से सप्लाई नहीं होती अथवा यदि कोयले की सप्लाई दोषपूर्ण है अथवा उसमें राख अधिक है तो उसके लिए आप केवल प्रबन्धकों को दोष नहीं दे सकते। ये मूल कठिनाइयां हैं जिनका गैर-सरकारी क्षेत्रों को सामना करना पड़ रहा है।

उसके बाद मजदूरी में और संशोधन हुआ है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्या आप कोयले से सम्बन्धित लोगों को दोष नहीं दे सकते ?

श्री बी० आर० भगत : इस संदर्भ में देखिए।

क्या आप कह सकते हैं कि मजदूरी में और संशोधन नहीं होना चाहिए। यह करना ही पड़ता है। उस पर निविष्टियों की लागत में वृद्धि हो रही है।

चाहे वह भारतीय इस्पात अधिकरण हो, अथवा भारत कुकिंग कोल अथवा ईस्टर्न कोल्ड फील्ड, दिल्ली परिवहन, फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स हो अथवा कुद्रेमुख, सभी को भारी घाटा हुआ है और सरकारी क्षेत्र को पीछे धकेला है। परन्तु पैट्रोलियम जैसे कुछ सरकारी क्षेत्रों ने इस हानि की क्षतिपूर्ति भी की है।

आपने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तेल में डूब गई है। मैं नहीं समझता कि आपने

ऐसा निष्कर्ष कैसे निकाला क्योंकि तेल का अतुल भंडार यहां है इसलिए ऐसा विचार कायम है। हमने तेल का उत्पादन 110 लाख टन से बढ़ाकर 290 लाख टन कर दिया है—180 लाख टन की बढ़ोत्तरी। केवल यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें योजना लक्ष्यों को अत्यधिक सफलता मिली है। हमें केवल इस बात का खेद है कि आगामी वर्षों में जब तक हमें कोई बड़ा तेल-क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक इतनी बढ़ोत्तरी नहीं होगी इसलिए हमें इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वित्त मंत्री ने समझदारी से काम लिया है तथा इसका प्रावधान रखा है। ये सभी वित्तीत उपाय और तेल मूल्यों में संशोधन और ऐसी अन्य बातों के पीछे यह धारणा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में तेल के प्रयोग को सीमित करेंगे तथा उसका प्रयोग कम करेंगे। यदि आगामी वर्षों में हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे क्योंकि तब शायद ऐसी वृद्धि न हो।

इसी वजह से वित्त मंत्री ने तेल की बजाय तापीय ऊर्जा और बिजली का अधिक प्रयोग करने को कहा है। उन्होंने भी यही कहा है तथा आर्थिक सर्वेक्षण में भी यही कहा गया है कि हमें अलकोहल जैसे नए स्रोतों की खोज करनी चाहिए जैसा कि अन्य देश भी कर रहे हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा अनुसंधान और विकास प्रयत्नों के लिए एक चुनौती है। हमारे प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री तकनीक और वैज्ञानिक वातावरण में अधिकाधिक सुधार करने पर बल दे रहे हैं ताकि हम नई तकनीक का प्रयोग कर सकें और परिवर्तन ला सकें। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें इसी तरह सोचना पड़ेगा। बजट इन सभी क्षेत्रों को भयभीत दृष्टि से देखता है।

श्री अमल दत्त : यह 21वीं सदी का बजट है।

श्री बी० आर० भगत : ठीक है, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और हम वहां आशा और बल के साथ प्रवेश करना चाहते हैं। हमारी सरकार की यही नीति है।

और फिर आप देखें कि अनिवार्य जमा योजना समाप्त कर दी गई है। सम्पदा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री माधव सी० रेड्डी (आदिलाबाद) : किसका फायदा होगा, एस्टेट ड्यूटी एबॉलिश करने के लिए।

श्री बी०आर० भगत : फायदा सबका हुआ, क्योंकि जितना 20 करोड़ आता था वह 20 करोड़ खर्च होता था। किसी का फायदा नहीं होता है, मरने वालों का फायदा हुआ। मरने दीजिये शान्ति से। आपको कोई फायदा नहीं था, किसी को फायदा नहीं था।

[अनुवाद]

महोदय अब मैं इसके उजले पक्ष को लेता हूं। यह सारा पैसा पैसा कहां जाएगा? इसमें गरीबी निवारण कार्यक्रम का प्रावधान है। जैसा कि आप जानते हैं केन्द्रीय योजना में ग्रामीण विकास के बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं। उन्हें चालू रखा गया है और उन्हें सुदृढ़ बनाया गया

है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन 800 करोड़ रुपये से अधिक रकम की परियोजनाओं को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इस वर्ष इस कार्यक्रम पर 400 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो कर अदा नहीं करते। प्रो० मधु दण्डवते ने कहा, "मैं उसका वर्गीकरण करने जा रहा हूं कि बजट उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो कर अदा नहीं करते" (व्यवधान)

केवल यही नहीं। बहुत से कार्यक्रम और भी हैं पूरे देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा का एक कार्यक्रम बनाया गया है। यहां शिक्षा के लिए 221 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह सब किसके लिए है? बहुत से लोग गरीबी-रेखा से नीचे रह रहे हैं और यह गरीब कन्याओं के लिए ही है। अब आप 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर आएं। यह तमाम ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों के लिए है—उनके लिए रोजगार पैदा करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, छठी योजना में 145 लाख नौकरियां दी गईं। इस वर्ष सातवीं योजना में, अनाज, काम और उत्पादकता के अधीन हमें नौकरियां देनी हैं—कम से कम प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को अवश्य नौकरी देनी है। यह हमारा उद्देश्य है और यह सब उन लोगों के लिए है जिनके विषय में श्री मधु दण्डवते ने पूछा है "जो कर अदा नहीं करते उनका क्या होगा?" केन्द्रीय योजना में वर्तमान वर्ष के लिए 4.41 करोड़ की बजाय अगले वर्ष अर्थात् 1985-86 के लिए कुल 4900 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जो पहले से 18.3 प्रतिशत अधिक है। अब आप गांव के गरीब और भूमिहीन की दशा देखिए मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। भूमिहीनों और सीमान्त किसानों, छोटे किसानों के लिए भी योजनाएं बनी हैं। और फिर औद्योगिकीकरण के सम्बन्ध में हम सरकारी क्षेत्र को विशेष रूप से अत्यधिक गतिशील क्षेत्र को, अर्थात् तेल क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। सरकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तकनीकी, प्रबन्ध सम्बन्धी और अन्य क्षेत्रों में नवीनीकरण किया गया है। हमारी बजट नीति का आधार यह है कि सरकारी क्षेत्र कुछ न कुछ अंशदान अवश्य करें तथा एक प्रतियोगी क्षेत्र बने और इसीलिए यह बजट गरीबों की, निम्न मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, किसानों और मजदूरों की सहायता करने का प्रयत्न करता है। आप जानते हैं कि मजदूरों के लिए बहुत से उपाय सुझाएं गए हैं। किसानों के लिए फसल बीमा का प्रावधान है। भूमिहीनों, सीमान्त किसानों और दस्तकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय हैं। कोई गरीब आदमी, जो मर रहा है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं—हम उसको बगैर पूछताछ के 3000 रुपये दे देते हैं। यह सब गरीब लोगों के लिए है। मजदूरों की छटनी किए जाने पर दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

वित्त मन्त्री ने जो मूल क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा के सम्बन्ध में है उन्होंने कहा है। कि मजदूर उत्पादन का महत्वपूर्ण अंग है, यदि अधिक नहीं तो उतना ही जितना कि पूंजी अथवा प्रबन्ध। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि उद्योग के किसी भी क्षेत्र में श्रमिकों की देनदारियों को सरकार की देनदारियों से प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर)—यह कोई नई खोज नहीं है कि मजदूर उत्पादन का महत्वपूर्ण अंग है। परन्तु आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि यह कोई नई बात हो।

श्री बी० आर० भगत : मैं बता रहा हूं कि इस पर जोर दिया जा रहा है, यह हमारा दृष्टिकोण है। यह कोई खोज नहीं बल्कि यह एक दृष्टिकोण है। मेरे कहने का अर्थ यह है। यह एक श्रमिकों का समर्थन करने वाला दृष्टिकोण है। मैं उस आरोप, उस बेहूदा आरोप का उत्तर दे रहा हूं जो इस बजट पर लगाया गया है कि यह अमीर लोगों और एकाधिकार स्वामित्व वाले गृहों का पोषक है। मैं कह रहा हूं कि यह किसानों का बजट है। यह भूमिहीनों और छोटे किसानों का बजट है। यह गरीब लोगों के लिए यह बनाया गया बजट है। इसमें सभी ठोस कदम उठाए गए हैं। यह संगठित लोगों का बजट है। यह निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों का बजट है। यह उत्तर मैं दे रहा हूं। आप इसे मान लें। मैं तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। यदि आपको कोई एतराज है तो आप तथ्यों का तथ्यों से मिलान कर लें।

अतः जैसा कि मैंने कहा, मेरा मत है कि वित्त मन्त्री ने एक प्रयोग किया है, एक जादुई प्रयोग। वित्त मंत्री के अलावा कोई अन्य इससे बेहतर एक वर्ष में नहीं कर सकता। उन्होंने इसका पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में भी अंतर्ग्रथन किया है। यह राजस्व सम्बन्धी नीति है। इसके विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह नीति जारी रहेगी। संसद इस पर बहस करेगी। देश में इस पर चर्चा की जाएगी तथा इसको विकसित किया जाएगा।

अब मैं सदस्यों द्वारा की गई आलोचना पर आता हूं। ऐसी आलोचना की गई है कि इसमें 3,346 करोड़ रुपये का भारी घाटा रखा गया है इससे मुद्रास्फीति बढ़गी। यह आलोचना है। महोदय, मुद्रास्फीति कई कारणों से होती है और संभवतया इसके तीन मुख्य कारण हैं। देश में एक वर्ष में हुई मूल्य वृद्धि बहुत से कारणों का एक सहायक कारण है। मुख्य कारण उत्पादन है। हमारे देश के सम्बन्ध में यह कारण कृषि उत्पादन है। दूसरा कारण है नकदी की स्थिति अथवा जनता के अधिकार में धन के स्रोत। काला धन भी इसी संदर्भ में आता है और माननीय सदस्य ने इसका प्रश्न उठाया है। तीसरी कारण है घाटा। यदि ये सभी कारण मिल जाए तो मूल्य वृद्धि निश्चित है इससे मैं इंकार नहीं करता। लेकिन इन तीन कारणों में से यदि एक कारण एक तरफ हो और अन्य दो कारण दूसरी तरफ हों तो अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न नहीं होगी। मैं इसी मुद्दे को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं इसको आर्थिक सर्वेक्षण में दिये गये कुछ आर्थिक संकेतों के द्वारा सिद्ध करना चाहता हूं। इसमें ठोस आर्थिक संकेत दिए गए हैं। पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात उत्पादन। मैं शिखर अवधि के लिए पिछले 10-12 वर्षों से केवल दो या तीन वर्षों के उदाहरण दूंगा। जैसे कि वर्ष 1976-77 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1 प्रतिशत से भी कम अथवा 0.9 प्रतिशत ही बढ़ा। जी० डी० पी० कुल 0.9 प्रतिशत था। उस वर्ष 12 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई तथा जनता के वित्तीय संसाधनों में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अब, एक कारण, अर्थात् उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परन्तु उस अवधि में यह नकारात्मक अथवा लगभग शून्य अथवा एक प्रतिशत से भी कम था। अन्य दो कारणों से सम्बन्धित प्रभाव—थोक मूल्यों में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा जनता के वित्तीय संसाधनों से 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह स्थिति 1976-77 की है।

अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखलाता हूं। वर्ष 1977-78 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेरा मतलब है कि जो एक प्रतिशत से भी कम थी वह वृद्धि बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई। उत्पादन लगभग 9 प्रतिशत बढ़ गया। वित्तीय संसाधनों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्य वृद्धि 0.3 प्रतिशत थी। अतः उस अवधि में भी मूल्य वृद्धि लगभग शून्य थी।

इसी प्रकार से 1983-84 के आंकड़े लें। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 7.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वित्तीय संसाधनों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कीमतों में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष जो आंकड़े वित्त मंत्री ने उद्धृत किए हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन 4 प्रतिशत था वित्तीय संसाधनों अर्थात धन सप्लाई 15.4 प्रतिशत थी तथा कीमतें 5 प्रतिशत बढ़ीं।

इस प्रकार से आप इन तीनों बातों का सम्मिश्रण देखते हैं। इस वर्ष की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी स्थिति में है। वर्ष 1980 में, चुनाव के दौरान हमने यह वायदा किया कि हम कार्य करने वाली सरकार देंगे। हमने कभी भी ऐसी सरकार नहीं दी जिसने इन सारे 5 वर्षों में कार्य नहीं किया हो। यह सब छठी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति से प्रदर्शित होता है। छठी योजना के सभी लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिए हैं।

श्री अमल दत्ता : इसका दावा तो वित्त मन्त्री ने भी किया।

श्री बी० आर० भगत : मैं यह दावा करता हूं। मेरे विपरीत वित्त मन्त्री को गलत उद्धृत करने की कोशिश मत करें। आप मुझे बतायें कि क्या तथ्य गलत हैं। छठी योजना में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की व्यवस्था थी। हमने 5.2 प्रतिशत हांसिल कर ली है। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 151.2 मिलियन टन रखा गया था। वह भी हांसिल कर लिया गया है। योजना में उद्योग के क्षेत्र में 8 से 9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की व्यवस्था थी। हमने 7 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की है। इसी प्रकार से गरीबी निवारण कार्यक्रम के बारे में सभी ब्यौरे हैं। इस वक्त हमारे पास भारी मात्रा में 22 मिलियन टन, खाद्यान्न रिजर्व है।

विकास दर में और वृद्धि हांसिल करने के लिए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के सभी प्रयास किये गये हैं। यदि अर्थव्यवस्था में 3, 4, या 5 प्रतिशत की और वृद्धि होती है तो हम और भी अधिक विकास दर हांसिल कर सकते हैं। हम प्रतिवर्ष 13 प्रतिशत की विकास दर हांसिल नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम 5 प्रतिशत की विकास दर हांसिल कर सकते हैं। यह हमारा लक्ष्य है। यदि खाद्यान्नों के उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि होती है, यदि उद्योग में

8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि होती है, यदि हम अपने कृषि तथा उद्योग के उत्पादन में सुधार कर लें तो हम अधिक विकास दर हासिल कर लेंगे।

वित्त मन्त्री महोदय ने धन संसाधनों के और बढ़ने की रोकथाम के लिए कुछ उपाय किये हैं। यदि वे रिजर्व की अधिक राशि रखने में सफल हो गये, तथा वे यदि इसे 15 प्रतिशत से 11 या 12 प्रतिशत तक लाने में सफल हो गये तो कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछले 10 वर्षों का अनुभव है। इसीलिए वित्त मन्त्री जी को ठीक सलाह दी गई कि वे सुविचारित जोखिम लें। उन्होंने एक चुनौती दी है, एक ईमानदार कर दाता बनने की चुनौती। ईमानदार करदाता के लिए बजट में राहत है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आई०-एम० एफ०) की रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टों के अनुसार कुल राष्ट्रीय उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में हमारे पास सबसे अधिक समानान्तर मुद्रा परिचालन में है। कोई इसे 40000 करोड़ रुपये कहता है तो कोई इसे इससे कम अथवा अधिक बताता है। इसकी मात्रा से मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन सच यह है कि समानान्तर अर्थव्यवस्था है। इसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा किये गये मुद्रा सम्बन्धी सुधार तथा लीवर नियंत्रण, अप्रभावित रहे हैं क्योंकि खर्च निजी खर्च तथा उत्कृष्ट खपत का एक हिस्सा मुद्रा के समानान्तर साधनों से पूरा किया जाता है। यह इस अनुपात तक पहुंच चुका है कि इससे हमारी सभी मुद्रा नीतियों पर बुरा असर पड़ रहा है। यदि हम इस काले धन को 10 प्रतिशत तक कम कर सकें तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी।

वित्त मन्त्री महोदय एक योजना लेकर आए हैं कि युक्ति संगत कर-ढांचे की व्यवस्था करना तथा इसे इकट्ठा करना बेहतर है बजाय इसके कि अत्यधिक कर दर हों तथा इसे इकट्ठा किया जाए। उन्होंने एक चुनौती दी है कि हम ईमानदार बनें। सभी अपने कर का भुगतान करें कर चाहें निगमित हो अथवा निजी हों या कोई अन्य कर हों। लेकिन उसका कोई कारण नहीं है कि कर न दिया जाए। उत्पादन शुल्क का दर्शन शास्त्र बताने या इसका विश्लेषण करने का समय मेरे पास नहीं है। परन्तु इन्हें ठीक तरह चुना है। आप 5000 करोड़ रुपये के घाटे को और अधिक नहीं बढ़ने दोगे। पहले ही आपने सुविचारित जोखिम ले लिया है। आपको संसाधन जुटाने होंगे। निगमित कर तथा निजी कर की प्रतिशतता इससे बहुत कम है। पहले से ही हम ऋणों के द्वारा संसाधनों को जुटा रहे हैं। जिन संसाधनों पर कर नहीं है वो पहले से ही बढ़ रहे हैं। बाहरी संसाधन में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन इसकी एक सीमा है तथा हमें इसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। उत्पादन शुल्क अवश्य बने रहेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि वर्तमान में हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने तथा गरीबी दूर करने के कार्यक्रम हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि सबको पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। इस बजट में वित्त मन्त्री की यह ही चुनौती है। यदि हम ईमानदार हैं तथा अपने कर ईमानदारी से दें तो यह वर्तमान राजस्व में वृद्धि होगी। हर वस्तु का प्रबन्ध अधिक कुशलता से करना पड़ेगा। यह युवा शिक्षित लोगों की नई पीढ़ी जो प्रबन्धक हैं तथा जो नई औद्योगिकी दृष्टि से तथा वैज्ञानिक

दृष्टि से प्रशिक्षित हैं —के लिए एक चुनौती है। हम और कार्यकुशल बनें। और अधिक उत्पादन करना चाहिए। मुझे आशा है कि औसतन अच्छी वर्षा होगी तथा मुझे पक्का विश्वास है कि औद्योगिक क्षेत्र 8 से 9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तथा सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ेगी। हम निश्चित रूप से घाटे की इस कमी को पूरा कर लेंगे तथा देश सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में आगे बढ़ेगा। नई सरकार का यह प्रथम बजट और आगे विकास बेहतर कार्यकुशलता तथा खुशहाली की आधारशिला रखेगा तथा गरीबी को कम करेगा तथा समानता को बढ़ावा देगा।

जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लायेंगे तथा अन्ततः भारत विश्व के किसी भी देश से कम नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी-गढ़वाल): सभापति महोदय, समय देने के लिए अनेक धन्यवाद। मैं यह जानता हूं कि वित्त मंत्री का काम और वित्त विभाग का काम बहुत कठिन होता है। दो तरह की मांगें इनके सामने आती हैं। एक अपेक्षा यह की जाती है कि इस क्षेत्र के लिए इतना पैसा दिया जाय या यह काम किया जाय और दूसरी अपेक्षा यह की जाती है कि इस क्षेत्र से यह न लिया जाय, वह न लिया जाय। बहुत संतुलित हो कर वित्त मंत्री को चलना पड़ता है और मैं अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं—उन्होंने संतुलन के लिए बहुत प्रयास किया है। अभी मेरे पूर्ववक्ता कह रहे थे कि बजट से सबके चेहरे पर मुस्कराहट आई है। यह इस बात से जाहिर है कि हमारे उधर बैठने वाले साथियों के चेहरों पर भी मुस्कराहट थी, कारण कोई भी हो लेकिन वे मुस्करा जरूर रहे थे।

मैं किसी वित्त मंत्री के एक साल के बजट भाषण को अलग करके देखने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि वित्त मंत्री का भाषण और बजट एक प्रक्रिया है जिससे कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। हमारे देश की यदि कोई सबसे बड़ी सफलता है, मेरी राय में, तो यह है कि हमने संसदीय लोकतन्त्र और नियोजन प्रणाली का समन्वय किया है। सिन्थेसिज किया है डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स और प्लानिंग का। पहले लोग यह समझते थे कि लोकतन्त्र में नियोजन प्रणाली लागू करना सम्भव नहीं है। लेकिन हमारे राष्ट्र-निर्माता पंडित जी और इन्दिरा जी के कारण हमने सिद्ध कर दिया कि लोकतन्त्र और नियोजन प्रणाली का समन्वय किया जा सकता है। इसलिए जो हमारा आज का बजट है और आज के पूर्व जो बजट आये थे, उनमें सबसे बड़ी सफलता यह रही कि हमारी जो वार्षिक योजनायें थीं उनका समन्वय किया गया, उनका समावेश बजट में किया गया। इसके लिये मैं अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बढ़े हुए योजना परिव्यय का समावेश उसमें किया है।

इस देश में पहला बजट 26 नवम्बर, 1947 को पेश किया गया था। 400 करोड़ रुपये का शायद वह बजट था और अब शायद 42 हजार करोड़ रुपये का बजट है। इससे सिद्ध होता है कि शासन की और सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। इसलिए जब हम बजट पर चर्चा करते हैं, तो दोनों चीजों पर चर्चा करना लाजिमी होगा। वैसे इस पीरियड में

हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं और कुछ संस्थाओं का विकास हुआ है। योजना आयोग बना 1950 में और उसके बाद वित्त आयोग बना और जब कोई बजट बनता है, तो योजना आयोग की सिफारिशों का और वित्त आयोग की सिफारिशों का ख्याल वित्त मंत्री को करना पड़ता है और वही वित्त मन्त्री जी ने किया है और इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे यहां केवल बजट से नहीं बल्कि संस्थागत साधनों से विकास को सम्भव बनाया गया है और आई० डी० बी० आई०, नेबार्ड और एक्सिस बैंक जैसी संस्थाओं का विकास हुआ।

मैं 1970-71 के वित्त मंत्री जी के भाषण को, जो तत्कालीन प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री थीं, श्रीमती इन्दिरा गांधी, एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। उन्होंने उस समय कुछ शब्द कहे थे जो हमेशा याद रखने पड़ेंगे और हर वित्त मन्त्री को याद रखने पड़ेंगे।

> "सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थायित्व बिना उत्पादन शक्तियों के बढ़े व राष्ट्रीयआय के बढ़े संभव नहीं है। यह दोनों भी सम्भव नहीं हैं यदि कमजोर वर्गों के कल्याणका उचित ध्यान न रखा जाए।"

हमारे वर्तमान वित्त मन्त्री जी ने इन बातों को सम्भव किया है क्योंकि हमारी जो सातवीं पंच-वर्षीय योजना है, उसमें समाज कल्याण और कमजोर वर्गों के लिए नई योजनाएं रखी गई हैं।

इस बजट का महत्व यह है कि यह संक्रान्तिकाल का बजट है, जबकि छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि उत्पादन, सकल उत्पादन और काम करने के अवसर बढ़ाने का निर्णय किया है और उसके लिए पर्याप्त धन दिया गया है। समाज कल्याण और कमजोर वर्गों के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं और पहली दफा एक साहसिक प्रयास किया गया है कि अगर कोई दैवी आपदा आ जाये और उससे किसानों का नुकसान हो जाए, तो किसान के नुकसान की भरपाई हम करेंगे और छोटे किसानों के लिए बिना प्रीमियम दिये क्रोप इन्श्योरेंस की बात की गई है और इसको सब्सीडाइज किया गया है। कमजोर वर्गों के सामाजिक सुरक्षा की तरफ, जिनकी ओर आज तक उचित ध्यान नहीं दिया गया था हालांकि दावा हम बहुत करते थे, भी ध्यान दिया गया है और उनके उत्थान की बड़ी भारी कोशिश की गई है।

मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं। हमने देखा कि सन् 1970-71 में खासतौर से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, उस साहसिक कदम के बाद, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, वह एक बहुत भारी क्रान्तिकारी परिवर्तन था और वह युग 1970-71 से 1976-77 तक रहा और हमारा राष्ट्रीय उत्पादन जो करीब साढ़े 36 हजार करोड़ रुपये था, वह बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो गया और उसके साथ-साथ हमारी जो राष्ट्रीय बचत थी, वह 6800 करोड़ रुपये से बढ़कर तीन गुना यानी लगभग 18 हजार करोड़ रुपये हो गई। अनाज का उत्पादन 10 करोड़ टन से बढ़कर 13 करोड़ टन के करीब पहुंच गया था लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 1976-77 के बाद हमारे देश में एक अन्धकार का युग आया और हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि उस जमाने के दो वित्त मन्त्री आज इस लोक सभा के माननीय सदस्य हैं लेकिन श्रीमती

इन्दिरा गांधी ने वित्त मन्त्री और प्रधान मन्त्री की हैसियत से 1970-71 में जो चेतावनी दी थी, वह चेतावनी हमारे सामने है। उन्होंने जो आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक अस्थिरता की बात कही थी, उनका वह कथन सही सिद्ध हुआ। 1977 और 1980, इनकी तुलना करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आज जो ज्यादा हमारी आलोचना होगी, वह इन्हीं पक्षों द्वारा होगी जो सन् 1977 और 1980 के बीच सत्तारूढ़ रहे या उनका समर्थन कर रहे थे।

हमने देखा कि 1977 में हमारा सकल उत्पादन करीब 47 हजार करोड़ था।

2.00 म० प०

यह 1979-80 में उतना ही रह गया। अनाज का उत्पादन साढ़े बारह करोड़ टन से घट कर ग्यारह करोड़ टन रह गया। हमारी गन्ना जैसी क्रेश क्राप जिसके कि समर्थन मूल्य बहुत कम थे, का उत्पादन अठारह करोड़ टन से घटकर तेरह करोड़ टन रह गया। बिजली के उत्पादन में भी नाम मात्र की बढ़ोत्तरी हुई।

मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस बजट में गरीब से गरीब तबके को ध्यान में रखा गया है। इस बात की चेष्टा की गई है कि उसका पूरा ध्यान रखा जाये। हमने देखा कि इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई गई है। कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स अमीर लोग देते हैं लेकिन यह जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें क्रांतिकारी पोटेंशियल रहता है। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जो कि मार्क्स की थ्योरी में विश्वास रखते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें क्रांतिकारी पोटेंशियल रहता है। मेरे वे मित्र इस बात को मानते हैं कि उनको 50 फीसदी की रिलीफ दी गई है।

2.0½ म० प०

[श्री जेनुल बशर पीठासीन हुए]

हमारे जो मजदूर हैं उनको भी प्राथमिकता दी गई है। उनको पहली प्राथमिकता यह दी गई है कि जो हमारी यूनिट सिक हो जाती हैं और उनके द्वारा मजदूरों को वेजिज नहीं दिए जाते, या बोनस नहीं दिया जाता यह सुनिश्चित किया गया है अब उस बोनस के लिए वेतन की सीमा साढ़े सात सौ रुपये से बढ़ाकर सोलह सौ रुपये कर दी गई है। यह भी किया गया है कि जब कोई यूनिट सिक या बीमार घोषित किया जाए तो उसकी 50 परसेन्ट पूंजी कम होने पर उसको नई स्कीम लेकर आना पड़ेगा। उसको जनरल बोडी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। सारी पूंजी खत्म हो जाएगी तो उसको दुबारा चांस नहीं दिया जाएगा।

हमने बजट में देखा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए 4 हजार, 141 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 हजार 9 सौ करोड़ रुपया रखा गया है जो कि 18.3 परसेन्ट बनता है। क्रियान्वयन की मशीनरी ज्यादातर प्रदेश सरकारों के हाथ में रहती है। उस कमजोर मशीनरी के बावजूद लोगों को इससे बहुत लाभ मिला है। जब पहले मुझे बोलने का अवसर मिला था तो मैंने कहा था कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेन्ज लाने की जरूरत है। मैं इस बात के लिए मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा है।

छोटे किसानों को, चाहे वे दस्तकार हों, चाहे वे भूमिहीन लोग हों, उनको उन्होंने सुरक्षा प्रदान की है। इसके लिए भी मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। जो हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हम लोगों को है। जो गांव के लोग हैं वे इसको जानते हैं और मैंने भी देखा है कि जो गांव के क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां सड़कें नहीं जाती थी, जहां नदी से कटाव होता था, जहां पानी का भराव होता था, उनमें आर० एल० जी० ई० पी० के जरिये से काम करने में हम सफल हुए हैं। जब हम गांवों में गये तो लोगों ने हमसे कहा कि इस प्रोग्राम को हम जारी रखें और बढ़ा सकें तो बढ़ाएं। गांवों में कोई हमसे यह उम्मीद नहीं करता है कि हम उनके खेत में जाकर काम करें। लेकिन उनको सुविधाएं देना हमारा काम है। इस कार्यक्रम के लिए चार सौ करोड़ रुपया अधिक देने के लिए मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश इसमें अच्छा काम करें उनके लिए कुछ इन्सेन्टिव रखा जाए।

यह कहा जाता है कि हमारा नान-प्लान राजस्व व्यय बढ़ता जा रहा है। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारे कुल राजस्व व्यय का 28 परसेन्ट हमारी सुरक्षा के लिए है जो कि मौजूदा परिस्थितियों में बहुत आवश्यक है। 26 परसेन्ट हमें ब्याज का देना पड़ता है। 15 परसेन्ट हम सब्सीडी के रूप में खर्च करते हैं जो कि अनाज के लिऐ, फर्टिलाइजर के लिए दी जाती है। इससे किसानों को लाभ पहुंचता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि हम नान-प्लेन के ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं।

अब डेफिसिट की बात आती है। इसमें 3674 करोड़ रुपए का डेफिसिट दिया है, लेकिन इस डेफिसिट को कम करने के लिए तीन विकल्प वित्त मन्त्री जी के पास थे। या तो टैक्स ज्यादा लगाते, उससे नाराजगी होती और एक तरफ यह भी कहा जाता है कि हमारे मुल्क में टैक्स रेट सबसे ज्यादा है, या नियोजन व्यय को वह कम करते, वह भी हमारे लिए घातक होता, हमारे देश के विकास के लिए। उन्होंने नियोजन का व्यय भी कम नहीं किया, ज्यादा टैक्स भी नहीं लगाए, लेकिन दूसरे तरीकों से उन्होंने इसको किया है और मैं यह समझता हूं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में इतनी क्षमता है कि वह इस डेफिसिट को, इस घाटे को एब्जार्ब कर सके और इसका कोई बहुत बड़ा खराब परिणाम होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा, जो सम्भवतः देने जरूरी हैं।

मैं यह नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वित्त मन्त्री जी के भाषण के पैरा 56 में उन्होंने ऊर्जा के ऊपर ध्यान दिया है और चेतावनी दी है कि सम्भवतः उतना पैट्रोल हमको उपलब्ध न हो सके, जितना पिछले 50 वर्षों में हुआ, इसलिए उन्होंने कोयले को बढ़ाने की बात कही है, बिजली को बढ़ाने की बात कही है, थर्मल पावर स्टेशंस की खासतौर से बात की है, इसके लिए हमको बहुत जबर्दस्त समन्वय करने की जरूरत है। मुझे मौका मिला था, माननीय वित्त मन्त्री जी जब मुख्यमन्त्री थे तो उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग उन्होंने मुझे सौंपा था। जब मैं विद्युत विभाग से पूछता था तो वे कहते थे कि अच्छा कोयला नहीं मिलता। मैंने कलकता में एक

मीटिंग की तो कोयले के लोग कहने लगे कोल इंडिया वाले कि हमें वैगन नहीं मिलते। रेलवे के लोग कहने लगे कि हमको ट्रेक्शन पावर नहीं मिलती, तो कोयला नहीं मिलता, पावर नहीं मिलती, वैगन नहीं मिलते, यह एक विशेष सर्किल, जबरदस्त सर्किल बन गया है, इसको तोड़ने की जरूरत है। मैं दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर भारतवर्ष की ऊर्जा शक्ति का ठीक उपयोग करना है, संसाधनों का तो फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि जो हमारी बहु-उद्देश्यीय योजनायें हैं, कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि नेपाल, इनके सहयोग से बननी चाहिए। बंगाल में, सिक्किम से जो नदियां तीस्ता आदि जाती हैं, उधर आसाम में और दक्षिण में भी ऐसी नदियां हैं, इन पर मल्टीपरपज प्रोजेक्ट्स, बहु-उद्देश्यीय योजनायें हमें नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करनी चाहिए। हमारे प्रदेश में भी बनाए जा सकते हैं। इनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिमालय ऐसी जगह है जहां बर्फ का भण्डार समाप्त नहीं होता। जब मई और जून में मैदान में लोग पानी को तरस जाते हैं, उस वक्त वहां की नदियों में ज्यादा पानी होता है और यह हमारी भूल है कि हमने उसका उपयोग नहीं किया। यह बड़ी भारी चीज है, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाना चाहिए। इनको प्रदेश की दृष्टि से न देखा जाए। टिहरी एक योजना हमारे यहां है। यहां 2000 मैगावाट बिजली होगी, केवल बहुउद्देश्यीय योजनाओं से ही सिंचाई साधनों को भी बढ़ाया जा सकता है। फ्लूड कंट्रोल किया जा सकता है। हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि आप और हम मिलकर साझे में बना लें, कुछ पैसा हम लगायें, कुछ पैसा आप लगाइये और बटवारा नेशनल फार्मूले के आधार पर कर लें, यह भी उनके ऊपर छोड़ दिया। इन योजनाओं पर आप ध्यान दीजिए, चाहे वे कश्मीर में हों, हिमाचल प्रदेश में हों या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके में हों, चाहे सिक्किम में हों, चाहे नार्थ-ईस्टर्न रीजन में हों, चाहे नार्थ बंगाल में हों, सब जगह इसको किया जाना चाहिए।

एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिसकी ओर ध्यान नहीं गया है। हमारे यहां की जो बहुत बड़ी कैशक्राप है वह गन्ने की है। करीब 18 करोड़ टन गन्ना हम पैदा करते हैं और गन्ने का उचित मूल्य देना अब अवश्यम्भावी हो गया है, वरना इसका प्रोडक्शन नीचे चला जाएगा और हमें चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। गन्ने का मूल्य अगर हम चीनी से सम्बन्धित करके रखेंगे तो गन्ने का मूल्य हम नहीं दे पायेंगे। इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है। उत्तर प्रदेश में साढ़े 21 रुपये गन्ने का मूल्य देने से 69-70 करोड़ रुपया जनरल बजट से दिया गया, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इन 20-25 वर्षों के बाद भी हमारा ध्यान इस ओर नहीं गया है कि गन्ने का सीधा उपयोग हम अलकोहल बनाने के लिए कर सकते हैं। अलकोहल से मेरा मतलब उस अलकोहल से नहीं है जो ह्यूमन बाडी को खराब करता है, ह्यूमन बाडी को एनर्जी देता है, अलकोहल का उपयोग अल्टरनेटिव सोर्स आफ एनर्जी के रूप में किया जा सकता है और आप किसानों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। मान्यवर, दो मुल्कों में 1974-75 में यह काम शुरू किया था, ब्राजील और हिन्दुस्तान में। ब्राजील में 1974 में 915 मिलियन लीटर अलकोहल बनता था जबकि भारत में 318 मिलियन लीटर ही बन पाता था। सन् 83 में ब्राजील में 7418 मिलियन लीटर हो गया

जब कि भारत में 545 मिलियन लीटर ही हो पाया। इसका उपयोग उर्वरक, रबर बनाने और गाड़ियां चलाने में होता है। ब्राजील के बारे में एक बहुत अच्छा डाक्युमेंट मेरे पास है। उसको पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। माननीत वित्त मन्त्री जी के उपयोग के लिए उसको मैं बाद में भेज दूंगा। वहां पर एक नेशनल पालिसी बनाई गई। वहां पर अलकोहल से 10 लाख कारें चल रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र की ओर वह ध्यान दें। अलकोहल के ऊपर हमारा कुछ उद्योग कुछ हद तक निर्भर है, उससे हमारे गन्ने का उपयोग ठीक हो जाता है। किसानों को अच्छा मूल्य दे सकते हैं और ज्यादा रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। इन्डस्ट्री एक जगह जमी नहीं होती बल्कि जगह-जगह फैल जाती है। इसको पैट्रोल का सबस्टीच्युट कर सकते हैं। इससे घरेलू उत्पादन और घरेलू आय बढ़ती है। हमारे देश में ऐसे उद्योग लगने चाहिए जिनमें आदमी ज्यादा लगें और पूंजी कम लगे क्योंकि यहां एलकोहल पर पूंजी कम है और आदमी ज्यादा है। जब तक हमारे यहां कमी है तब तक एक्सपोर्ट मत कीजिए। कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग हैं जो हमारे उद्योगों को स्टार्ट करके बाहर अलकोहल भेजना चाहते हैं। हमारे प्रदेश में वेस्ट बंगाल से ज्यादा अलकोहल बेस्ड इण्डस्ट्रीज हैं। ऐसा मौका भी आया कि उनकी इन्डस्ट्री को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश से अलकोहल दिया गया क्योंकि वह राष्ट्रीय इन्डस्ट्री है। इसका निर्यात बिल्कुल बन्द होना चाहिए। रबर का आयात भी किया जा रहा है। डेफिसिट को कम करना है तो आयात को भी कम करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, जहां गलती करते हैं और अलकोहल को आयात करना चाहते हैं। इसका एक मिड-टर्म प्रोडक्ट होता है, जिसको बुटाडिन कहते हैं। उससे आर्टीफिशीयल रबर बन सकती है। उसके आयात पर आप टैक्स लगाते हैं। बुटाडिन पर से टैक्स हटा दिया जाय तो डेढ़ करोड़ का नुकसान तो होगा लेकिन सात करोड़ की बचत हो जाएगी। सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फिर से मजबूत किया है। कीमतें कम करने का और कीमतों पर नियन्त्रण करने का इससे बड़ा साधन और नहीं हो सकता। प्रदेशों में अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए। हमारी जो पब्लिक सेक्टर अण्डर-टेकिंग्स है, उनमें इनका इरोजन हो गया। इसलिए, इसमें कुशलता लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। वित्त मन्त्री जी को एक बात याद दिलाना चाहूंगा। पिछले वर्ष वित्त मन्त्री जी ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात कही थी :

[अनुवाद]

कुछ राज्यों ने अपने वित्तीय ढांचे को बहुत सुगठित बनाया हुआ है। वे अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में सफल हो सके हैं तथा उनकी, अपनी कई योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में, प्रभावी ढंग से वितरण किया है।

[हिन्दी]

अगले पैराग्राफ में यह भी कहा था कि :

[अनुवाद]

उन राज्यों के लिए जिन्होंने अपने वित्त का सही प्रबन्ध किया है मैं उन्हें 1984-85 में

अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए एक उचित योजना बना रहा हूं। केवल यही उचित तथा ठीक है।

[हिन्दी]

मैं उस स्कीम की प्रतीक्षा में हूं। हमारी स्थिति वैसी रही जैसे घर का वह बच्चा जो अनुशासित रहता है, उसको सबसे कम हिस्सा मिलता है। हमारी कुछ प्रदेश सरकारों ने वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया। वित्तीय अनुशासन को मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। जिस प्लान का जो परिव्यय है, वह पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने प्लान के परिव्यय में भी कमी कर दी और रिजर्व बैंक से ओवर-ड्राफ्ट भी लिया। यहां पर शोर मचाया जाता है कि हमारे साथ भेद-भाव होता है। हमने अपने प्लान परिव्यय को नहीं घटाया। 6200 करोड़ रुपये की हमारे उत्तर प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना थी, चार वर्ष ओवर-ड्राफ्ट नहीं लिया बल्कि योजना पर 6800 करोड़ रुपया खर्च किया। हमें कुछ कामों के लिए मजबूरन ओवर-ड्राफ्ट लेना पड़ा, पैसा लेना पड़ा। इसलिए मैं उस स्कीम की प्रतीक्षा में हूं।

इसके अलावा मैं एक दो अन्य प्वाइंटस पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : आपको ओवर ड्राफ्ट के लिए कौन बाध्य कर रहा है? यदि आप नियतन के भीतर अनुशासन में रहें :

श्री ब्रह्मदत्त : हम अनुशासन-हीनता की नकल नहीं कर सकते। हम उनकी नकल नहीं करना चाहते। मैं किसी को भी उसके अनुशासन हीनता की नकल करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपने मित्रों को बता दें कि इस तरह की अनुशासन-हीनता अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है।

श्री अमल दत्त : आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए।

श्री ब्रह्मदत्त : पिछले एक सप्ताह से हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि पिछले 5 सालों में किस स्टेट ने कितना ओवर-ड्राफ्ट लिया है, इसके आंकड़े वे इकट्ठे करवा लें और यह भी देखें कि उसमें से किसने कितना लोन में कन्वर्ट कराया लेकिन मैं यहां आपको पिछले साल किए गए वायदा की याद दिलाना चाहता हूं और चाहता हू कि आप उस वायदे को पूरा करें। वैसे तो हमारे देश के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक अंग उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि कश्मीर से आसाम तक फैला हुआ है जिसमें हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके, बिहार का कुछ हिस्सा,

बंगाल का ऊपरी हिस्सा और सिक्किम आदि शामिल है। यह हमारा सीमांत इलाका कहलाता है और बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पिछली वार्षिक योजना में, वर्ष 1984-85 के लिए उसका प्लान परिव्यय बढ़ाया गया था, लेकिन जब मैंने इस साल का बजट देखा, तो मुझे उस सम्बन्ध में कुछ नहीं मिला। आप स्पष्ट करें कि इस साल उसके लिए कितना प्रावीजन किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि आप चूक गये हैं क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं, तत्वदर्शी हैं, लेकिन मैं उन फीगर्स को ढूंढने में असमर्थ रहा और इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे स्थिति स्पष्ट करें।

इसके बाद मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि लगभग 15 साल बाद हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह ठीक है कि आपने बजट में जो अच्छी बातें निश्चित की हैं, उनको आप अगले साल तक पूरा करेंगे, जो बातें योजना में निश्चित की हैं, उनको 5 सालों में पूरा करेंगे, लेकिन आपकी योजना का पर्सपैक्टिव प्लानिंग 12 साल के लिए होना चाहिए ताकि हम 21वीं शताब्दी में ठीक रूप से प्रवेश कर सकें। यह बहुत जरूरी है कि वित्तीय और भौतिक योजना के साथ-साथ मैन पावर प्लानिंग भी आप करें।

इसके बाद हमारे देश में एक बहुत संवेदनशील विषय ब्लैक-मनी यानी काले धन का है। यदि हम इसकी तुलना करें तो जैसे घर में साफ पानी भी होता है, गंदा पानी भी होता है और घर के कार्यों में प्रयुक्त होता रहता है। गंदा पानी अपने आप पैदा होता रहता है और उसको एकदम रोकना सम्भव नहीं होता। उसको हमें बहुत समझदारी से खर्च करना चाहिए। उसी तरह से हम काले धन को एकदम से नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन जो मौजूद है, उसके उपयोग के लिए, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा हम कर सकें और हमारे पास करोड़ों एकड़ बेकार पड़ी ऊसर भूमि को रिक्लैम कर सकें, कुछ सोश्यल फौरेस्ट्री में और गरीब लोगों के लिए घर बनाने में चाहे वे गांवों में रहते हों या शहरों में रहते हों, यदि हम एकदम से उसका इस्तेमाल सुनिश्चित कर सकें और हमारे म्युनिसिपल बोर्ड, प्रदेश सरकारें और केन्द्रीय सरकार जितनी योजनाएं बनाते हैं, उन सब में भी सुनिश्चित कर सके ताकि हमारे उन सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके तो मौजूदा काले धन में कमी आयेगी और वह कदम निश्चय ही साहसिक कदम होगा। लेकिन इसके बारे में हमारे अर्थशास्त्रियों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

यहां मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। किसी भी सरकार के सामने, चाहे वह प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, कर का दूसरा विकल्प राष्ट्रीय बचत का होता है। यह भी मानी जाने योग्य बात है कि हमारे देश में राष्ट्रीय बचत अच्छी मात्रा में बढ़ी है और उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि आज हम जो कैश डिपोजिट करा रहे हैं, जब हम उसको कैश कराने के लिए जाएंगे तो वह हमें आसानी से मिल भी सकेगा या नहीं। मैं लोगों से कल ही बात कर रहा था, उनका कहना था कि कई तरह की दिक्कतें उनके सामने आती हैं, कभी कहते हैं कि दस्तखत नहीं मिलते,

कभी कुछ नहीं होता, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया को सरल कीजिए। इसके साथ ही, उन तमाम कदमों के लिए जो कि वित्त मन्त्री जी ने राष्ट्रीय बचत को बढ़ाने के लिए उठाये हैं, मैं उन को धन्यवाद देता हूं।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं पहली-पहली बार चुनकर इस संसद में आया तो मैं कुछ घबरा गया। मैंने सोचा शायद पहला मौका है क्योंकि मुझे सब तरह पीला-पीला नजर आता था, कहीं मुझे जौन्डिस तो नहीं हो गया है। लेकिन थोड़े समय बाद मुझे पता लगा कि जौन्डिस हमको नहीं, विपक्ष को हो गया है। आज खुशी की बात है कि विपक्ष ने उस जौन्डिस से अपने को सुरक्षित कर लिया है। मेरा उनसे यह भी निवेदन है कि आप इस बजट को भी उस जौन्डिस व्यू से न देखें। यदि स्पष्ट तौर से वे इसको देखने की कोशिश करेंगे तो पायेंगे कि···(व्यवधान)

इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी को इस कल्पनाशील बजट के लिए धन्यवाद देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा साहस का प्रमाण वह देंगे और जिस प्रक्रिया को उन्होंने शुरू किया है, जिसको इस साल के दौरान पूरा करना है, वह करेंगे। यदि संतुलित रूप से देखोगे तो इससे हमारे कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सघन उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सातवीं योजना के लक्ष्य को हम पूरा कर सकेंगे।

छठी पंचवर्षीय योजना के सभी लक्ष्य हमने प्राप्त नहीं किये, लेकिन बहुत कुछ प्राप्त किया है, जो किया है वह ओवर-आल टारगेट्स से ऊपर किया है। जिन सैक्टर्स में हम प्राप्त नहीं कर सके, उनका हमें विश्लेषण करने की जरूरत है। खासतौर से प्लान के मानिटरिंग की सख्त जरूरत है। जो प्रदेश प्लान के साइज में कट करते हैं, यह उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए और जो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उनके लिए इनाम की व्यवस्था होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : माननीय सभापति महोदय यह बजट चुनाव के बाद की पहली नीति के बारे में हमारे प्रधान मन्त्री राजीव जी, जिन्हें नेशनल इन्टेग्रेशन एसेम्बली ने विश्व शान्ति में उनके योगदान के लिए "मैन आफ दी ईयर" से सम्मानित किया है, की घोषणा को भली-भांति प्रदर्शित करता है।

श्री अमलदत्त : वह कहां है?

श्री सोमनाथ रथ : आप वह जानते हो। सुस्पष्ट तथा सरल बजट के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। यह बजट हमारे माननीय प्रधान मंत्री की नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए संदेश लाया है।

सरकार काले धन को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। बजट में गरीब वर्गों को अधिक राहत दी गई है। इसका प्रयोजन मुद्रा स्फीति में कमी लाना है जिसके विषय में मैं अन्त में बोलूंगा। इसमें उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योगों कृषकों तथा श्रमिकों आदि के लिए बहुत से प्रोत्साहन हैं। इस प्रकार आन्तरिक संसाधनों में और वृद्धि होगी। बजट ने लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं को एक नयी दिशा दी है। इसमें अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए एक नीति बनायी है तथा मूल्य पर आधारित निर्यात के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिये हैं।

बजट प्रधान मंत्री की इस घोषणा कि—विकास के साथ-साथ न्याय भी हो—को साकार करता है, जो कि एक निर्धारित समय-सारणि में हांसिल करना है। उत्पादकता तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए प्रस्ताव समाविष्ट किए गए हैं जिससे निर्यात को एक नई गति मिलेगी।

बजट में हमारी सरकार द्वारा किए गए वायदे प्रतिबिंबित होते हैं तथा इसने एक नई आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए लक्ष्य बनाया है। जो भी सरकार ने वायदे किए थे उनको कार्यान्वित करने की सरकार के पास राजनीतिक संकल्पशक्ति है।

वर्तमान सरकार का यह पहला बजट है जो सातवीं योजना के शुरू होने के समय पर ही आया है। हमारे बहुत से दायित्व तथा जिम्मेदारियां हैं। हमारा रास्ता लम्बा तथा कठिन है। बजट से प्राप्त हर श्रेणी के करदाता, व्यक्ति तथा निगमित क्षेत्र को बहुत राहत मिली है। इससे रोजगार को अधिक अवसर उपलब्ध होंगे जो एक ऐसा उपाय है जिससे गरीबों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। निम्न आय वर्ग के आयकर देने वाले लोगों को आयकर सीमा 15,000 रुपये से 18,000 रुपये कर देने से निश्चित रूप से 10 लाख लोगों को राहत मिलेगी। सम्पदा कर, अनिवार्य जमा योजना तथा धन कर को समाप्त करना वास्तव में सराहनीय कार्य हैं। सीमा शुल्क के बारे में, यह देखा गया है कि कुछ मामलों में तो यह एकदम खत्म कर दी गई है और कुछ मामलों के लिए हमें कम कर दिया गया है। फसल बीमा अब तक सिर्फ घोषित नीति ही है। और अब इसे व्यापक रूप में क्रियान्वित किया जाने वाला है। वास्तव में कुछ राज्यों जैसे कि उड़ीसा ने इसे लघु स्तर पर शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो-तिहाई किश्तें जमा करायी जायेंगी और इससे बहुत बड़ी संख्या में कृषकों को पर्याप्त सहायता मिलेगी। वास्तव में यह उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्होंने ऋण लिया है, इसमें आगे जांच-पड़ताल करने की भी जरूरत है, इससे कृषकों की आकांक्षाओं को पूर्ण होने में मदद मिलेगी जो कि भारत की आधार-शिला हैं।

महोदय, यह कहा गया है कि 3,349 करोड़ रुपये के घाटे की वजह से मुद्रा-स्फीति हो सकती है। मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1984-85 में बजट अन्तर मूलतया 1773 करोड़ रुपये था और अब यह लगभग 4000 करोड़ रुपये तक हो गया

है, परन्तु मुद्रा स्फीति को प्रभावी रूप में नियंत्रित कर लिया गया था। इसी तरह से अभी भी मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसी तरह बजट में राजनैतिक दलों को कम्पनियों द्वारा चन्दा देने के निर्णय को स्वीकृति दी गई है। इससे राजनैतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने में और कुछ हद तक काले धन को भी समाप्त करने में तथा उसे सही तरीके से उपयोग में लाने में मदद मिलेगी।

महोदय, यह एक साहसिक बजट है। विपक्ष से मेरे माननीय मित्र ने पालकीवाला को उद्धृत किया। आपकी अनुमति में मैं माननीय सदस्य (इस समय वह सदन में उपस्थित नहीं हैं) का ध्यान श्री पालकीवाला द्वारा कही गयी बात की ओर दिलाना चाहता हूं। आज यह स्टेट्समैन में छपा है। उन्होंने कहा है, और मैं उद्धृत करता हूं—

> "·····भारत का पुनः निर्माण करने के लिए युगान्तरिक बजट·····चालू वर्ष में एशिया की सबसे कड़ी अर्थव्यवस्था के विवरण वाला बजट·····सिर्फ एक व्यक्ति—प्रधान मंत्री—इस कालातीत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी था·····"

'सिर्फ एक व्यक्ति', इसी बात पर मैं जोर देना चाहता हूं।

विपक्ष द्वारा यह कहा गया है कि सरकार ने शुष्क खेती पर उचित ध्यान नहीं दिया है। परन्तु मैं उड़ीसा का भूतपूर्व कृषि मंत्री होने के नाते जानता हूं कि इस सरकार ने चालू वित्त वर्ष में शुष्क खेती पर उचित ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए उड़ीसा सरकार को पानी पर आधारित फसल उगाने के लिए केन्द्र सरकार से 6 करोड़ रुपये मिले हैं। ये लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं और इनके तीन उद्देश्य हैं। भू-कटाव को रोकना, इन शुष्क भूमि पर सिंचाई करना अगर रबी में नहीं तो खरीफ में तो अवश्य ही होगी और कृषकों को राहत देना और भूमि स्तर में जल स्तर को बढ़ाना। इसी तरह से केन्द्र सरकार ने पांच वर्षों से प्रत्येक वर्ष गहन चावल की खेती तथा गहन गेहूं खेती के लिए बहुत सी पंचायत समितियों को प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपये दिये हैं इस वर्ष इसमें और भी बहुत सी पंचायत समितियों को सम्मिलित कर लिया जायेगा। और कृषकों को 10 लाख रुपये राजसहायता, उर्वरक, कृषि सम्बन्धी औजार, कीट नाशक औषधियां तथा अधिक उत्पादन के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करने के रूप में दिये जायेंगे। तिलहन की खेती को बढ़ाने के लिए ऋण एवं राज सहायता भी दी गई है, आगामी वित्त वर्ष में, यह पहले ही घोषित किया जा चुका है कि इस योजना में और भी पंचायत समितियां सम्मिलित की जा रही हैं। यद्यपि कृषि उत्पादन में हम आत्म-निर्भर हैं, कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कृषकों को सहायता देने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

हमारे जैसे बढ़ते हुए और विकासशील देश में, देश को विकसित करने के लिए घाटे का बजट जरूरी है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इसे जानने के लिए अर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्त को अध्ययन करें। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी

से अनुरोध करूंगा कि वे उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र को स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन राशि का आबंटन करें जो कि राज्य के लिए अतिआवश्यक है। चूंकि उड़ीसा में लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषकों की है, अतः उड़ीसा सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि दिये जाने के लिए आग्रह किया है। अतः मैं फिर से आग्रह करूंगा कि उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र के लिए तथा सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त धनराशि का आबंटन किया जाये।

मैं एक बार फिर से बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा देश और आगे बढ़ेगा और समृद्धि करेगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनेगा।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों ने जो वे सदन के बाहर आम व्यक्ति के विचारों से सर्वथा भिन्न है। वित्त मंत्री जी के बजट तैयार करने के ब्यौरों में जाने से पहले मैं श्री भगतजी के दर्शन के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। एकाधिकार प्राप्त प्रेस एवं सरकारी संचार माध्यम द्वारा पिछले कुछ महीनों में एक ऐसी धारणा बनाने का प्रयास किया गया है कि अब पुरातन विचारधारा समाप्त हो चुकी है। नये युग का आगमन हुआ है। नई सरकार के नये नेता ने भी देश को 21वीं सदी में ले जाने का वचन दिया है। परन्तु बहुत से लोग इस बारे में संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि यह सब कैसे संभव होगा।

क्या यह मध्यकालीन पिछड़ेपन के अनुरूप होगा अथवा यह उपनिवेशवादी विरासत पर आधारित होगा—परिवर्तन क्या होगा? इस परिवर्तन के पीछे क्या दर्शन शास्त्र है? तथापि सरकार के कुछ नेताओं के कथन से थोड़ा संकेत मिलता था परन्तु अब श्री वी० पी० सिंह बजट लेकर आ गये हैं जो कि इस मूर्त्ति के आवरण को अनावृत करता है जिसे सरकार बनाना चाहती है। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने दो दिन पहले कहा था कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किये गये किसी भी कार्य में परिवर्तन नहीं करेंगे, उनके वित्त मंत्री श्री वी० पी० सिंह रीगन की अर्थ-व्यवस्था प्रणाली से अधिक प्रभावी नजर आते हैं न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तथा कथित मिश्रित अर्थ-व्यवस्था से। ये उनकी विचारधारा है जिसे वे अब आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम बजट में उदार बनाने की अवस्थिति के जरिये तथाकथित मुक्त अर्थ-व्यवस्था की ओर निश्चित रूप में झुकाव है।

एकाधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा प्रेस बिना बात के ही बजट की प्रशंसा किये जा रहा है, उन्होंने कहा है कि यह एक युगान्तरकारी बजट हैं, एक विवेकपूर्ण बजट और यह निश्चित रूप से तथाकथित मुक्त अर्थ-व्यवस्था की ओर ही कदम है।

अब कोई भी व्यक्ति सरकार पर आरोप नहीं लगा सकता कि वे नकली समाजवाद में विश्वास कर रहे हैं। पहले यह नकली समाजवाद था। इस समय कोई भी व्यक्ति उन पर आरोप नहीं लगा सकता। उनकी अपनी दिशा है।

इस नये बजट से देश में सम्पूर्ण शोषित वर्ग, बड़े एकाधिकार पूंजीपति, निहित स्वार्थ और उनके सभी मित्र राष्ट्र और प्रबल समर्थक प्रेरित हुये हैं। श्री पालकीवाला को यहां उद्धृत किया गया था। कल उन्होंने मांग की थी कि यह अच्छा है, कि हमें सरकारी क्षेत्र का राष्ट्रीकरण समाप्त कर देना चाहिए। इस समय यह एकाधिकारियों की आवाज है और सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है।

हमारे दल, भारतीय कम्युनिस्ट दल (मार्क्सवादी) ने सरकार के चरित्र का निर्धारण किया है कि यह एक सामंतवादी सरकार है और इसका नेतृत्व बड़े-बड़े सामंतवादी लोग कर रहे हैं और निरन्तर विदेशी पूंजीपतियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। और यह बजट हमारे मुद्दे की पुष्टि करता है।

एक माननीय सदस्य : के० जी० बी० के लिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह मैं जानता हूं, वे आपको बचा रहे हैं, अन्यथा आप कहीं और चले गये होते।

आप अपने भुगतान शेष की डींग मार रहे हैं।

अतः यह बजट, विख्यात अर्थ-शास्त्र के शब्दों में, एक ऐसा बजट है जिससे कम से कम व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ हो। इस बजट का वास्तविक स्वरूप यही है।

अब मुझे बताने दीजिये कि इस बजट से किस प्रकार सत्ताधारी वर्ग का फायदा होगा। आजादी के पश्चात इस पुनीत सदन में एक भी बजट ऐसा नहीं आया जिसमें इतनी अधिक रियासतें देश के इतने कम लोगों को दी गई हों। सरकार के इस दावे के बावजूद कि वह आम जनता का समर्थन करती है और उससे कुछ छोटे-मोटे राहत उपाय किये हैं और जो इस बजट में जो भारी कर लगाये गये हैं और रेलवे कर जो भारी भाड़ा और किराया बढ़ाया गया है इससे मुद्रा-स्फीति का दबाव काफी अधिक बढ़ेगा। अगर यथार्थता यह है तो आने वाले वर्षों में आम आदमी का जीवन अत्यन्त दयनीय होगा। वे अपने कार्य-निष्पादन के बारे में बता रहे हैं। इस सदन में वित्त मंत्री ने जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है वह भी दर्शाता है कि बहुत से क्षेत्रों में अर्थ-व्यवस्था पर तनाव के लक्षण हैं और भुगतान शेष पर अत्यधिक दबाव है जिसका शायद मूल्य स्थिति पर भी बुरा असर पड़े। वे इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते। कृषि उत्पादन में इस वर्ष शायद एक प्रतिशत की वृद्धि हो परन्तु अगले वर्ष के लिए वे प्रायः भगवान अथवा अच्छे मानसून पर निर्भर रहते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुछ घरेलू पूंजी निर्माण उत्पाद में 4 प्रतिशत की कमी आई है। मैं कुछ ऐसे मुद्दे बताऊंगा जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। विद्युत के बारे में इतना कुछ बोलने के बावजूद भी सच यह है कि नई क्षमता में वृद्धि की गति कम हो गई है। तथापि कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है, फिर भी यह लक्ष्य से बहुत कम है। श्री भगत ने बहुत से क्षेत्रों में लक्ष्यों के पूरा होने की बात कही है। मैं कुछ ऐसे क्षेत्र बताऊंगा जिनमें

लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की गई है। पिछली तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में प्रत्येक में औद्योगिक वृद्धि लक्ष्य से कम थी। यह चिन्ता का विषय है। आपने औद्योगिक नीति को उदार बना दिया है। इससे क्या पता चलता है? मुझे इसके बारे में, कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सब इसे अच्छी तरह जानते हैं। कीमतों के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण का कहना है कि दालों के मूल्य 24 प्रतिशत बढ़ गये हैं। बहुत सी समस्याओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण का कहना है कि जब तक इससे निपट नहीं लिया जाता सातवीं योजना पर गहरा दबाव होगा। ये कुछ बातें आर्थिक सर्वेक्षण में बताई गई हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने विपक्ष की ओर से यह कहने की कोशिश की कि सब कुछ बहुत ही उज्ज्वल है।

हमारी अर्थ-व्यवस्था के योजनाबद्ध विकास के प्रश्न को लीजिये। इसकी स्थिति क्या है? जब देश गम्भीर बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी बेरोजगारी में उत्तरोत्तर वृद्धि-होती जा रही है। बेरोजगारों की संख्या 250 लाख पार कर चुकी है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। जब हालत यह है तो अगले वर्ष के लिए योजना परिव्यय की स्थिति क्या है? पिछले वर्ष के संशोधित प्राक्कलनों में सिर्फ 5.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम गत वर्ष के दौरान हुई मूल्य वृद्धि को देखें—वास्तव में वे हमेशा आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं और वे अपनी सुविधानुसार आंकड़े दर्शाते हैं—अप्रैल से दिसम्बर तक मूल्यों में वृद्धि 7.5 प्रतिशत थी। इस संदर्भ में अगर हम इस वर्ष के योजना नियतन में 5.75 प्रतिशत वृद्धि को देखें तो यह गत वर्ष के नियतन से कम है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि हम नयी परियोजनाएं शुरू नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ चल रही परियोजनाओं को बनाये रखने की कोशिश करेंगे। इसका आशय यह है कि अगले वर्ष योजना का विकास रुक जायेगा। यह इस बजट से प्रतीत होता है। केन्द्र ने कई क्षेत्रों के नियतन में कटौती कर दी है। इनमें से कुछ हैं ग्रामीण विकास, लघु उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, रेल तथा दूर-संचार। आगामी वर्ष में इन क्षेत्रों के लिए गत वर्ष की अपेक्षा कम धनराशि का नियतन है। इससे अवश्य ही आगामी वर्ष के दौरान हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास की संभावना को क्षति पहुंचेगी।

मेरा अगला प्रश्न मुद्रा-स्फीति की संभावनाओं से है। मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि जो अपने साधनों में सीमित रहता है उसमें कल्पनाशक्ति की कमी होती है। उनकी कल्पनाशक्ति को धन्यवाद। दिन-रात केन्द्र सरकार राज्यों को अपने संसाधन न जुटाने के लिए दोष देती रहती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? वह स्वयं घाटे की अर्थव्यवस्था पर निर्भर कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि किस हद तक। यह ऐसा ही जैसे कोई व्यक्ति उपहार खरीदने के लिए भीख मांगता है। पहले हम विकास के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था करते थे और इस बार एकाधिकारवादियों को सुविधायें देने तथा निहित स्वार्थों के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था कर रहे हैं। गत वर्ष, शुरू में घाटा 1773 करोड़ रु० था लेकिन वास्तव में वह 3985 करोड़ रु० तक पहुंच गया। इस वर्ष अनुमानतः यह 3349 करोड़

रुपये हैं जो कि जी० एन० पी० का लगभग 3 प्रतिशत है, लेकिन वित्त मन्त्री कहते हैं कि यह अधिक नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा कहना एक प्रथा सी बन गई है। अगर आप सरकार के 3500 करोड़ रुपये की उधार को भी अनुमानित घाटे से जोड़ दें तो कुल घाटा 6849 करोड़ रु० आयेगा। इसका वित्त पोषण बैंकों द्वारा किया जायेगा। अगर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी घाटा दुगुना हो गया, अगर खराब मानसून इस वर्ष रहा, अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहीं, तो क्या होगा? सरकार यह गणना अच्छे मानसून को ध्यान में रखकर लगा रही है, लेकिन अगर इसके विपरीत हुआ तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा? मैं यह कहूंगा कि बजट में इतना बड़ा अन्तर भगवान पर विश्वास करके रखना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यह जूआ है। मेरे विचार में यह एक जुआरी का बजट है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ जूआ खेला जा रहा है।

तीसरे, मूल्य वृद्धि के प्रश्न को लीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था का इतिहास एक लगातार मूल्य वृद्धि का इतिहास है जो लोगों की खरीद शक्ति से बाहर हो गई है। यह आगामी वाले वर्षों में और भी अधिक हो जाएगी। यह बजट मूल्य वृद्धि को और बढ़ाएगा जो कि पिछले माह से बाजार में पहले ही बढ़ रही है। कुछ लोग खुश हैं क्योंकि कम से कम निम्न स्तर के कर-दाताओं को बजट में कुछ राहत दी गई है। लेकिन जब वे लोग बाजार में चीजें खरीदने जायेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनको ज्यादा मूल्य देने पड़ेंगे।

श्री बंसीलाल ने पहले ही लगभग 500 करोड़ रु० के कर लगा दिये हैं। अब पेट्रोलियम उत्पादों की 1400 करोड़ रु० अधिक कीमत होगी। बहुत सारी वस्तुयें पेट्रोलियम से बनती हैं। ऐसी तमाम वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और यह लोगों की आर्थिक क्षमता पर एक भारी कुठाराघात होगा। इस 1131 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर भार में से आप अमीर लोगों को अप्रत्यक्ष करों में 584 करोड़ रुपये की रियायत दे रहे हैं। अत: जबकि अमीरों को फायदा होगा वहां आम लोगों को ज्यादा कर भार वहन करना पड़ेगा।

पहले ही रुपये का मूल्य कम हो गया है और लोग इस वजह से परेशानी उठा रहे हैं। इसके अलावा जब उन पर बहुत अधिक कर भार डाला जायेगा तो वे अपने आपको अत्यन्त दयनीय स्थिति में पायेंगे।

जनवरी से दिसम्बर, 1984 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक 320 से बढ़कर 327 हो गया। उसी अवधि के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 559 से बढ़कर 588 हो गया। विशेष बात यह है कि 360 वस्तुओं में से जो थोक मूल्य सूचकांक के लिए हिसाब में ली जाती हैं केवल 40 कृषि वस्तुओं के मूल्य में कुछ कमी हुई है। अन्य 206 वस्तुओं के मामले में मूल्य बढ़ गए हैं। इनमें से 87 वस्तुओं का उत्पादन एकाधिकारवादियों द्वारा किया जाता है। यह स्थिति है। एक प्रतिशत लोगों के फायदे के लिए 99 प्रतिशत लोगों से धन हथियाने की पुरानी नीति अब तक चल रही है। सरकार का यह दर्शन-शास्त्र तथा नीति है और यह इस बजट से इसकी पुष्टि होती है।

आप एकाधिकार वाले घरानों तथा उद्योगपतियों को रियायतें दे रहे हैं। वे बहुत खुश तथा

उल्लसित हैं। स्टाक बाजार में प्रसन्नता हो रही है, काले धन को खत्म करने के अभियान के बावजूद हर जगह काला धन्धा करने वाले मौजूद हैं। अगर आप पिछले 37 वर्षों की तरफ देखें तो आजादी से लेकर अब तक इतनी अधिक रियायतें कभी भी हमारे देश का शोषण करने वालों को नहीं दी गई। वित्त मन्त्री ने 200 करोड़ रुपये की छूट 40 लाख कर दाताओं को दी है। अत: 35 करोड़ वेतन भोगियों में से 34.6 करोड़ वेतनभोगियों को इसका कोई लाभ नहीं पहुंचा है। 40 लाख लोगों को छूट देने के कारण जो 200 करोड़ रु० का बोझ सरकार पर पड़ा है वह बाकी लोगों से वसूल किया जाएगा।

अब मैं कम्पनियों को दी जाने वाली छूटों के प्रश्न पर आता हूं। सरकार कहती है कि आयकर पर अधिभार से छूट दी गई। मैं पूछता हूं कि कितने लोग हैं जिनको इसका फायदा होगा। इस प्रत्यक्ष कर में कटौती से कुछ लोगों का बोझ उनके कन्धों से उतर कर ज्यादा लोगों के कन्धों पर पड़ जाएगा। यह होने जा रहा है।

सरकार ने 35 वस्तुओं जैसे बीड़ी, वनस्पति उत्पादों, साबुन, सूती तथा उनी कपड़ों, कागज, प्लास्टिक, वातित पेय जल, सीमेंट, ग्लास शीशा, स्टील उत्पादों, पान मसाला, जूते आदि पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है। इन सब वस्तुओं पर कर के बड़े मसाले की परत चढ़ाई गई है।

सभापति महोदय : आप लगभग 23 मिनट बोल चुके हैं। दूसरे सदस्य, श्री अमलदत्त भी पूरे समय तक बोलना चाहेंगे। अब, आप पर निर्भर करता है कि किस प्रकार अपने समय का समंजन करें।

श्री हन्नान मोल्लाह : इस तरह से आप 259 करोड़ रुपये धन कर, सम्पदा शुल्क तथा इस प्रकार के अन्य करों से लोगों को रियायत दे रहे हैं। अत: यह आपकी नीति में बोझ का स्थानांतरण मात्र है।

एम० आर० टी० पी० के घराने खुशी मना रहे हैं क्योंकि उनकी छूट सीमा पांच गुना बढ़ा दी गई है। इसके फलस्वरूप 49 बड़े औद्योगिक घराने इस रेखा को पार करके फायदा मिलने का इन्तजार कर रहे हैं। आपने उन लोगों को अन्य लाभ भी दिए हैं। एम० आर० टी० पी० वाली गैर-फेरा कम्पनियों को दिए गए अप्राप्त ऋण-पत्रों (डिबेंचर) पर दिए अधिकतम ब्याज दर सीमा भी आपने बढ़ा दी है। इन सब के अतिरिक्त आपने उनको और बहुत से लाभ पहुंचाए हैं।

जब आप इतनी अधिक रियायतें बड़े घरानों को दे रहे हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे जैसा आप चाहेंगे वैसा वह बदले में आपको दे देंगे। और बजट में ही आपने वायदा किया है कि आप उनको राजनीतिक दलों को धन देने की मंजूरी दे देंगे, और वह किसको धन देंगे यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है। अत: आप उनको देश को लूटने की स्वीकृति दे देंगे और उस लूट में से लुटेरों के साथ अपने दल के हित के लिए हिस्सा बांट लेंगे ताकि मत खरीद सकें और लोगों को बेवकूफ बना सकें।

अब सरकारी ऋणों का प्रश्न लीजिए। आपका बजट क्या दे रहा है? इससे सरकारी ऋण बढ़ कर 87,062 करोड़ रुपये हो जाएगा जिसके फलस्वरूप देश के प्रत्येक व्यक्ति पर 1243 रुपये का कर्ज हो जावेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं। आप उनको कर्ज से लादते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी सरकार ने कर्ज में जन्म लिया, कर्ज में रहेगी तथा निश्चित ही कर्ज में समाप्त हो जाएगी। यह स्थिति है जिसकी तरफ आप देश को ले जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सारा देश अपनी मौत से बचने के लिए आपकी मौत को जल्दी लाने अर्थात इस सरकार को समाप्त करने के लिए कोशिश करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई० एम० एफ०) कर्ज को आगामी वर्ष से वापिस करना शुरू करेंगे तो क्या होगा।

3.00 प० प०

इसके बाद मैं भुगतान शेष के प्रश्न को लेना चाहता हूं। इसमें क्या हो रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण ने भुगतान शेष पर दबाव का जिक्र किया है और 1984-85 के पहले आठ माह का अनुमानित व्यापार घाटा गत वर्ष के 3080 करोड़ रुपये की अपेक्षा 3017 करोड़ रुपये है। यह एक साधारण सी बढ़ोत्तरी है। कैसे? यह अच्छी फसल की वजह से है। इसमें हमारे देश के कृषकों तथा अच्छे मानसून की वजह से आपको सहायता मिली है। आप कृषि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने से इन्कार करते हैं। इन सब बातों ने इस वर्ष आपकी मदद की है। दूसरे, कच्चे तेल का आयात चालू वर्ष के दौरान कम था। पिछले वर्ष हमने इन दो वस्तुओं पर कम खर्च किया था। इस सबके बावजूद निर्यात आय में बढ़ोत्तरी अधिक नहीं है। वास्तव में आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि धन के मूल्य के सन्दर्भ में निर्यात में वृद्धि हुई है। लेकिन बहुत सी वस्तुओं जैसे काफी, काजू, चावल, इलायची, खली, लौह अयस्क, जूट, इंजीनियरी सामान, चमड़े की वस्तुयें यहां तक कि कच्चा तेल भी तथा इन सब वस्तुओं की मात्रा कम होती जा रही है।

धनराशि मूल के सन्दर्भ में आपका निर्यात बढ़ रहा है। लेकिन मात्रा के सन्दर्भ में आप कम निर्यात कर रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था है जिसकी तरफ आप देश को ले जा रहे हैं।

इन्जीनियरी सामान का निर्यात सर्वाधिक कम हुआ है। आप देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं और इन्जीनियरी सामान में आपका निर्यात घट रहा है। गत वर्ष स्थिति बहुत अधिक खराब थी। (व्यवधान)

श्री तिवारी, मैं नहीं जानता कि क्या होगा। चुनावों में केवल धांधलेबाजी सहायक नहीं होगी, या चुनाव में हारने के बाद विधायक को विजयी घोषित करना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का (आई० एम० एफ०) कर्ज लिया है। उसको वापस करने के लिए आप दूसरा कर्ज लेंगे। यह कठिन स्थिति चल रही है। जब आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज वापस करना शुरू करेंगे तो तनाव और बढ़ जाएगा। इसके साथ व्यापार घाटा बढ़ जाएगा तथा भुगतान शेष की स्थिति अच्छी नहीं होगी।

इसके बाद मैं ओवरड्राफ्ट तथा कर्ज लेने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आपने केन्द्रीय सहायता तथा राज्यों के लिए कर्ज बढ़ा दिए हैं । लेकिन लगातार आप राज्यों की परिधि से कुछ वस्तुयें बाहर करते जा रहे हैं । इसलिए राज्य सरकारें उन पर कर नहीं लगा सकती जिसके कारण उनका हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है । मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्य ने इसको स्पष्ट किया था । अतः इस पर मैं नहीं जा रहा हूं ।

दूसरा प्रश्न यह है कि आप राज्य सरकारों से अनुशासन में रहने के लिए कहते हैं। 'अनुशासन' का क्या मतलब है ? सारी राज्य सरकारों का कुल कितना ओवरड्राफ्ट था ? यह 2000 करोड़ रुपये के आसपास था और आपका घाटा पहले ही 3900 करोड़ रुपये है, अर्थात् लगभग 4000 करोड़ रुपये । अतः क्या आप ऐसा अनुशासन राज्यों को सिखाना चाहते हैं ? राज्य सरकारें ओवरड्राफ्ट लेती हैं—ये किसी का धन नहीं है—वे 13 प्रतिशत ब्याज देती हैं, और आप अपनी घाटे की अर्थव्यवस्था पर बैंक को केवल 5 प्रतिशत ब्याज देते हैं । इसके बाद भी आप राज्यों को अनुशासन में रहने के लिए कह रहे हैं ।

[हिन्दी]

"भूत के मुंह में राम का नाम जैसा ।"

[अनुवाद]

अगर अन्तर्राज्यीय माल प्रेषण अंतरण नीति को क्रियान्वित किया गया होता तो उससे राज्यों को कुछ लाभ मिलता । सभी मुख्य मन्त्री इससे सहमत हैं लेकिन फिर भी आप इसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। इस विषय में अभी तक आप संसद में कोई विधान नहीं लाये हैं। जब तक संसद इस बारे में कोई विधेयक पारित नहीं करती, अंतर-राज्य माल-प्रेषण अंतरण नीति को लागू नहीं किया जा सकता । राज्यों को वंचित किया जा रहा है ।

अब मैं भाड़े की समानीकरण के प्रश्न पर आता हूं । आपके पूर्ववर्ती ने वायदा किया था कि इसको चरणों में समाप्त कर दिया जाएगा । लेकिन बजट में इस बारे में कुछ भी संकेत नहीं है । केवल राष्ट्रीय परिवहन नीति पर चर्चा के दौरान, यह बताया गया कि वे इस्पात और सीमेंट के बारे में इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं । कोयले के बारे में क्या नीति है ? पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों की अर्थव्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जाते रहे हैं । मैं नहीं जानता कि इसकी प्रेरणा वहां से या इससे उन्हें क्या लाभ मिलता है । (व्यवधान)

यह पूर्वी क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र के प्रति भेदभाव की नीति है राज्यों की ये समस्यायें हैं । आठवें वित्त आयोग ने कुछ बातों की, सिफारिश की थी, लेकिन आपने इन सुविधाओं को हमें नहीं दिया ।

अब मैं राज्य योजना के प्रश्न पर बोलूंगा। अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वे अगले माह से योजना आरम्भ करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी राज्य ने इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि गत वर्ष के योजना व्यय से पश्चिम बंगाल सरकार को एक पैसा भी नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री का योजना आयोग के उपाध्यक्ष को लिखा गया यह 8 जुलाई, 1984 का पत्र मेरे पास है। एक अन्य पत्र भी पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा केन्द्रीय वित्त मन्त्री को 26 जुलाई, 1984 को लिखा गया था। एक और पत्र 14 अगस्त, 1984 को केन्द्रीय योजना मन्त्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी को लिखा गया था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : शांत, शांत। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : इसके बाद पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री ने केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को टैलेक्स-संदेश भेजा। केवल कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन आपने अगले वर्ष की योजना के लिए एक पैसा भी नहीं दिया है। क्या यह राजनैतिक कारणों से राज्य की अर्थव्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट करने की चाल नहीं है? मैं नहीं जानता कि इस प्रकार के व्यवहार का क्या अर्थ होता है।

श्रीमन्, मैं औद्योगिक रुग्णता के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। रुग्णता का कारण क्या है? उदाहरण के लिए जूट उद्योग आपकी गलत नीतियों के कारण, संकटग्रस्त हो गया है। आप जूट उद्योगपतियों को इस उद्योग से पूंजी निकाल कर अन्य क्षेत्रों में लगाने की अनुमति दे रहे हैं। वे मौजूदा मशीनरी का आधुनिकीकरण नहीं कर रहे हैं। वे उद्योग के प्रति सही ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप यह उद्योग रुग्ण होता जा रहा है। मैं कपड़ा उद्योग के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। 1938 से 1948 तक कपड़ा-उद्योग में मात्र 50 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी। लेकिन उस अवधि के दौरान उद्योगपतियों की आमदनी 300 करोड़ रु० से भी अधिक थी। यह 372 करोड़ रुपये थी। मात्र 50 करोड़ रु० की पूंजी लगाकर वे 300 करोड़ रु० का मुनाफा कमा रहे थे। जो लोग इस उद्योग का प्रबन्ध सम्हाले हुए हैं, वे इस क्षेत्र से पूंजी हटा कर दूसरे क्षेत्रों में लगा रहे हैं। प्रबन्धकों और उद्योगपतियों के इस प्रकार के रवैये के कारण यह उद्योग रुग्ण होता जा रहा है। अब आपने एक आयोग बनाने का फैसला किया है। अगर कोई एकक रुग्ण हो जाता है तो आप उसे व्यापार के लिए ऋण नहीं देते हैं। यह ठीक है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप उन निदेशकों की आस्तियों से क्यों नहीं वसूल करते जोकि इस एकक को रुग्ण एकक बनाने के लिए जिम्मेवार है और जिन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पैसा बनाया? आप उनकी सम्पत्तियों को जब्त क्यों नहीं करते हैं? आप इस स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं।

(व्यवधान)

अब मैं समाज के कुछ वर्ग के लोगों को राहत दिये जाने के प्रश्न पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। बोनस सीमा को बढ़ाकर 1650 रु० कर दिया गया है। जो कर्मचारी इसकी सीमा में आते हैं उनकी वार्षिक आय 19-000 रु० से अधिक है और अगर बोनस जोड़ दिया जाये तो यह 20,000 रु० से अधिक बैठता है। वे आयकर देने वालों की सीमा में आ जायेंगे और उन्हें कर देना पड़ेगा। इस प्रकार वे एक तरफ कुछ दे रहे हैं तो दूसरे तरीके से इसे वापस भी ले रहे हैं।

वे इस वर्ष से अनिवार्य जमा योजना को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। यह उन्हीं की देन है। वे इसे समाप्त करने पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? यह हमारी देन नहीं है। वे अब इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने इसे समाप्त कर दिया है।

पहले वे इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि आम आदमी के लिए वे कई एक अच्छी बातें करेंगे। लेकिन वे सभी आम आदमी तक नहीं पहुंच पाई हैं। उन्होंने कुछ राज्यों में खेतिहर मजदूरों के लिए मजूरी निर्धारित की है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह मजूरी किसी को नहीं मिल रही है। जहां तक फसल बीमा योजना का सम्बन्ध है, हम नहीं जानते कि इसका लाभ किसे मिलेगा। सभी अन्य योजनाओं की तरह, इसका लाभ भी थोड़े से लोगों के वर्ग को मिलेगा—अमीर लोग—कुलाकों और ऐसे ही अन्य व्यक्ति। छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उनको स्पष्ट करना चाहिए कि इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। प्रीमियम देने में कौन समर्थ है? ये वही लोग हैं जिनके पास फालतू धनराशि है। छोटे किसानों के पास फालतू पैसा ही नहीं है।

वे खेतिहर मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करते हैं। कांग्रेस द्वारा शासित कई एक राज्यों में, उन मजदूरों को मात्र 3, 4 अथवा 5 रुपये तक मिलते हैं। वे प्रिमियम की राशि कैसे अदा करेंगे? उसकी अदायगी का प्रश्न ही कहां उठता है?

उन्हें हमें बताना चाहिए कि फसल बीमा योजना को कैसे क्रियान्वित किया जायेगा और किस प्रकार ग्रामीण जनता को उसका लाभ पहुंचेगा। जाति-दंगों के नाम पर जमीदारों द्वारा हजारों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की हत्या की जा रही है। वास्तव में यह भूमि के लिए लड़ाई है, जमीदार खेतीहर मजदूरों को मार डालता है। यह जाति की लड़ाई नहीं है। स्थिति क्या होगी? अगर इन लोगों की जमींदारों द्वारा हत्या कर दी जाती है तो उन्हें हत्या को स्वीकार कर उसको सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत क्षतिपूर्ति करनी होगी। यह सब बातें स्पष्ट की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट द्वारा उद्योगों को और रियायतें दी गई हैं। उन्होंने पहले ही कई रियायतें दी हैं और आगे भी अहिस्ता-अहिस्ता और रियायतें देने का वादा

किया है। आयात-निर्यात और अन्य मामलों में भी वे अधिक राजसहायता दे रहे हैं । उसके साथ ही, आम लोगों के लिए वे कह रहे हैं कि अगर मानसून अच्छा होगा तो सब कुछ बेहतर हो जायेगा । मगर यह बेहतर नहीं होगा तो क्या होगा ? तब वे कहेंगे कि अधिक कर लगाये जायेंगे और उन्हें न किसी तरह अन्य स्रोतों को जुटाना होगा । इस प्रकार बजट में अमीर लोगों को अधिक रियायतें दी गई हैं और इस देश के 99 प्रतिशत आम लोगों पर अधिक भार डाला गया है। आपके बजट में इसी पर अधिक जोर दिया गया है। यह जन-विरोधी बजट है। यह आम लोगों के विरुद्ध बजट है। यह एकाधिकारियों और निहित स्वार्थों वालों का बजट है। यह सट्टेबाजों का भी बजट है। इस बजट से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसके विपरीत इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और आम लोगों का जीवन दूभर हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समग्र रूप से विरोध करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : सभापति महोदय, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझे लोक-सभा में प्रथम बार आने का अवसर हुआ है। मैं लायब्रेरी में गया हूं और जितनी भी अब तक बजट पर स्पीचेज हुई हैं, उनको मैंने पढ़ने का प्रयास किया है । मैंने देखा है कि विरोधी पक्ष की जितनी भी स्पीचेज आज तक हुई हैं; उन्होंने सरकार की हर नीति को, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमेशा ही क्रिटिसाइज किया है । उसी तरह से यदि इस बार भी विरोधी पक्ष क्रिटिसाइज करते है तो उसमें कोई नई बात नहीं है ।

अभी हमारे पूर्व वक्ता सी० पी० (एम०) के सम्मानीय सदस्य ने हम पर और हमारी सरकार पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाए हैं कि सरकार ने जो बजट बनाया है वह विदेशी शक्तियों से प्रभावित होकर बनाया है । बोलने को तो कुछ भी बोल दें, परन्तु हम भी उसका जवाब देते हैं कि भाई साहब, आप भी यहां बैठे जरूर हैं, परन्तु आपने** तो आपको कैसा लगेगा ?

जिस बात में कोई तथ्य नहीं, उसे करने का मतलब क्या ? करिए किन्तु, मुद्दे से करिए। यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है जिस पर सदन का काफी समय लगता है। सिर्फ आलोचना खाली क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, अनर्गल आरोप से कुछ नहीं होगा । आप हमें सुझाव दीजिए कि यहां पर त्रुटि है, ऐसा करने से ठीक होगा । आप सुझाव एक भी नहीं दे पाए । क्योंकि कोई गलती नहीं है, आप सुझाव क्या देंगे ? मैं तो कहूंगा कि इतना अच्छा बजट आज तक नहीं आया, इस बार का बजट बहुत अच्छा है ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

3.17 म० प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं)

विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि इसमें पूंजीपतियों का सरकार ने साथ दिया है, मतलब कि इनकम टैक्स के स्लैब में रिएक्शन से पूंजीपतियों का साथ हो गया।

आप इसके पीछे की भावना देखिये, माननीय वित्त मन्त्री जी ने बजट में यह रेट क्यों घटाया है। आप एक सांस में कहते हैं कि एक घण्टे में कई करोड़ की दौलत मनी जैनरेट होती है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि टैक्स में रिडक्शन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे सरकार की भावना यह है कि प्रख्यात अर्थ शास्त्री कहते हैं कि आपका रेट आफ टैक्सेशन बहुत ऊंचा है जिससे जनता और पैसे वाले अपना पैसा सुरक्षित के लिए ब्लैक मनी जैनरेट करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह तो एक तरह से इंसेंटिव की गई है, रेट में थोड़ा-सा रिडक्शन दिया है जिससे उनका ब्लैक मनी जैनरेट करने का इंटरेस्ट खत्म हो जाये। परन्तु यह भी आप कह सकते हैं कि जिनको आदत लगी है, वह तो ब्लैक मनी जैनरेट करेंगे ही। मैं सरकार से और माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि उन्होंने बहुत सुन्दर कदम उठाया है और उन्होंने पैसे वालों को, पूंजीपतियों को एक अवसर दे दिया है, कि आपका टैक्स कम कर दिया है अब ब्लैक मनी जैनरेट करने की यहां गुंजाइस नहीं है।

उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान किया गया है, और राज्य सरकारों से पूछा जायेगा। मेरा कहना है कि स्पेशल कोर्ट्स का मामला आप राज्य सरकारों पर मत छोड़िए। आपके पास साधन है, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके माध्यम से और ज्यादा ट्रिब्यूनल्स बनायें और जो इकनामिक आफैंसेज होते हैं, उनके माध्यम से उन्हें डील दिया जाये। जो लोग ब्लैक मनी जैनरेट करें और जो पकड़े जायें उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिससे कोई भी स्कोप ब्लैक मनी जैनरेट करने का न रहे।

हमारी नई सरकार ने जो भी नीति बनाई है मैं अपने विरोधी पक्ष के सभी नेताओं को कहना चाहता हूं।

हमारी सरकार जो कहती है, जनता के साथ जो वायदा करती है, उनको पूरा करती है। इस बात को आपने देखा ही है कि अभी तक के थोड़े से समय का कार्यक्रम था, वह पूरा किया गया है।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय से खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान है, उसको राज्य सरकारों पर मत छोड़िए, समय उसमें बरबाद न करें। केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह स्वयं कोर्ट्स बनाये, मामलों का निपटारा करे, अप-

राशियों को सजा दे। इसको राज्य सरकारों पर बिल्कुल मत छोड़िए क्योंकि 2-3 राज्य सरकारें विरोधी पक्ष के पास हैं और वे इस बात पर तुली हैं कि आपकी नीति किस प्रकार असफल हो। आपको उनसे सहयोग नहीं मिलेगा। जो महत्त्वपूर्ण स्कीमें हैं, उसे सक्सेसफुल करने की दिशा में हमें काम करना चाहिए।

(व्यवधान)

आप बजट पढ़िए, फिर कहिए। उसमें जो कोर्ट्स के बारे में कहा गया है, उसको पढ़िए।

एक बहुत बड़ा आरोप विरोधी पक्ष ने लगाया है कि पैट्रोल और क्रूड आयल के ऊपर ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा दी गई है। आप जानते ही हैं कि मोटर गाड़ी कौन लोग चलाते हैं? अमीर लोग ही चलाते हैं, इसलिए उस पर ड्यूटी लगेगी ही।

महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कैरोसीन जो कि निर्धन लोगों के काम में आने की चीज है, उसके भाव नहीं बढ़ने चाहिए। कैरोसीन पर जो ड्यूटी लगाई गई है, वह कम करें। साथ ही कुकिंग गैस, जिसको मिडिल क्लास फैमिली इस्तेमाल करती है, उसके भाव न बढ़ायें। अगर इन दोनों पर ड्यूटी बढ़ा दी तो विरोधी पक्ष को बोलने का मुद्दा मिल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्त्वपूर्ण बात है, जिसका हमें दर्द है, असेंशल कमोडिटिज हैं, जिसमें तेल वगैरह है। हमारे देखने में आया है कि जब इनके भावों में फ्लक्चुएशन बहुत होता है। कि जब यह फ्लक्चुएशन बढ़ा होता है, जब मार्किट में चीजें आती हैं, माल आता है तो भाव घट जाते हैं और वह माल गोदामों में चला जाता है। उसके बाद जब खरीदार खरीदने के लिए जाता है तो बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। इसलिए जो आवश्यक वस्तुओं की प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, वह मार्केट में रोकना होगा। सरकार को इस दिशा में बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

एडीबल आयल की प्राइस लीजिए, 10 रुपये हो जाती है, 15 रुपये हो जाती है, 18 रुपये हो जाती है। जब 10 रुपये होती है तो किसान का माल सस्ते में लुट जाता है बाद में कंजूमर को ऊंचे से ऊंचे भाव देने पड़ते हैं। यह हमारा बहुत बड़ा दर्द है, इस पर ध्यान देना होगा। इसके लिए चाहें बफर स्टाक करें, लेकिन असेंशल कमोडिटिज के भाव में कमी लायें।

अध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ा और क्रांतिकारी काम जो किया गया है, उसके बारे में अब कहूंगा। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट 20 लाख से 35 लाख करोड़ है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए कि स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसके बढ़ने से रोजगार ज्यादा उपलब्ध होगा। उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। परन्तु अफसोस है कि अभी जो इंसैंटिव दिए जाते हैं, हमने उसमें यह देखा है कि जो बड़े-बड़े उद्योग हैं

उनको और छोटे उद्योगों के उनके इंसैंटिव बराबर हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को एक्सट्रा इंसैंटिव नहीं दिया जाता है । हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हों, गांवों का विकास हो, नई इंडस्ट्रीज खुलें, इसके लिए आवश्यक है कि आप स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा सुविधा दें। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को भी कुछ इस तरह के इंसेन्टिव्ज दें जिससे कि उनका क्षेत्र बढ़े, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारे यहां हों और ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को उपलब्ध हों ।

एक तरह से मैं यह कहूंगा कि जब से आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन के प्रयासों से हमारे बाम्बे हाई के समुद्र में से गैस निकली है तभी से हमारा भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है । आज तो हम यह विचार भी कर सकते हैं कि निकट भविष्य में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में हमारा देश आत्म-निर्भर हो जाएगा । लेकिन महाराष्ट्र के समुद्र में से यह गैस निकली हुई है, उस पर बेस्ड फर्टिलाइजर के बड़े-बड़े कारखाने पूरे देश के अन्दर—दस आप लगाएंगे, वहां से गैस पाइप से पूरे देश के अन्दर जायेगी, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, और सभी तरफ देश के हर कोने में फर्टिलाइजर प्लांट आप खोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चार खोल रहे हैं, राजस्थान में खोल रहे हैं, इसी तरह से दस बड़े-बड़े प्लांट खोल रहे हैं लेकिन हमारे महाराष्ट्र में केवल एक दे रहे हैं । महाराष्ट्र के समुद्र में से गैस निकली है । यहां से पाइप लाइन आप लगाएंगे, दुनियां भर का इतना खर्चा पाइप लाइन के ऊपर करेंगे, सब तरफ उसको भेज रहे हैं । हमारी विदर्भ की जनता की मांग थी कि कम से कम हमको एक गैस बैसड फर्टिलाइजर बेस्ड पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स विदर्भ में दीजिए । विदर्भ के आठ जिले हैं । हम भी भारत के नागरिक हैं । 1977 में जब पहली बार तेल निकला था और जब काम शुरू हुआ तब हम गए, समने बातचीत की, तब से हमारी आवाज उठ रही है, मगर हमारी आवाज की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया । क्या आप हमारी विदर्भ की जनता को एक पेट्रो केमिकल कोम्पलेक्स नहीं दे सकते ? इस पर आप गम्भीरता से विचार करिए । हमको माननीय मंत्री महोदय बता देते हैं कि टेकनीकल रीजन्स होते हैं, टेकनीकल ग्राउण्डस पर विदर्भ में नहीं देते हैं । तो ऐसा कौनसा टेकनीकल रीजन है ? विदर्भ की भूमि क्या ऊपर है या नीचे है या समतल नहीं है ? क्या कारण है कि ऐसा कौन-सा टेकनीकल रीजन हो सकता है जिसके कारण यू० पी० में आप चार दे सकते हैं और महाराष्ट्र में आप केवल एक देकर छोड़ देते हैं ? महाराष्ट्र में दो नहीं दे सकते ? इस पर भी आप विचार करें और इस पर ध्यान दे कर कम से कम एक आप विदर्भ को दें ।

पहले बड़े जोरों से हम अखबारों में पढ़ते थे, हमने विधान सभा में भी चर्चा की कि जो सेल्स टैक्स है और आक्ट्राय है वह केन्द्र सरकार पूरी तरह से एबालिश करना चाहती है । परन्तु इस दिशा में आजकल कुछ नहीं सुनाई देता । हमें अखबारों से मालूम पड़ा कि कुछ प्रान्तों के मुख्य मंत्री इसका बहुत विरोध कर रहे हैं । तो हम तो यह कहेंगे कि जो जनता के हित में है वह आपको करना चाहिए और सेल्स टैक्स और आक्ट्राय आपको समाप्त करना चाहिए । सेल्स टैक्स हटाएंगे और

आक्ट्राय हटायेंगे तो स्पीडी मूवमेंट होगा और जनता तकलीफ से बचेगी। इसके लिए केन्द्र सरकार का दिया हुआ वचन है। उसका पालन करना आपका कर्त्तव्य है। किसी भी मुख्य मन्त्री को कम ज्यादा पैसे लेने के मामले में कुछ एतराज हो तो आप उनसे चर्चा करके इसका जल्दी निपटारा कीजिए और इस पर अवश्य निर्णय लीजिए जिससे जनता को जो तकलीफें सेल्स टैक्स और आक्ट्राय की वजह से होती हैं, स्पीडी मूवमेंट नहीं हो पाता वह बन्द हो जाय। यह आप निश्चत रूप से कर देंगे तो कई प्रान्त, देश और कारखाने तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

आखिर में, मैं कहूंगा कि आजकल झोपड़ पट्टी में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाम्बे की आधी से ज्यादा जनसंख्या झोपड़ पट्टी में रहती है। इसी तरह से पूना है, नागपुर है, उनकी भी जनता जो झोपड़ पट्टी में रहती है उनकी हालत बहुत खराब है। उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए जो स्लम इम्प्रूवमेंट की आपकी स्कीम है 20 प्वाईंट प्रोग्राम में उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए जितना पैसा आपने दिया है उससे कहीं ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। हाउसिंग की बहुत बड़ी प्राबलम है, सैनिटेशन की प्राबलम है। जितना पैसे दिया गया है वह अति अल्प है। उसको आप बढ़ायें, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं पुनः वित्त मन्त्री जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए है उन पर विचार करके वह कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। मैं सभापति महोदय को भी जो उन्होंने समय दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : माननीय महोदया, इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं।

मैं वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये इस बेहतरीन बजट का समर्थन करता हूं। 1985 का वर्ष युवाओं का वर्ष है, और यह सही ही है कि हमारे प्रधानमंत्री के रूप में हमें युवा नेतृत्व मिला है, जिन्हें लोगों का भारी जनादेश प्राप्त हुआ है और इसके एवज में उन्होंने करों में राहत, दूरदर्शी और विकासोन्मुख बजट प्रदान किया है। इस बजट के पीछे एक और चिंतन यह है कि पहली बार देश के वित्तीय प्रबन्ध में ईमानदारी से प्रयत्न किया गया है।

सभापति महोदया, कुछ आलोचकों ने कहा है कि, बजट दक्षिणपंथी है या ये केवल कुछ लोगों के लिए है या ये मध्यवर्ग के लिए है। अगर हम इस बजट का विश्लेषण करें तो हम पायेंगे कि इसमें आयकर दाताओं छोटे और बड़े उद्योगपतियों को रियायत दी गई है और कई एक गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रम भी हैं। इसलिए, मैं कहता हूं कि यह बजट सबके लिए है न कि किसी वर्ग विशेष के लिए।

महोदया, इस देश ने काफी प्रगति की है। छठी पंचवर्षीय योजना में विकास दर 5.2 प्रतिशत थी जबकि 1980 के आरम्भ में बहुत से विकसित देशों को काफी मंदी का सामना करना

पड़ा। इसलिए यह सही है कि इन्हें इकट्ठा किया जाए, न कि फैलाया जाए और फिर सम्हाल न सकें। हमारे वित्त मंत्री ने इस बजट में अर्थव्यवस्था को संघठित करने का सही ही प्रयत्न किया है।

कृषि के क्षेत्र पर अधिक जोर दिये जाने की आवश्यकता है। हमारे मित्रों ने कहा है कि घाटे की अर्थव्यवस्था से कीमतों में वृद्धि होगी। कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कृषि महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। अभी भी हमारे देश में ऐसी बहुत सी भूमि है जिसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। सातवीं योजना के नीति-पत्र में योजना आयोग ने बताया है कि 17 हजार मिलियन हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है।

सामान्यतः पूरे भारत में इसके लिए भारी क्षमता विद्यमान है। अगर आप विशेषकर गंगा के मैदान और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई, खाद तथा अन्य कृषि सम्बन्धी सामग्री की व्यवस्था करें तो अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हो सकती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो पुरानी सोन नहर है। उसकी तब से मरम्मत नहीं हुई है जबसे इसका निर्माण हुआ है इसकी मरम्मत करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। बढ़हिया ताल योजना पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। इसे पूरा करने पर यहां से यह देश के अधिकांश भागों में अनाज उपलब्ध हो सकता है। इस समय हम खाद्य तेल बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। हमारे देश में विशेषकर बिहार, बंगाल तथा दक्षिणी राज्यों में खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काफ़ी संभावनाएं विद्यमान हैं। सोयाबीन की खेती को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। कृषि का विकास करने का अन्य लाभ यह है कि हम कृषि उत्पादकों का निर्यात कर सकते हैं तथा विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं।

कृषि के बाद अब मैं शिक्षा पर आता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री ने पाठ्यक्रम को बदलने की घोषणा की है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर इसे रोजगार बनाना होगा। लेकिन इसके साथ ही हमें शिक्षा के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और साज-सामान को भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए मेरा सुझाव यह है परिवर्तन से पूर्व इमारतों, अध्यापकों, पाठ्यचर्या आदि की उचित व्यवस्था हो जानी चाहिए। इन सब को ध्यान में रखकर इनका विकास करना चाहिए।

इस बारे में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हाल के चुनाव के दौरान मैं अपने गावों में घूम रहा था और मैंने कुछ स्कूलों की इमारतों की दयनीय स्थिति देखी। मैंने सोचा कि आयोजकों के ध्यान में यह मामला लाना चाहिए ताकि आवश्यक कदम तुरन्त उठाए जा सकें।

शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान एक बड़ा क्षेत्र है जो बेकार जा रहा है। और जिसका अभी तक लाभ नहीं उठाया जा रहा है। मेरा जो सुझाव है वह यह है कि विश्व-विद्यालय स्तर पर अनुसंधान के लिए उचित प्रोत्साहन देना चाहिए और उसके लिए सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।

हर आदमी यह सोच रहा है कि हमारी शिक्षा को हमारी देश की आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए। उस सम्बन्ध में वैज्ञानिक सुधार ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी सुधार भी होना चाहिए। इस बारे में प्रौद्योगिकी आयात करने के लिए हमारा जो सुझाव है वह यह है कि हमें इस तरह की प्रौद्योगिकी आयात करनी चाहिये जिससे क्षमता को विद्युत उत्पादन में सहायता मिले।

विकासशील देशों में भारतीय प्रौद्योगिकी की मांग बढ़ रही हैं। हम अपनी प्रौद्योगिकी विदेशों में बेच सकते हैं। हम अपने श्रमिकों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं जो खाड़ी देशों तथा अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं। विदेशी बाजार में भी भारतीय प्रौद्योगिकी के लिए काफी सम्भावनाएं हैं क्योंकि यह प्रौद्योगिकी अंशत: आयतित और अंशत: देशी है। विकासशील देशों के लिए इस तरह की संयुक्त प्रौद्योगिकी उपयुक्त है।

अब मैं उद्योग की तरफ आता हूं। यह कहा गया है कि हमने सरकारी क्षेत्र की परवाह नहीं की है। महोदय, देश के विकास में सरकारी क्षेत्र द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका का हम महत्व कम नहीं कर सकते। इन सरकारी क्षेत्रों में अब 30 हजार करोड़ रुपये की एक बड़ी धनराशि लगी हुई है। उनमें अभी तक सुधार नहीं हो रहा है। हमें उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। हमारे कुछ इस्पात उद्योग घाटे में चल रहे हैं। दुर्गापुर और कई अन्य इस्पात सयंत्र घाटे में चल रहे हैं। एक दोस्त ने मुझसे कहा, आप जमशेदपुर को दुर्गापुर के साथ तुलना कर रहे हैं। जमशेदपुर में वही टाटा, वही मोदी, उन्हीं के प्रबन्धक कई वर्षों से काम कर रहे हैं। अन्य सयंत्र में थोड़े समय की अवधि में 8 या 9 मंत्री कई अध्यक्ष तथा अनेक प्रबन्धक बदल गये हैं। इसलिए आप इनकी कार्यक्षमता की तुलना उनके साथ नहीं कर सकते हैं। मूल तथ्य यह है कि प्रबन्धक व्यवस्था में ही दोष है। सूचना एकत्र करने में, निर्णय लेने में, क्रयादेश लेने और निम्न स्तर पर निर्णय लेने के बारे में कुछ विसंगतियां हैं। यह सही है कि हमारे प्रबन्धक बड़े उद्योग तथा बड़ी फैक्ट्री के प्रबन्ध में अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं। एक समय बोकारो इस्पात सयंत्र ने 10 लाख टन उत्पादन किया था। तब यह बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब यह 40 लाख टन का उत्पादन शुरू करने लगा तो यह ढीला हो गया। मेरी यह दलील है कि हमारे प्रबंधकों को बड़े उद्योग चलाने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित कराना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा यह है। सरकार ने इसके रुग्णता के उपचार हेतु एक बोर्ड का गठन किया है। एक ऐसा सांविधिक विनियम होना चाहिए जिसके अन्तर्गत प्रत्येक उद्योग (निजी या सरकारी क्षेत्र) अपनी रुग्णता के बारे में त्रैमासिक रिपोर्ट इस बोर्ड को भेजे ताकि सरकार उस पर तुरन्त कार्यवाही कर सके तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

बिहार जैसे राज्य में जो उद्योगों में पिछड़ा हुआ है, बहुत से उद्योगों की दशा ठीक नहीं है। फूलवाड़ी कॉटन मिल की दशा ठीक नहीं है। डालमिया ग्रुप के सभी उद्योग ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अशोक पेपर मिल्स और ठाकुर पेपर मिल्स रुग्णावस्था में है। चीनी के कुछ

चीनी मिल रुग्ण हैं। कई छोटे उद्योग रुग्ण हैं। हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हमें इन उद्योगों को उस सीमा तक रुग्ण नहीं होने देना जहां इन्हें पुनर्जीवित न किया जा सके। इसलिए इन उद्योगों की रुग्णता का शीघ्र उपचार होना चाहिए। मंत्री महोदय द्वारा बोर्ड का गठन किया जाने का स्वागत है। मेरा यह सुझाव है कि बोर्ड को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए।

जहां तक गरीबी दूर करने के उपायों का सम्बन्ध है। मेरा सुझाव है कि इनका उचित प्रबोधन होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं मेरा सुझाव यह भी है कि योजना आयोग के पास स्वतन्त्र रूप से जांच पद्धति होनी चाहिए। योजना आयोग को विभिन्न राज्यों द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत योजनाओं पर ही नजर नहीं रखनी चाहिए बल्कि उनके कार्मान्वयन और कार्यों की प्रगति पर भी निगरानी रखनी चाहिए। उसे गरीबी दूर करने सम्बन्धी विभिन्न उपायों पर भी निगरानी रखनी चाहिए और इन्हें 'योजना' या किसी समाचार पत्र या एक छोटी पत्रिका में सांवधिक तौर से प्रकाशित करना चाहिए ताकि लोगों को या सरकार को यह मालूम हो जाए कि सरकारी एजेन्सियों द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, ताकि उसे मालूम हो कि देश के सभी भागों में उसके कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मैं यहां यह प्रस्तुत करना चाहूंगा कि निगरानी के लिए स्वतन्त्र नीति होनी चाहिए ताकि वे यह देख सकें कि देश के कुछ भागों में जहां कांग्रेस सरकार का शासन नहीं है इन उपायों को अच्छी तरह कार्यान्वित किया गया है।

अब, महोदय कुछ लोगों का आरोप है कि हमारा बजट कुछ ही लोगों को अधिकतम लाभ देने के लिए बना है। लेकिन यह सही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारा बजट केनेशियन की अपेक्षा "थैचरवादी" अधिक है जब तक अर्थ-व्यवस्था का प्रबंध ठीक नहीं होगा तब तक अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं आ सकता। कुछ लोगों ने कहा है कि यह वामपंथी से दक्षिणपंथी अधिक है लेकिन चीन की तरह अधिक वामपंथी देश भी स्वतन्त्र उद्यम को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वे स्वतन्त्र उद्यम क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? लोगों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ाने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हमारे बजट का उद्देश्य यह है कि सामान्य व्यक्ति की औसत आय में वृद्धि हो और औद्योगिकीकरण की गति भी बढ़े।

दूसरी बात यह है कि बजट विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित है। हम इस विश्वास पर चल रहे हैं कि समाज के सभी अंग चाहे वे उद्योगपति हों, व्यावसायिक हों, श्रमिक हों, या किसान हों अर्थ-व्यवस्था के विकास में रचनात्मक भूमिका अदा करेंगे। मैं ऐसा क्यों कहता हूं। इसलिए कि छूट देकर सरकार बचत को प्रोत्साहन दे रही है। बड़े उद्योगों को छूट देकर मध्यम तथा लघु उद्योग को छूट देकर वह विश्वास करती है कि वे विलास वस्तुओं के उत्पादन नहीं बल्कि मूल वस्तुओं के उत्पादन में अपने बचत पूंजी लगाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूं कि यह सबसे अच्छा बजट है जिसे हाल ही में प्रस्तुत किया गया है और जिसका विभिन्न समाचार-पत्रों द्वारा विश्लेषण किया गया है। हम देखते हैं कि लोगों ने इस बजट का स्वागत किया है। लेकिन कुछ लोग यह

कहेंगे कि ये समाचार-पत्र वाले पूंजीवादियों से सम्बन्ध रखते हैं। लेकिन उस आलोचनात्मक वर्ग ने जो स्वतन्त्र है, उन्होंने भी इस बजट का स्वागत किया है।

पेट्रोलियम उत्पाद के बारे में यह आलोचना की गई है कि इसके मूल्यों में जो वृद्धि की गई है कि उससे तथा भाड़ा तथा रेल किरायों में वृद्धि से कीमतें और बढ़ेंगी। यहां मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि 1983 में पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें बढ़ी थी। लेकिन सदस्यों के सुझाव पर इसे कम कर दिया था। मैं माननीय वित्त मन्त्री से आग्रह करता हूं कि खाना पकाने वाली गैस तथा मिट्टी का तेल जिनका सामान्य लोग इस्तेमाल करते हैं की कीमतें कम करने पर विचार करें ताकि वे लोग आपकी सद्भावना के बारे में खुशी जाहिर कर सकें। महोदय कल मैं एक गली से गुजर रहा था तो मैंने मिट्टी तेल और खाना पकाने की गैस की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसके बारे में लोगों की विचारों को सुनी।

महोदय मैं समझता हूं कि इस बजट को हर प्रकार से अच्छा और सन्तुलित बजट माना जाना चाहिए। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी का विचार हमारे देश को आधुनिक बनाना है। यह बजट इस विचारधारा के अनुकूल है। अतः हम अपने देश को आधुनिक बनाना चाहते हैं। यह बजट न तो वामपंथी विचार का है और न ही दक्षिणपंथी विचारधारा का। यह बजट हमारे देश को आधुनिक बनाने के लिए है। हमारा देश हमारी अर्थव्यवस्था में स्थिरता और मजबूती के साथ 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहा है।

[हिन्दी]

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : सभापति महोदय, विपक्ष की तरफ से बार-बार यह चर्चा की जा रही है कि यह बजट पूंजीपतियों की तरफ ज्यादा कन्सेशन देने वाला है। मैं समझती हूं—जब हमने अपने संविधान में समाजवाद को संविधान के उद्देश्यों में शामिल कर लिया है तो देश की आर्थिक व्यवस्था में हमें समाजवाद के लिए थोड़ा आगे बढ़ना है। कोई भी सरकार इस देश में हो, किसी भी पार्टी की सरकार इस देश में हो, संविधान के फ्रेमवर्क के अन्दर और संविधान में जो यह कहा है कि समाजवाद की तरफ इस देश को चलाना है, उसी लक्ष्य को सामने रख कर सरकार को काम करना है। पं० जवाहर लाल नेहरू, जिन्होंने समाजवाद की बुनियाद इस देश में डाली, के वक्त में हमने अपनी योजनाओं को शुरू किया और मिक्स्ड एकोनामी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के द्वारा देश के उत्पादन को बढ़ाने और देश की प्रगति और आर्थिक विकास की ओर कदम बढ़ाने की बात की। मिक्स्ड एकोनामी के अन्दर प्राइवेट इंडस्ट्रीज और जो पब्लिक सैक्टर है, इन दोनों के लिए स्थान है। यह देखना है कि प्रत्येक वर्ष और हर प्लान में कितनी पूंजी हम पब्लिक सेक्टर की ओर डालते हैं, जिससे बुनियादी तौर पर विकास की प्रगति हो और कितना प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया जाता है। पिछले 35 वर्षों के अनुभव के बाद आज भी हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं और दुनियां के वे देश भी जो कि पूरी तरह स्टेट एन्टरप्राइज पर विश्वास करते थे और केवल कन्ट्रोल्ड एकोनामी पर ही चल रहे थे, उन्होंने भी आज हम जानते हैं कि कुछ मामलों

में ढील देने की बात सोची है और व्यक्तिगत तरीके से आगे कुछ आजादी देने की बात सोची है जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो सके। हमारे सामने जापान का उदाहरण है। हमें यह देखना है कि इस बजट में जो रियायतें प्राइवेट उद्योगपतियों को दी गई हैं, वे किस तरह से व्यवहार करते हैं, वे किस तरह से काम करते हैं जिससे कि उसका फायदा आम जनता को मिल सके। मैं यह जानती हूं कि कैपीटेलिस्ट एकोनामी में पहली चीज यह आती है कि प्रोफिट की ओर देखते हैं और बाद में और चीज आती है जबकि सरकारी व्यवस्था में, पब्लिक सेक्टर में सामाजिक दृष्टिकोण होगा और वह समाज के फायदे की बात सोचेगा लेकिन आज हम जब मिश्रत आर्थिक-व्यवस्था के अन्दर चल रहे हैं, तो हमें दोनों के संयोग और समन्वय से अपनी प्रगति को आगे बढ़ाना है। यह धारणा इस बजट में पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। इस बजट में कहा भी गया है और वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट कहा है कि जो राष्ट्र का इंट्रेस्ट है, उसको देखते हुए एक हद तक हम जो व्यक्तिगत क्षेत्र में उद्योगपति हैं, जो उत्पादन के कार्य में लगे हुए लोग हैं, उनको रियायतें दे सकते हैं या सहूलियतें दे सकते हैं। आज हमें अपने दृष्टिकोण को इस रूप में बदलना पड़ेगा या इस रूप में सोचना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर किस तरह से मिल कर इस देश के अनएम्पलायमेंट को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। सरकार के सामने और देश के सामने इस बढ़ी हुई आबादी को देखते हुए, इतनी बड़ी संख्या में जो अनएम्पलायमेंट है, उसको दूर करने का सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल है। उस दिशा में इस मौजूदा बजट में कदम उठाए गए हैं और मैं समझती हूं कि अगर उत्पादन को बढ़ाया जाता है और नए उद्योग खुलते हैं, तो उससे अनएम्पलायमेंट काफी हद तक दूर हो सकता है। नए उद्योग के खोलने के लिए सहूलियतें दी गई हैं और जो नए उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस लिये जाते थे और जिनमें वर्षों चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वैसी बात नहीं होगी। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि हम जो भ्रष्टाचार है, उससे लड़ना चाहते हैं और हमारी पार्टी की यह स्पष्ट नीति है कि जो ब्लैक-मनी है, जो काला धन है और जो गलत तरीके से एक पेरेलल एकोनामी देश में है, उसे खत्म किया जाए। उसकी ताकत को खत्म करके ऐसी स्थिति हम उत्पन्न करें जिससे कि जो भी पैसा है, जिसको कि हम सरकुलेटिंग केपिटल कहते हैं, जो कि मार्किट के अन्दर सरकुलेट करता है, वह सही तरीके से, सही जगह पर आकर लग जाए। इससे हमें दिखाई पड़ेगा कि सचमुच में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उत्पादन आगे बढ़ रहा है। इससे चाहें वे बड़े उद्योग हों, चाहें मीडियम श्रेणी के उद्योग हों, चाहे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हों, सभी लाभ उठा सकें, ऐसी व्यवस्था हमको करनी होगी।

इस बजट में जहां पर बड़े उद्योगों को जो कि एम० आर० टी० पी० के उद्योग थे उनको छूट दी गई है, अब एक सौ करोड़ रुपये की पूंजी वाले उद्योग उसमें नहीं आयेंगे वहां पर स्माल इंडस्ट्रीज को 30 लाख से 35 लाख के अण्डर डाला गया है। मैं यह समझती हूं कि यह एक बड़ा खूबसूरत का कदम है। हमें अब मोनोपली हाउसिज के नाम पर यह नहीं सोचना चाहिए कि ये अछूत हैं या ये बड़े उद्योग हैं या इनके लिए कोई जगह नहीं है। देश में अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हमें प्रेक्टिकल, व्यावहारिक होना पड़ेगा।

हमारी पार्टी बड़े उद्योग की बात नहीं कर रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने उद्योगों के द्वारा गांवों तक एम्पलाएमेंट को ले जा सकते हैं। बड़े और छोटे उद्योगों को बिल्कुल अलग-अलग करके भी नहीं देखा जा सकता है। बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जो बड़े-बड़े कल-कारखानों में बनती हैं लेकिन उनसे गांवों की छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज में लाभ उठाया जाता है। अब उनका उत्पादन करने के लिए अगर उनको सहूलियत नहीं दी जायेगी जो कि ये चीजें देश के अन्दर बनाते हैं या नई-नई टेक्नोलोजी बाहर से नहीं लाई जायेंगी तो गांवों के उद्योगों की इससे हानि हो सकती है। इसलिए इसमें भी यथा संभव केपिटल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए मैं प्रधान मन्त्री जी को, वित्त मन्त्री जी को और सरकार की विशेष रूप से बधाई देती हूं कि उन्होंने चीप स्लोगन पर जा कर काम नहीं किया है बल्कि एक हिम्मत के साथ, एक साहस के साथ इस बजट को देश के सामने प्रस्तुत किया है।

यह हो सकता है कि अभी लोगों को ऐसा लगे। लेकिन जिस उद्देश्य से इसको लाया गया है उसके ऊपर हमें संयम रखते हुए उन नियमों का पालन कराने के लिए हमें निगाह रखनी होगी। हम इसको केपीटल मैनेजमेंट के द्वारा—चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में आता हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में आता हो—आगे चल कर काफी असरदार बना सकते हैं। मैं समझती हूं कि इससे काफी असर आगे चल कर पड़ने वाला है।

डैफिसिट फाइनेंसिंग डवलपमेंट का एक हिस्सा होता है। प्लैंड इकोनोमी में यह जरूरी भी होता है। अभी हमारे देश में बेकवर्डनेस हैं। हमारे देश में ऐसे-ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं जहां पर लोगों के पास काम के अवसर नहीं हैं। उनको हमें काम दिलाना है, उनके लिए काम के अवसर उत्पन्न करने हैं। इसके लिए हमें उद्योगों को गांवों तक ले जाना है। जो प्राइवेट उद्योग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं वे तो अपनी इनकम के अनुसार ही खर्च करते हैं, लेकिन सरकार तो अपने पैरों को आगे फैला सकती है और जहां पर डवलपमेंटल इकोनोमी चल रही हो वहां पर तो डैफिसिट फाइनेंसिंग होगी ही। मैं तो यहां तक कहूंगी कि अगर हमारे गांवों तक उद्योग पहुंच सकते हों, हमारे गांवों तक स्वच्छ जल पहुंच सकता हो, गांवों निराश युवकों के लिए प्रकाश फैल सकता हो तो हमें और भी इसे करना चाहिए और उनके लिए और भी पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन देश के सामने एक आशा लाने की आवश्यकता है और वह इस बजट के अन्दर दिखाई पड़ रही है। बजट में कुछ बातें हैं, जिनका मैं खास तौर से स्वागत करना चाहती हूं। एक बात "फ्री एजूकेशन फार गर्ल्स" जो लड़कियों के लिए हायर सेकण्डरी तक फ्री एजूकेशन सारे देश में यूनिफार्म की गई है, यह स्वागत योग्य है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक तरह की शिक्षा नीति, एक तरह का सलेबस, एक तरह का इतिहास पढ़ाया जा रहा है और अलग-अलग जगहों पर पर अलग-अलग चीजें की जा रही हैं। क्या हमारा राष्ट्रीय गौरव है, क्या हमारा सही मायनों में प्राचीन गौरव था, वह सही मायनों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। मैं चाहती हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने किया है, उसी तरह से शिक्षा की नीति में भी विशेष रूप से ऐसा परिवर्तन जहां लड़कियों को शिक्षा की दिशा में, भी एजूकेशन के रूप में एकरूपता दी गई है, यह कार्य

लाया जाए जिससे कि राष्ट्रीय एकता और आपस में जो हमारे संबंध हैं अलग-अलग स्टेट्स के, वे और ज्यादा अच्छे हो सकें।

दूसरी चीज जिसका मैं स्वागत करती हूं वह है कांप्रीहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम, जो कि फार्मर्स के लिए की गई है। यह पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से, केन्द्रीय सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की सरकार की तरफ मे किया गया है। हमने इस पर अनेकों प्रस्ताव पास किए है, कांग्रेस पार्टी से इस तरह से बार-बार इस चीज को रखा गया है। प्रो० रंगा जो हमारे बहुत बुजुर्ग नेता हैं, हमारे बीच में बैठे हैं, किसानों के लिए जो हमेशा लड़ते रहते हैं, मैं जानती हूं कि वे इससे सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति हैं। उनको प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट किसानों के लिए ऐसी स्कीम लाई है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि जहां बाढ़ से या ड्राउट आदि आपदाओं से किसानों के लिए यह स्कीम लाई गई है, एक बड़ा सवाल है, ऐसा दूसरा स्टेट्स में भी होता होगा, लेकिन उत्तर-प्रदेश में खासतौर से है, वह है सीपेज का सवाल हमारे यहां की जो बड़ी नहर, शारदा नहर है, जो बनाई गई है, और दूसरी कुछ नहरें हैं जिनके पानी से खेतों को बहुत नुकसान होता है। हजारों हजार एकड़ जमीन आज बरबाद हो गई है। तो मैं यह चाहती हूं कि यह किसकी गलती है। इसमें किसानों की तो कोई गलती नहीं है। किसान के खेत के पास नहर हैं और उसका खेत बरबाद हो रहा है, हमेशा के लिए। बाढ़ आती है तो आप उसको मुआवजा दे देते हैं, एक साल सूखा पड़ता है तो आप उसको कुछ दे देते हैं, लेकिन बरसों बरस जो सारी जमीन किसान की उजड़ रही है और वे भूखों मर रहे हैं, उनके लिए क्या स्कीम लागू की जा सकती है; या तो जो नहर बनाने वाले हैं, जो खेतों को नष्ट करते हैं, उनके गलत तरीके से नहर बनाने से खेत नष्ट हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएया गवर्नमेंट सेवंथ फाइव इयर प्लान में उत्तर-प्रदेश के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपया अलग से दें, तब जाकर शायद यह प्राब्लम हल हो सकता है। इतना बड़ा यह सवाल बन गया है, उत्तर-प्रदेश में। तो मैं कृषि मंत्री जी जो यहां बैठे हुए हैं। उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं, साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि जो बजट सेवंथ प्लान का बनाया गया है और आगे जो स्टेट का बजट बनेगा, उसमें किसानों का ध्यान रखा जाए जो कि आज भूख के कगार पर खड़ा हो गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय :—आप अपनी सीट पर बैठिए क्योंकि गृहमन्त्री जी ने एक वक्तव्य देना है।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : इससे पहले कि वे वक्तव्य दें मैं एक बात पूछना चाहता हूं। यह समाचार पहले ही फैल चुका है कि एक सोवियत राजनयिक की हत्या हुई है। मै चाहता हूं कि गृह मन्त्री ..... (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें वक्तव्य देने दो। मैंने मन्त्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहा है। पहले उन्हें वक्तव्य देने दें।

श्री सुरेश कुरुप : किस विषय पर ?

एक माननीय सदस्य : गुजरात की स्थिति पर।

4.00 म० प०

अहमदाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृहमन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : सदन को जानकारी है कि फरवरी, 1985 के मध्य से गुजरात में छात्रों ने मैडिकल और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि करने के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया। आन्दोलन कक्षाओं तथा परीक्षाओं के बहिष्कार, जलूस-रैली निकालने, बन्द आयोजित करने, आदि की शक्ल में था। आरक्षण विरोधी आन्दोलन, जो शुरू में अधिकतर शांतिपूर्ण था, बाद में हिंसक हो गया जिसके परिणाम स्वरूप 27 फरवरी को नादिड में और 11 मार्च को राजकोट में बसों को जलाने की दो घटनाएं हुईं, जिनमें तीन यात्रियों तथा एक कन्डक्टर की जान गई। नई सरकार बनाए जाने के तुरन्त बाद 16 मार्च, को मुख्य मन्त्री ने आरक्षण-विरोधी आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति का पुनरीक्षण किया और प्रतिष्ठित शिक्षा-विदों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और निर्णय के कार्यान्वयन के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने घोषणा की कि आरक्षण से प्रस्तावित वृद्धि को आगामी शैक्षिक वर्ष 1985-86 में कार्यरूप नहीं दिया जायेगा। यह भी संकेत दिया गया था कि सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करके सर्व सम्मति प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके बावजूद भी, आरक्षण-विरोधी कार्य समिति ने 18 मार्च, 1985 को "गुजरात बन्द" का आह्वान किया जिसका राज्य में केवल आंशिक असर हुआ। परन्तु अहमदाबाद और सूरत में उस दिन पत्थर फैंकने, बसों को रोकने और दुकान बन्द करने की छुट-पुट घटनाएं हुई।

2. उसी दिन शाम (18 मार्च) को पुराने शहर अहमदाबाद के अन्दर प्रेम दरवाजे के पास पथराव की एक घटना हुई जो दुर्भाग्यवश एक साम्प्रदायिक रंग ले गई। समाज विरोधी तत्वों द्वारा आगजनी और लूटपाट की गई जो तुरन्त शहर के अन्य भागों में फैल गई। तेजी से फैले दंगों में मिट्टी के तेल, पैट्रोल और जलते हुए कपड़ों का प्रयोग तथा आगजनी की घटनाएं देखने में आई। यह सिलसिला 19 मार्च, 1985 को दिन के समय चलता रहा।

3. 16 मार्च, 1985 को दंगे भड़कने पर पुलिस ने गोली चलाने सहित तत्काल तथा प्रभावकारी कार्यवाही की। पुराने शहर में 22.30 बजे से तुरन्त अनिश्चत काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। स्थिति की गम्भीरता पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने सिविल प्राधिकारियों की मदद के लिए सेना बुलाई। आगजनी और लूटपाट के प्रयास के विरुद्ध प्रभावकारी बल प्रयोग के भी अनुदेश दिए गए थे। राज्य सरकार ने बाहर से वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में लगाकर शहर में पुलिस कुमुकों को सशक्त किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस बल बुलाए गए। राज्य सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तीन कम्पनियों को भी तैनात किया जो पहले से अहमदाबाद में उनके पास थी। 19 मार्च को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की छः अतिरिक्त कम्पनियां तैनात की गई।

[श्री एस० वी० चव्हाण]

4. 18 मार्च, 1985 के बाद से आज सवेरे तक हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के परिणाम स्वरूप सात मौतें हुई जिनमें से छः पुलिस की गोलाबारी के कारण हुईं। पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने तथा छुरेबाजी के कारण लगभग 42 व्यक्ति जख्मी हुए। इस अवधि के दौरान आगजनी के 122 मामले और दुकानों को लूटने तथा तोड़ने के 27 मामले सूचित किए गए हैं। क्षति का अन्दाजा लगाया जा रहा है।

जैसा कि, सदन को विदित है, मैं कल दोपहर के बाद अहमदाबाद गया था। मैंने प्रभावित अथवा पुराने शहर के भीतर के हिस्से का दौरा किया था जहां पर दंगे हुए थे। मैं अस्पतालों में भी गया था और घायल व्यक्तियों से मिला था। मैंने विपक्ष के कई सदस्यों से मुलाकात की और दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से भी भेंट की। मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद मैंने पाया कि राज्य सरकार ने काफी फुर्ति से काम लिया और स्थिति का दृढता से मुकाबला किया। राज्य सरकार ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सम्भव उपाय किए हैं।

5. राज्य सरकार दंगों के कारण बेघर तथा प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान कर कर रही है। दंगों के दौरान मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों को अनुग्रह पूर्वक भुगतान किया जा रहा है।

6. आज पूर्वाह्न हमें सूचित किया गया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है यद्यपि कुछ छुटपुट घटनाएं कर्फ्यू वाले क्षेत्र के बाहर इक्का-दुक्का स्थानों पर हुई हैं। दुर्भाग्यवश आरक्षण विरोधियों द्वारा गुजरात में अन्य स्थानों पर बसें जलाए जाने की तीन घटनाएं सूचित की गई हैं। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि मौजूदा स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि राज्य सरकार ने आरक्षण के बारे में अपना निर्णय पहले ही घोषित कर दिया है, गुजरात का छात्र समुदाय आन्दोलन को समाप्त कर देगा और अहमदाबाद में सामान्य स्थिति बहाल करने में अपना योगदान देगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्य में कहीं और शान्ति भंग न हो। मुझे भरोसा है कि सभी राजनैतिक दल इस अपील में मेरा साथ देंगे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय. किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आगे और कार्यवाही की जाए तो नोटिस दीजिए।

** कार्यवाही वृत्तांत से सम्मिलित नहीं किया गया।

4.06 म० प०

1985-86 के विपणन मौसम के लिए गेहूं के खरीद तथा जौ के समर्थन मूल्य के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहूंगा :—

1. सरकार ने 1985-86 के मौसम में बिकने वाली 1984-85 की गेहूं की फसल की अच्छी औसत किस्म का अधिप्राप्ति मूल्य 157 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है ।

2. सरकार ने 1984-85 की जौ की फसल की अच्छी औसत किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 130 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है।

3. उपर्युक्त अधिप्राप्ति मूल्य को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सभी सार्वजनिक अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा अपनाया जाएगा।

(व्यवधान)**

सभापति महोदया : इस बारे में सांय 7 बजे चर्चा होगी ।

(व्यवधान)**

सभापति महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा । सभा में इसकी चर्चा नहीं की जा रही है । आप ऐसे ही बोलते जा रहे हैं ।

4.10 म० प०

सामान्य बजट, 1985-86—सामान्य चर्चा और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1984-85

—जारी

[हिन्दी]

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : सभापति महोदया, मैं एक दो प्वाइन्ट्स पर और बोलना चाहती हूं । विपक्ष की ओर से बार-बार यह कहा जा रहा है कि यह बड़े आदमियों का बजट है । वित्त मन्त्री के बजट भाषण के सातवें पृष्ठ पर जो 20वां पैराग्राफ है, उसकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान नहीं गया, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमैंट की ओर से सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऐसी बनाई जा रही है जिसके अन्तर्गत भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमान्तिक किसानों, परम्परागत कारीगरों और उन लोगों के निर्धन परिवारों के ऐसे कमाऊ सदस्यों की दुर्घटना से मृत्यु होने की

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी]

जोखिम का बीमा किया जाएगा, जो किसी भी बीमा योजना या कर्मकार प्रतिकर व्यवस्था के के अन्तर्गत नहीं आते ।

यह एक ऐसी है, हमारे संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निदेशक जो नीतियां हैं, उनके अन्दर जिन बातों को हम लागू इतने बरस से नहीं कर पा रहे थे, आज उस दिशा में यह कदम उठाया गया है । क्या यह समाजवाद की ओर जाने वाला कदम नहीं है ? मैं उधर बैठे सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि क्या यह क्रांतिकारी कदम नहीं है ? मैं समझती हूं कि सदन के हर वर्ग की ओर से इसका स्वागत किया जायेगा ।

जैसा माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि इस बजट को बनाते वक्त समाज के हर वर्ग के जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनका ध्यान रखा गया है । लेंडलैस लेबरर्स की जहां पूरी तरह से मजदूरी तय नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमैंट चाहती है, गवर्नमैंट ने कहा है कि उन्हें सोशल स्कीम के अन्दर कवर करेंगे । यह गरीबों के लिए, उनके भविष्य के लिये, उनकी वृद्धावस्था के लिए है और इसलिए भी है कि जो लोग एक्सीडैंट के बाद मर जायेंगे, उनके बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, यह उनके लिए कितनी बड़ी मदद है, इसको हमें समझना चाहिए । मैं इसका स्वागत करती हूं ।

जो हमारे रिटायरिंग, पैंशन पाने वाले कर्मचारी हैं, उनकी जो पैंशन बढ़ाई गई है, यह एक अच्छी चीज है ।

मैं यह कहना चाहती हूं कि यह हमारा शताब्दी वर्ष है फ्रीडम स्ट्रगल का, इसमें हमने देश की आजादी ली और यह कांग्रेस का सैंटीनरी ईअर भी है, इसमें हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी । जिन फ्रीडम फाइटर्स को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें पैंशन दे रही हैं, उनकी पैंशन भी इस बजट में बढ़नी चाहिये थी । मैं केन्द्रीय सरकार, वित्त मन्त्री और प्रधानमन्त्री जी से यह कहूंगी कि जो हमारे स्वतन्त्रता सेनानी हैं, उनकी पैंशन भी इस बजट में अवश्य बढ़ाई जाये, क्योंकि यह शताब्दी समारोह का वर्ष । मैं यह मांग करती हूं क्योंकि मैं खुद भी फ्रीडम फाइटर हूं और अपने समस्त भाई-बहिनों की तरफ से यह मांग करती हूं । उनका ओनर होना चाहिए, उनके सम्मान में इसको रखा जाना चाहिये । मैं समझती हूं कि वित्त मन्त्री जी जब जवाब देंगे तो वह कुछ कहेंगे । मैं आशा करती हूं कि सरकार मेरे इस सुझाव को मानेगी और इसे स्वीकार करेगी ।

इस बजट में इलैक्ट्रानिक गुड्ज और कम्प्यूटर्स पर एक्साइज ड्यूटी खत्म की गई है और इलैक्ट्रानिक गुड्ज को और भी अलग-अलग कन्सैशन्ज दिए गए हैं । कुछ समय पहले हमारे मन्त्री महोदय ने उस हाउस में जो बयान दिया था, उससे स्पष्ट है कि गवर्नमैंट तेजी से इस देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहती है । आज के युग में हम केवल पुरानी चीजों से ही काम नहीं चला सकते हैं, दुनिया के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं । इतनी बड़ी हमारी आबादी है, इतने ज्यादा

लोगों को काम देना है और आगे बढ़ाना है। हमें उम्मीद है कि इलैक्ट्रानिक्स के माध्यम से हम ज्यादा प्रगति कर सकेंगे, हर दिशा में ज्यादा आगे बढ़ सकेंगे। इस बजट में जिस डायनिज्म का और संकेत किया गया है, हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार दुनिया में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आगे आ रही है, उसी के साथ हम अपने को भी आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। तो हर पक्ष को देखते हुए इस बजट को सामने रखा गया है।

समाप्त करने से पहले मैं दो तीन बातों की तरफ इशारा करना चाहती हूं बीड़ी पर ड्यूटी 3.74 रुपये से बढ़ाकर 4 रुपये पर थाउजेंड की गई है। यह 26 पैसे की वृद्धि करने से एक बंडल के दाम में शायद एक पैसा बढ़ेगा। तो गरीबों के मुंह से सरकार क्यों यह सुनना चाहती है कि बीड़ी के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है? हमारी गरीबों की सरकार है। हम गरीबों की तरफ से बोलना चाहते हैं। इसलिए सरकार को इस तरफ अवश्य देना चाहिए।

चूंकि मैं एक महिला हूं, इसलिए महिलाओं की जो भावना है, उसको मैं मन्त्री महोदय के सामने रखनाचाहती हूं। इस बजट को हाउसवाइव्ज बजट नहीं कहा जाएगा, बाकी और सब कुछ कहा जा सकता है। हर गृहणि को परेशानी हो रही है कि उसके बजट में और ज्यादा वृद्धि हो गई है। अतः मन्त्री महोदय कैरोसीन, कुकिंग गैस, वनस्पति और साबुन पर से टैक्स हटा दें। आशा है कि वह इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

राइटिंग पेपर पर ड्यूटी में वृद्धि मिडल क्लास के हर एक पेरेंट को पिंच करने वाली है। मेरी अपील है कि गवर्नमैंट इस पर भी फिर से विचार करे।

अन्त में मैं यही कहूंगी कि कुल मिलाकर देश की प्रगति को, उद्योग को, उत्पादन को और समृद्धि के सामने रखकर यह बजट बनाया गया है। इसलिए हमारे प्रधानमन्त्री और वित्त मन्त्री बधाई के पात्र हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करती हूं।

[अनुवाद]

*श्री पी० सेलवेन्द्रन (परियाकुलम) : सभापति महोदया, अपने दल आल इंडिया अन्ना डी० एम० के० की ओर से मैं 1985-86 केन्द्रीय बजट पर कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। आरम्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट की प्रशंसा भी हुई है और आलोचना भी। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कहा है कि यह बजट देश की गरीब जनता का उद्धारक है, वेतनभोगी वर्ग के लिए दिव्य अन्न के समान है तथा देश के आद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए एक सशक्त माध्यम है। विरोधी सदस्यों ने, इसे जनता विरोधी, पूंजीवादी तथा निहित स्वार्थों की पूर्ति

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी० सेलवेन्द्रन]

के लिए बनाया गया बजट कहकर आलोचना की है।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, अपने युवा और जोशीले प्रधानमन्त्री तथा उनकी सरकार के प्रथम बजट पर अपना प्रथम भाषण देते हुए आज मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि यह बजट हमारे सशक्त और ओजस्वी प्रधानमन्त्री जैसा ही सशक्त और आकर्षक है।

4.19 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस बजट द्वारा सरकार की आर्थिक नीति में अनेक दिशात्मक परिवर्तन हुए हैं। आमतौर पर बजट को सरकार के आय-व्यय का लेखा कहा जाता। लेकिन 1985-86 का बजट ऐसा नहीं है। श्री राजीव गांधी की सरकार का यह बजट उस 'न्यू डील' की तरह ही है जिसकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के तुरन्त बाद पेशकश की थी।

आमतौर पर कर इस धारणा के आधार पर लगाए जाते हैं कि लोग सरकार को धोखा देते हैं। ऐसा समझा जाता है कि व्यय को बढ़ा चढ़ा कर बताया है जबकि करों से मिलने वाला राजस्व को कम बताया जाता है और इस तरह भारी कर लगाए जाते हैं। इस साल का बजट इन सब धारणाओं से दूर है। इसका कारण शायद सरकार का जनता तथा उसकी ईमानदारी पर अटूट विश्वास है। इसलिए सदन द्वारा इस बजट की सर्वसम्मति से प्रशंसा की जानी चाहिए। मुझे खुशी है कि यह बजट प्रशंसा और आलोचना से परे सम्पन्नता के लिए दीप स्तम्भ के समान है।

1970 में केन्द्रीय बजट द्वारा उच्च आय वर्ग पर लगने वाले आय कर को बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया। वह हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री का वह पहला बजट था। हमारे माननीय वित्त मन्त्री श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह ने अपना पहला बजट 1985 से प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा उच्च आय वर्ग पर लगने वाले आयकर को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। यह दावा गलत न होगा कि इससे आयकर के ढ़ाचे में दिशात्मक परिवर्तन होंगे।

इसी तरह आयकर के न्यूनतम छूट की सीमा को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। इससे लगभग दस लाख करदाता करमुक्त हो जाएंगे। इससे आयकर विभाग को भी अनावश्यक कामों से छूट मिलेगी। इससे आयकर विभाग आयकर के मामलों को निपटा सकेगा और अरबों रुपये की बकाया कर राशि की वसूली के लिए शीघ्र कार्रवाई कर सकेगा। नियंत्रक तथा महालेखाकार अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख करते आए हैं कि अरबों रुपये की आयकर की राशि बकाया है। लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आयकर विभाग आयकर की बकाया राशि की तत्परता से वसूली करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रतिबन्धात्मक एकाधिकार व्यापार प्रक्रिया वाली कम्पनियों के बारे में है। संबंधानिक विनिमय 20 करोड़ रु० से अधिक की परिसम्पत्ति वाली कम्पनियों पर लागू होते थे। 180 कम्पनियां एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत रजिस्टर्ड थी और उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता में विविधता लाने में कठिनाई होती थी। इस बजट द्वारा इस सीमा को बढ़ाकर लगभग 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप 100 कम्पनियों पर उक्त अधिनियम लागू नहीं होगा। अब वे अपनी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ा सकती है। तथा देश के हित में अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग कर सकती है। नरसिंह कमेटी ने इस बारे में कुछ सिफारिशें की थीं। हमारे वित्त मन्त्री उन सिफारिशों से भी आगे बढ़ गए। इस साहसी कदम से देश को औद्योगिक तथा आर्थिक लाभ होगा।

इस बजट द्वारा कई और प्रशंसनीय परिवर्तन किए गए हैं। सम्पत्ति कर के ढांचे में परिवर्तन किया गया है। संपदा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आम व्यक्ति का इन परिवर्तनों से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन इससे आयकर विभाग को काम के भारी बोझ से कुछ राहत मिलेगी और वहां के कर्मचारी कराधान कानूनों को कहीं और लागू करवा सकेंगे।

टी० वी० और रेडियो आदि पर लाइसेंस समाप्त करने से देशभर में सबको राहत मिली है। इससे अप्रत्यक्ष तौर पर अनेक लाभ हुए हैं जैसे अब इन चीजों की बिक्री अधिक होगी, फलस्वरूप इनका उत्पादन अधिक होगा। जिससे और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे डाक तार विभाग के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यहां मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि उक्त कर्मचारियों को देश भर में लघु बचत योजना को कार्यान्वित करने के के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। खेद है कि देश से मौजूद 5.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों में डाकघर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर न होने का मतलब है वहां लघु बचत के लिए गंभीर प्रयास न करना। इसके अलावा, जब देश 21 वीं सदी में प्रवेश करेगा तो ग्रामीण क्षेत्र डाकघर के अभाव में, देश का साथ नहीं दे सकेंगे। कम से कम दस गांवों के लिए एक डाकघर होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान दें और आवश्यक उपाय करें।

हमारे माननीय प्रधानमन्त्री बार-बार जोर देकर यह बात दुहरा रहे हैं कि अगर प्रकृति विनाश इसी प्रकार अनियंत्रित किया जाता रहा तो मानव समाज के लिए निकट भविष्य में संकट उत्पन्न हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत लकड़ी है। ग्रामीण स्त्रियों को खाना पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए प्रतिदिन 5-6 किलोमीटर चलना पड़ता है। देशभर में बायो गैस प्लांट लगाने में तो शताब्दियां लग जाएगी। राज्यों द्वारा वन-कानूनों का कड़ाई से पालन किए जाने के कारण, ग्रामीण स्त्रियों के पास खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल के अलावा और कोई साधन नहीं रहेगा। हमारे माननीय मुख्यमन्त्री पुरातची थालियावर डा० एम० जी० रामचन्द्रन ने सारे गांवों में बिजली की सप्लाई कराने का सुनिश्चिय किया है। वास्तव में छोटे किसानों को

[श्री पी० सेलवेन्द्रन]

निशुल्क बिजली सप्लाई की जाती है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली खाना पकाने के काम में लाई जा सकती ग्रामीण क्षेत्रों है मिट्टी का तेल ही उपलब्ध है। अब इसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। जिससे गांवों में रहने वाली हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता प्रभावित होगी। मेरा माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि मिट्टी के तेल की कीमतों में की गई वृद्धि को समाप्त किया जाए।

माननीय मन्त्री ने दियासलाई पर लगने वाले बिक्री शुल्क के ढ़ाचे में सुधार किया है। लकड़ी के संरक्षण के लिए उन्होंने 4 दरें सुझाई हैं ताकि दियासलाई निर्माता कार्डबोर्ड दियासलाईयों का निर्माण करें। दुर्भाग्य से माचिसें चार अलग-अलग कीमतों पर बेची जाती। जिस माचिस पर बिक्री शुल्क कम लगता है वह भी 25 पैसे में बिकती है और जिस माचिस पर अधिक बिक्री शुल्क लगता है वह भी 25 पैसे बिकती है जिससे उपभोक्ता विभिन्न बिक्री शुल्क लगाने के कारण होने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं और सरकार को भी इससे होने वाला राजस्व प्राप्त नहीं होता। लकड़ी के संरक्षण का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका। अतः मैं सुझाव देता हूं कि लकड़ी की माचिसों पर लगने वाला बिक्री शुल्क कार्डबोर्ड की माचिसों पर लगने वाले शुल्क से अधिक होना चाहिए।

मैं गैस सिलेंडरों की कीमतों में की गई वृद्धि का अनुमोदन नहीं कर सकता और न ही इसकी प्रशंसा कर सकता हूं। माल-भाड़े में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने तथा रियायती दरों पर ढोयी जाने वाली गेहूं, चावल, दालें, नमक आदि अनिवार्य वस्तुओं के पुनवर्गीकरण से इन वस्तुओं की कीमतो में बड़ी तेजी से वृद्धि होगी। स्वभावत इस बजट से मां-बहनों को कष्ट हुआ है। उस महिला रत्न, जो दो दशकों तक इस देश की कर्त्ताधर्ता रही को याद करते हुए, मैं चाहता हूं कि गैस-सिलेंडरों की कीमतों में की गई वृद्धि को समाप्त किया जाये माननीय प्रधानमन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले को देखें और यह सुनिश्चत करें कीमत में हुई वृद्धि समाप्त की जाए।

राष्ट्रीय विकास परिषद की सभी की बैठकों में हमारे मुख्यमन्त्री डा० एम० जी० रामचन्द्रन ने बार-बार इस ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं कि राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में बार-बार वृद्धि की जाती रही है। राज्य सरकारों के पास साधन सीमित हैं और उनमें वृद्धि की कोई सम्भावना नहीं है इसलिए वे अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते बढ़ाने में कठिनाई महसूस करती हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के मामले में राज्यों के साथ बड़ी सख्ती बरतता है। केन्द्र को राज्य सरकारों की इस समस्या को समझना चाहिए और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके महंगाई भत्ते में वृद्धि की मन्जूरी देनी चाहिए।

हमारे हितैषी मुख्यमन्त्री ने बच्चों के लिए पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। भूख शान्त हो जाने पर बच्चे पढ़ेंगे। भावी पीढ़ी को शरीरिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय

एजेंसियों ने भी इस योजना की प्रशंसा की है। इसे देशभर में लागू किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि तमिलनाडु सरकार की पोष्टिक आहार योजना को प्लान स्कीम के रूप में माना जाए।

माननीय वित्त मन्त्री फसल बीमा योजना शुरू करके पीड़ित किसानों के मुक्तिदाता बन गए हैं। उन्होंने उनमें आशा की किरण पैदा की है उमंग के बीज बोए हैं। देश भर में किसानों के हित के लिए ऐसी और कल्याण योजनाएं शुरू करके उन्हें उनकी आशा को फलने-फूलने देने चाहिये।

केन्द्र सरकार, किसी किसान के दुर्घटना में मारे जाने पर उसके आश्रितों को मुआवजे के तौर पर 3000 रुपये का भुगतान करने की योजना के माध्यम से भी किसानों के आभार का पात्र बनी है। लेकिन इस धनराशि से तो अंत्येष्टि का खर्च भी पूरा नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि इस राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया जाये।

वर्ष 1985-86 का बजट सजी सजायी गहनों से लदी खूबसूरत दुल्हन की तरह है। चूंकि उसके मुंह पर एक-दो मुहांसे हैं, इसलिए उसे बदसूरत नहीं कहा जा सकता। इसी तरह इस बजट में भी कुछ प्रस्ताव अनचाहे हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस बजट का सभा द्वारा एकमत से समर्थन न किया जाये।

इन शब्दों के साथ, मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुनेत्र कषगम की ओर से बजट का समर्थन करते हुए, अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, इस सदन में मेरा यह पहला भाषण है, जिसे आप अंग्रेजी में "मेड-इन" स्पीच कहते हैं।

यह बजट हर मायने में अभूतपूर्व बजट है। मेरे ख्याल में आजादी के बाद इतना अच्छा बजट कभी नहीं आया। यह ग्रोथ-ओरियेटेड बजट है, कॉमन-पीपल का बजट है, मिडिल-क्लास लोगों का बजट है। मैं बार-बार सोचता हूं कि मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर होता और मेरे छात्र मुझसे पूछते कि इस देश का बजट कैसा हो तो मैं कहता 85-86 जैसा हो। इससे पहले कि मैं और बातें कहूं, मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने उन सारी आलोचनाओं का जवाब स्वयं ही बजट में दे दिया है, जिनके बारे में विपक्ष कई सालों से कहता रहा है। इनकम टैक्स का रेट कम किया गया है, टैक्स को रैशनलाइज किया है। एस्टेट-ड्यूटी हटा दी गयी। क्रॉप का इंशोरेंस किया गया है। यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से मर जाता है, तो उसको मुआवजा देने की बात हुई है। इन्डस्ट्रियल वर्कस के बैनिफिट की बात हुई है। ग्रेज्युटी के रेट को ऊपर किया है। जिधर देखिए, जिनके लिए देखिए, इसमें अच्छी बातें हुई हैं।

[श्री गौरी शंकर राजहंस]

मैं विपक्ष के लोगों की दलीलें सुन रहा था, तो ऐसा महसूस हुआ कि इनका काम है कहना, तो कहेंगे ही। मैं अखबार की दुनिया का आदमी हूं। हमारे एक मित्र ने समालोचना की, इस देश के बड़े-बड़े अखबारों ने लिख दिया कि बहुत अच्छा बजट है और इनविगोरेटिंग बजट है इसीलिए आप लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा बजट है। मैं अपने विपक्ष के मित्र से कहना चाहता हूं कि इस देश में यदि कोई चीज स्वतन्त्र है तो वह अखबार है, जिस पर न तो मालिक दबाव डाल सकता है और न ही सरकार उस पर दबाव डाल सकती है। मैं उदाहरण पेश करता हूं—हमारे माननीय मित्र ने अपने सारे बजट भाषण का आधा हिस्सा दिल्ली के एक प्रमुख अखबार में कल के निकले हुए लेख के आधार पर किया "दि ग्रेटेस्ट गेन फार द स्मालेस्ट पीपल" (छोटे तबके के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा)। यह कल के अखबार में निकला था। मैं कहता हूं—उस अखबार को आप सारे लोग मोनोपोलिस्ट अखबार कहते हैं, यदि वह मोनोपोलिस्ट अखबार होता तो उस में इस तरह समालोचनात्मक लेख लिखने की आजादी नहीं होती, जिस के आधार पर आपने भाषण दिया। इस लिये भगवान के लिये आप इस देश के समाचार-पत्रों को बदनाम न करें। हमें इससे बड़ी तकलीफ होती है। हमारी एक ही आजादी है और हम उस आजादी को अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते हैं। यदि दूध-दूध है और पानी-पानी है तो हम दूध को दूध कहेंगे और पानी को पानी कहेंगे। दूध को पानी नहीं कहेंगें, चाहे आप को अच्छा लगे या लगे।

दूसरी बात—हमारे मित्र ने कहा कि 3349 करोड़ का जो डेफिसिट है उस से बहुत बड़ा इन्फलेशन हो जायेगा, मंहगाई बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी महोदय मुझे यह निवेदन करना है-1984-85 के बजट में इस से ज्यादा डेफिसिट था, 3985 करोड़ रुपये का डेफिसिट था, फिर भी इन्फलेशन 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ। तब आप यह नहीं कह सकते हैं कि केवल मानसून के न आने के कारण ही इन्फलेशनरी प्रेशर कम होगा या मानसून के आने के कारण ही इन्फलेशरी प्रेशर अधिक हो जायगा। मैं आप के ही आर्ग्यूमेन्ट के आधार पर बतलाता हूं-1983-84 में बहुत जोरों की वर्षा थी, फसलें बहुत अच्छी हुई थीं, फिर भी इन्फलेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा रहा, लेकिन 1984-85 में इन्फलेशन घटा। इसलिये इस को आप केवल मानसून के कारण नहीं कह सकते हैं। बैटर-इकानामिक-मैनेजमैन्ट से इन्फलेशन कम होता है। यह इकानामिक्स का एक छोटा सा सिद्धान्त है कि रुपया चीजों को चेज करता है। यदि ज्यादा प्राडक्ट मार्केट में होगा तो इन्फलेशन कम होगा। इस लिये मैं आप को कहता हूं कि इस बार जितना डेफिसिट रह गया है वह ज्यादा डेफिसिट नहीं है और इस से कोई बहुत ज्यादा मंहगाई नहीं बढ़ने वाली है।

महोदय, मैं हर तरह से इस बजट को अच्छा समझते हुए आप का ध्यान मेरी कांस्टीचूएन्सी की तरफ आकर्षित करता हूं। इन्दिरा जी ने कहा था—उन्हें महात्मा गांधी ने एक मूल मंत्र दिया था। जब जब दुविधा में हो तो एक बात सोचना कि तुम्हारे इस काम से उस व्यक्ति का क्या लाभ होगा जो सब से गरीब है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिसे हजारों सालों से इतिहास "मिथिला" कह कर पुकारता है। मिथिला वह क्षेत्र है जहां सीता का जन्म हुआ था, जहां सीता ने राम को वरण किया था। कभी मिथिला धन-धान्य से पूर्ण था, परन्तु आज मिथिला इस देश का सब से गरीब क्षेत्र है।

मैं कहता हूं इस बजट से हमारे उस गरीब क्षेत्र को भी फायदा होगा। वहां के किसानों को क्राप इंशोरेंस का लाभ होगा, वहां के मजदूरों को एक्सीडेन्ट होने पर पैसा मिलेगा। हमारा यह क्षेत्र आज तीन नदियों से पीड़ित है। कोसी, काला मुतहीपालन। आप वहां के लोगों के कष्टों का अनुमान नहीं कर सकते हैं, साल में 6 महीने उस क्षेत्र के लोग बाढ़ के कारण या तो नाव पर रहते हैं या मचान बना कर पेड़ों पर रहते हैं। बरसात में जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। यदि कोई बीमार हो जाए, तो चार आदमी उसे खाट पर लादकर पास-पड़ोस के अस्पताल में ले जाएगें। मैं कहता हूं कि मिथिला की सीता हमेशा तकलीफ में रही। सीता तकलीफ में रही तो क्या सीता की भूमि के लोग भी तकलीफ में रहें लेकिन लवकुश ने वह तकलीफ बर्दाशत नहीं की। आज यहां लव कुश की सेना तैयार हो गई है और वह कहती है कि हमें रोजगार दो। मैं आप से कहता हूं कि उस क्षेत्र में आप उद्योग लगावें क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और वहां पर पापूलेशन का प्रसार बहुत ज्यादा है जब तक वहां पर उद्योग नहीं लगाएगें और वहां के लोगों को रोजगार नहीं देगें, तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। लव कुश की सेना दिल्ली में भी आ गई है। आज दिल्ली में तीन-चार लाख मिथिला वासी हैं जो रोजी-रोटी की खोज में यहां आए हैं। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए कि उन को रोटी-रोजी वहीं मिल जाए।

मिथिला में हजारों टन आम हर साल सड़ जाता है अगर आप मैंगो-बेस्ड इंडस्ट्री वहां लगा दें या एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री लगा दें तो वहां के लोगों को रोजगार मिल सकता है। मुझे कहना तो बहुत था लेकिन आप कहते हैं कि इसे वाइंड-अप कीजिए, इसलिए मैं एक आखरी बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। ब्लैकमनी पर प्रहार करने का सरकार ने प्रयास किया और वह अपने में एक बहुत अच्छा कदम है हम सब और लोगों को इस का स्वागत करना चाहिए। देश की व्यवस्था तभी सुधरेगी जब ब्लैक मनी पर भरपूर प्रहार होगा। मेरा कहना यह भी है कि सरकार की जितनी कास्ट्रक्टिव बातें हैं, उनका विपक्ष को समर्थन करना चाहिए और हर समय आलोचना नहीं करनी चाहिए।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ओवेसी (हैदराबाद) : चैयरमैन साहब, जो बजट इस ऐवान में पेश किया गया है; इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद अवाम की जो बहुत सारी तवक्कवात थीं जो ख्वाहिशात थीं, वे आईनादार बनकर आएंगी लेकिन वह मसल याद आती है कि खोदा पहाड़, निकला चूहा। अगर मैं यह कहूं कि मुर्दा चूहा निकला तो और भी ठीक रहेगा।

आप गौर कर सकते हैं कि जो चीजें बयान की गई हैं कि इस बजट में अवाम को सहूलियतें बहुत ज्यादा दी गई हैं लेकिन सच तो यह है कि यह बजट सिर्फ सरमायदारों के लिए, उनके फायदे के लिए बनाया गया है और इस से गरीबों को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। खुद आप देखते हैं कि उस तरफ की बेंचों पर बैठने वाले लोगों ने इस बात को दोहराया कि किरोसियन की कीमत में इजाफा किया गया है, कूकिंग गैस की कीमत में इजाफा किया गया है और पैट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है इसके बाद आप जानते हैं कि और तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा होगा। रेल के किरायों में इजाफा हुआ। तो सवाल यह पैदा होता है कि जो गरीब आदमी है,

[श्री सुल्तान सलहुद्दीन ओवेसी]

उसको क्या मिला और इस बजट के जरिये आपने उसको क्या दिया। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हम गौर करें, तो यह पायेंगे कि उस समय उन सरमायदारों के पास कितना सरमाया था और आज जो 20-22 सरमायदार घराने हैं, वे आज तक कितना सरमाया का पैदा कर चुके है तो आपको मालूम होगा कि नाम तो आप सोशलिज्म पैदा कर लेते हैं लेकिन सरमायादारों को फायदा पहुंचाते हैं। यहां पर जो यह बजट आया है, इसकी मुख्तसरन तारीफ की जाए, तो यही हो सकती है कि बजट से गरीब और गरीब होगा और सरमायदार और सरमयादार बनेगा और वही फायदा उठायेगा।

दूसरी बात यह है कि इस किस्म का बजट पेश करने की वजह से यह चीज सामने आ रही है कि मुल्क का अखलाक और किरदार खराब होता चला आ रहा है। क्योंकि एक गरीब आदमी इन बढ़ती हुई कीमतों में गुजर-बसर नहीं कर सकता है। एक सरकारी मुलाजिम अपनी तन्खवाह में गुजर-बसर नहीं कर सकता जिसका नतीजा यह है कि आज रिश्वतखोरी आम हो चुकी है। इसी की वजह से आज अमन और कानून की हालत खराब होती जा रही है। आप अगर अंग्रेजों का ढाई सौ सालों का जमाना देखें तो आपको मालूम होगा कि उस जमाने में भी इतनी मर्तबा गोलियां और लाठियां नहीं चली जितनी मर्तबा अब चल रही हैं।

(व्यवधान)

इसी तरीके से हमारे सामने गुजरात का मसला है। आज वहां तहफफजात के खिलाफ एक एजीटेशन चल रहा है। वहां की हुकूमत ने तहफफजात की बुनियाद में न जा कर इस एजीटेशन को फिरकेवाराना फसादात की शक्ल दे दी है जिसकी वजह से वहां एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है और कई लोगों की वहां जानें गई हैं।

[अनुवाद]

श्री हाथभाई मेहता (अहमदाबाद) : कानून और व्यवस्था को देखना राज्य का विषय है। वह विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवसे : मैं तो यह कहूंगा कि जहां इस मामले में इसके अखलाकी पहलू पर गौर किया जाए वहां मैं यह भी चाहूंगा कि इस बात पर भी गौर किया जाए कि इस मुल्क में एक बहुत बड़ा तबका अकलियतों का रहता है जो कि मुसलमानों का है उनके कुछ मसायल है। आपको उनके मसायल हल करने की तरफ भी तवज्जोह देनी चाहिए।

मुसलमान आज तालीम में बहुत पीछे हैं। मुल्क के दस्तूर के मुताबिक वे अपने अलग तालीमी इदारे खोल सकते हैं। वे अपनी मैडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज भी खोलना

चाहते हैं लेकिन उनको खोलने के रास्ते में बहुत-सी नई-नई मुश्किलात पैदा की जाती हैं। इसकी वजह से वे तालीम में पीछे होते जा रहे हैं।

मरकजी हुकूमत ने एक अक्लीयती कमीशन कायम किया है। लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट आज तक हमारे सामने नहीं आई। हम चाहते हैं कि उस कमीशन को कानूनी मौकाफ दिया जाए। अगर उसे यह दे दिया जाएगा तो यकीनन उसका एक असर होगा और अक्लियतों के मसायल हल होते चले जायेंगे।

इसी तरह से मैं चाहूंगा कि एक मायनोरिटी स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाए जैसा कि कुछ और स्टेट में है। जो छोटे-छोटे लोग हैं जिनको कि बैंकों से कर्ज नहीं मिल सकता है, उनको यहां से कर्ज मिल सके और वे अपनी तरक्की करते चले जाएं। आप मुसलमानों के लिए ऐसा इन्तजाम कीजिए जिससे कि वे लोग भी मुलाजमतों में आ सके और अपनी तरक्की कर सकें।

आप जानते हैं कि मुसलमान तालीम के मामले में, मुलाजमत के मामले में भी पीछे है। आप अक्लियतों के लिए एक वजारत कायम कीजिए ताकि उनके मामलात पर तवज्जो दी जा सके।

आंध्र प्रदेश में मुसलमान अपने आप को गैर-महफूज महसूस करते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का यह काम है कि वहां वह मुसलमानों को तहफ्फुज मुहैय्या करे। खुसूसी तौर पर आप जानते हैं कि वहां इलेक्शन के जमाने में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। आज भी वहां गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप अखबारात में देखेंगे तो वे यह कहेंगे कि किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं है लेकिन आप असेम्बली की रूदाद पढ़ लीजिए जिसमें यह साफ कहा गया है कि वहां गिरफ्तारियां हुई हैं, वहां होम मिनिस्टर को बताया गया कि मुसलमानों को मारा-पीटा गया और जब उन्होंने पानी मांगा तो उन पर पेशाब करने को कहा गया। मैं चाहूंगा कि सेंटर गवर्नमेंट का यह काम है कि वह अक्लियतों को जो हकूक दिए गए हैं, उनको तहफ्फुजात फराहम करे, उनके मफादात का ख्याल करे।

इसी तरीके से आप देखिए कि यहां से प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फण्ड से दस लाख रुपये दिए गये आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां लोगों की दुकानें वगैराह लूटी गई थीं, उन लोगों के लिए दस लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन आज तक उसमें से एक पैसा भी नहीं दिया गया है। जब पूछा जाता है तो यह कहा जाता है कि हमने पहले ही तुमको दे दिया था, लिहाजा वह दस लाख रुपए इसके अंदर खत्म हो गए। आप बताइए कि प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फण्ड से पैसा जो दिया जाता है, वह तकसीम क्यों नहीं किया जाता। आप इन तमाम चीजों को देखिए। मैं चाहूंगा कि सरकार फौरी तौर पर इस ताल्लुक से जांच करे कि जब प्राइम मिनिस्टर्स फण्ड से पैसा दिया है तो वह तकसीम क्यों नहीं किया गया। यह देखना सेंटर गवर्नमेंट का काम है कि वह

[श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी]

देखें कि आखिर यह पैसा जो दिया गया है, आज तक क्यों नहीं तकसीम किया गया, क्यों नहीं उन परेशान-हाल लोगों को, जिसकी दुकानें लूटी गई है, क्यों नहीं उनमें तकसीम किया गया। इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि पुराने शहर में जहां मुस्लिम आबादी है और पूरी आबादी का जहां 45.5 प्रतिशत रहता है, वहां पर पीने का पानी दिया जाए। इतनी आबादी के बावजूद वहां पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए में चाहूंगा कि मरकजी सरकार उनके ताल्लुक से कुछ करे और उनके मसाइल के लिए कुछ करे। जब आप श्री लंका के लिए पैसा रख सकते हैं तो वहां के लोगों के लिए भी जरूरत की चीजों के लिए काम कर सकते हैं। हिन्दुस्तान की सरकार को यह देखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मुझे आपकी तालियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं तेलगू देशम के ताल्लुक से बोलता हूं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके बारे में बोलता हूं तो आपको अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है और कौन ही नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति जी, मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं और प्रधान मन्त्री जी को भी कि बजट में जो हमारी बुनियादी नीतियां हैं, जो बुनियादी आर्थिक सिद्धांत हमने पहले स्वीकार किए हैं, उनको बिना छोड़े हुए, एक परिवर्तनकारी रास्ता, एक नया रास्ता अख्तियार किया गया है। सबसे पहले तो मैं इसलिए साधुवाद दूंगा वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने बजट के प्रारम्भ में श्रीमती इंदिरा गांधी जी से प्रेरणा ली है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो आर्थिक नीतियां थीं, वे महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए थे, आदर्श निर्माण किए गए थे, उनके आधार पर इस देश में उन्होंने आर्थिक और सामाजिक तथा राजनीतिक ढांचे का निर्माण किया था और देश को बहुत शक्तिशाली बनाया, देश को बहुत आगे बढ़ाया, देश को प्रतिष्ठित किया। उनके आदर्शों और विचारों को बिना छोड़े हुए बजट में जो नवीनपन लाया गया है, इस आर्थिक सफलता के लिए हम वित्तमंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं।

श्रीमान्, बजट में जो अच्छी बातें हैं, उनको बहुत लोगों ने गिनाया हैं। कराधान का सरलीकरण किया गया है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों का कर कम किया गया है, किसानों के लिए फसल बीमा की व्यवस्था की गई है, मृत्यु कर को समाप्त किया गया है, कर का सरचार्ज समाप्त किया गया है, 15 हजार का लिमिट को बढ़ाकर 18 हजार किया गया है, दस लाख करदाताओं को राहत दी गई है, अनिवार्य जमा योजना समाप्त की गई है, कर्मचारियों को राहत दी गई है ये तमाम बातें हैं, मगर जो सबसे बड़ी बात इस बजट में है, जिसके लिए मैं निवेदन करूंगा, वह है देश की आर्थिक

विकास के लिए और देश में रोजगार पैदा करने के लिए, पब्लिक सैक्टर को बनाये रखते हुए दूसरे क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया है।

अभी विपक्ष के एक सज्जन कह रहे थे कि हमने पब्लिक सैक्टर को तिलांजलि दे दी है, वहां के अफसर लज्जित हो रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे। हमारी जो बुनियादी आर्थिक नीति है, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आर्थिक नीति बनाई थी, वह है मिश्रित इकानमी, मिक्स्ड इकानमी, मिश्रित अर्थ व्यवस्था, जिसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों द्वारा देश का आर्थिक विकास करने का संकल्प लिया गया था।

हम लोगों ने समाजवाद के नाम पर या समाजवादी दिखाई देने के लिए निजी क्षेत्र का जैसा उपयोग होना चाहिए, वैसा नहीं किया था। गत वर्ष मैंने निवेदन किया था कि देश के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण और विकास होना है तथा देश को आर्थिक रूप से शक्तिशाली होना है तो सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र को शक्तिशाली बनाने के साथ-साथ निजी क्षेत्र का उपयोग करना भी बहुत आवश्यक है। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। इसका मतलब पूंजीवादी व्यवस्था से नहीं बल्कि सिद्धान्त यह है कि देश का आर्थिक विकास होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे और बेरोजगारी घटेगी। उत्पादन बढ़ेगा तो उससे गरीबों को भी लाभ होगा। यह कहना कि निजी क्षेत्र से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा और गरीबों को फायदा नहीं होगा तो यह बिल्कुल मिथ्या है। यह हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। हमने निजी क्षेत्र का पूरी तरह उपयोग करने का फैसला किया है। निजी क्षेत्र उत्साही है क्योंकि उद्योग लगने से उत्पादन बढ़ेगा और एम्पलायमेंट बढ़ेगा। इससे देश के गरीबों को लाभ होगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को तेज करने का कदम उठाया गया है। प्रधान मंत्री जी का यह कदम स्वागत योग्य है। प्रधान मंत्री बनने के बाद श्री राजीव गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि हम उदार आर्थिक नीति को अपनायेंगे। देश की जनता इसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि हमारे नए युवा प्रधान मंत्री जी देश में कैसी आर्थिक नीतियां प्रस्तुत करेंगे। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उससे देश की जनता को संतोष है। उसमें हमारे प्रधान मंत्री जी की उदार नीतियों को दर्शाया गया है। ऐसा संभव नहीं हो सकता जैसा कि लोग चाहते हैं कि इस देश को छह महीने या एक साल में 21 वीं शताब्दी में ले जाएं। यह बजट देश को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाने का एक कदम है। इसके लिए हम प्रधान मंत्री जी को हार्दिक बधाई देते हैं। आर्थिक साधनों पर ज्यादा बोलेंगे तो आपकी घन्टी बज जायेगी। इस देश का विकास बिना रिसोंसेज के नहीं हो सकता। वित्त मंत्री जी ने जो टैक्स लगाए हैं, उनके बिना विकास संभव नहीं है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ा है और कुछ क्षेत्रों को ग्रहण किया है। बिना संसाधनों के देश के विकास की गाड़ी चलने वाली नहीं है। विकासशील देशों में टैक्सेशन को रोकना या आलोचना करना विकास का विरोध करना है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में बिना संसाधन जुटाए विकास का काम नहीं हो सकता, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कराधान किया गया

[श्री उमाकान्त मिश्र]

हो। एक बात अवश्य निवेदन करना चाहूंगा। जो कराधान किए गए हैं, उनसे कुछ वस्तुएं महंगी हो जायेंगी। इसका असर देश के आम आदमी पर पड़ेगा। मिट्टी का तेल, साबुन, डालडा और खाद्य तेल आम आदमी के उपयोग की चीजें हैं। इनके दाम नहीं बढ़ने चाहिएं चाहे रेडियों और टेलीविजन के बढ़ जाएं। रेडियों और टेलीविजन के दाम सस्ते होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं के दाम घटा दिए जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।

5.00 म० प०

किसानों के लिए एक नया कदम उठा, फसल बीमा शुरू हुआ और उसके साथ ही सभापति जी, जैसा कि स्वयं वित्त मंत्री जी ने कहा, सारा देश मानता है और सारी दुनिया मानती है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। पिछले कुछ वर्षों में खेती की पैदावार अच्छी हुई और उसका ही परिणाम है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था मजबूत दिखाई दे रही है और हम प्रसन्न हैं। जब खेती का उत्पादन घटेगा तो उसका प्रभाव देश की अर्थ-व्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस देश में जो खेती का उत्पादन बढ़ा है, उसका श्रेय इस देश की सरकार की कृषि-नीति को जाता है, उसका श्रेय यहां के किसानों के कठोर परिश्रम को जाता है, इसके साथ-साथ मौसम और जलवायु को भी जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए तथा उनके उत्पादन का दाम बढ़ाया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने गेहूं और कुछ दूसरी चीजों के समर्थन मूल्य की घोषणा की है जो कि पिछले सालों की अपेक्षा बढ़ाये गए हैं लेकिन इतना ही काफी नहीं है। असल में किसान जो चीजें पैदा करता है, वे बाजार में सस्ती खरीदी जाती हैं और किसान अपने उपयोग के लिए बाजार से जो चीजें खरीदने जाता है, उसकी तुलना में महंगी होती हैं। किसानों के द्वारा उत्पादन की जाने वाली चीजों के दाम अभी और बढ़ाने की आवश्यकता है।

महोदय, सिंचाई के साधनों की सारे देश में कमी है और पिछली छः योजनाओं में सिंचाई का काम बहुत धीमी गति से हुआ है। यहां पर मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले मेरी मांग यह है कि उत्तर प्रदेश में जितनी सिंचाई की योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और जो सिंचाई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनके बेहतर उपयोग के लिए पग उठाये जाएं, उनको ठीक रखने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा सिंचाई के अंतर्गत नये क्षेत्रों को लाया जाए।

श्रीमन् उसी तरह पानी भी जीवन की एक बुनियादी आवश्यता है। देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पानी की भारी दिक्कत है, पेयजल परेशानी है। हमारे मिर्जापुर जिले में और उसके आस पास कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पानी का स्तर अत्यन्त नीचा है और वहां पेयजल का गम्भीर संकट विद्य-

मान रहता है। मेरा निवेदन है कि उस इलाके में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तत्कालिक कदम उठाये जाएं। साथ ही, देश में जहां-जहां पेयजल या सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, उनकी ओर सरकार ध्यान दे और प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करे। हमारे यहां जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर आदि कई जिलों में पेयजल की भारी कठिनाई है, मेरा निवेदन है कि वहां पाइप लाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाए।

इसके अलावा देश में जितने विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, शिक्षित बेरोजगार योजना, ये सब महत्वपूर्ण और आवश्यक है इनके लिए अधिक से अधिक धन का प्रावधान किया जाना चाहिए मगर साथ ही यह भी देखा जाए कि कहीं पैसे का दुरुपयोग न हो, बल्कि सदुपयोग होना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार योजना के अंतर्गत, मैंने देखा है कि वर्ष 1985-86 के लिए कोई आंकड़ा नहीं है। मेरा निवेदन है कि शिक्षित बेरोजगारों को काम दिलाने के लिए, उनको कुंठित होने से बचाने के लिए इस योजना में काफी धन का प्रावधान किया जाए।

श्रीमन् अंत में मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सम्बध में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ है। उसकी गरीबी दूर करने के लिए जितनी तेजी से काम किया जाना चाहिए, उस तेजी से काम नहीं हुआ है। जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, वह पांच भागों में बंटा है—पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखण्ड, मध्य उत्तर प्रदेश, पर्वतीय उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 75 पैसे है. वहां बुन्देलखण्ड, में 80 पैसे, मध्य उत्तर प्रदेश में एक रुपया, पहाड़ी क्षेत्रों में 90 पैसे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में तीन रुपये है और किसी जिले में 4 रुपये है। इतना विशाल प्रदेश है, देश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग तीन करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है' यदि वह युगों-युगों तक पिछड़ा बना रहे, गरीब बना रहे तो यह चीज बहुत दुखदायी है। इतने बड़े क्षेत्रफल और आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद भी अभी तक वहां सरकार की तरफ से पूरी तवज्जह नहीं दी गई है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। छठी योजना में सभी प्रदेशों के सम्बन्ध में पर-केपिटा प्लान आउटले देखिए—जहां उत्तर प्रदेश प्रदेश का आउटले 567 है, वहां राजस्थान का 577 है, केरल का 570 है, आंध्र प्रदेश का 584 है, पश्चिम बंगाल का 600 है, कर्नाटक का 614 है, तमिलनाडु का 651 है, मध्य प्रदेश का 687 है, महाराष्ट्र का 983 है, गुजरात का 1073 है, पंजाब का 1179 है, हिमाचल प्रदेश का 1273 है, और हरियाणा का 1385 है। इस आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश काफी पीछे हैं। जहां तक छठी पंच वर्षीय योजना में पर-केपिटा सैन्ट्रल असिस्टेंस का प्रश्न है वहां भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा बहुत कम रहा है।

केन्द्रीय सरकार की सहायता भी उत्तर प्रदेश में बहुत कम दी गई है। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के विकास में, खासतौर से जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिये अधिक धनराशि दें।

[श्री उमाकान्त मिश्र]

हमारा मिर्जापुर एक लम्बा जिला है जो कि पौने 300 किलो मीटर है, यह लगभग केरल के बराबर है। दक्षिणी मिर्जापुर में कोयले की खानें और बिजली के कारखाने के कारण वहां पर तो कुछ विकास हो रहा है, लेकिन उत्तरी मिर्जापुर और मिर्जापुर शहर उजड़ रहा है, जहां कि कोई उद्योग नहीं है। मैंने कई बार मांग की है कि मिर्जापुर, विंध्याचल के आस-पास एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाये। मेरी वित्त मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और साथ ही साथ सभापति महोदय, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया।

श्री महेन्द्र सिंह (गुना) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को बहुत ही संतुलित बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं और इसका समर्थन करता हूं। इस बजट में हर वर्ग के व्यक्ति के लिये कुछ न कुछ सोचा गया है, चाहे कारीगर हो, किसान हो, मजदूर हो या अन-आर्गेनाइज्ड लेबरर हो, हरेक को कोई न कोई राहत देने का प्रयास किया गया है।

अगले वर्ष के साधनों की कमी को देखते हुए, सातवीं योजना न लायें, यह तो संभव नहीं था, लेकिन यह प्रयास किया गया है कि कम-से-कम टैक्स लगाये जाएं तथा जनता को ज्यादा-से ज्यादा राहत दी जाये। साधनों की कमी को देखते हुए जो टैक्स लगाये गये हैं, वह मजबूरी थी, उनके बगैर काम नहीं चल सकता था। हमारे यहां इंदिरा जी और और नेहरू जी की नीतियां से हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरी थी। हमारे देश में उत्पादन बढ़ा और देश के कई विकास कार्य हुए।

5.08 म०प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो एक प्रैक्टिकल इकनामिक पालीसी अपनाई थी वह किसी वाद से प्रभावित नहीं थी। एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से देश का विकास किया जाये, उसके द्वारा गरीबी हटाई जाये, यह प्रयास किया गया। इस बात की भी गुंजाइश की गई कि छोटे- छोटे उद्योग खोलकर, वह अपना काम की कर सकें और देश की प्रगति में योगदान कर सकें। उनको भी थोड़ा बहुत अवसर दिया जाये और इंसैंटिव दिये जाये।

हमारे विरोधी पक्ष के लोग बजट के बारे में बोले रहे हैं कि यह कंजरवेटिव है और आधुनिक पूंजीवाद की ओर ले जाने वाला है।

(व्यवधान)

इसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कहते हे "बुर्जुआ"। सी० पी० एम० (नक्सलिस्ट) इनको बुर्जुआ का मतलब क्या है, यह समझ में नहीं आता क्योंकि इनकी 15,20 पार्टियां हैं।

इस प्रकार से एक प्रैक्टिकल बजट आज पहली बार हिन्दुस्तान में पेश किया गया है। जिस प्रकार से रूजवैल्ट न्यू-डील लाये थे, और देश आर्थिक विकास की ओर बढ़ा था, उसी प्रकार यह बजट हिन्दुस्तान को आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करेगा और थोड़ा-सा लीक से हटकर यह बजट है।

नौकरीशाही द्वारा जो अड़चन लगायी गई है, जो कोटा परमिट का राज आता जा रहा था, जो कोटा परमिट और लाइसेंस के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, उसको खत्म करने के लिए एक दिशा दी गई। इससे हर वर्ग, हर तबके को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पिछले 30 वर्षों में हमारा इनफ्रास्टक्चर इतना अच्छा हो गया है कि बिजली, कोयला और सिंचाई की आपूर्ति हो गई। तरह-तरह का जो हमारा विकास हुआ है, उसके कारण जो हजारों लोग छोटे-छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको छोटे उद्योग लगाने के लिए इसमें इंसैंटिव दिये गये हैं।

डैफिसिट फाइनेंसिंग की बात है, वह पिछली बार जितना था, उससे बढ़ गया था, लेकिन 3 हजार करोड़ डैफिसिट फाइनेंसिंग रखी गई है, मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार पिछली बार डैफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ गया, उस प्रकार कम से कम इस बार डैफिसिट न बढ़े, यह बहुत आवश्यक है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक रहे।

अध्यक्ष महोदय, आयकर में जो राहत दी गई है, यह भी एक अच्छा कदम है। इसको 15 से 18 हजार कर दिया गया है। इसके कारण 40 लाख करदाताओं में से 10 लाख करदाताओं को फायदा मिलता है, खास कर मिडिल क्लास की सहायता की गई है। अनिवार्य जमा योजना को समाप्त करके एक अच्छा कदम उठाया गया है और कर ढांचे का सरलीकरण किया गया है। आय की स्लैब 9 से घटाकर 4 कर दी गई है, इसके लिये विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। वैल्थ टैक्स रेशनेलाईज करने की भी प्रशंसा करता हूं। वैल्थ टैक्स को डेढ़ लाख से ढाई लाख कर दिया गया है।

सबसे अच्छी बात जो की गई है वह है सोशल सिक्योरेटी तीन हजार दी गई है। यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इस धन को और बढ़ाया जाये और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिलना चाहिये।

फसल बीमा योजना शुरू करके एक अच्छा कदम उठाया गया है। इस बारे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो सदस्य प्रीमियम की बात कर रहे थे, उन्होंने शायद वित्त मंत्री का भाषण पढ़ा नहीं है। फसल बीमा के कारण हजारों किसानों को फायदा होगा।

रिट्रेंचमेंट कम्पेसेशन 20 से 50 हजार बढ़ाकर एक बहुत अच्छा कार्य हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। जो कम्पनियां लॉक-आउट हो जाती हैं। उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह भुगतान को अन्य क्रेडिट की तरह भुगतान में प्राथकमिता दी जायेगी। इससे मजदूरों को बहुत राहत मिलेगी। बजट में सिक यूनिट को पनिशमेंट देने का भी प्रावधान किया है, यह एक अच्छा कार्य है। पूंजीपति

[श्री महेन्द्र सिंह]

अपनी पूंजी अन्य कार्यों में लगाकर कुछ इकाइयों को बीमार घोषित कर देते थे, तमाम ऋण ले लेते थे और उसके बाद उनको पनिशमेंट नहीं मिलती थी। अब ऐसे लोगों को सजा दी जायेगी और भविष्य में कोई उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

रेडियो, टी० वी०, वी० सी० आर० पर आपने टैक्स लाइसेंस माफ करके एक अच्छा कार्य किया है। इसके लिये वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। जो छोटे-छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, उन लोगों को प्लांट और मशीनरी के लिये राशि को बढ़ाकर 20 लाख से 35 लाख कर दिया है, उसके लिये आपको बधाई देना चाहता हूं।

एनसीलरिज की सीलिंग 25 से बढ़कर 40 लाख करके एक अच्छा कदम उठाया गया है। इससे छोटे-छोटे लोगों को उद्योग लगाने के लिये इंसैंटिव मिलेगा। हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुंजाइश है, इसके लिये प्रावधान किया गया है, वित्त मंत्री जी उसके बधाई के पात्र हैं।

इलैक्ट्रानिक और कम्प्यूटर उद्योग के बिना किसी देश की आज के जमाने में प्रगति नहीं हो सकती इनको जो आप ने प्रोत्साहन दिया है उसके लिए भी आप को बधाई देता हूं।

काले धन पर रोक लगाने के लिए जो आपने कम्पनीज पर राजनैतिक दलों को चन्दा देने के बारे में प्रावधान किया है यह भी एक बहुत अच्छा कदम है। इसके द्वारा काले धन पर रोक लगेगी।

अब मैं आप को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह कहना है कि हमारे यहां खाद्यान्न उत्पादन इतना बढ़ गया है कि इससे हमारा देश स्वावलम्बी हो गया है। लेकिन शक्कर व तम्बाकू के घटते उत्पादन तथा दालें और तिलहन, इन दोनों के कम उत्पादन के कारण हम को 700 करोड़ रुपये इनके आयात के लिए खर्च करने पड़ते हैं। बहुत अच्छा होगा यदि इस बात का प्रयास किया जाय और यह देश की अर्थव्यवस्था के हित में होगा कि दालों और तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जाय।

जो कृषि सिंचाई बढ़ी है उसके कारण जो फायदा हुआ है वह एक विशेष एरिया को हुआ है और कुछ धनी किसानों को ही हुआ है इसके बाद भी जो ऐग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और खेती की दूसरी चीजें हैं उनके आयात पर काफी बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ी है। मैं चाहूंगा कि यह ज्यादा से ज्यादा जो सिंचाई में प्रगति हुई है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा छोटे किसानों को भी हो और उन एरियाज में भी हो जिसमें अभी सिंचाई नहीं है। ड्राइ-कल्टीवेशन को ज्यादा से ज्यादा महत्त्व दिया जाना चाहिए ताकि खाद्यान्न उत्पादन हो और देश की प्रगति का फायदा उन लोगों को भी मिले जिनको अभी तक इसका फायदा नहीं मिल रहा है।

औद्योगिक विकास बैंक के एक अध्ययन के अनुसार 30 उद्योगों में, जो समस्त उद्योगों का अधिकांश उत्पादन करते हैं, नयी उत्पादन क्षमता वृद्धि से 1981 में 7.5 प्रतिशत, 1982 में 7.3

प्रतिशत और 1983 में घटकर 5.2 प्रतिशत रह गई है। वित्तीय संस्थाओं की सहायता के बाद भी यह गिरावट जो हुई है। वह एक चिन्ता की बात है।

दूसरी सब से बड़ी समस्या बीमार इकाइयों की है। 1983 तक इन बीमार इकाइयों पर 1735 करोड़ का ऋण कैद था। इन बीमार इकाइयों को ठीक करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है ताकि यह रुपया लाभप्रद उपयोग में लाया जा सके।

सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां है उनमें लगभग 36 हजार करोड़ की पूंजी लगी हुई है। 1982-83 में लगभग 1603 करोड़ रुपये का था। उस में से भी अगर ओ० एन० जी० सी० और आई० ओ० सी० वगैराह का लाभ निकाल दें तो मेरे ख्याल से इस इन्वेस्टमेंट का नेग्लिजेबल कांट्रब्यूशन ही रहा है। इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्वाजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उनकी हालत में सुधार हो, उनको ठीक किया जाय ताकि देश की अर्थ-व्यवस्था उन्नत हो।

जिस लाइसेंस की प्रणाली को एकाधिकार प्रवृति को रोकने के लिए लागू किया था उसी ने संरक्षित एकाधिकार को बढ़ावा दिया है। बड़े-बड़े जो मल्टी नेशनल्स हैं, उनको जिस तरह से, खास तौर से रिलायेंस टैक्सटाइल्स को एकाधिकार दिया गया और जिस प्रकार से बढ़ने का मौका दिया गया ऐसे किसी को भी बढ़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए।

बढ़ता हुआ प्रशासनिक व्यय हमारी अर्थ-व्यवस्था को काफी नुकसान दे रहा है। उत्पादित राष्ट्रीय आय का प्रबंध करने हेतु आम प्रशासन व्यय का अनुपात तो विकास प्रक्रिया पर भार बनता जा रहा है उसके बारे में आप को कुछ न कुछ करना पड़ेगा 1950-51 के बजट में प्रशासन व्यय राष्ट्रीय आय का 5 प्रतिशत था, वह बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि बहुत अधिक है और इस को कम करने के प्रयास किये जाने चाहिएं। गैर विकास व्यय का 75 प्रतिशत भार सुरक्षा, ब्याज, सब्सिडी आदि पर खर्च होता है। अनुत्पादक व्यय को कम करने के जब भी प्रयास किए गए तब जो कुठाराघाता हुआ वह सामाजिक सेवाओं पर ही हुआ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। तो इसको इस प्रकार से करना चाहिए ताकि सामाजिक सेवाएं भी प्रभावित न हों तथा अनुत्पादक व्यय भी कम हो जाय।

सातवीं योजना में जो विकास दर है उस को पांच परसेंट रखना है तो कृषि क्षेत्र में निरन्तर सुधार लाना आवश्क है। कृषि उत्पादन की दर बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है और गेहूं धान के अलावा दाल और ह्विलहन का भी उत्पादन बढ़े, इस का प्रयास किया जाना चाहिए। कृषि उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि होने से औद्योगिक उत्पादन में सुधार होना स्वाभाविक है। यह वृद्धि 7 प्रतिशत तक पहुंच जाय जो पिछले वर्ष 5.5 या 5.2 प्रतिशत थी तो इससे हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में काफी सुधार होगा और काफी प्रगति होगी। खास तौर से फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारी एकोनामी में आना बहुत जरूरी है। जो राज्य इसका उल्लंघन करते हैं उनको इस की सजा

[श्री महेन्द्र सिंह]

मिलनी चाहिए और जो राज्य उल्लघंन नहीं करते हैं उनको इन्सेन्टिव, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। खास तौर से जो राज्यों के ओवर-ड्राफ्ट्स हैं जो मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान देते हैं। राज्यों के ओवर-ड्राफ्ट्स को कम करना अत्यन्त आवश्यक है जो भी राज्य ओवर ड्राफ्ट ज्यादा करते हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कोई ऐसी स्कीम एनाउन्स करे कि जो राज्य वित्तीय अनुशासन में रहेंगे उनको एडीशनल इन्सेंटिव्ज, अतिरिक्त लाभ मिलेंगे।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देश में विदेशी मुद्रा 5498 करोड़ से बढ़कर अब 6014 करोड़ तक पहुंच गई है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन किया जाए। देश में जितना बिजली का उत्पादन होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। पावर के साथ-साथ दूसरी बहुत आवश्यक चीज जो है वह है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हमारे देश को बाहर से कम से कम पेट्रोल आयात करना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि देश में ही ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन किया जाए। मुझे इस की खुशी है कि इस कार्य के लिये काफी धन का प्रावधान सरकार ने किया है। बिजली उत्पादन के लिए भी पिछले साल के 1484 करोड़ के मुकाबले इस साल 2025 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्थान के लिए भी 200 करोड़ का प्रावधान कया गया है जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। इन सभी चीजों का प्रभाव हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ेगा।

सरकार द्वारा नयी कपड़ा नीति घोषित की जाने वाली है। मेरा अनुरोध है कि कपड़ा सस्ता हो इसके लिसे पूरा प्रयास किया जाना चाहिए और जितनी जल्दी सम्भव हो नयी कपड़ा नीति घोषित की जानी चाहिए।

इसके बाद सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए जायें। इस सम्बन्ध में हुडको मकान बनाने के लिए लोन की व्यवस्था करता है लेकिन जिस प्रकार से कोई सूदखोर बनिया कर्ज देने में व्यवहार करता है उसी पोजीशन में हुडको भी है। जो अनुदान दिये जाते हैं और जो स्पेसिफिकेशन मकान के लिए होते हैं-तथा जिस स्टैंडर्ड को मेन्टेन करने की आशा रखते है, उनका पालन करना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रैक्टिकल स्पेसिफिकेशन रखे जाने चाहिएं तथा गांवों में अधिक से अधिक मकान बनाए जाने चाहिएं। आज जो भ्रष्टाचार है उसका एक मुख्य कारण यह है कि अध्यापकों वह अन्य सरकारी कर्मचारी को जो देहातों में भेजा जाता है उनको कहां पर मकान नहीं मिल पाते हैं। इस बात की भी आवश्यकता है कि मकान बनाने के सामान की कीमत कम हो अन्यथा एक समय ऐसा

इसके अलावा मेरा अनुरोध है कि गांवों में आप सबसे ज्यादा राहत हैंड-पम्प लगाने के लिये दीजिये। प्रत्येक गांव में दो, चार, पांच जितने भी हैंड पम्प आप दे सकें देने की कृपा करें। इसके

लिए आप अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करें ताकि आजादी के 37 सालों के बाद कम से कम पीने के पानी की कोई समस्या न रहे ।

इसके साथ-साथ मेरा आपसे यह निवेदन है कि आज आई० आर० डी० पी० व अन्य प्रोग्राम के तहत जनता को लोन दिया जाता है उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है । बैंकें उसमें बड़े रोड़े डाल रही हैं । हमारे वित्त राज्य मंत्री, पुजारी जी हमारे क्षेत्र में भी आए थे, वे सभी जगह घूमते रहते हैं तथा अपनी ओर से भरसक प्रयास भी कर रहे हैं जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनके ध्यान में यह बात है लेकिन इस सम्बन्ध में अभी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है । खासतौर से बेरोजगारों को जो ऋण दिया जाता है 25 हजार रुपया उसके सम्बन्ध में बहुत अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं । यह ऋण ऐसे परिवारों को दे दिये जाते हैं जो उसको पाने की पात्रता नहीं रखते । इसलिए मंत्री जी मेरा अनुरोध है कि वे इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगाने की कृपा करें कि जिस फैमिली में किसी के पास कोई रोजगार न हो उनको इस मामले में प्राथमिकता दी जाए । इस प्रकार से प्राथमिकता देने की कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए जिससे कि लोगों को, जिनको कि उसकी नितान्त आवश्यकता है, उसका फायदा मिल सके ।

अब चूंकि सभापति महोदय और समय नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं इतना ही कहते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं । वह बजट बड़े सूझ-बूझ, कल्पनाशीलता, विवेक तथा बहुत ही विद्वतापूर्ण ढंग से बनाया गया है । समाज के सभी वर्ग इस बजट के द्वारा लाभान्वित होंगे ।

आदरणीय सभापति जी, आप तो जानते हैं कि अपना देश एक बहुत बड़ा देश है और एक विकाशील देश है । इसके विकास की अति संभावनायें हैं । इस देश में निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आप वर्ग सभी प्रकार के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं । यह बजट सभी वर्गों की सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए बनाया गया है और मेरी यह मान्यता है कि इस बजट से पूरे वर्ग को समुचित लाभ होगा । यदि आप एक नजर बजट पर डालें, तो हम पायेंगे कि जहां तक आयकर की बात है, पन्द्रह हजार की सीमा को बढ़ाकर अठारह हजार तक किया गया है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है । निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा तबका इससे लाभान्वित होगा । वैल्थ-टैक्स में भी इसी प्रकार की बात कही गई है । ढेढ़ लाख का स्लैब ऊपर उठाकर ढाई लाख तक किया गया है और टैक्स पांच परसेंट से घटाकर दो परसेंट किया गया है । यह भी अपने देश के लिये अच्छी बात है, क्योंकि अधिकांश लोग इस कैटेगरी में आते हैं । इसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना अपने आप में एक यूनिक चीज है और मेरी मान्यता है कि इससे देश को काफी लाभ होगा । देश के काश्तकार लाभान्वित होंगे, किसान लाभान्वित होंगें और इसका बहुत अच्छा असर हमारे देश के ऊपर पड़ेगा ।

[श्री लाल विजय प्रताप सिंह]

इसके अलावा एक बात मैं और बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं और वह यह है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में धन देने की बात अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों के पास बहुत बड़ी संख्या में कालाधन है, जिस को वे दबाकर रखते हैं, लेकिन यदि वह प्रधानमंत्री राहतकोष में जमा करेगा, तो उसको राहत दी जाएगी। यह बहुत ही अच्छा कदम है और इससे कालाधन सामने आएगा और एक अच्छे रूप में उसका प्रयोग किया जा सकेगा।

जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, उनको जबरन कम्पलसरी डिपॉजिट करना पड़ता था और इससे छुटकारा पाने के लिए हमेशा मांग आती रही है। हमारे संवेदनशील वित्त मंत्री जी ने इस बात को मद्दे नजर रखते हुए, इस बात से पूरे तौर पर छुटकारा दिलाया है तथा इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक बोनस का सवाल है, उसको 750 रु० से 1500 रुपए करने की बात कही गई है। दुर्घटना की स्थिति में लोगों को कम्पैसिशन देने की बात भी कही गई है। ये सारी बातें देखने में ज्यादा महत्त्वपूर्ण नजर नहीं आती, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इतना ही नहीं खिलाड़ियों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए छूट दी गई है और वैज्ञानिकों को भी इसी परिधि में रखा गया है तथा लेखकों को भी जो बहुत ही विद्वतापूर्वक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विश्वविख्यात स्तर की पुस्तकें, शब्दकोष तथा नई-नई चीजों का निर्माण करते हैं, उन्हें भी इस छूट की सीमा में रखा गया है। मैं इन सब चीजों का स्वागत करता हूं।

इस प्रकार से यदि हम कुल मिला कर देखें तो हमारे बड़े ही संवेदनशील वित्त मंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से, अपनी कल्पना के दायरे में बांध कर, इसे व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत किया है। यदि हम ठीक तरीके से इस को लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर, हमारे प्रतिपक्ष के भाईयों ने इसके प्रति जो सन्देह प्रकट किया है कि इसे मंहगाई बढ़ेगी, वह नहीं बढ़ेगी, बल्कि कीमतों में इससे गिरावट आयेगी।

लेकिन एक-दो बातें ऐसी हैं जिन्हें, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक पैट्रोलियम और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स का सवाल है, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार उन पर पुनः विचार करें, क्योंकि ये ऐसी वस्तुयें हैं जो आम जनता की सुविधा के लिये हैं। जैसे पैट्रोलियम है, इस से पूरा देश लाभान्वित होता है, पूरे देश में छोटे से छोटा काश्तकार हो या श्रमिक भाई हो, सब इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें, इस की जांच करें और फिर से गम्भीरतापूर्वक विचार करें। अन्ततः यह फैसला उन्हें ही करना होगा कि इसमें कुछ राहत दी जाए।

एक बहुत ही सराहनीय बात इस बजट में परिलक्षित होती है— जो आपने आधुनिक कम्प्यूटर्स और दवाओं के लिए की है। आपने टी० बी० या अन्य बड़ी बीमारियों के लिए

आवश्यक दवाइयां इम्पोर्ट करने का प्रावधान इस में किया है, इसी तरह से कुछ अन्य सुविधायें भी इस बजट के माध्यम से देश की जनता के लिये दी गई हैं, जिनका वास्तव में स्वागत किया जाना चाहिये ।

मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं—जिस क्षेत्र से मैं चुनकर यहां आया हूं—हमारा सरगुजा जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है । इस क्षेत्र में अधिकांश आदिवासी निवास करते हैं । इस जिले से हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन, कोयला और अन्य बहुत सी उपयोगी वस्तुयें पूरे देश के हित के लिए देते हैं । यहां पर विकास की असीम सम्भावनायें हैं, परन्तु बड़े ही दुख की बात है कि अनेक कारगर प्रयासों के बावजूद यह जिला देश की मुख्य धारा में अभी तक नहीं जुड़ पाया है । इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई ऐसी योजनायें हैं जो बड़ी ही मंदगति से वहां चलाई जा रही हैं । चाहे पिछड़ेपन के कारण हों या अज्ञानता के कारण हों, या अन्य दूसरे कारण हों वहां गति लाने के लिये कुछ अधिक एवं अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है । इस जिले में पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट है । मैं चाहूंगा कि इस जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए तथा इसके समुचित विकास के लिये कम से कम पीने के पानी की उचित व्यवस्था होनी नितान्त आवश्यक है । मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं—यदि आप ठीक तरह से इस जिले की तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से हमारा यह जिला मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएगा

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट यहां पेश किया ।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : सभापति महोदय, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं क्योंकि इस बजट में करों में कटौती की गई है तथा यह बजट विकासोन्मुख है । इस बजट में ईमानदारी से भारत को आधुनिक बनाने तथा 20 सदी के दौरान खुशहाल बनाने का प्रयास किया गया है । आज की पीढ़ी की यही इच्छा है जिसके प्रतीक हैं भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और बजट में यही प्रतिनिष्ठित होता है । बजट से इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है कि विश्वव्यापी होड़ के युग में भारत को तकनीकी और औद्योगिक दृष्टि से विकसित और आधुनिक बनाया जा सके । इस बजट में इस बात पर बल दिया गया है कि अवैज्ञानिक और अनियोजित तरीके से विकास के बजाय थोड़े से क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना बेहतर है और मैं इस विचार धारा का स्वागत करता हूं । लडकियों को निःशुल्क शिक्षा देने, औद्योगिक श्रमिकों तथा दुर्घटनाग्रस्त लोगों को लाभ देने, काला धन समाप्त करने, विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने, संस्कृति तथा खेल-कूद के क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा बढ़ाने आदि के संबंध में जो उपाय किए गए हैं, वे प्रशंसनीय है तथा देश की युवा पीढ़ी को इससे लाभ होगा ।

[श्री जगन्नाथ पटनायक]

इस बजट को तैयार करते समय संभवतः वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय के सामने तीन विकल्प थे। पहला, योजनाएं कम की जाएं, ऋण की मात्रा काफी बढ़ाई जाए और तीसरा कर लगाए जाएं और इनमें से हमारे वित्त मंत्री महोदय ने एक कदम ठीक विकल्प चुना है न उन्होंने योजनाओं को कम किया है, न ऋण लेकर भावी पीढ़ी के लिए समस्याएं पैदा की हैं, अपितु कुछ कराधान किया है। व्यवहारिक रूप से जहां तक मेरा विचार है वही सबसे बढ़िया समाधान है।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था के बारे में बहुत जागरूक और सतर्क रहना होगा क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था जुए की अर्थ व्यवस्था है, यह मौसम पर निर्भर है और यदि मौसम हमारे अनुकूल नहीं है तो मुद्रास्फीति की बहुत संभावना होती है और इस बजट में हमने जो खतरा उठाया है उसे विपत्ति का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः मेरा सुझाव यह है कि हमें खाद्यान्नों और उर्वरक के लिए पर्याप्त राज सहायता देनी चाहिए। विशेषरूप से हमें ग्रामीणों तथा कम आय वाले लोगों को सस्ता भोजन सप्लाई करना चाहिए। इसी तरह, किसानों को उर्वरकों तथा अन्य निवेशों के मामले में पर्याप्त प्रोत्साहन तथा राज-सहायता दी जानी चाहिए। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जैसा कि चुनावों के दौरान उनसे बातचीत करते हुए हमने महसूस किया किसानों के मन में यह भावना है, कि यद्यपि इस देश की अर्थ-व्यवस्था ग्रामीण और कृषि प्रधान है लेकिन वास्तव में उनके साथ समुचित न्याय नहीं किया जाता। अतः हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बजट में हमने सभी क्षेत्रों में, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र को रियायतें दी हैं लेकिन हमने कृषकों को पर्याप्त प्रोत्साहन तथा राज सहायता नहीं दी है। अतः हमें ऐसा करना चाहिये।

जहां तक हमारी औद्योगिक नीति का संबंध है, हमने बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगपतियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया है, अब उन्हें यह शिकायत नहीं हो सकती कि सरकार उन्हें खुले वातावरण में विकास नहीं करने दे रही। अब उन्हें उचित विकास का अवसर दिया गया है। अब यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देखे क्या उद्योगपति उद्योग के विकास के लिए उन्हें दी गई रियायतों का पूरा लाभ उठा रहे हैं या नहीं। अब हमें और सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हमने उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन दिए हैं।

उद्योग के विकास के लिए मात्र वित्त का प्रावधान करना या उन्हें करों में रियायतें देना ही काफी नहीं हैं। हमें कच्चे माल तथा विद्युत उत्पादन पर भी ध्यान देना होगा।

हम सब समाजवाद में विश्वास रखते हैं। यह दल विशेष का मामला नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। हमने संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों संबंधी अनुच्छेद 38 और 39 में सबको सामाजिक न्याय देने की प्रतिज्ञा की है। अतः अब हमें कृषि और उद्योग के क्षेत्र में विकास के बारे में और अधिक सतर्क रहना चाहिए। समान वितरण के द्वारा उचित

न्याय किया जाना चाहिए ताकि समाजवाद बना रहे। हमें क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उस दृष्टि से हमें उन राज्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो कृषि अथवा औद्योगिक दृष्टि से विकसित नहीं है, जहां की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। हमें केवल राज्यों में ही नहीं अपितु जिला स्तर पर इस विचारधारा का प्रसार करना चाहिए ताकि देश के सभी भागों के साथ उचित न्याय किया जाए।

यद्यपि खनिजों की दृष्टि से उड़ीसा राज्य बहुत समृद्ध है परन्तु इन वर्षों में राजनैतिक अस्थिरता के कारण यह राज्य निर्धन और पिछड़ा रह गया है। अब वहां राजनैतिक अस्थिरता नहीं है और हम इस राज्य को औद्योगिक और कृषि की दृष्टि से विकासित राज्यों के स्तर तक लाना चाहते हैं। हमारे पिछड़ेपन का एक कारण यह है कि हमारे यहां सिंचाई तथा बिजली की सुविधाओं की कमी है। अतः उड़ीसा राज्य के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए तथा यहां और अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए ताकि अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सके, जो कि वास्तव में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पहला सूत्र है।

इन्द्रावती परियोजना, जो कि इस समय की सबसे बड़ी परियोजना है, में धन की कमी के कारण प्रगति बहुत धीमी है। इस परियोजना से न केवल सिंचाई में सहायता मिलेगी अपितु इससे 600 मेगावाट तक बिजली भी पैदा की जा सकेगी। अतः इस परियोजना के लिए और धन आंवटित किया जाना चाहिए।

चूंकि हमारे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है, जिस के निकट एक तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। तालचेर में एक सुपर तापीय बिजली घर लगाने पर विचार किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए।

राज्य तथा राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए रेलवे सुविधाओं में सुधार करना आवश्यक है। अतः तालचेर-संबलपुर लाइन और अंवागुदा-जैपोर लाइन पर बिना और विलंब किए तुरन्त काम आरम्भ किया जाना चाहिए। क्योंकि यह लाइन कालाहांडी को जोड़गी। जहां बाक्साइट आदि खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए पिछड़े राज्यों और पिछड़े जिलों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। योजना आयोग का एक स्वतंत्र निगरानी कक्ष होना चाहिए, जिसे समय-समय पर इसकी प्रगति का मूल्यांकन कर उसे अपनी पत्रिका योजना, में प्रकाशित करना चाहिए।

मैं पुनः इस बजट का स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें सभी वर्गों के लोगों पर ध्यान दिया गया है। अंत में मैं पुरजोर निवेदन करूंगा कि मिट्टी के तेल तथा खाना पकाने की गैस पर जो अधिक शुल्क लगाया गया है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए अथवा वृद्धि समाप्त की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए आमन्त्रित किया, उसके बाद अपने वित्तमन्त्री जी के विद्वतापूर्ण और साहसपूर्ण रखे गये बजट के लिये उन्हें इसलिए बधाई देता हूं कि पिछले कई वर्षों से बजट में इस प्रकार की बातें नहीं आईं, जैसी कि इस बार आई हैं। बड़ी कम्पनियों को कर के सम्बन्ध में राहत, कंपलसरी डिपाजिट के संबंध में, इलेक्ट्रानिक्स के सम्बन्ध में, लेखकों के और खासतौर से हिन्दी और सभी भाषाओं के लेखकों पर 25 प्रतिशत छूट के सम्बन्ध में, ये सारी विशेषताएं इस बजट में हैं, जिसके लिए भूरि-भूरि प्रशंसा उनको मिलनी चाहिए। प्रतिपक्ष ने इस सम्बन्ध में जो हमले किए, वे मैं समझता हूं कि बिल्कुल अनुचित हैं और शुद्ध रूप से विरोध के लिए किया गया विरोध है।

हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट में कुछ बातों का उल्लेख किया है और उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट के प्रारम्भ में हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री इंदिरा जी के वाक्य को उद्धृत किया है—इस विशाल और वैविध्यपूर्ण देश का कोई हिस्सा भुलाया न जाए, ऐसा बजट में दृष्टिकोण रखा गया है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, परन्तु एक बात की ओर उनका ध्यान आकर्षित करता हूं कि आज से बहुत साल पहले जब स्वतन्त्रता की पूर्व बेला में हमारे महान् नेता और प्रथम प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र की बागडोर संभाली थी 1946 में तब वे महात्मा गांधी जी के चरणों के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि बापू आशीर्वाद दीजिए और यह बताइये कि देश का काम किस तरह से किया जाए। बापू ने एक मन्त्र दिया था कि तुम जब भी कोई निर्णय करना शुरू करो या विचार करो तो अपनी आंखों के सामने इस देश के सबसे गरीब आदमी का चेहरा अपनी आंखों के सामने रख लेना, उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगे, वह सम्पूर्ण देश के लिए हितकर होगा। मुझे वित्त मन्त्री महोदय से इतना निवेदन अवश्य करना है कि जहां उन्होंने वैविध्यपूर्ण भारत का चित्र इसमें खींचा, लेकिन पूज्य बापू के निर्देश को उन्होंने एक जगह पर भुला दिया है, खासकर के पैट्रोलियम कर की वृद्धि के समय वे यह भूल गये हैं कि आज के भारत में पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन और गैस सिलेंडर ये सब अब बड़े आदमियों की चीजें नहीं रह गई है, ये छोटे आदमियों की भी चीजें रह गई हैं और मिडिल क्लास में इनका बहुत जबरदस्त उपयोग होता है। ऐसा कौन सा अच्छा किसान है, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है और जिसमें डीजल न डलता हो। गांव की आखिरी झोंपड़ी तक अगर कोई तेल जलता है तो वह मिट्टी का तेल है और बीड़ी तक को नहीं छोड़ा गया है जो हमारे देश का सबसे न्यूनतम आय वाला व्यक्ति पीता है। तो मेरा वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में पुनः विचार करें पेट्रोल पर लगभग एक रुपये लीटर, कुकिंग गैस पर लगभग 6 रुपया और कैरोसीन पर लगभग पौन रुपया, यह सब बढ़ा देना मैं समझता हूं कि इस देश के गरीब नागरिकों पर बहुत बड़ा बोझ है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

मेरा निवेदन यह भी है कि कागज पर जो बढ़ोत्तरी की गई है वह उचित नहीं है । देश भर में अभी भी साक्षरता के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है और जिस देश को प्रचार-प्रसार साधनों के लिए ही नहीं अभी किताबों के लिए, कापियों के लिए करोड़ों बच्चों को पढ़ाने के लिए कागज की जरूरत पड़ती है, वहां कागज के मूल्यों में वृद्धि अत्यन्त चिन्ता का विषय है मैं समझता हूं । हमारा वित्त मन्त्रालय और हमारे वित्त मन्त्री महोदय जो स्वयं बड़े समझदार और पढ़े-लिखे विद्वान व्यक्ति हैं उनके दिमाग से मैं समझता हूं कि यह चीज कभी नहीं जाएगी कि साहित्य का काम हो और शिक्षा का काम हो तो कागज की जबरदस्त आवश्यकता होती है । इस पर वे पुनः विचार करेंगे ।

मैं उनको एक बात के लिए निश्चित रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने बजट को गतिशील बनाये रखा है और इस आलोचना की परवाह नहीं की है कि हमारे प्रतिपक्ष के लोग उनको बड़े आदमी का समर्थक या पूंजीपतियों का समर्थक या इस प्रकार के अन्य अनर्गल आरोपों से उनको लाद देंगे, इसकी चिन्ता उन्होंने नहीं की और जैसा कि एक अच्छे देश के अच्छे वित्त मन्त्री को अच्छे देश के भविष्य निर्माण के लिए काम करना चाहिए, उन्होंने भरपूर ढंग से उस काम को किया है । वैयक्तिक स्तर पर आय कर की सीमा 15 हजार से 18 हजार तक की है । मैं समझता हूं, वह कम है आज के भारत में कम से कम दो हजार पाने वालों की संख्या बहुत बढ़ी है चाहे वह बैंक या बीमा निगम का कर्मचारी हो या प्रोफेसर या अध्यापक हो । किसी भी मध्यम वर्ग के आदमी को देखेंगे तो उसकी आमदनी साल में पच्चीस हजार से कम नहीं होती है । यह सीमा बीस हजार तक तो अवश्य होनी चाहिए थी । ऐसा न करके वित्त मन्त्रालय ने थोड़ा संकुचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । मेरा अनुरोध है कि इस संकोच को वित्त मन्त्री जी अवश्य दूर करेंगे और बजाय 18 हजार से 25 हजार तक करेंगे । शिक्षा, श्रम और उद्योग के सम्बन्ध में जो प्रावधान किये गये हैं, उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । कानपुर नगर से मैं लोकसभा का सदस्य चुना गया हूं । वहां की दो-तीन मिलें बन्द हैं । वित्त मन्त्री जब वाणिज्य मन्त्रालय में थे तो स्वयं इन्होंने जे० के० रेयान मिल पर भाषण करते हुये कहा था कि इस मिल को जल्द ही खोल दिया जाएगा । उस घोषणा को किए हुये दो-तीन वर्ष हो चुके हैं । जे० के० मैन्यूफेक्चर्र वह दूसरा मिल है जो सात-आठ सालों से बन्द है । वहां के हजारों कर्मचारी बेकारी का शिकार हो गये हैं । उनको न जीने का और न मरने का अधिकार मिलता है । मैं समझता हूं जिन बड़े पूंजीपति मिल-मालिकों के द्वारा मिल का संचालन होता है, उन पर हमारे नियंत्रण की कमजोरी इन गरीब मजदूरों को परेशान कर रही है । वित्त मन्त्रालय अगर रुपया देकर के उसका अधिग्रहण कर ले तो मैं समझता हूं, मामला कुछ हद तक हल हो सकता है । वहां के संचालकगण उस मिल को चलाने की स्थिति में नहीं हैं । जब चलाने के लिये जोर डाला गया तो प्रदेश की सरकार द्वारा कोर्ट में चले गये और स्टे आर्डर लेकर बैठ गए । इससे जिन कर्मचारियों को कष्ट होता है, उनका निराकरण कैसे होगा । टैक्सटाइल की नई नीति आयेगी तो उससे बहुत से हिस्से प्रभावित होंगे उसका असर कानपुर पर भी पड़ेगा क्योंकि कपड़ा उद्योग सबसे अधिक कानपुर में है । आधुनिकीकरण का हम सब स्वागत करेंगे । इससे अगर मेहनत-कश मजदूरों का अहित होगा तो स्वीकार करने में कठिनाई आयेगी । घोषित होने के बाद ही

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

पता चलेगा कि नयी टैक्सटाइल्स नीति कैसी होगी। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाये कि मजदूरों को कोई कठिनाई पैदा न हो। शिक्षा के लिये जो रुपया दिया गया है वह बहुत कम है। भारतीय शिक्षा की ऐसी दुर्दशा है कि हरेक प्रदेश के अन्तर्गत शिक्षा का क्षेत्र होने के कारण न तो त्रिभाषा फार्मूला लागू होता है और न भाषा के बारे में कोई स्पष्ट नीति मालूम पड़ती है। कोई शुरू से या तीसरी से या कोई चौथी से ही अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर देता। किसी जगह पर तो अंग्रेजी पढ़ाई भी नहीं जाती है और किसी प्रदेश में तो हिन्दी का नाम ही नहीं है। त्रिभाषा फार्मूले के बारे में चर्चा उठाई जाती है तो कहा जाता है कि आर्थिक संसाधनों की कमी है। इस देश में अधिकांश लोगों की भाषा हिन्दी है। हिन्दी में काम न करना और अनेक बार नीतियों को बदलना, यह सब प्रादेशिक स्तर पर होता रहता है। मैं निवेदन करता हूं कि भाषा नीति स्पष्ट होनी चाहिए। देश को आजाद हुए 38 वर्ष हो गए लेकिन हमारा दृष्टिकोण साफ नहीं हो सका है कि कितनी देर और कहां तक अंग्रेजी को चलाना है। हिन्दी और भारतीय भाषाओं को महत्व नहीं मिलेगा तो स्वराज्य का अर्थ कुछ नहीं होता। बापू ने कहा था कि वह राष्ट्र गूंगा है जिसमें राष्ट्र की भाषाओं में पूर्णतः कार्य न हो और उसका विकास न हो। सच बात यह है कि हिन्दी के मामले में हमारा काम बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी राष्ट्र भाषा के विकास के लिए और सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं के प्रचार और विकास के लिए काफी मात्रा में धन दें। यह बहुत बड़ी चीज है। इसके बिना राष्ट्र गूंगा रहेगा। देश को मुखरित करने के लिए; उसमें प्राण फूंकने के लिए आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में कोई कोताही न की जाए। यदि पैसों की कहीं कमी है और इस कारण भारतीय भाषाएं पिछड़ रही हों तो उस पैसे की कमी को दूर किया जाए ताकि भारतीय भाषाएं विकसित हो सकें और भारतीय जन-मानस का मुखरित रूप दुनिया के सामने आ सके।

मुझे यहां एक प्रार्थना और करनी है कि हमारे देश में श्रमिकों की समस्याएं ही बहुत जटिल हैं। सर्वप्रथम तो श्रमिकों के आवास की भारी कठिनाइयां हैं और देश के महानगरों में कल-कारखानों के अन्दर काम करने वाले हजारों और लाखों मजदूर ऐसे ही अपना जीवन गुजारते हैं। मुझे कानपुर का अनुभव है, जहां मिलों में काम करते हुए मजदूरों को वर्षों बीत गये हैं परन्तु अब भी उनको झोंपड़ियों में ही निवास करना पड़ता है। उनको सिर ढकने के लिये कोई छत या फ्लैट नहीं दिया गया है। दूसरी ओर कानपुर नगर में भारी संख्या में आवासीय क्वार्टर्स बने हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि कानपुर नगर में, जहां लगभग पांच लाख मजदूर और मेहनतकश कर्मचारी हैं, जिनके रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, उनमें से लगभग दो लाख आदमी प्रतिदिन रात्रि में फुटपाथों पर विश्राम करते हैं, सारी गर्मी, बरसात और जाड़े का सीजन वे ऐसे ही निकाल देते हैं, ठण्ड से ठिठुरते रहते हैं, पानी से भीगते रहते हैं और उनकी झोपड़ियों में पानी टपकता रहता है, उनके निवास के लिये सरकार कम से कम एक छत की तो व्यवस्था करे। मैं सिर्फ कानपुर की ही बात नहीं करता, देश में जितने भी औद्योगिक नगर हैं, जहां मजदूरों के लिये आवास की व्यवस्था नहीं है या बहुत कम है, उसके लिये उचित प्रावधान आप करें। चाहें

आप उनके लिये छोटे क्वार्टर बनायें या बड़े क्वार्टर बनाये, कम से कम निवास के लिये एक छत का प्रावधान तो अवश्य होना चाहिये । कल्याणकारी राज्य के लिये, यदि हम भोजन, चिकित्सा, खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरह न भी कर सकें, उनकी बेकारी के लिये कुछ व्यवस्था न कर सकें, सिर ढकने की व्यवस्था तो होनी ही चाहिये ।

बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने कृषि तथा फसल बीमा-योजना आरम्भ की है, लेकिन अभी वह बहुत शैशव अवस्था में हैं, बहुत सीमित रूप में रखी गई है । मैं चाहता हूं कि उसका और विस्तार किया जाये तथा मजदूर भाइयों के साथ-साथ डिफेंस कर्मचारियों के लिये भी, जिनकी संख्या लगभग डेढ़ लाख है, उनके लिये भी कोई लेबर कालोनी नहीं बनी है । आवास की व्यवस्था के लिये उचित पग उठाये जाएं । मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी इन कामों की ओर ध्यान दें और इनके लिये संसाधन दें ताकि कल्याणकारी कार्यों को किया जा सके । इस बजट का सम्पूर्ण भारतवर्ष के सभी वर्गों के लिये प्रसन्नता का विषय है । यह आम आदमी के लिये भी हर्ष का कारण बने, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

5.58 म०प०

कृषि उत्पाद के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने की अविलम्ब आवश्यकताओं पर चर्चा

~~किसानों को कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने की तुरन्त आवश्यता पर चर्चा~~

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब 6 बजने में 2 मिनट बाकी हैं जब हम नियम 193 के अधीन किसानों कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने की तुरन्त आवश्यकता पर चर्चा शुरू करेंगे । प्रो० मधु दंडवते ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सभापति महोदय, मैं किसानों को कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने की तुरन्त आवश्यकता पर चर्चा शुरू करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, हमारे देश में, संगठित श्रमिकों तथा उद्योगों की तरफदारी करने वालों की आवाज साधारणतया सुनाई देती रहती है । लेकिन दुर्भाग्यवश, किसान जिस पर हमारी देश की सारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है उनकी आवाज उठाने वालों की कमी है । मैं किसानों की मांगों तथा आकांक्षाओं के लिए अवाज उठाने के लिए नियम 193 के अधीन यह चर्चा उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं । प्रश्न लाभप्रद मूल्यों का है । किसी भी कृषि उपज के लिए हमेशा के लिए लाभप्रद मूल्य निर्धारित करना एक निरर्थक बात है । कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य मूलतः कृषि क्षेत्र में उत्पादन

लागत पर निर्भर करता है और उत्पादन लागत उर्वरकों तथा अन्य आदानों जैसे पानी, बिजली, डीजल तिलहन आदि के मूल्यों पर निर्भर करती है।

प्रो० एन० जी रंगा (गुन्टूर) : और उधार पर भी

6.00 म० प०

प्रो० मधु दंडवते : प्रो० रंगा ने बहुत महत्त्वपूर्ण बात कही है कि किसानों को कृषि को सफल बनाने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है।

इसलिए लाभप्रद मूल्यों की समस्या वास्तव में किसानों की आसानी से और सस्ते दामों पर आदान उपलब्ध कराने की समस्या है।

हमारे यहां कृषि मूल्य आयोग है। वास्तव में कृषि मूल्य आयोग का मूलभूत सिद्धांत कृषि लागत आयोग होना चाहिए क्योंकि मूलभूत रूप से लागत से जुड़े होते हैं और इसलिए अगर हम किसान की उत्पादन लागत की समस्या को हल कर लेते हैं तो हम कृषि मूल्यों को प्रभावी ढंग से हल कर सकेंगे।

दुर्भाग्यवश, जब हम औद्योगिक माल का मूल्य निर्धारण के लिए जो सिद्धांत अपनाये जाते हैं उनको कृषि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण के लिए जो सिद्धांत सामान्य तौर से अपनाये जाते हैं से मिलते हैं तो इनमें भेदभाव की भावना का हमें पता चलता है। दोनो में अन्तर है। दृष्टांत के लिए जब किसी वस्तु जैसे कपड़ा जो एक औद्योगिक वस्तु है का मूल्य निर्धारण किया जाता है तो लगभग सभी महत्त्वपूर्ण पहलूओं को ध्यान में रखा जाता है। ऊर्जा पर खर्च, परिवहन खर्च, प्रयुक्त कच्चा माल कपड़ा बनाने वाले श्रमिकों पर जो खर्च होगा ये सभी पहलू ध्यान में रखे जाते हैं। लेकिन जहां तक कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का संबंध है ऐसा हमेशा नहीं होता—मैं नहीं कहूंगा, इन बातों का कभी भी ध्यान नहीं रखा जाता कि ये सब पहलू ध्यान में रखे जाते हों। कृषि वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय कृषि वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु की ओर ध्यान देना जरूरी है।

6.02 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कृषि मूल्य आयोग में मूल्यों का निर्धारण करने में कौन से लोगों की मुख्य भूमिका है ? मैं कृषि मूल्य आयोग के किसी विशेषज्ञ या किसी सदस्य पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक अनुभव, जो वित्तिय पत्रिका में छपा है का उल्लेख करूंगा। जब एक विशेषज्ञ प्रो० रंगा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आये थे तो उन्हें कुछ किलोग्राम की एक वस्तु देखी तो उन्होंने कहा कि इतनी मात्रा में इस वस्तु की उगाने के कितना बड़ा पेड़ होगा। मैं नहीं जानता

कि उन्होंने यह बात विनोद से कही थी या कि उन्होंने अपनी आज्ञानता के मौलिक अधिकार का प्रयोग किया था। मैं यह नहीं जानता।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जनता दल का आदमी है।

प्रो० मधु दंडवते : वह जनता दल के आदमी नहीं है। जनता दल के आदमी कृषकों के हितों का ध्यान रखते है।

अब मैं अपना अनुभव बताऊँगा। मैंने अपने दिल्ली के एक मित्र से जो अपने आपको कृषि अर्थशास्त्री बताते है; कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने में कौन से पहलू होने चाहिए, कर निर्धारण करने में विशेषज्ञ लगते है से पूछा—क्या आप मुझे रबी और खरीफ में अन्तर बता सकते हैं ? आपको यह जानकर धक्का लगेगा और आश्चर्य होगा कि वह मुझे रबी और खरीफ में अन्तर नहीं बता सके। तब मैंने विनोद भाव से उनसे पूछा कि क्या मुझे आप इतना बता सकते हैं कि ये नाम औरतों के हैं या फसलों के हैं ? उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और मैं और अधिक जोरों से हंसा। यह कोई मन गढन्त बात नहीं है। यह मेरे साथ हुआ है विनोद के पहलू को अलग छोड़ दीजिए। लेकिन ये पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देना है।

जो मैं कहना चाहता था वह यह है। हमारा एक कृषि मूल्य आयोग होना चाहिए। मैं इस संस्था के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूं। हमारे जैसे देश में जो योजनाओं में आस्था रखता है और जहां विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करना है, यह अति आवश्यक है कि योजना आयोग तथा कृषि मूल्य आयोग जैसे संगठन हों। लेकिन प्रश्न यह है कि कृषि मूल्य आयोग का ढांचा तथा इसका गठन किस प्रकार का हो।

कृषि क्षेत्र का ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं है। इस देश में यह एक प्रयोगात्मक ज्ञान की तरह से है। मेरा हमारे देश में काफी संख्या में ऐसे कृषकों से वास्ता पड़ा है जिनके पास कृषि में कोई डिग्री नहीं है। इसके बावजूद उनके पास कृषि का व्यवहारिक ज्ञान है। विभिन्न पहलू जो उत्पादन लागत से संबंधित है, तथा विभिन्न पहलू जो सामान्यतः कृषि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करते हैं से वे पूरी तरह से परिचित हैं। मैं यह चाहता हूं कि ऐसे प्रतिनिधि जो अपने निजी अनुभव तथा व्यवहारिक ज्ञान के कारण कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है, को भी कृषि मूल्य आयोग में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और अगर ऐसा किया जाता है तो शायद कृषकों को अधिक न्याय मिल सकेगा। मैं कोई अव्यवहारिक प्रस्ताव नहीं दे रहा हूं। जब संगठित श्रमिकों का हितों की बात होती है तो विभिन्न समितियां बनाई जाती है तथा सैंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों श्रमिक हित से संबंधित निकायों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

अगर सैंटल ट्रेड यूनियन संगठनों को ऐसे निकायों में, जो देश के श्रमिक वर्ग के भाग्य का फैसला करते हैं, प्रतिनिधित्व मिलता है, मैं नहीं समझ पाता कि इस देश के किसानों को क्यों

[प्रो० मधु दंडवते]

समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता ताकि व्यवहारिक ज्ञान के बल पर अच्छे फैसले किया जा सके। यह स्थिति है।

जोशी समिति ने एक और महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की है। समिति ने कहा है :—

"परिवार के सदस्यों की आय में अपनी जमीन का किराया तथा जमा पूंजी पर ब्याज सबको आकलित आय के रूप में भावना बड़ी भारी भूल है।"

मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे विचार कि विद्वान् जगत मेरे अनुभव को समझेगा ऐसी चेतावनियों तथा सावधानियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं एक और महत्त्वपूर्ण पहलू पर बोलूंगा, जहां तक मूल्य ढांचे का संबंध है मैं एक और महत्त्वपूर्ण पहलू के बारे में बोलूंगा और वह हैं कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में समानता। विभिन्न पहलू जो औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में इस्तेमाल किये जाते हैं का उल्लेख करने के बाद अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है कृषि उत्पादन मूल्यों तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों के के बीच एक प्रकार की समानता तथा संतुलन स्थापित करना।

प्रो० एन० जी० रंगा : व्यवसायिक वेतन तथा भत्ते भी।

प्रो० मधु दंडवते : अवश्य ही यह उसी का ही हिस्सा है औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य सही ढंग से तैयार किये गये सूचकांकों पर आधारित होते हैं। सूचकांक के लिए एक फार्मूला है और जब श्रमिक वर्ग यह देखता है कि सूचकांक बनाने वाली मशीनरी ठीक नहीं है, अगर यह मशीनरी पर्याप्त नहीं है तो समितियां नियुक्त कर दी जाती हैं और सूचकांक प्रणाली में संशोधन किया जाता है। कुछ संशोधन किए जाते हैं लेकिन जहां तक कृषि वस्तुओं का संबंध है कोई भी सूचकांक ठीक ढांचे पर नहीं बना हुआ है जिसके आधार पर मूल्य निर्धारित किये जा सकें। और इसलिए हमें ठीक से ढांचे में पुनः परिवर्तन करके औद्योगिक वस्तुओं तथा कृषि वस्तुओं का सूचकांक बनाना चाहिए और एक बार यह कार्य कर लिया गया तो औद्योगिक तथा कृषि वस्तुओं के मध्य समामता या संतुलन रखना हमारे लिए संभव हो जायेगा। कुछ आधार कृषि मूल्यों के निर्धारण के लिए बनाना होगा और कृषि और औद्योगिक मूल्यों के बीच समानता अच्छा फल लाएगी और जो किसानों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगी और ऐसी अवस्था में उत्पादन बढ़ेगा।

अगला पहलू जिस पर मैं बहुत जल्दी में कुछ कहूंगा वह मूल्यों में उतार-चढ़ाव का प्रश्न है। कृषकों के लिए कृषि वस्तुओं के मूल्यों के लिए खराब बात अगर कोई है तो वह है कृषि वस्तुओं के मूल्यों में थोड़े-थोड़े समय के बाद उतार-चढ़ाव आना और इसलिए कृषि वस्तुओं में संतुलन नहीं बन पाता है। इनको लगातार बाहरी कारणों से डर बना रहता है तथा कृषि मूल्यों में उतार-चढ़ावों से कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी करने में भी कृषि मूल्यों का उतार-चढ़ाव एक

बहुत बड़ा हतोत्साहन है। अतः सबसे अच्छा तथा स्वीकार्य तरीका यह होगा कि बुआई का मौसम आरम्भ होने से पहले ही कृषि मूल्य घोषित कर दिए जायें। कृषकों को बुआई मौसम से पहले कृषि संबंधी प्रयोग आरम्भ करते समय सम्भावी उतार चढ़ावों से डरना नहीं चाहिए। उन्हें यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि यह उचित किसानों को उचित मूल्य दिया जाएगा।

यह एक बहुत बड़े प्रोत्साहन का कार्य करेगा और एक बार आपने किसानों को प्रोत्साहन दे दिया तो वह देश के लिए पहले से कहीं अधिक उत्पादन करेगा।

अतः मैं सुझाव देता हूं कि कृषि वस्तुओं को निश्चित मूल्यों की घोषणा बुआई मौसम से बहुत पहले, कर दी जानी चाहिये ताकि वह एक प्रोत्साहन की तरह कार्य कर सके। उसके बाद पर्याप्त बफर स्टाक बना कर और एक संतुलित आयात और निर्यात की नीति भी मूल्यों में लगातार होने वाले उतार चढ़ावों को रोकने में भी सहायक होगी। अगर काफी मात्रा में सुरक्षित बफर स्टाक बनाया जाए तो उस अवस्था में कृषकों को लाभ होगा, सामान्य समुदाय को इससे लाभ होगा, उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा; सरकार को भी फायदा होगा; अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। अतः, मूल्यों के उतार-चढ़ाव की इस समस्या का समाधान होना चाहिए।

इसके बाद एक और रचनात्मक सुझाव मैं देना चाहता हूं; और मुझे आशा और विश्वास है कि सरकार इस रचनात्मक सुझाव पर ध्यान देगी। मैं यह चाहता हूं कि कृषि को एक उद्योग माना जाना चाहिए। अगर आप कृषि को उद्योग मान लेते हैं तो इस अवस्था में, कई लाभ जो आज उद्योगों को उनके विकास के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं वे कृषि को भी उपलब्ध हो जायेंगे। हम एक ऐसे युग में हैं जहां उद्योगों को बहुत से प्रोत्साहन दिये गये हैं। उद्योग-पतियों ने मांग की थी कि एम० आर० टी० पी० के मामले में जो 20 करोड़ रुपये की सीमा इस समय है उसको 40 या 50 करोड़ रुपये तक बढ़ा देना चाहिए। कभी-कभी जब एक अन्धा आदमी एक आंख मांगता है तो भगवान उसको दो आंखें दे देता है। बड़े उद्योगपतियों ने एम० आर० टी० पी० में वर्तमान 20 करोड़ की सीमा को 50 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने उनसे काफी संतुष्ट होते हुए कहा, "उद्योगपतियों, आप एक आंख मांग रहे हो; हम आपको दो आंख दे रहे हैं; सीमा 100 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है।" ठीक है, अगर आपने इस देश के एकाधिकारवादियों को इतनी अधिक रियायत और छूट दी है तो इस देश के किसानों को भी कुछ लाभ देने की कोशिश करें। अगर सरकार कल यह घोषणा कर दे कि सरकार कृषि को एक उद्योग मानने जा रही है और वे सारी रियायतें तथा सुविधाएं जो एक उद्योग को मिलती हैं, सारे आदान जो रियायती दरों पर उपलब्ध कराये जाते हैं, कृषि को एक उद्योग मानते हुए किसानों को उपलब्ध कराये जायेंगे। आप देखेंगे कि इसका विद्युत जैसा प्रभाव होगा और किसान अधिक उत्पादन कर दिखायेंगे। उदाहरण के तौर पर विद्युत को ही लीजिए। मुझे पता है कि रेलवे तथा उद्योगों को हमेशा विद्युत रियायती दर पर दी जाती है। हमें बताया जाता है कि देश के विकास के लिए उद्योग एक बुनियादी ढांचा हैं तथा रेलवे बुनियादी ढांचा है, परिवहन एक बुनियादी ढांचा है, देश के विकास के लिए, और इसलिए उनको, जहां तक विद्युत

[प्रो० मधु दण्डवते]

का सम्बन्ध है, वह उन्हें रियायती दर पर दी जाती है। मेरा रेलवे तथा उद्योगों से कोई झगड़ा करने का इरादा नहीं है। मैं रेल मन्त्री पद पर कार्य कर चुका हूं अतः यह नहीं चाहता कि कोई भी कार्य पिछले समय से लागू हो। लेकिन साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर उद्योगों के विकास के लिए रेलवे एक बुनियादी ढांचा है और उद्योग देश के विकास के लिए एक बुनियादी ढांचा है तो किसान जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, भी देश के विकास के लिए एक अप्रत्यक्ष बुनियादी ढांचा है और इसलिये उनको उद्योगों की तरह मानकर सारी सुविधायें दी जानी चाहिये जहां तक विद्युत खर्चे का सम्बन्ध है, उदाहरण के तौर पर—

मैं समझता हूं कि केरल जैसे राज्य में वे बहुत ही निम्न दरों पर बिजली देने के लिये तैयार हैं और मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिज्ञ, चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखते हों, पूरी तरह यह महसूस करते हुये कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, किसानों को सभी प्रकार की सुविधायें देने को तैयार होंगे। इसलिये कृषि को एक उद्योग जैसा ही समझा जाये तथा जिस तरह देश में उद्योगों को रियायती दरों पर आदान उपलब्ध कराये जाते हैं उसी प्रकार उन्हें भी ऐसी रियायतें दी जानी चाहिए। यह मेरा ठोस सुझाव है।

तत्पश्चात् मैं चाहूंगा कि "नाफेड्" की कार्यप्रणाली को दोषमुक्त बनाया जाये इस सदन में पिछली लोकसभा में तथा विशेष रूप से पांचवी लोकसभा में "नाफेड" पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। मैंने इसी सदन में पहले पांचवी लोकसभा में तथा फिर छठी लोकसभा में "नाफेड" की कार्य प्रणाली पर चर्चा कराई थी। मुझे याद है कि यह वह समय था जबकि प्याज और आलू सम्बन्धी समस्या अत्याधिक कठिन हो गई थी। प्याज और आलू वैसे ही फेंका जा रहा था क्योंकि उनको रखने के लिये कोई भाण्डागार सुविधायें नहीं थीं और जब किसान मुसीबत में थे तो "नाफेड' उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। इसी सदन में हमने 'नाफेड' पर बहुत अधिक अच्छे ढंग से चर्चा की। मैं आपको याद दिला दूं कि राजनैतिक मतभेद होते हुए भी सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने यह आग्रह किया था कि 'नाफेड' मशीनरी को दोषमुक्त बनाया जाये तथा 'नाफेड' के लिये अधिक धनराशि दी जाये तथा उनने आलू और प्याज की खरीद करायी जाये। उन्हें उचित भाण्डागार और प्रशीतिकरण सुविधाओं का निर्माण करने के योग्य बनाया जाये। यदि वे ऐसा कर कर सकें तो मैं समझता हूं कि आज 'नाफेड' द्वारा पूरी तरह से कार्यसंचालन न किये जाने के फलस्वरूप लोगों को और कृषकों को जिन बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे भी हल हो सकती हैं।

मुझे कहना चाहिये कि 'नाफेड' को न केवल पर्याप्त धनराशि ही दी जाए बल्कि इसे अफसरवाद के चंगुल से भी मुक्त कराया जाये। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मेरा

नौकरशाहों से कोई विरोध नहीं। अफसरवाद और नौकरशाह अलग-अलग हैं। किसी भी प्रणाली की सरकार हो, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो अथवा जनता सरकार, अथवा चाहे वह एक पूंजीवादी सरकार हो अथवा कम्युनिष्ट सरकार हमें नौकरशाही की और नौकरशाहों की जरूरत पड़ती है। परन्तु नौकरशाह और नौकरशाही एक चीज है तथा अफसरवाद अलग चीज है। मैं चाहता हूं कि अफसरवाद समाप्त हो। मैं नौकरशाहों का खात्मा नहीं चाहता, क्योंकि प्रबन्ध व्यवस्था के लिये कुछ अधिकारी और कर्मचारी हमेशा ही रखने पड़ेंगे। आखिर कुछ मनुष्यों को रोजगार भी देना पड़ेगा और कुछ विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग भी करना करना पड़ेगा। अतः मैं नौकरशाहों के विरुद्ध नहीं हूं बल्कि मैं अफसरवाद के विरुद्ध हूं। इसी प्रकार मैं लाल फीताशाही के विरुद्ध तो हूं परन्तु साम्यवादियों के विरुद्ध नहीं। मैं लालफीताशाही के विरुद्ध हूं। मैं कहना चाहूंगा कि 'नाफेड' की कार्यकरण से अफसरवाद किस प्रकार खत्म किया जाये और यदि ऐसा हो जाता है तो किसानों के हितों को बढ़ाने में यह एक प्रभावशाली हथियार सिद्ध होगा।

मैं प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। यह सर्वसम्मत तथ्य है कि हम अपनी खेती के लिये केवल मानव श्रम पर निर्भर हैं। इसलिये एक स्तर विशेष से आगे उत्पादकता में बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकती। हम देखते हैं कि प्रत्येक उस देश में जहां किसी भी अंश में यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है, वहां प्रत्येक एकड़ अथवा प्रत्येक हैक्टेयर कृषि भूमि में निश्चित रूप से अधिक उपज होती है। यदि हमारे पास बढ़िया बीज हो, बढ़िया खाद हो, बढ़िया यन्त्र हो, बढ़िया प्रयोग और बढ़िया अनुसंधान हों उसी भूखण्ड में अच्छे यन्त्रों और अच्छी खाद तथा अच्छी तकनीक से अधिक उपज हो सकती है। परन्तु दुर्भाग्य से इस देश में भूमि और मनुष्य का अनुपात ऐसा है कि हम ट्रैक्टरों द्वारा अधिक मात्रा में मशीनीकरण की व्यवस्था नहीं कर सकते। इस देश में जहां छोटे-छोटे खेत हैं, ट्रैक्टर कैसे काम करेगा। उदाहरणर्थ, मुझसे कहा जाता है कि इस देश में किसानों द्वारा कृषि के लिये उपलब्ध भूमि, प्रति किसान मात्र 1.5 एकड़ है। मैं औसत 1.5 एकड़ की बात कर रहा हूं। अतः एक ऐसे देश में जहां प्रति व्यक्ति औसत1.5एकड़ भूमि हो, अपने देश के बड़े क्षेत्रों में चल रहे बड़े ट्रैक्टरों के विषय में हम सोच भी नहीं सकते। परन्तु यदि हम छोटे-छोटे खेतों में ट्रैक्टर नही चला सकते तो मैं समझता हूं कि हम जापानी प्रयोग, जिसमें बिजली से चलने वाले हल का प्रयोग किया जाता है, को अजमा सकते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में किसानों ने छोटे-छोटे बिजली से चलने वाले हलों का प्रयोग आरम्भ कर दिया है। यदि बिजली से चलने वाले हलों का प्रयोग किया जाता है तो वे जमीन में अधिक पैदावार कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि उन्हें यह यन्त्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे। परन्तु परेशानी क्या है ? जहां तक छोटे और मध्यम दर्जों के किसानों का सम्बन्ध है, वे भी अपना विद्युत हल खरीदने में समर्थ नहीं होंगे। वे अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग भी नहीं कर सकेंगे। वे अपने लिये आधुनिकतम यन्त्र नहीं ले सकते। व्यक्तिगत तौर पर वे नहीं कर सकते। अतः मैं यह सुझाव दूंगा। कि हमें देश में सहकारी संस्थाओं की सेवाओं का जाल बिछाये जाने को प्रोत्साहन देना चाहिये, ताकि सहकारिता सेवाएं कृषकों के लिये इस यन्त्र की व्यवस्था कर सकें। इस प्रकार उत्पादन क्षमता बढ़ जायेगी और प्रति

[प्रो० मधु दण्डवते]

एकड़ उपज भी बढ़ेगी। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी और साथ ही मूल्य ढांचे के रूप में किसानों को भी लाभ मिलेगा। इससे स्वयंमेव ही उत्पादन क्षमता बढ़ जायेगी।

अब क्षेत्रीय प्रणाली के बारे में कुछ शब्द कहने हैं मुझे प्रसन्नता है कि जब हमने क्षेत्रीय प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तो उसे बदला नहीं गया है। वर्तमान सरकार से मेरा यह निवेदन है कि देश में क्षेत्रीय प्रणाली की समाप्ति से और खाद्यान्नों के आन्दोलन के लिए सम्पूर्ण देश को एक इकाई मानने से इस देश के किसानों और काश्तकारों का बहुत हित हुआ है। खाद्यान्नों को देश के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त आवागमन से किसानों को बहुत लाभ पहुंचा है। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रणाली समाप्त करने से निश्चय ही लाभ हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि क्षेत्रीय प्रणाली को स्थाई तौर पर समाप्त किया जाए ताकि यह प्रणाली पुनः लागू न हो सके। मैं समझता हूं किसानों को इससे अपार प्रसन्नता होगी।

अब मैं एक मौलिक सुझाव देना चाहता हूं। परन्तु मैं नहीं जानता कि सरकार इसे लागू करने में कहां तक समर्थ होगी। मैं सुझाव दूंगा कि उद्योगों का छितराव और विकेन्द्रीकरण किया जाए। कम से कम जहां नए उद्योग लग रहे हैं और जहां तैयार उत्पादों का निर्माण हो रहा है। इन वस्तुओं के लिए कतिपय कच्ची सामग्री चाहिए। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वह उन विशेष क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का प्रयत्न करें जिनके आस-पास हमें उस औद्योगिक इकाई विशेष के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सके। इससे न केवल परिवहन समस्या आसान हो जाएगी बल्कि साथ ही कच्चे माल के निर्माताओं और औद्योगिक माल के वास्तविक निर्माताओं के बीच सम्बन्ध स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक और सुझाव प्रस्तुत करूंगा और मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इसकी समीक्षा कराएं। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां सरकारी चीनी के कारखाने हैं उस कारखाने विशेष से समीप कुछ किलोमीटर के अन्दर रहने वाले किसान अक्सर गन्ना उपजाते हैं। वे सहकारी चीनी कारखाने के अभिन्न अंग हैं। हमारे मित्र श्री दिफे जो देश के एक सफल सहकारी रहे हैं वे आपको बताएंगे कि यदि किसी चीनी कारखाने के समीप में कोई बड़ा गन्ना उत्पादक क्षेत्र हो तो कारखाने में गन्ने का मुक्त आवागमन हो सकता है। और यदि आप उन्हें शेयर खरीदने की समझ देना चाहें तो गन्ना उत्पादक उस सहकारी कारखाने विशेष के शेयर होल्डर भी बनाए जा सकते हैं। यही नहीं कुछ सहकारी चानी कारखानों में कारखाने काम कर रहे औद्योगिक श्रमिकों को भी शेयर धारी बनाया गया है। यदि सहयोग का ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए तो सहकारी समितियां वास्तव में सहकारी समितियां होंगी। और यदि ऐसी औद्योगिक इकाइयां उन क्षेत्रों के आसपास स्थापित की जाएं, जहां कच्चा माल पैदा होता है तो मैं आपको बताऊं कि औद्योगिक माल और कच्चे माल के बीच बेहतर तालमेल होगा। परिवहन खर्च घटाया जा सकेंगे तथा मैं समझता हूं कि मूल्य ढांचे का निर्णय करते वक्त अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी।

महोदय, अब मैं कपास की खरीद में एकाधिकार के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा। महाराष्ट्र में इस प्रयोग में हमने कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है। इसमें संदेह नहीं कि कठिनाइयां आ सकती हैं परन्तु मैं इस सदन को आग्रह करना चाहूंगा कि कपास के क्षेत्र में एकाधिकार की प्रवृत्ति एक अकेले द्वीप की भांति जीवित नहीं रह सकती। यदि किसी राज्य विशेष में कपास की एकाधिकार खरीद में सफलता मिल जाए और उस राज्य की सीमा के बाहर इसका व्यापार खुला हो और वहां खरीद पर किसी का एकाधिकार न हो तो उस मामले में विनाशकारी प्रतियोगिता प्रारम्भ हो जाएगी और यह प्रयोग असफल हो जाएगा। अतः मेरा सुझाव है कि सबसे पहले पर्याप्त धन-राशि उपलब्ध कराई जाए और इसके अतिरिक्त यदि किसी विशेष क्षेत्र में अधिक मात्रा में कपास पैदा हो रही है तो हमें उसी क्षेत्र में जहां कपास पैदा होती है, नई कताई-मिलों की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र-विशेष में कपास पैदा होती है और हम उसी क्षेत्र में कताई मिलें चालू कर दें तथा रूई मिलों का विकेन्द्रीकरण और फैलाव हो जाए तो उस दशा में कच्चे माल और तैयार माल के बीच बेहतर तालमेल होगा मैं समझता हूं कि इस प्रकार परिवहन का खर्चा भी बहुत हद तक कम किया जा सकेगा।

एक अन्य पहलू और भी है। बहुधा तथा कथित सुधारवादी यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि किसानों के हितों और भूमिहीन मजदूरों के हितों के बीच विरोध है। मैं चाहता हूं कि यह सदन हमारे दिमाग से इस "धारणा को मिटाए कि किसानों का हित और भूमिहीनों के हित में हमेशा टकराव होता है। कभी-कभी उनमें टकराव हो सकता है। बेशक मैं पुराने जमींदारों की बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैं मझोले और छोटे किसानों की बात कर रहा हूं। यदि आप किसानों की समस्या को देखें तो इस देश का छोटा किसान ही अधिक लाभदायक मूल्यों की मांग करता है। महोदय जब उन्होंने आन्दोलन किया तो कुछ कपटी सुधारवादियों ने कहा कि इस अन्दोलन में भूमिहीन श्रमिकों को किसानों का साथ नहीं देना चाहिए। इसके विपरीत मैं उन लोगों में था, जिन्होंने इस आन्दोलन में भाग लिया। मैंने अपने राज्य में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए इस आन्दोलन में भाग लिया। मैं भूमिहीन श्रमिकों और कृषि श्रमिकों के पास गया। मैं उनके संघों के पास और उनके मंचों पर गया। मैंने उन्हें बताया कि आप किसानों के बेहतर मूल्य दिए जाने की मांग की लड़ाई में उनका साथ दें। यदि वे बेहतर मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, यदि उनका आय-स्तर ऊंचा उठता है, यदि वे अधिक बचत कर सकते हैं, तो उस स्थिति में हमारे जैसे लोगों के लिए कृषि-मजदूरों के वास्ते अधिक मजदूरी की मांग करना आसान हो जाएगा। हमने उन्हें बताया कि एक बार किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिल जाए, फिर हम उसमें भूमिहीन मजदूरों के लिए भी लड़ेंगे। हमने उन्हें बताया की आप बाकी काम की चिन्ता न करें, उसे हम करेंगे। और महोदय, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे राज्य में खेतिहर मजदूरों और लाभकारी मूल्यों के लिए लड़ रहे किसानों के बीच पूरा-पूरा सहयोग था। खेतिहर-मजदूरों ने अनुभव किया कि जिस किसान के खेत में वह काम करते हैं, यदि

[प्रो० मधु दण्डवते]

उस किसान को ही अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला तो वह उससे अधिक अच्छी मजदूरी की आशा कैसे कर सकता है। अत: वह किसानों के साथ मिल गया। किसानों ने भी उसे अग्रिम आश्वासन दिया कि यदि उन्हें अपनी उपज का अधिक अच्छा मूल्य मिलता है तो वह आश्वस्त रहें कि उसे नीचे नहीं रखा जाएगा उसके साथ भी अधिक अच्छा बर्ताव किया जाएगा । देखिए, कैसे दोनों के हित एक दूसरे से जुड़ गए। यदि किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के बीच कोई वर्ग संघर्ष न रहे तो उनके हितों तथा कृषि मजदूरों और किसानों के आपसी हितों में राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था के निर्माण के लिए सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

अंत में मैं आपसे तीन बातों का जिक्र करना चाहूंगा। जहां तक देश की अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने अभी कहा है, "परिवहन के साधन" देश की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए बुनियादी सुविधा जुटाते हैं । उसी प्रकार हमें मान लेना चाहिए कि कृषि (तथा कच्चा माल जिसे वे बनाते और उगाते हैं) भी विकास के लिए एक बुनियादी सुविधा जुटाएगी । यह बात और है । आप वित्त मंत्री का भाषण पढ़ लें जिसमें पिछली बफा वर्ष 1983-84 के बजट में उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया था । बजट में 3900 करोड़ रुपये, लगभग 4000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। इस वर्ष के बजट में भी 3800 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था दिखायी गयी है । सरकारी विशेषज्ञ और वित्त मंत्री ने क्या कहा था ? महोदय वह बहुत ही संगत है और किसानों के मनार्थ है। वित्त मंत्री ने कहा था "चाहे अर्थव्यवस्था में लगभग 3800 रुपये का घाटा है तथापि मुझे विश्वास है कि यदि इस देश के किसान अच्छी फसल पैदा करें तो अर्थव्यवस्था इस घाटे के झटके को बर्दास्त कर सकेगी।" महोदय, इस देश के किसानों के लिए यह बड़े सम्मान की बात है। निश्चय ही, मुझे भरोसा नहीं है कि घाटे की अर्थ व्यवस्था 3800 करोड़ की बोली पर अथवा वित्त मंत्री के निर्देश पर रुकी रहेगी। शायद यह और अधिक हो सकती है परन्तु स्वयं उन्होंने यह माना है कि यदि हम घाटे की अर्थव्यवस्था के झटके को बर्दास्त कर गये तो इससे देश का कृषि आधार मजबूत बनेगा। यदि हम बेहतर सुरक्षित भण्डार की व्यवस्था कर लें और यदि आगामी वर्षों में बेहतर फसल हो तो मात्र इसी से अर्थव्यवस्था में धक्का बर्दास्त हो जाएगा। इसी से सिद्ध हो जाता है कि किस प्रकार किसानों की प्रधानता सभी को स्वीकार्य है।

महोदय बहुत समय के बाद मुझे कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य का महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं। वह स्वयं भी किसान होने के नाते इस विषय के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। महोदय, इस समस्या पर बहस और चर्चा करते समय हमें अपनी दलगत संबद्धता और विघ्न को भुलाकर इस सदन में एक मत से उठकर खड़ा होकर यह देखना चाहिए कि कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाएं, एक नई अर्थव्यवस्था बनाई जाए और एक नये और समृद्ध भारत का उदय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आम चुनाव की हलचल के बाद इस सभा में फिर से चुनकर आने के लिए मैं स्वयं को बधाई देता हूं, क्योंकि मैं अपने मित्र प्रो० दण्डवते का भाषण सुन चुका हूं। जब मैं उनके द्वारा दिये गये भाषण का एक-एक शब्द सुनता हूं तो ऐसा महसूस करता हूं कि मैं अपनी आयु से 30 वर्ष छोटा हूं। मैं उनके भाषण को अपना ही भाषण मानने को तैयार हूं। मैं इसके लिए प्रो० मधु दण्डवते को तथा विरोधी दल के सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूं। मुझे इस बात का विश्वास है कि उन्होंने अपने देश के कृषकों तथा किसानों और 'खेत मजदूरों' के बारे उचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में जो जोशीले विचार हमारे समक्ष रखे हैं। उसके बारे में समूची सभा एकमत से सहमत होगी। मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि हमारे नये प्रधान मंत्री को कृषि मूल्य आयोग के इस विशेष नाम अर्थात् कृषि मूल्य आयोग से राष्ट्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग को परिवर्तित करने का अवसर दिया गया है। मैं बोलता हूं, हो सकता है उसमें अशुद्धियां भी हों। उसमें उन्होंने प्रो० दण्डवते और हमारी मांगों के बारे में कहा है जिसमें किसान की 'लाभकारी मूल्य' के लिए किसान की मांग का समर्थन किया है। अब यह देखना है कि ये लाभकारी मूल्य किस तरह निर्धारित किये जा सकते हैं ? ये मूल्य कृषि लागत पर आधारित होने चाहिये। प्रो० मधु दण्डवते हमारे विभिन्न मदों को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं जिसमें वास्तव में जो मद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वे ऋण और भूमि लागत हैं। उत्पादन के इन विभिन्न कारकों यथा उर्वरक और अन्य निवेश जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की मेहनत भी शामिल है जो किसानों ने स्वयं, उनकी पत्नियों और बच्चों सभी ने उत्पादन के लिये लगाई है, का ध्यान रखते हुए उपरोक्त महत्वपूर्ण मदों को भी ध्यान में रखते हुए इन किसानों को लाभकारी मूल्यों के बारे में आश्वासन दिया जाना चाहिये। हम सभी कृषि और औद्योगिक श्रमिकों को समान समझे जाने के पक्ष में हैं। गत कई दशकों से मैं इस बात की वकालत करता आ रहा हूं। मैं और मेरा दल इस पक्ष में है कि कृषि मजदूरों को भी उन औद्योगिक श्रमिकों के बराबर अच्छा वेतन दिया जाना चाहिये जिनके साथ उचित व्यवहार किया जाता है। वास्तविकता यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय बहुत समय से खेतिहर मजदूरों की उपेक्षा करता आ रहा है। यह उस दबाव का प्रस्ताव है जो मैं तथा इस देश के स्वर्गीय श्रमिक नेता श्री एन० एम० जोशी इस पर डालते रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने खेतिहर मजदूरों पर भी कुछ ध्यान देना आरम्भ किया है। 1923 में हमने इस देश में 'किसान आन्दोलन' आरम्भ किया था। पहला काम हमने खेतिहर मजदूरों के सम्मेलन आयोजित करने का किया और दूसरा सम्मेलन भूमिधर किसानों का था क्योंकि उस ससय तक हमारी यही धारणा थी कि कृषकों, खेतिहर मजदूरों तथा भूमिधर किसानों को एक साथ मिल-जुल कर तथा एक दूसरे को सहयोग देते हुए कार्य करना चाहिये और इस प्रकार कार्य करना चाहिये जैसे इस महान व्यवसाय, इस गतिविधि में, इस कृषि उद्योग में वे लोग बराबर के साझीदार हैं। इसलिये दोनों को सम्माननीय भागीदारों के समान समझा जाना चाहिये और खेतिहर मजदूरों की सुरक्षा की जानी चाहिये और उन्हें पारिश्रमिक दिया जाना चाहिये। मैं इस बात की बकालत उस समय से करता आ रहा हूं अब

मैं विरोधी दल में था। इसके साथ ही मैं गत चौदह वर्ष से मैं उन्हें सहयोग देता रहा हूं, और खेतिहर मजदूरों के लिये इस आयोग के समक्ष पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिये जाने की वकालत करता रहा हूं। मेरे माननीय मित्र, जो वर्तमान कृषि मंत्री से पूर्व कृषि मंत्री थे, इस बात से सहमत थे। उन्होंने सिद्धान्त के तौर पर इसे स्वीकार कर लिया था। भाग्यवश राव साहिब स्वयं एक भूमिधर किसान थे और उनके उत्तराधिकारी श्री बूटा सिंह भूमिहीन किसानों के नेता तथा प्रतिनिधि हैं। भाग्यवश, ये दोनों मित्र एक ही राज्य के निवासी हैं जिन राज्यों में किसानों का वे दोनों प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और इन व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने का भार उन्हीं पर डाला गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे माननीय मित्र इस आयोग के संविधान में परिवर्तन करने के लिए प्रति मंत्रिमण्डल का समर्थन शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे जिससे कि इसमें भी वह खेतिहर मजदूरों को प्रतिनिधित्व दिला सकें।

मेरे माननीय मित्र श्री दण्डवते ने जो कुछ भी विस्तारपूर्वक कहा है, मैं उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि मैं अपने भाषण में पहले ही कह चुका हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे मेरा ही भाषण समझा जाये।

उद्योग और कृषि के बीच तथा व्यावसायिक वर्गों और कृषि के बीच समानता होनी चाहिये। सबसे अधिक विशेष बात तो यह है कि हमारे देश में व्यावसायिक वर्ग सबसे अधिक सुविधा प्राप्त वर्ग है। यदि किसी तरह के निहित स्वार्थ है तो वह व्यावसायिक वर्ग ही है। मेरे मित्र ने नौकरशाही की बात की थी। व्यावसायिक वर्ग, चाहे सरकारी हो अथवा गैर-सरकारी, निजी उद्यम हो अथवा सरकारी उद्यम, वे सभी हमारे समाज के बहुत ही शक्तिसम्पन्न तत्व हैं। मैं इन तीन तत्वों—औद्योगिक श्रमिक और उद्योगपतियों, तथा व्यावसायिक वर्ग तथा कृषकों के बीच समानता चाहता हूं। और किसी प्रकार तुलना करते समय और उनकी अपनी-अपनी आवश्यकताओं और मांगों का मूल्यांकन करने की चेष्टा करते समय कृषकों को अन्य लोगों के बराबर समझा जाना चाहिये। समानता के सिद्धांत को एक बार स्वीकार कर लेने के बाद ही मुझसे पूछे गये उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जो प्रश्न गत चुनाव के दौरान मुझसे बार-बार पूछा गया था तथा चुनाव के बाद जब भी मैं किसानों से पुनः मिलता हूं, मुझसे बार-बार पूछा जाता है। किसानों ने मुझसे पूछा था कि कपास का मूल्य आज भी उतना ही है जितना कि उसका मूल्य 1975 में था, जब मैंने यह मांग करते हुए उसके मूल्य की वृद्धि किये जाने लिये संघर्ष किया था कि कपास निगम को बाजार में आना चाहिये। उस समय भी वही मूल्य था जिसे बुनियादी मूल्य अथवा समर्थन मूल्य कहा जाता है। गत आठ वर्षों के दौरान जबकि अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये, सभी प्रकार के भत्ते बढ़ गये हैं, कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य यथावत हैं। वास्तविक परेशानी यही है। यह परेशानी तभी दूर हो सकती हैं जबकि समूची सभा इस बात को स्वीकार करे और सरकार इस नये निर्णय अथवा नये प्रस्ताव को कार्यान्वित करे कि समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय कृषि लागत को सबसे पहले ध्यान में रखा जाना चाहिये। समर्थन मूल्य तथा लाभकारी मूल्य दोनों ही निर्धारित किये जाने

चाहिये और जब कभी किसानों को बाजार में अथवा व्यापारियों से अथवा वह समर्थन मूल्य न प्राप्त हो या उसकी मांग न हो तो सरकार को, किसानों को अपेक्षित मूल्य एक किश्त में अथवा अनेक किश्तों में अदाकर, उसे खरीदने के लिये तैयार रहना चाहिये और खरीद लेना चाहिये। इन सभी ब्यौरों का हिसाब लगाया जा सकता है किन्तु इस काम को करना होगा। जैसा कि मेरे मित्र श्री दण्डवते ने कहा था, यदि हम किसानों और खेतिहर मजदूरों की रक्षा करेंगे तो अपने समाज की आर्थिक स्थिति को उत्तरोत्तर सुधार सकते हैं। जब तक कृषक उपेक्षित रहेंगे, जैसाकि वे चिरकाल से उपेक्षित रहे हैं, तो हम देश की प्रगति की आशा किस प्रकार कर सकते हैं ? इस देश की प्रगति की गति धीमी होने का एक कारण यह भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ प्रगति अवश्य हुई है। किन्तु इसकी गति बहुत धीमी रही है। यदि किसानों की ओर ठीक से ध्यान दिया गया होता और यदि खेतिहर मजदूरों तथा स्व-नियोजित श्रमिकों पर ठीक से ध्यान दिया गया होता तो यह प्रगति और अधिक तेजी से हुई होती।

अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है। महोदय, मैं न केवल इस बात का समर्थन करता हूं कि न केवल कृषि आदान की पूर्ति सहकारिता के आधार पर की जाय अपितु सभी आधुनिकतम मशीने, ट्रैक्टर, 'पावर टिलर' तथा विभिन्न प्रकार की अन्य वस्तुयें, पम्प सेट आदि भी सहकारिता के आधार पर सप्लाई किये जायें। जहां तक सहकारी समितियों के प्रबन्ध का प्रश्न है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन पर सरकार या किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये और उन्हें हर प्रकार के राजनैतिक झगड़ों से मुक्त रखा जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग जैसा एक स्वतंत्र प्राधिकरण बनाया जाये जो यह सुनिश्चित कि इस सहकारी समितियों के प्रबन्ध में वास्तविक लोकतन्त्र की झलक मिलेगी अन्यथा, किसानों का शोषण उसी प्रकार सहकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता रहेगा और उनकी स्थिति आज से भी अधिक खराब हो जाएगी, जो स्थिति आज उनकी व्यापारियों के भरोसे रहने के कारण है। एक बार जब यह सारा संगठन, किसानों तथा उनके श्रमिकों के लिये मशीनें और उपकरण आदि की व्यवस्था हो जायगी तब हमें यह सुनिश्चित करना तथा यह देखना होगा कि उन सभी को स्व-नियोजित व्यक्ति समझा जाय। उन्हें अपनी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिये अपेक्षित सुविधायें और अवसर प्रदान किये जायें। उन्हें कुछ अन्य समाजवादी देशों के किसानों की तरह कोल खौंज और शोध-खोज के अधीन दास बना कर न रखा जाय। अपने देश की कृषक सम्बन्धी तथा कृषि से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने के लिये कृषक स्वामित्व को एक आधार माना जाना चाहिये।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं प्रो० दण्डवते के विचारों से सहमत हूं तथा मैं उनके प्रति अभार प्रकट करता हूं और इसके लिए स्वयं को बधाई देता हूं। यदि मैं अपने को तीसरी पीढ़ी का समझूं तो दण्डवते दूसरी पीढ़ी के हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे

बम्बई के एक ऐसे कामरेड को सुनने का अवसर मिला। और जब कभी भी मुझे अपने देश की सामाजिक अर्थ-व्यवथा के बारे में बात-चीत करने का अवसर मिलेगा, तो मैं केवल किसानों की और उनकी आर्थिक समानता की बात करूंगा। मैंने ये सभी विचार अपनी पुस्तक "चैलेंज आफ दी पीजेन्टरी" में प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने किसानों का मामला उसी तरह प्रस्तुत किया है जैसा कि मैं चाहता था। इसके अलावा, आज मैं जिस स्थिति में हूं, मैं उतने अधिक भावपूर्ण ढंग से नहीं कह सकता था जितना कि उन्होंने कहा है। मैं उनका समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि ये सभा भी उनका समर्थन करेगी जिसने इस प्रभावपूर्ण, भावपूर्ण और गतिशील ढंग से इस मामले को प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इसकी चर्चा के लिये 2 घन्टे नियत किये हैं और अब तक 45 मिनट बीत चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्यगण केवल पांच मिनट का समय लें। मैं आपका सहयोग चाहता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : चूंकि समय अब 4½ या 5 मिनट दिया जा रहा है, इसलिये बेहतर होगा कि हम लोग भाषण देने की अपेक्षा अपने भाषण की लिखित प्रति पटल पर रख दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री बी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजय वाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को, कृषि उत्पादों के लिये लाभकारी मूल्य निश्चित करने की आवश्यकता के बारे में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करने के लिये, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने माननीय मित्र श्री मधु दण्डवते और अपने राजनैतिक गुरू श्री रंगा के प्रति उनके विश्लेषणात्मक भाषणों के लिये आभार प्रकट करना चाहूंगा। अपने छात्र जीवन से ही जब कि हमने श्री रंगा को देखा तक नहीं था तब से मैं कृषक नेता के रूप में श्री एन० जी० रंगा का प्रशंसक रहा हूं। उनके भाषण के बाद निस्संदेह उठाने के लिये मेरे पास थोड़े से ही मुद्दे रह गये हैं। सबसे पहले मैं अपनी संक्षिप्त और सहमतिपूर्ण राय व्यक्त करना चाहूंगा कि कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग रख देने भर से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। मेरे विचार से मुख्य उद्देश्य में ही निश्चित रूप से परिवर्तन करना अपेक्षित है।

एक औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो भी है। यह ब्यूरो सभी प्रकार के औद्योगिक उत्पादों का मूल्य आंकता है और भारत सरकार से सिफारिश करता है और भारत सरकार उदारतापूर्ण रवैया अपना कर उद्योगपतियों को अपने उत्पाद की छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनों अथवा औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने की अनुमति दे देती है। किन्तु दुर्भाग्यवश, यद्यपि चुनावी वायदों के माध्यम से चुनाव-समस्याओं में, इस्तहारों में वे लोग यह कहते हैं कि किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिये किन्तु मुझे खेद है कि किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता है। अभी-अभी हमारे दो सम्माननीय सदस्यों ने समर्थन मूल्य

और लाभकारी मूल्य के बारे में कहा है। मैं यह कहता हूं कि समर्थन मूल्य लाभकारी मूल्य होने चाहिये क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां औसत भूमि जोत केवल 1.5 एकड़ है, वहां वह औसत भूमि जोत छोटे और सीमांत किसानों के पास है जिसे अपनी उपज तत्काल बेचने को विवश होना पड़ता है जबकि मध्यमवर्गीय किसान अथवा सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाला किसान अपने भंडार को रोक लेता है और वह अपना भंडार बाद में उस समय बेचता है जब वह यह महसूस करता है कि उसे अच्छा मूल्य मिल जाएगा। इसलिए, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के हित में लाभकारी मूल्य निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त वास्तव में पिछले 2 वर्षों में लोहा और इस्पात के मूल्यों में 30%, सीमेंट में 25%, अलौह-धातुओं में 15%, एल्यूमिनियम में 3000 रुपये प्रति टन तथा कागज में 1000 रुपये प्रति टन वृद्धि करने दी गई जबकि किसानों को बहुत कम मूल्य मिल रहे हैं।

जहां तक कृषि मूल्य आयोग के गठन का सम्बन्ध है, अब तक इसमें दो अधिकारी तथा किसानों का एक प्रतिनिधि शामिल है। दुर्भाग्य से किसानों के प्रतिनिधि की बात की ओर कोई ध्यान नही दिया गया। उदाहरण के लिए 1983-84 में दो सरकारी सदस्यों का विचार था कि धान का न्यूनतम मूल्य 132 रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए लेकिन किसानों के प्रतिनिधि ने धान का मूल्य 152 रुपये प्रति क्विंटल रखने की सिफारिश की।

वास्तव में उन्होने आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के किसानों को हो रहीं वास्तविक कठिनाई का सही जिक्र किया है, जहां किसानों की कृषि उपज तूफान अथवा मौसम पर निर्भर हैं जिसके कारण उन्हें भारी हानि उठानी पड़ रही है तथा फसलों का बीमा न होने के कारण किसान तबाह हो रहे हैं। अतः उस प्रतिनिधि ने दक्षिणी राज्यों जो बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर के आसपास हैं, तथा पूर्वोत्तर राज्यों की असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 157 रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् 5 रुपये अधिक दिए जाने की सिफारिश की, लेकिन वह सिफारिश भी अस्वीकार कर दी गई। आयोग ने उसे स्वीकार नहीं किया।

इसी भांति ज्वार, रागी, मक्का, आदि मोटे खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आयोग ने 124 रुपये दिए जाने की सिफारिश की तथा किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने 144 रुपए दिए जाने का सुझाव दिया। लेकिन उस सुझाव पर भी विचार नहीं किया गया।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किसानों के साथ बहुत अन्याय किया गया है। और किसानों के प्रति उपेक्षित और उदासीन रवैया अपनाये जाने के कारण ही किसानों को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। अब वे अन्य देशों से प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्य तेल आयात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या यह सरकार किसी निहित स्वार्थ के कारण विदेशों से इतनी अधिक मात्रा में खाद्य तेल आयात कर रही

है। कुछ लोग समझते हैं कि दाल में कुछ काला है और सतारूढ़ दल को उन सौदों से कुछ लाभ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

इसी तरह गन्ने के मूल्य भी लाभप्रद नहीं हैं। मैं आपको बताऊंगा। न्यूनतम मूल्य 14 रुपए निर्धारित करने का क्या उद्देश्य है? यह कम से कम 50 रुपये और अधिक होना चाहिए था। गन्ने से खोई मिलती है, जो ऊंचे मूल्यों पर बेची जाती है, इससे शीरा मिलता है जिससे अल्कोहल तैयार किया जाता है और इससे ताड़ी तैयार की जाती है। ताड़ी से सरकार राज्य उत्पाद शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये कमाती है। लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। ठेकेदार करोड़पति बन रहे हैं। राज्य सरकार को आय हो रही है, लेकिन किसानों को फायदा नहीं हो रहा है।

मेरे राज्य की स्थिति वास्तव में खराब है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र में कई सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं और किसानों को लाभ दिया गया है। हमारे राज्य में सहकारी चीनी मिलें ठीक से काम नहीं कर रही हैं और सरकार को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यहां तक कि भारत सरकार भी कई तरह से उन्हें अग्रिम ऋण के रूप में काफी राशि उपलब्ध करा रही है। गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिए जाने चाहिए।

कुछ लोगों का कहना है कि कृषि मूल्य आयोग को उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए, मानो लोग इसी के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही जीवित हैं अथवा वे केवल चीनी पर ही जीवित है। चीनी के मूल्यों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि अधिक नहीं है। अन्ततः हमें अपने कपड़ों, दैनिक आवश्यकताओं को अन्य उपभोग मदों पर भी खर्च करना पड़ता है और उनके मूल्यों में भी वृद्धि होते जा रही है। अतः आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों के प्रति अपना रवैया बदलें। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किसानों को सरकार की गलत नीतियों के सम्बन्ध में भ्रम हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर, डा० पटेल, ने 1981-82 में अपने भाषण में कहा था:

> "नीति निर्धारकों के मन में यह भय भी था कि यदि अधिक मूल्यों की बात को आसानी से मान लिया गया तो उससे उत्पादकों द्वारा अधिक मूल्य प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो जाएगी और उत्पादक कार्मिक संघ जैसी कोई संस्था बना लेंगे और इससे उपभोक्ताओं को परेशानी होगी, मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी और विकास के संसाधनों में कमी आएगी।"

यह बहुत ही अव्यावहारिक बात है जबकि सरकार ने इस देश में कई शक्तिशाली उद्योगपतियों को प्रोत्साहन और रायल्टी के रूप में करोड़ों रुपये प्रदान किए हैं, यह वास्तव में खेदजनक है कि सरकार समूचे देश में फैले कई करोड़ किसानों के बारे में इस तरह सोचती है। वास्तव में, जैसा कि श्री रंगा ने बताया, आंध्र प्रदेश के किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे अपना धान सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर बेचने में असमर्थ हैं। भारतीय

खाद्य निगम द्वारा उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। जबकि भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब से कई लाख टन धान खरीदा है; आंध्र प्रदेश से केवल 70,000 टन धान खरीदा गया है। यह हमारा कटु अनुभव है। यह ठीक नहीं है। उन्होंने कई कटौतियां की हैं। वास्तव में किसान चावल मिल मालिकों को अपना धान बहुत कम मूल्यों पर बेच रहे हैं क्योंकि उनके सामने और कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में, लोग समझते हैं कि भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों की चावल मिल मालिकों के साथ मिलीभगत है। इससे किसानों को बहुत कठिनाई होती है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया भारतीय खाद्य निगम की शीघ्र जांच की जाए तथा वह देखें कि वे धान किसानों से ही खरीदें।

किसी मद के लिए किसानों को दिए जाने वाले मूल्य और उपभोक्ताओं से लिए जाने मूल्यों में भारी अन्तर होता है। दुर्भाग्य से बिचौलिये स्थिति से लाभ उठा रहे हैं। नगर के समीप किसान बहुत कम मूल्यों पर अपनी सब्जियां बेचते हैं जबकि बाजार में उपभोक्ता को उनके लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार परीक्षण के तौर पर नगरों और कस्बों में उत्पादक-उपभोक्ता सहकारी समितियां गठित करें ताकि किसानों को फायदा हो सके और उपभोक्ताओं को भी कम मूल्य पर चीजें मिल सकें। हम इन समितियों में परीक्षण के तौर पर सबसे पहले सब्जियां बेच सकते हैं। बाद में और चीजें भी रखी जा सकती हैं।

मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध भी है कि वह देखें कि मौसम विशेष में किसानों को दिए जाने वाले मूल्यों की घोषणा हमेशा मौसम के आरम्भ में ही कर दी जानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस परिवर्तन की घोषणा तुरन्त की जाए तथा इसे कार्यान्वित किया जाए।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री राजेश पाइलट (दौसा) : दो विद्वान प्रोफेसरों के भाषण सुनने के बाद शायद ही कुछ कहने के लिए शेष रहा हो। लेकिन पीढ़ी का अन्तर के कारण कल के प्रोफेसर और आज के छात्र के भाषण में अन्तर है।

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में उन्होंने किसानों की मदद के लिए फसल बीमा के रूप में और कई अन्य उपायों के रूप में ठोस कदम उठाये हैं। लेकिन चूंकि सरकार कार्योन्मुख है, अपेक्षा हमेशा उससे की जाती है जो वास्तव में सुने और कार्यवाही करें।

इस देश की 80% जनता गांवों मे रहती है और मुख्यता कृषि पर निर्भर है। वे या तो किसान है अथवा किसानों के सहायक खेतिहर मजदूर। यदि हम इस श्रेणी के लोगों तथा इतने प्रतिशत नागरिकों की सहायता कर सकें तो इससे पूरे देश को मदद मिलेगी। अतः यह

समूचे राष्ट्र का हित है जिस पर चर्चा करने के लिए हम इस सभा में बैठे हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हमेशा 'जय किसान' का नारा लगाया। स्वर्गीय पंडित नेहरु ने भी अपनी वसीयत में यह लिखकर अपनी भावना प्रकट की कि "मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां कृषि भूमि पर बिखेर दी जाएं।" इन भावनाओं के कारण, समूचा सदन महसूस करता है कि जिन कारणों की ओर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, उन पर कार्यवाही करनी होगी।

7.00 म० प०

मैं 1970-71 को आधार मानकर किए गए सर्वेक्षण का उद्धरण दूंगा। सर्वेक्षण में दर्शाया गया है कि 1979-80 में कृषि के आवश्यक साज-सामान में 116% वृद्धि की गई जब कि कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि 89% थी। हम जानते हैं कि जब कृषि आदान में अधिक वृद्धि की गई है और उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। परिचालन लागत जो 1971-72 से 1973-74 तक 58.96% से 61.48% थी, 1980 के दशक के आरम्भ में 60.90% से 63.19% हो गई। इसी तरह उर्वरक लागत 22% हो गई, मानवीय श्रम करीब 16% था और मशीनरी लागत करीब 13% थी। इस सम्बन्ध में मैं पंजाब का उदाहरण देना चाहता हूं, जहां गेहूं की अधिकतम उपज होती है, उपरोक्त उत्पादन लागत को मिलाकर 1977-78 में उत्पादन लागत 109 रुपये थी, जो 1980-81 में 113 रुपये हो गयी, और 1983-84 में अनुमानतः 130 रुपये से 135 रुपये तक थी, जबकि समर्थन मूल्य 151 रुपये था।

जब कुल उत्पादन की लागत 130 रुपये से 135 रुपये तक थी, तब हमने जो 151 रुपये समर्थन मूल्य दिया, मैं समझता हूं, वह किसान को बचाने और खाद्य के मामले में राष्ट्र की सहायता करने के सम्बन्ध में न्यायोचित लागत नहीं थी। यह किसान का दुर्भाग्य है कि जब फसल अच्छी होती है तो मूल्य कम हो जाते हैं और जब फसल खराब होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। स्थिति एकदम भिन्न है। जब आप अधिक परिश्रम करके अधिक खाद्यान्न उत्पादित करते हैं, तो आपको अपने उत्पाद पर अधिक प्रोत्साहन तथा अधिक मूल्य मिलना चाहिए लेकिन किसान के मामले में स्थिति इसके विपरीत है। जब हम समर्थन मूल्य की बात करते हैं··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यदि उम्मीदवार अच्छा होता है, तो उसे वोट कम ही मिलते हैं।

श्री राजेश पाइलट : महोदय मैं उस बारे में नहीं जानता, क्योंकि मुझे उसका बहुत कम अनुभव है।

जब उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं की कीमत 172 रुपये प्रति क्विंटल और आटा मिलों को 208 रुपये प्रति क्विंटल रखने की घोषणा की गई थी, किसानों को इसकी कीमत केवल 151

रुपये प्रति क्विंटल दी गई जबकि अन्य देशों से गेहूं 203 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया। आप अपने देश के किसानों को उतनी कीमत नहीं दे सकते जो आपके लिए अधिक गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि हमारे किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ाने पर प्रतिबन्ध क्यों लगा हुआ है। आप यदि आज समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं, किंतु समस्या यह है कि किसान तक यह जानकारी पहुंच नहीं पाती है। हमारे किसानों को पूरी जानकारी देने का अधिक प्रयास ही नहीं किया है। किसानों को यह जानकारी नहीं होती कि सरकारी एजेंसियों में उसके लिये क्या व्यवस्था है। अतः होता यह है कि भारतीय खाद्य निगम यदि 151 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की घोषणा करता है किन्तु उस निगम के अधिकारी ऐसा महसूस करें कि गेहूं की किस्म अधिक अच्छी नहीं है तो उन्हें यह अधिकार है कि वह उसकी कीमत घटाकर 146 रुपये से 147 रुपये प्रति क्विंटल कर दे। मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई परख कई बार संदेहास्पद होती है। बिचौलिये आकर कहते हैं कि "यह गेहूं घटिया किस्म का है और आपको 151 रुपये नहीं दिये जा सकते, आपको इसके लिए 146 रुपए प्रति क्विंटल ही दिए जा सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार पनपता है। गेहूं की खरीद के लिए नियुक्त व्यक्ति से मैं उम्मीद करता हूं कि वह किसान को बताए कि तुम्हारा गेहूं साफ नहीं है इसीलिए इसके दाम कुछ कम मिलेंगे लेकिन यदि इसे वे साफ कर लें तो उन्हें इसका पूरा दाम मिलेगा। आखिरकार समर्थन मूल्य का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि किसान जो भी उत्पादन करता है और बाजार में लाता है तथा यदि यह उपयोग के लिए ठीक है तो इसे उसी दाम पर स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रथम बात यह है कि जो आदमी गेहूं की खरीद करने के लिए बैठा है उसे छूट देने का निर्णय क्यों करने दिया जाये? इससे किसानों को नुकसान हो रहा है दलाल लोग भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों से पहले ही गांव में चले जाते हैं तथा वहां किसानों को कहते हैं कि "आप मुझे एक बोरी पर एक रुपया दें तो आपका सारा अनाज बिना देखे-भाले ही खरीद लिया जाएगा।" इस प्रस्ताव से किसान बहुत खुश हो जाता है तथा कुछ अनियमितताएं भी करता है क्योंकि उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि उसे बजाय 151 रुपये के 150 रुपये मिलेंगे। तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा किसान को ही इससे नुकसान होता है।

अचानक जांच करने जैसे उपाय करने से इसे रोकने में कुछ मदद मिल सकती है। यह होनी चाहिए। पिछली बार जब मैंने पश्चिमी उत्तरप्रदेश के कुछ हिस्सों के दौरे किए तो मुझे इसके कुछ उदाहरण मिले जिसकी रिपोर्ट मैंने तत्कालीन कृषि मंत्री को दी। उन्होंने भी कुछ आकस्मिक जांच करायी जिनसे कुछ अच्छे परिणाम निकले। कर्मचारी लोग इस आकस्मिक जांच से डरेंगे जिससे किसानों को फायदा होगा।

अब किसानों की उर्वरक को छूट दी जा रही हैं। लेकिन उन्हें इसकी सही जानकारी नहीं है कि उन्हें क्या छूट मिलनी चाहिए। यह छूट निम्न वर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा

वितरित की जाती है। वे कर्मचारी किसानों को यह बताते हैं कि प्रति बीघा छूट की मात्रा इतनी है। इसका विवरण नहीं देता है तथा गरीब किसानों को यह पता ही नहीं लगता कि इसको कितनी छूट मिल सकती है। और कुछ मामलों में तो यह कुछ बताया ही नहीं जाता। यह केवल कागज में ही रहता है। (व्यवधान)। दो प्रकार की होती है। एक है—कम ब्याज पर उर्वरक देना। यह कागजों पर दी जाती है तथा यह किसी के नाम पर दी जाती है। यह जमा हो जाती है लेकिन पैसा बिचौलियों के पास चला जाता है। ऐसी शिकायतें हमें दो-तीन राज्यों से मिली हैं। इसीलिये मैंने इन्हें मन्त्री के ध्यान में ला दिया है। यदि यह सच है तो उन्हें इस पर प्रतिक्रिया बतानी चाहिए। यदि यह झूठ है तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें सूचना गलत मिली है। किसान को यह जानना चाहिए कि उर्वरक पर छूट क्या है तथा यह उसे कैसे दी जाती है।

अधिकांश किसान कम पढ़े-लिखे हैं। कई मामले हैं कि उर्वरकों की उपयोगिता समाप्त होने के पश्चात् उसे किसानों को दिया गया है। जबकि बोरियों पर निर्माण तथा उपयोगिता अवधि समाप्त होने की तारीख की मोहर लगी होती है फिर भी किसान कम पढ़े-लिखे होने के कारण जांच नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए इसका फायदा किसानों को ही मिले।

विद्युत अधिनियम के तहत सभी राज्य विद्युत बोर्डों को बिजली की एक निश्चित मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों को देनी होती है। दुर्भाग्यवश, कोई भी विद्युत बोर्ड इस शर्त का पालन नहीं करता। नतीजा यह होता है कि किसानों को बिजली सप्लाई करने का मामला सबसे अन्त में लिया जाता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि बिजली उन्हें चाहे 10 दिन या 15 दिन के लिए दी जाए उन्होंने बिजली की कितनी ही मात्रा क्यों न प्रयोग की हो, लेकिन उन्हें एक सामान्य दर पर अदाएगी करनी होगी। यदि आप किसान को बिजली उचित समय पर तथा वांछित मात्रा में दें तो यह उन्हें उत्पादन को बढ़ाने में सहायता देगी जिससे देश का फायदा होगा।

जैसा कि प्रो० दण्डवते ने कहा कि कृषि को उद्योग के समान समझना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा छोटे किसान बड़े किसानों के बराबर नहीं पहुंच सकते तथा उद्योग की तरह कृषि विकास नहीं कर सकती।

मेरा दूसरा सुझाव है कि जिला स्तर पर सरकार इस प्रणाली पर निगरानी रखे तथा जिला स्तर पर एक सूचना केन्द्र भी होना चाहिए, ताकि निगरानी तथा सूचना का काम साथ-साथ चल सके। सरकार ने किसानों को जो दिया है वह देख लेना चाहिए कि यह ब्लाक स्तर या पंचायत स्तर तक पहुंचा है कि नहीं तथा सूचना केन्द्र उसी जगह उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसानों को यह पता चल सके कि सरकार उन्हें क्या दे रही है अर्थात् उनका हक क्या है तथा उन्हें क्या मिल रहा है। इसीलिए जिला स्तर की निगरानी प्रकट समस्या का हल कर सकती है। पिछले 5 वर्षों से हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाते आए हैं, 193 के अन्तर्गत चर्चाएं

हो चुकी हैं लेकिन हम अभी वह परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए जो हमने प्राप्त करने की उम्मीद की थी।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी, जो मेरे सुझाव इतने ध्यान से सुन रहे हैं, से आशा करता हूं कि वह मेरे सुझावों की ओर ध्यान देंगे। जैसा कि प्रो० दंडवते ने कहा है कि कभी-कभी वे लोग जिनका खेती-बाड़ी से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो यह नहीं जानते कि खेती-बाड़ी क्या है ? इस शब्द का अधिकतम उपयोग करते हैं। यहां तक कि राजनीतिज्ञों ने भी 'फारमिंग' शब्द का इस्तेमाल करके किसानों का बहुत शोषण किया है। बैंक में नामजद करने जैसे मामलों में इसका शोषण और भी अधिक हो रहा है। जब आप किसानों की श्रेणी में से एक निदेशक को नामजद करते हैं तो वह नामजद किया जाता है क्योंकि वह समिति में बैठता है तथा किसानों के प्रतिनिधि के रूप में उसका प्रधान होता है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है कि कभी-कभी ऐसे आदमी को किसानों के प्रतिनिधि के रूप में नामित कर दिया जाता है जिसे किसान' शब्द की स्पेलिंग तक नहीं आती। तो इन उपायों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस उपेक्षित वर्ग की सहायता कीजिए। आपने बहुत कुछ किया है परन्तु और अधिक करने की आवश्यकता है।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : यह प्रस्ताव पेश करने के लिए मैं प्रो० दंडवते को बधाई देता हूं।

हमारे किसान कृषि की कीमतों के बारे में बहुत समय से उत्तेजित हो रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि सत्तारूढ़ दल ने भी यही सोचा था कि केवल जमीनें जोतने वालों को कुछ जमीन दे दी जाए तथा सहकारी समितियों से कुछ ऋण उन्हें दिला दिया जाए, और बस उनका कार्य समाप्त हो गया। हमें यह सोचना चाहिए कि इस देश की समान अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर है, जो कि 70 प्रतिशत लोग करते हैं। लेकिन हमारे देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि कृषकों की समस्याओं का समाधान करने में हमारी योजनाएं तथा प्रशासन बिल्कुल असफल रहे हैं।

प्रो० दंडवते ने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत पहले ही कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए था। मुझे याद है कि बहुत पहले पांचवें दशक के प्रारम्भ में श्री टाटा ने एक लेख लिखा था कि यदि इस देश में तुम कृषि को उन्नत बनाना चाहते हो तो इसे एक उद्योग मानना होगा। उसी समय मुझे याद है कि होटल मालिकों ने एक आन्दोलन किया था और यह मांग की थी कि होटलों को एक उद्योग माना जाए। अब हम देखते हैं कि होटलों को उद्योग का दर्जा मिल गया है लेकिन जो लोग इस पूरे देश की सेवा करते हैं उनकी बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है।

मैं अब एक या दो उदाहरण दूंगा जिससे यह प्रतीत होगा कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें जब ऋण दिया जाता है उसे ऋण कहा जाता है। पर क्या वास्तव में यह ऋण है ? कृषक को ऋण मिलता है। अपनी खेती की सिंचाई करने

हेतु कुर्की कराने के लिए ऋण लेने के लिए उसे पूरा खेत गिरवी रखना पड़ता है । जबकि उद्योग को ऋण दिया जाता है केवल प्लाट तथा उस पर लगी मशीनरी—जिससे कुछ उत्पादन होने की संभावना हो, के गिरवी रखने पर । मैं पूछता हूं कि यह भेद-भाव क्यों ? पहले तो उस बदनसीब आदमी की चल सम्पत्ति की कुर्की की जाती है तथा दूसरी उस सारी जमीन की जो उसने बैंक समिति अर्थात यूं कहिए कि सरकार को गिरवी रख दी है उसे निलाम कर दिया जाता है । मुझे समझ में नहीं आता कि यह भेद-भाव क्यों चलता रहना चाहिए ?

लाभकारी मूल्य के बारे में प्रो० रंगा, प्रो० मधु दंडवते तथा बाद में श्री राव ने भी बताया है । इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा । जब आप उत्पादन लागत की बात करते हैं तो इसमें केवल निवेश की लागत ही नहीं बल्कि भूमि तथा श्रम, जो पूरा परिवार कार्य करता है, तथा जोखिम तत्व को भी इसमें शामिल करना चाहिए । हमारे पास केवल 10 से 15 प्रतिशत सिंचित भूमि उपलब्ध है । जो मध्यम तथा छोटे तालाबों तथा भूमिगत जल से सींची जाती है । अधिकांश भूमि जोतने वाले सूखी जमीन पर खेती करते हैं जिन्हे पूर्णरूप से उपेक्षित कर दिया गया है । जब मैंने कृषि मूल्य आयोग का ढांचा देखा तो मैंने पाया कि इसमें शुष्क भूमि पर, खेती करने वाले किसानों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है । इसमें केवल एक प्रतिनिधि था और वह उस क्षेत्र का जहां सारे देश में सिंचाई की भूमि सबसे अधिक है । मुझे इसका बहुत ही खेद है । जब हम इस तथ्य को जानते ही हैं कि हमारे देश में शुष्क खेती करने वालों की संख्या अधिक है जो हमेशा जोखिम उठाते हैं उन्हें मौसम पर बरसात पर निर्भर रहना पड़ता है और उन्हें प्रकृति की अनिश्चिताओं का सामना करना पड़ता है, क्यों नहीं हम उनके प्रतिनिधि कृषि मूल्य आयोग में लेते हैं ? प्रो० मधुदण्डवते ने इन लोगों की अज्ञानता के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है । मुझे याद है कि हमने वह सुझाव दिया था कि कृषि में स्नातकोत्तर व्यक्ति, जिसे शुष्क खेती का विशेष रुप से जनजाति क्षेत्र में, शुष्क खेती का अनुभव हो उसे कृषि मूल्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर देना चाहिये इस सम्बन्ध में दक्षिण भारतीय को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । पहले कृषि मूल्य आयोग में सिर्फ उत्तर भारतीय ही थे । हमने इसके लिये झगड़ा किया और हमने देखा कि एक दक्षिण भारतीय कृषि अर्थशास्त्री को कृषि मूल्य आयोग में सम्मिलित किया गया जैसा कि प्रो० ने ठीक ही कहा है, कि एक कृषक को कठिनाईयां कृषक ही एक डिग्री प्राप्त अर्थशास्त्री से अधिक समझ सकता है । इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि इन परिस्थितियों में यह अच्छा होगा अगर कृषकों को 'क्रेडिट' (ऋण) दिया जाय—मैं उनके लिये 'लोन' शब्द नहीं कहना चाहता 'लोन' शब्द को हटा देना चाहिये, इसे 'क्रेडिट' कर देना चाहिये—जैसा कि में उद्योगपतियों को दिया जाता है । ऐसा क्यों है कि कृषि को उद्योग की तरह नहीं समझा जाता है ? क्या यह सच नहीं है कि अगर रबी अथवा खरीफ फसल फेल हो जाती हैं तो सम्पूर्णअर्थव्यवस्था तहसनहस हो जाएगी । यह सच बात ही है क्योंकि भारतीय वित्त मंत्री ने इसी बात को ध्यान में रखते हुये कहा था कि यदि फसल बेहतर होगी तो 3000 करोड़ रुपये से कुछ अधिक की मुद्रास्फिति होने की स्थिति का सामना करना संभव होगा । महोदय, अगर यह बात है तो हम इस पर

कितना ध्यान दे रहे हैं ? लाभकारी मूल्य निर्धारित करते समय 'जोखिम' तत्व को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन्हें कम ब्याज पर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिये। आजकल भारतीय रिजर्व बैंक शीर्षस्थ बैंकों को ऋण देता है और शीर्षस्थ बैंक इन्हें जिला बैंकों को देते हैं जिसमें उनका 2 प्रतिशत हिस्सा होता है और जिला बैंक शाखाएं इस ऋण को सहकारी समितियों को देती हैं जो क्रम से, 3 प्रतिशत जोड़कर कृषकों को देते हैं। मैं नहीं जानता हमने इस प्रकार की सोपानिकी व्यवस्था क्यों की हैं ? हम इसमें से एक या दो सीढ़ियों को हटा सकते हैं और कृषकों के लिये 6 मास की दर कम हो सकती है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कृषकों को 6 प्रतिशत की दर से ऋण देने का निर्णय लिया है। (व्यवधान) महोदय, कृपया मुझे थोड़ा वक्त और दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से अवसर हैं जब आप इन बातों को बता सकते हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं अन्य सदस्यों द्वारा कही गई बातों को नहीं दोहराऊंगा।

श्री राम प्यारे पानिका (राबर्टस गंज) : महोदय, एक घण्टा और दिया जाना चाहिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हमें इसे एक घन्टा और भी बढ़ा दें तो भी ये समाप्त नहीं होगी क्योंकि अभी बहुत से बोलने वाले हैं। इसलिये मैं कह रहा हूं। जो कुछ वे कहना चाहते हैं उन्हें संक्षिप्त में कहने दीजिये क्योंकि इसी विषय पर बोलने के कई अवसर आयेंगे जब हम इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : महाराष्ट्र सरकार कृषकों को 6 प्रतिशत की दर से ऋण देना चाहती है, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार को उसकी मदद करनी चाहिये।

फसल बीमा के बारे में जो अभी-अभी वित्त मंत्री जी ने कहा उसमें मूंगफली और कपास शामिल नहीं है। हमारे देश में मूंगफली और कपास भी शुष्क खेती करने वाले किसानों द्वारा उगाई जाती है इसलिये इन्हें भी फसल बीमा के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये।

उत्पादककर्त्ताओं के फायदे के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधाओं का भी प्रबन्ध होना चाहिये। जब निर्यात का प्रश्न आता है, तो आप क्या देखते हैं कि भारतीय कपास निगम को लाख एक गांठें निर्यात करने की अनुमति है। एक लाख गांठें महाराष्ट्र विपजन संघ को निर्यात करने की अनुमति है और एक लाख गाठें गुजरात सहकारी समिति को। जब महाराष्ट्र राज्य की कुल खरीद 18 लाख गांठें और भारतीय कपास निगम की 4 लाख गांठें हैं मैं यह नहीं समझ सका कि यह ऐसा क्यों हैं। इस अनुपात को बदलना चाहिये। (व्यवधान)

महोदय, मंत्री जी से मेरा आखिरी अनुरोध है कच्चे माल को तैयार माल से जोड़ा जाए। इस सम्बन्ध सिद्धान्त यह होना चाहिये। पिछली बार, कपास के मामले में कृषि मंत्रालय ने इसे स्वीकार कर लिया था परन्तु वाणिज्य मंत्रालय ने इसे यह कह कर स्वीकार नहीं किया कि यह एक जटिल समस्या है और मंत्रालय के लिये कीमतें निश्चित करना मुमकिन नहीं होगा। जब हम यहां बैठकर हेनसैट बनर्जी में अनिमनितताओं को ठीक कर सकते हैं तो हम कच्चे माल को तैयार माल से जोड़ कर कपास का मूल्य निर्धारित क्यों नहीं कर सकते है ?

ये कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता था। मैं आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी सदन की सहमति और भावना को ध्यान में रखते हुये इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे और किसानों एवं कृषकों के हित में निर्णय देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हम कृषि मंत्रालय के लिये अनुदानों की मांगों पर 8 घंटे की चर्चा करने जा रहे हैं। उस समय आप उन सब मुद्दों को उठा सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। चिन्ता सिर्फ मूल्य नीति के बारे में है जिसे आप बताना चाहते हैं। परन्तु इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकांश सदस्य ऐसे बोल रहे हैं मानों कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस हो रही हो। इसलिये मैं इस चर्चा को सिर्फ मूल्य नीति तक ही सीमित रखना चाहता हूं।

मैं प्रत्येक सदस्य को सिर्फ तीन मिनट का समय दूंगा।

***श्री जैनुल अबेदिन** (जंगीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादों के लिये लाभकारी मूल्यों के विषय पर न सिर्फ किसानों के हित हैं। अपितु सम्पूर्ण देश की अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से आशा करता हूं कि वे इस मामले को गम्भीरता से लेंगें। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने कहा था "कृषि सबसे बड़ा गैर-सरकारी क्षेत्र है।" किसी भी उद्योग अथवा फैक्टरी में अगर मालिक यह महसूस करे कि उसको उद्योग में फायदा नहीं हो रहा है तो उत्पादन बन्द कर देता है और फैक्टरी बन्द हो जाती है। मैं अपने उन वीर किसानों को बधाई देता हूं कि अपनी फसल पर लाभकारी मूल्य न मिलने पर भी वे अपना खून पसीना बहा कर उत्पादन में जुटे रहते हैं।

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने की नीति अथवा तरीका जो हमारे देश में अपनाया जा रहा है वह बहुत ही गलत है इसमें सुधार किया जाना चाहिये। एक क्विंटल फसल उत्पादन की कीमत सभी क्षेत्र में फर्क-फर्क होगी। एक एकड़ या एक हेक्टेयर भूमि पर खेती करने की लागत सभी जगहों पर एक जितनी नहीं होती, यह भी

जगह-जगह पर फर्क होती है। कहीं पर लागत ज्यादा होती है और कहीं पर कम। इस बारे में मैं आपको एक उदाहरण दूंगा।

सन् 1980-81 में बिहार में एक हैक्टेयर भूमि पर धान की खेती की लागत 2087 रुपये थी परन्तु उसी वर्ष में तमिलनाडु में यह लागत 4727 रुपये थी। आन्ध्र प्रदेश में सन् 1981-82 में एक हैक्टेयर भूमि पर धान की खेती की लागत 3845 रुपये थी। उड़ीसा में यह 2077 रुपये तथा मध्य प्रदेश में 1800 रुपये थी। अतः हम देखते हैं कहीं पर लागत मूल्य 1800 रुपये है और कहीं पर 4500 रुपये। अतः कृषि उत्पादों का औसत निकाल कर एक समान मूल्य निर्धारित करने से कुछ लोगों को फायदा हो सकता है परन्तु कुछ और लोगों के लिये अलाभकारी तथा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिये किसी भी कृषि उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखना अत्यावश्यक होता है। और इस के लिये मैं समझता हूं कि विभिन्न राज्य सरकारों तथा किसान समाजों या किसानों के संगठनों के प्रतिनिधियों को कृषि मूल्य आयोग में लेना आवश्यक होगा। विभिन्न कृषि उत्पादकों का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में उन्हें भी साथ रखना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। महोदय, समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित लाभकारी मूल्य अथवा समर्थन कारी लाभकारी अथवा लाभदायक होना तो दूर अधिकतर मामलों में किसानों को स्वीकार भी नहीं होते। महोदय, अगर कृषि उत्पादों का मूल्य किसानों द्वारा कृषि पर खर्च किये जाने वाली लागत के अनुपात में नहीं बढ़ता है तो किसान अपनी उत्पादन क्षमता खो देंगे। मैं श्री राजेश पायलट से पूरी तरह सहमत हूं। जिन्होंने कहा है कि हमारे देश में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ कृषि उत्पादों की कीमतें गिर जाती हैं और जब उत्पादन में कमी होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं।

इस सदन में, हमने कई बार मांग की है कि जूट का मूल्य 300 रुपय प्रति क्विंटल निश्चित किया जाये। परन्तु इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। पिछले वर्ष हमने देखा कि जूट फसल कम होने तथा इसके उत्पादन में अत्यधिक गिरावट के कारण इसका मूल्य बढ़कर 900 रुपये प्रति क्विंटल या 1000 रुपये नक हो गया था। महोदय, कुछ दिन पहले प्रश्न काल में आलू की कीमतों के बारे में चर्चा की गई थी। सरकार ने आलू का मूल्य 50 रुपये घोषित किया था। लाभकारी मूल्य तो एक तरफ यह तो समर्थन मूल्य भी नहीं हो सकता। परन्तु यह अत्यन्त खेद की बात है कि कुछ राज्यों में किसानों को आलू की फसल के लिये यह मूल्य भी नहीं मिल सका। उन्हें अपनी फसल 30 अथवा 32 रुपये बेचने पर बाध्य किया गया। सरकार को कम से कम यह तो सुनिश्चित करना चाहिये कि जो कुछ भी समर्थन मूल्य अथवा लाभकारी मूल्य वह घोषित करे वह वास्तव में लघु किसानों, सीमान्त किसानों, बर्गादारों बटाईदारों आदि को प्राप्त हो। यह शर्म की बात है कि आजादी के 37 वर्षों के बाद भी हमारे गरीब किसानों को सट्टेबाजों, बिचौलियों व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की दया पर निर्भर करना पड़ता है तथा उनके जाल में जकड़े हुए हैं। किसान को जूट का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा

परन्तु उन्हें जूट का सामान ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ेगा। किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है परन्तु उन्हें चीनी ऊंचे दामों पर खरीदनी पड़ती है। किसानों को कपास का उचित मूल्य नहीं मिलता परन्तु उन्हें कपड़ा ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता है। उद्योगपति अपने उत्पादों का मूल्य हर रोज बढ़ा रहे हैं परन्तु किसान जो कच्चे माल की पूर्ति करते हैं, उन्हें अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। इसलिए सिर्फ मूल्य की घोषणा कर देना ही काफी नहीं है, यह भी सुनिश्चित होना चाहिये कि किसानों को कम से कम यह मूल्य तो मिले। हमने देखा है कि जब समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है सरकारी एजेन्सियां, जिन्हें इस मूल्य पर किसानों से फसल खरीदनी होती है उस समय ये एजेन्सियां बाजार से एकदम गायब हो जाती हैं। परिणामस्वरूप, गरीब, छोटे और सीमान्त किसान, बटाईदार, बर्गदार आदि को अपनी फसल बहुत ही कम कीमत पर बिचौलियों को बेचनी पड़ती है। इन्हीं किसानों को उपभोक्ता के रूप में तैयार चीजों को खरीदना होता है तो इन्हें बहुत ज्यादा कीमत देनी होती है। अगर यह स्थिति नहीं बदलती है तो किस प्रकार से किसान फसल उगाने के कार्य को जारी रख सकता है? यह आप एक बहुत बड़ा प्रश्न है। महोदय, जब तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त होता तो वह अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिये औद्योगिक चीजें नहीं खरीद सकता। ऐसी स्थिति में किसी भी दिन हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ सकती है।

महोदय, अन्त में मैं फिर से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे पता लगायें कि किस तरह किसानों को उनके खून और पसीने के उत्पादित फसलों को न केवल समर्थनकारी मूल्य बल्कि लाभदायक एवं लाभकारी मूल्य भी दिलाया जा सकता है।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सम्मानीय मित्र श्री मधुदण्डवते को सदन में इतनी अधिक महत्वपूर्ण चर्चा उठाने के लिये बधाई देता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करने की अनुमति दी।

जनसंख्या में लगातार वृद्धि और लोगों की खरीद क्षमता में सुधार होने के साथ कृषि उत्पादों की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार शताब्दी के अन्त में खाद्यान्न की मांग 2000 लाख टन होगी। सिंचाई आयोग ने भी हिसाब लगाया है कि देश में सन् 2000 में 2000 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी।

हम अनाज के क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता का दावा करते हैं। वह बहुत कम समय के लिये होती है। सूखा और प्रतिकूल मौसम के कारण हमें विदेशों से गेहूं का आयात करना पड़ता है।

इस परिस्थितियों में कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने पर पर्याप्त बल देना होगा ताकि किसान और अधिक अनाज तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन में दिलचस्पी

लें। लेकिन हम क्या पाते हैं कि हमारे अधिकांश किसान छोटे एवं सीमान्त किसान होते हैं। हमारे 75% किसानों के पास 2 हैक्टर से भी कम भूमि है जो कि एक अन्य ऐसा महत्त्वपूर्ण पहलू है। कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता दर्शाता है। केवल किसान ही उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह की कीमतों को नियत करने का आधार कृषि मूल्य आयोग है जिस पर सरकार पूरी तरह से निर्भर है। जैसा कि हमें बताया गया है कि कृषि श्रम तथा आदानों आदि की लागत के आधार पर ही कृषि मूल्य आयोग मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक के लिए उपलब्ध नहीं किया जाता है। हम नहीं जानते कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा किन आधारों पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। मैं यह नहीं जानता कि क्या कृषि मूल्य आयोग कीमतों को नियत करते समय उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान में रखता है। जिस प्रकार एक फर्म के प्रबन्धक द्वारा सेवाएं की जाती है, उसी प्रकार किसान भी सेवाएं निष्पादित करता है। एक फर्म के प्रबन्धक की तरह ही किसान के सभी प्रकार के आदानों की पूर्ति बैंक तथा सहकारी सीमितियों से कर्जा लेना, विभिन्न प्रयोजनों के लिए राजस्व अधिकारियों से मिलना तथा अन्य प्रकार के अनिवार्य कार्य करने पड़ते हैं। बीमारी, महामारी आदि जैसे प्रतिकूल मौसम से कृषि कार्य पर प्रभाव पड़ता है। उत्पादन स्थल से बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की लागत भी इसमें लगती है। मैं नहीं जानता कि कीमतें निर्धारित करते समय कृषि मूल्य आयोग इन पहलुओं को ध्यान में रखता है या नहीं। कीमतें निर्धारित करते समय इस आयोग को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

लाभकारी मूल्य या समर्थन मूल्य नियत करते समय ए० पी० सी० शुष्क खेती को ध्यान में नहीं रख रही है क्योंकि हम अपने देश में कम से कम 50% कृषि और खेती योग्य भूमि को सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था नहीं जुटा सकते हैं। अधिकतर किसान अपनी सूखी भूमि से कृषि उत्पादन कर रहे हैं। सिंचित भूमि की अपेक्षा इसकी लागत अधिक आती है। पूर्वोत्तरी क्षेत्र में बहुत से ऐसे राज्य और पूर्वीक्षेत्र में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, तथा पश्चिम बंगाल जैसे ऐसे राज्य हैं जहां 25% कृषि योग्य भूमि में भी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं। इसलिए कृषि उत्पादों के बारे में विचार करते समय हमें इन राज्यों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए।

मैं बधाई देना चाहता हूं और अपनी दिवंगत तथा प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति अभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई सुविधाओं के पहलुओं पर जोर दिया है तथा जिसे प्रथम सूत्र के रूप में इसमें शामिल किया गया है। आर्थिक सलाहकार समिति ने बताया है कि पूर्वी तथा पूर्वोत्तरी राज्यों में गरीबों और किसानों के उचित शिक्षा की कमी के कारण चावल के उत्पादन में गिरावट आई है।

उन राज्यों में खेतीहर आधुनिक तथा उन्नत तकनीकों का प्रयोग नहीं कर सकता तथा

इसलिए वे ऐसे विभिन्न प्रकार के बीजों का प्रयोग नहीं कर सकते जो अच्छी फसल देते हैं। इससे पता चलता है कि इन राज्यों में किसानों को अधिक कृषि उत्पाद के उत्पादन के लिए अधिक समर्थन देना चाहिए।

जैसा कि प्रो० दण्डवते ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कृषि उत्पाद और निर्मित उत्पाद के मूल्यों में समता होनी चाहिए इसके अभाव में हमारे देश में कृषि उद्योग से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये घाटा हो रहा है।

अनुभव से हमने नोट किया है कि किसानों को निर्मत किया गया समर्थन मूल्य स्वीकार्य नहीं है। उदाहरणार्थ, पिछले वर्ष गन्ने के मामले में कुछ राज्य सरकारों को किसानों को लाभ कारी मूल्य देने के लिए आगे आना पड़ा।

1985-86 के बजट में फसल बीमा योजना लाने के लिए मैं अपने प्रिय तथा गतिशील नेता श्री राजीव गांधी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार वित्त मंत्री ने फसल बीमा योजना को शुरू किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें केवल गेहूं, धान, तिहलन तथा दालें शामिल हैं तथा अन्य फसल जैसे पान के पत्ते, मूंगफली, कपास आदि इसमें शामिल नहीं है। अन्य फसलों के लिए भी इस सुविधा के बढ़ाने लिए माननीय कृषि मंत्री कृपया विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप कृषि के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय बोल सकते हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उर्वरक खरीदने के मामले में किसानों को राज्य-सहायता देने की व्यवस्था की.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री को लिख सकते हैं और वह उन पर विचार कर सकते हैं। मैं अगले वक्ता बुला रहा हूं। श्री सेलवेन्द्रन।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, एक बात। हमने नोट किया है कि कृषि उत्पाद को खरीदने के लिए क्रय एजेन्सियां समय पर आगे नहीं आती हैं जिसके कारण किसानों को अपने कृषि उत्पादों की मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है। पहले क्रय एजेन्सियों को कटाई शुरू होने से पहले ही बाजार में आने के लिए कहा जाना चाहिये।

***श्री पी सेलवेन्द्रन (पेरियाकुलम)**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृषित करने के उद्देश्य से कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिये जाने चाहिए; मेरे माननीय दोस्त प्रो० मधु दण्डवते इस संकल्प को लाए हैं और मुझे इस महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में खुशी हो रही है। श्री मधु दण्डवते ने कई

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उपयुक्त सुझाव दिए हैं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इनकी जांच कर उन पर प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

महोदय, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सदन में दो प्रकार राय हो सकती है। कृषि, व्यवसाय नहीं है लेकिन हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या के लिए जीविका का साधन है। अगर कोई व्यापारी अपने व्यापार में हानि उठाता है तो वह उसे बन्द करके दूसरा व्यवसाय शुरू करता है। लेकिन एक किसान खेती में ही डटा रहता है चाहे उसे सूखे से, तूफान से, बाढ़ से या किसी प्राकृतिक कारण से नुकसान हो। क्योंकि इसके लिए कृषि ही जीवन का मार्ग है वह इस बात की परवाह नहीं करता कि वह कर्ज में पैदा हुआ है। कर्ज में जीता है और कर्ज में दबा ही मर जाता है। वह कृषि को नहीं छोड़ता। इस पृष्ठ भूमि में सरकार का यह अनिवार्य कर्त्तव्य हो जाता है कि वह किसानों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करें।

इस बारे में कृषि मूल्य आयोग ने सरकार को सिफारिशें देता है। सरकार द्वारा कई बार ये सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाता है। कई बार ए० पी० सी० की सिफारिशों पर मामूली सुधार किये जाते हैं। मैं केवल यह कहूंगा कि सिंचित भूमि और सूखी भूमि पर किए गए उत्पादन का एक ही मूल्य नहीं हो सकता। ए० पी० सी० के इस विषय पर गहराई से विचार करना चाहिए और उपयुक्त सिफारिशें करनी चाहिए।

1984-85 में गन्ने के लिए न्यूनतम सांविधिक मूल्य 114 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। यह 8.5% वसूली पर आधारित था। महोदय, मिट्टी की उपजाऊपन पर गन्ने की वसूली निर्भर करती है। यह किसान की कड़ी मेहनत के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अतः यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गन्ने के लिए लाभकारी मूल्य वर्तमान मूल्य की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। जैसाकि तेलुग देशम पार्टी के सदस्य ने बताया कि गन्ने में ज्यादा तो खोई के लिए अधिक दाम प्राप्त होते हैं।

महोदय, भारतीय खाद्य निगम देश के किसानों के लिए उल्लेखनीय सेवा कर रहा है। निगम किसानों से पर्याप्त मात्रा में अनाज खरीदता है और इसे स्टाक में रखती है। दुर्भाग्यवश, एफ० सी० आई० किसानों से अनाज सीधा नहीं खरीदता है। बिचौलियों के द्वारा अनाज को खरीदा जाता है। बिचौलिए किसानों की अज्ञानता के कारण उनका शोषण करने में नहीं झिझकते हैं। वे किसानों को यह कहकर कि उनका अनाज घटिया किस्म का है उसे कम कीमत पर खरीद लेते हैं। और इस प्रकार उन्हें उनके अच्छे अनाज पर भी कम कीमत मिलती है। तोलने के मामले में भी ये बिचौलिए किसानों को धोखा देते हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि वे किसान जो देश का भरण पोषण करते है उनके साथ एफ० सी० आई० के अधिकारियों, बिचौलियों तथा ट्रेडरों और हमारे समाज के अन्य वर्गों द्वारा तुच्छ व्यवहार किया जाता है। किसानों की अज्ञानता के कारण अन्य लोग इसका लाभ उठाते हैं और

उनका अपमान करते हैं। यह गलत है। किसानों को समुचित मान सम्मान दिया जाना चाहिए। माननीय कृषि मंत्री जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफ० सी० आई० किसानों से सीधे अनाज खरीदें और बिचौलियां प्रथा समाप्त करनी चाहिए। तभी किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो सरकार के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। पूरे विश्व में भारत सहित तीन ऐसे देश हैं जहां इलायची पैदा होती है। चूंकि भारतीय इलायची सबसे उत्तम किस्म की है इसलिए इसकी मध्यपूर्व देशों के बाजार में भारी मांग है। इसके बावजूद इलायची पैदा करने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इलायची बोर्ड कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाया क्योंकि यह इलायची पैदा करने वाले किसानों के लिए लाभकारी मूल्य देने में समर्थ नहीं हो सकी। कृषि मंत्री को यह समस्या भी देखनी चाहिए और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम में थेनी कपास का सबसे बड़ा विपणन केन्द्र है। थेनी बाजार सप्ताह में दोबार गुरुवार तथा रविवार को लगता है एम० सी० 5 कपास और एल० आर० ए० कपास लाई जाती है। गीला कपास ही बिकता है। जब गुरूवार और रविवार के दो दिन के बाजार में लगभग 40,000 क्विंटल कपास थेनी लाया जाता है। भारतीय कपास निगम के अधिकारी जो इन दिनों थेनी आते है। केवल 3000 या 4000 क्विंटल कपास ही खरीदते हैं। सी० सी० आई० अधिकारी किसानों से सीधे कपास नहीं खरीदती है। सी० सी० आई० के अधिकारी बिचौलियों और कमीशन एजेन्टों के द्वारा कपास खरीदता है। जो अधिकारी इन दिनों बाजार में आते हैं उन्हें कपास और इसकी किस्म के बारे में जानकारी नहीं होती है। अतः इन्हें बिचौलियों और कमीशन एजेन्टों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ये कमीशन एजेंट बहुत निर्दयी होते हैं और वे कपास किसानों को खुलेआम धोखा देते हैं। सी० सी० आई० को किसानों से सीधे कपास खरीदने के लिए निश्चित कदम उठाने चाहिए। माननीय कृषि मंत्री जी को इस सम्बन्ध में भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कपास उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया है। इस गरिमापूर्ण सदन में अन्य विषय पर चर्चा करते समय और जैसे कि समय बहुत थोड़ा है····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं? मैं मंत्री जी को और अधिक समय देना चाहता हूं।

श्री डी० बी० पाटिल : क्योंकि समय थोड़ा है, मुझे अनेक बातें छोड़नी पड़ेंगी लेकिन

मैं महत्वपूर्ण विषयों को ही लूंगा। जहां तक लाभकारी मूल्य का सम्बन्ध है प्रो० दण्डवते ने बताया है। इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा तथा इन मुद्दों को दुबारा नहीं उठाऊंगा। प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उत्पादन की लागत क्या होगी? यहां मैं फिर दूसरी बात का उल्लेख करना चाहता हूं। लाभकारी मूल्य निर्धारित करते समय किसानों तथा कृषि श्रमिक का जीवन स्तर देखना चाहिए। लाभकारी मूल्य निर्धारित करते समय क्या हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कृषि श्रमिक तथा किसान को हम क्या जीवन स्तर दे रहे हैं? क्या यह जीवन स्तर सड़क के भिखारी या श्रेणी चार की सेवा या श्रेणी तीन की सेवा का होगा? लाभप्रद मूल्यों को निर्धारित करते समय हमें उस जीवन स्तर को भी ध्यान में रखना होगा जो हम कृषकों को देने जा रहे हैं कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य देना बहुत जरूरी है। अभी तो कृषकों को अपनी उपज मजबूरी में बेचनी पड़ती है हालांकि वह यह जानते हैं कि अगर वे कुछ दिन प्रतीक्षा करें तो उन्हें उनकी उपज की अच्छी कीमत मिल सकती है। जिन सम्पन्न किसानों के पास उपज के भंडारण की सुविधाएं है उन्हें उसकी अधिक कीमत मिल जाती है। यदि उपज को खरीदने का एकाधिकार सरकार के पास हो तो यह विरोधाभास नहीं रहेगा।

कुछ लोग तर्क देते हैं कि किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य दिये जाने से उपभोक्ताओं को भी अधिक कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर बिचौलियों को हटा दिया जाए तो उत्पादकों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है तथा उपभोक्ता को भी कम कीमत अदा करनी पड़ेगी। अतः सरकार को कृषि-वस्तुओं की खरीद का कार्य अपने हाथ में लेने पर विचार करना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि उपज को पैदा करने की लागत तथा उसकी एवज में प्राप्त बिक्री मूल्य ऐसे होने चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो आयोग ने यह भी सिफारिश की प्राप्त मूल्यों और किसानों को दिए गए मूल्यों, (घरेलू तथा फार्म खर्चों के लिए), का समता सूचकांक तैयार किया जाना चाहिए ताकि इस ताल-मेल रवैये पर निगरानी रखी जा सके और जब कभी यह संतुलन अत्यधिक बिगड़ जाए अर्थात् किसानों को हानि होने लगे तो औपचारिक उपाय किए जा सके। समिति का सुझाव है कि सममूल्यता को बनाए रखा जाना चाहिए अन्यथा किसानों को नुकसान होगा।

आज माननीय मंत्री ने गेहूं का समर्थन मूल्य 157 रु० प्रति क्विंटल घोषित किया है। 1682 में हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि कृषि मूल्य सूचकांक के आधार पर कीमत निर्धारित करने का अनुरोध किया था। हरियाणा सरकार के अनुसार इस समय 1982 में गेहूं की उत्पादन लागत 186.20 रु० प्रति क्विंटल थी और उस आधार पर उन्होंने प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत 170 रु० मांगी थी जबकि उसे 150 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। उक्त सभी बातों को विचार में रखते हुए आज घोषित की गई कीमतें

काफी कम हैं तथा उत्पादन-लागत तथा उत्पादन सममूल्यता सिद्धांत का भी पालन नहीं किया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह प्रसंगानुकूल प्रश्न पूंछना चाहता हूं कि क्या सरकार कृषि को एक उद्योग के रूप में मानती है। सरकार उसे उद्योग के रूप में मानती है तब तो मेरा विचार है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस उपयुक्त प्रश्न का जवाब देगें।

[हिन्दी]

श्री हरीश सवत (अल्लमोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी अपने उत्तर में कन्ज्यूमर्स के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपने उत्तर में फार्मर की डैफिनीशन बताते हुए स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स की स्थिति स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अभारी हूं जिन्होंने आज पूर्वाहन में भारत के कृषक समुदाय के कल्याण से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया है। महोदय, प्रो० मधुदण्डवते जो ने सही कहा है कि किसान हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का मेरू दण्ड है। मैं उनसे भी एक कदम आगे बढ़कर कहूंगा कि वे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन आधार हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के आरम्भ में यह बात बहुत उपयुक्त ढंग से कही है। सभा को याद होता कि माननीय मन्त्री ने अपना बजट देश के किसानों को समर्पित करते हुए कहा था कि भारत सरकार द्वारा योजना बनाते समय कृषि और ग्रामीण विकास पहले की तरह मुख्य आधार होगा। इसीसेपता चलता है कि भारत सरकार किसानों के कल्याण को कितना महत्व देती है।

महोदय, मैं देश में कृषि उपज की मूल्य निर्धारण नीति के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा दिए सुझावों का उल्लेख करूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने सामान्य टिप्पणियां की हैं। उन पर मैं अपने मन्त्रालय की मांगों के दौरान होने वाली चर्चा में बात करूंगा।

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि सरकार का कृषि उपज की मूल्य-निर्धारण नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के एवज में लाभप्रद मूल्य देना है ताकि वे प्रोत्साहित होकर कृषि में अधिक निवेश करें, उत्पादन बढ़ाने लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें, और उत्पादन बढ़ाएं। साथ ही साथ इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उपयुक्त मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराके उनके हितों की रक्षा करना भी है। इसके लिए सरकार प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि उपजों की खरीद तथा उनके समर्थन मूल्य की घोषणा करती है तथा भारतीय खाद्य

निगम, भारतीय जूट निगम, भारतीय कपड़ा निगम, भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ तथा तम्बाकू बोर्ड जैसी सार्वजनिक एजेंसियों और राज्य सरकारों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से खरीदने का काम करती है।

इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले ज्यादातर सभी माननीय सदस्यों ने एक प्रसंगानुकूल प्रश्न पूछा है।

जैसा कि हमें प्रो० मधु दण्डवते से आशा थी, उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करके इस वाद-विवाद को एक नई दिशा दी है जिन पर कृषि मूल्य आयोग को कृषि उपजों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने से पूर्व जरूर विचार करना चाहिए। तह जिन्दगी किसानों के हित के लिए लड़ने वाले हमारे अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी प्रो० एन० जी० रंगा ने भी इस का उल्लेख किया है।

महोदय, सरकार विभिन्न कृषि उपजों का समर्थन मूल्य, कृषि लागत तथा मूल्य, आयोग की सिफारिशों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मतों, तथा उन अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखकर निर्धारित करती है जो सरकार के मतानुसार समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हों। इन सभी को ध्यान में रखा जाता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है कि कृषि लागत तथा मूल्य आयोग किसी भी कृषि उपज का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए किन विभिन्न बातों को ध्यान में रखता है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा कृषि-पैदावार की लागत के अध्ययन के लिए बनाई गई विस्तृत योजना के माध्यम से आयोग को कृषि-उत्पादन की लागत से सम्बन्धित आंकड़े सप्लाई किए जाते है। अभी प्रत्येक वर्ष कुल 9000 जोतो का अध्ययन किया जाता है। प्रो० दण्डवते जी समर्थन मूल्यों का निर्धारण कृषि भवन में बैठ कर नहीं किया। हम प्रत्येक फसल की स्पोट स्टडी तथा केस स्टडी करते हैं और जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया हैं यह स्टडी एक ही राज्य में नहीं की जाती बल्कि हम प्रत्येक राज्य की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों, सकारात्मक परिस्थितियों, नकरात्मक परिस्थितियों, बारिश वाले इलाके, सूखे इलाके आदि को ध्यान में रखकर यह अध्ययन करते हैं। हर साल यह काम किया जाता है। विश्वविद्यालयों के माध्यम से हर साल लगभग 9,000 जोतों का अध्ययन किया जाता है। ये विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों के सहयोग से काम करते हैं तथा उनकी विस्तार सेवाएं भी हैं। आयोग की ओर से विशेषज्ञ विभिन्न जगहों पर प्रति एकड़/हेक्टेयर जमीन में किए गए निवेश का अध्ययन करने के लिए जाते हैं।

अब आयोग अपना अध्ययन पूरा करने तक, कृषि निवेश की लागतों में हुए परिवर्तनों को भी ध्यान में रखता है और कीमतों के सम्बन्ध में सिफारिशें करने से पूर्व इन परिवर्तनों को शामिल करता है। आयोग ने यह प्रक्रिया अपना ली है कि सिफारिशों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों, विभिन्न अन्य सार्वजनिक संस्थानों, किसान, व्यापार तथा उद्योग समेत अन्य

सम्बन्धित संस्थानों से विचार-विमर्श किया जाए। इस समय कृषि लागत तथा मूल्य आयोग 20 प्रमुख कृषि-उत्पादों के सरकारी समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है। वैसे आयोग लगभग 12 प्रमुख कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश करता है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम एक या दो कृषि उत्पादों का ही समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं और ज्यादातर अन्य कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता। माननीय सदस्य के सूचनार्थ बता दूं कि मैंने 20 प्रमुख कृषि उत्पादों का उल्लेख किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं : धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, चना, अरहर, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, जूट, तम्बाकू, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, रेपसीड़ तथा सरसों।

आयोग, किसी भी कृषि उपज का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखता है ? आयोग किसी कृषि-उत्पाद विशेष के समूचे ढांचे को ही विस्तृत जांच नहीं करता अपितु निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्वों को भी ध्यान में रखता है :

1. उत्पादन-लागत,
2. कृषि-निवेश कीमतों में परिवर्तन,
3. कृषि निवेश/उपज में सममूल्यता,
4. बाजार भाव का रूख,
5. मांग और पूर्ति,
6. अंतराल शस्य मूल्य समता,
7. औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव,
8. सामान्य कीमत स्तर पर प्रभाव,
9. जीवन स्तर पर प्रभाव,
10. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार-भाव की स्थिति, तथा
11. भुगतान की गई कीमतों तथा प्राप्त, कीमतों में सममूल्यता।

इन भिन्न तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते तथा प्रो० एन० जी० रंगा, इस बात पर मुझसे सहमत होंगे कि किसी भी निकाय को खासकर कृषि मूल्य आयोग को इन विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इन मुद्दों की अपने भाषणों में चर्चा की है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार किसानों के हालातों के प्रति पूरी तरह सचेत है।

कृषि पैदावार की लागत का निर्धारण करते समय भुगतान की गई सभी लागतों को ध्यान में रखा जाता है। इनमें ये सब लागतें शामिल है। किराए पर लिए मजदूरों, पशु श्रम/

मशीनी श्रम (किराए के तथा अपने) तथा पट्टे पर ली भूमि के किराये के साथ-साथ बीज, रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों तथा पम्प सेट चलाने के लिए डीजल/बिजली आदि के रूप में सिंचाई पर नकद या वस्तु के रूप में हुआ व्यय शामिल है।

8.00 म० प०

कृषि मूल्य आयोग इन बातों की विस्तार से जांच करता है और उसके बाद वह जो कीमत निर्धारित करता है वह उसके मतानुसार किसानों के लिए उचित तथा लाभप्रद होती है। किसानों तथा उद्योगपतियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। जैसा कि मधु दण्डवते ने किसानों को दी गई ऋण सुविधा के बारे में कहा 1970-71 से 1983-84 के दौरान इस क्षेत्र में ऋण की स्थिति इस प्रकार रही 1970-71 में 745 करोड़ रु० सहकारी ऋण किया गया जबकि 1983-84 में यह धनराशि बढ़कर 2900 करोड़ रु० हो गई। किसानों से 10% से 11.5% तक की दर पर ब्याज लिया जाता है। उद्योग की तुलना में, जिनसे 12 से 17% ब्याज लिया जाता है, यह दर काफी रियायती है। इसी तरह, उपर्युक्त में से40 सै कुछ अधिक प्रतिशत ऋण छोटे तथा सीमान्त मजदूरों को वितरीत किया गया है। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसानों की सहायता पर अधिक जोर दिया जाता है। देश भर में स्थित बैंकों तथा सरकारी व्यवस्था के माध्यम से विशेषीकृत बैंक एन०ए०ए०बी०आर० डी० किसानों की सहायता कर रहे हैं। मैं आवेश का दावा नहीं करता किन्तु यह कहूंगा कि यह सही नहीं है कि हम किसानों के कष्टों पर विचार नहीं करते। सरकार ने खासकर छठें दशक के बाद, 1965-70, किसानों की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान दिया है। मौजूदा कृषि व्यवस्था में त्रुटि कहां है त्रुटि सुविधाओं के अभाव में नहीं है। किसानों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है, वास्तविक त्रुटि कृषि जोतों में है। राजस्व व्यवस्था भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। एक राज्य में यह व्यवस्था ठीक है तो दूसरे में नहीं। हमारे देश में कृषि जोतों का तरीका प्रचीनतम भी है तो एकदम नवीनतम भी किसानों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था वे लोग इस बात पर विचार किए बिना कि किसान साल भर अपने परिवार का पेट भर सकेगा या नहीं, थोड़ा सा अनाज छोड़कर-सारा अनाज उठवा लेते थे। इसलिए हमारे कृषक समुदाय की सबसे बड़ी समस्या कृषि-जोतों की है। और ये कृषि जोतें भी छोटे-छोटे भू-खण्डों में बंटी हुई है। अगर एक किसान के पास एक गांव में 6 एकड़ जमीन है तो यह जमीन एक स्थान पर नहीं होगी। एक जगह एक एकड़ जमीन होगी—दूसरी जगह दो एकड़ और किसी और जगह तीन एकड़। कृषि जोतों के इस प्रकार विभाजित होने के कारण काश्तकार के लिए किसी प्रकार की आधुनिक तकनीकी अपनाना असंभव हो जाता है। वह अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, टयूबवैल नहीं खुदवा सकता क्योंकि उसे पानी को एक खेत से दूसरे खेत तक जाना पड़ेगा। और बीच में दूसरे लोगों के खेत पड़ेंगे जिससे झगड़ा, मुकदमेबाजी हो सकती है। इस सदन में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, प० उत्तर प्रदेश आदि कुछ राज्यों की अक्सर चर्चा की जाती है उनकी समपन्नता का कारण·····

प्रो० मधु दण्डवते : आपने किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा का उल्लेख किया। लेकिन उसमें एक कमी है। यदि इस बात का पता लगाया जाए कि किसानों को कितने ऋण की जरूरत थी और वास्तव में उसे कितना दिया गया तो पता चलेगा कि उसे बहुत कम ऋण दिया गया।

श्री बूटा सिंह : मैंने अपने विवरण में कहा था कि जो मैं कह रहा हूं वह आदर्श स्थिति नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर प्रत्येक किसान को अपनी जरूरत अनुसार ऋण मिलें लेकिन बहुत वित्तीय दबाव हैं। कुछ राज्यों का मैं उल्लेख करूंगा, उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा आदि में बहुत सी एजेंसिया हैं। लघु अवधि सहकारी ऋण, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा इन राज्यों में भूमि, बंधक बैंकों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये बैंक स्वयं जाकर किसान की हालत का जायजा लेते हैं और उसके बाद स्वयं निर्णय लेते हैं किसान को कितने ऋण की जरूरत होगी। सारे देश में इस तरह की आधारभूत संरचना की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान को वह सब मिल सके जो उसे चाहिए और वह खेती पर यथा शक्य निवेश कर सके। किसानों को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता रहेगा।

श्री सोमनाथ रथ (आसूका) : भूमि विकास बैंक किसानों से दण्डस्वरूप ब्याज वसूल करते हैं। ब्याज की यह राशि साहूकारों द्वारा ली जाने वाली राशि से अधिक होती है और उक्त बैंक उधार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते। इनके द्वारा की जाने वाली दण्ड स्वरूप ब्याज की वसूली से किसान एक तरह से तबाह हो जाता है। अनुरोध है कि किसानों से उक्त ब्याज वसूल न किया जाए तथा उधार अधिनियम इन बैंकों पर भी लागू हो।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं भी मंत्री जी के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मैं इस सदन में कई बार कह चुका हूं कि वह तीन हजार रुपए का लोन देता है तो 15 हजार वसूल करती हैं। इस प्रकार की वसूली के बारे में सरकार को कुछ निर्देश देने चाहिए। सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ है जिसमें यह प्रावधान है कि डबल से ज्यादा कोई भी वसूल नहीं कर सकता लेकिन पंजाब नेशनल बैंक पांच-पांच गुना वसूल करती है। इसको आप रुकवाइए।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव अवश्य नोट करूंगा। इस सम्मानीय सभा ध्यान में मैं यही बात लाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सरकार माननीय सदस्यों द्वारा उल्लखित किसानों की दशा, के प्रति जागरूक नहीं है। उद्योग और कृषि की व्यापार शर्तों में बहुत असमानता है। बहुत से कारणों से इन दोनों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। उद्योगों की संरचना जैसे होती है वैसे कृषि की नहीं हो सकती। इसमें मूलभूत असमानताएं है।

इस सदन में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में प्रकाशित आंकड़े के अनुसार उद्योग तथा कृषि के बीच व्यापार शर्तें हाल के वर्षों में कृषि के पक्ष में गई हैं। कृषि तथा निर्मित उत्पादों का थोक-भाव कीमत सूचकांक खाद्यान्न पर दी गई आर्थिक सहायता जो कि 84-85 में 850 करोड़ रु० है, को पूरी तरह प्रतिबिम्बित नहीं करता। उपभोक्ताओं को यह आर्थिक सहायता नजर आएगी लेकिन वास्तव में यह किसानों को उनकी फसल की सरकारी खरीद के एवज में दिया गया वह अधिक मूल्य है जिनका उपभोक्ताओं पर अधिक कीमतों के माध्यम से पूरी तरह से प्रभाव नहीं पड़ता।

1984-85 में आर्थिक सहायता की राशि 1080 करोड़ रु० की थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को कम लागत पर उपलब्ध कराना है। यह सहायता प्रर्याप्त है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : ये लाभ बड़े जमीदारों को ही मिलते हैं।

श्री झूटा सिंह : अन्ततः इससे देश में खाद्यान्न की कुल पैदावार में बढ़ोत्तरी होगी। इन आर्थिक सहायताओं का कुल प्रभाव यह पड़ेगा।

उपर्युक्त के अलावा किसानों को कुछ अन्य महत्वपूर्ण निवेश में जैसे कृषि के लिए बिजली तथा सिंचाई के लिए पानी, घटी दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि श्री राजेश पायलट ने कहा (मैं तो कहूंगा कि मैं उससे सहमत हूं) कि जिन-जिन चीजों का उल्लेख किया जाता है वे उपलब्ध नहीं होती तथा अपनी नीतियों के अन्तर्गत जो कुछ हम कहते हैं वे किसानों को उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए हमें बहुत जागरुक रहना पड़ेगा। इसे हम निचोलियों पर चाहे वह नौकर-शाही या प्राइवेट एजेंसी अथवा कोई और हो, नहीं छोड़ सकते। हमें निगरानी करनी होगी। हमारे प्रधानमन्त्री प्रशासनिक मंत्रालयों से पहले ही कह चुके हैं कि वे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याण योजनाओं की प्रगति के प्रति बहुत सतर्क रहें।

महोदय, किसानों को तुलनात्मक रूप से कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ राज्यों में किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले फ्लैट रेट का दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : कुछ राज्यों में किसानों से न्यूनतम भुगतान लेने की व्यवस्था है। कई बार यह राशि किसान द्वारा इस्तेमाल की गई बिजली की कीमत से ज्यादा होती है।

श्री झूटा सिंह: महोदय, फ्लैट रेट होने के कारण किसानों को पूरा भुगतान तो करना ही पड़ेगा चाहे बिजली ट्रांसमिशन में कुछ अनियमित व्यवस्था होने के कारण बिजली की नियमित सप्लाई न हो। लेकिन इसकी तुलना अगर उद्योगों से की जाए तो निश्चित रूप से किसानों की

स्थिति अच्छी है। खासकर फसल कटने की मौसम करीब आने पर किसानों को बिजली जरूर सप्लाई की जाती है चाहे उद्योगों को न की जाए। इसके लिए इस साल मैंने तथा माननीय ऊर्जा-मन्त्री ने बहुत से मुख्य मन्त्रियों से व्यक्तिगत संपर्क किया है ताकि फसल कटने के मौसम में किसानों को बिजली की सप्लाई न मिलने से भूखों न मरना पड़े। एस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रियों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही।

महोदय, औद्योगिक उत्पादों के कीमत सूचकांकों में उद्योगों की प्राप्तियों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है। यहां तक की औद्योगिक उत्पादों की थोक कीमतों में केन्द्रीया राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न बिक्री कर तथा अन्य शुल्क भी शामिल किए जाते हैं। इन उत्पादों पर लगने वाले शुल्कों में बहुत बार वृद्धि की गई है जबकि कृषि उत्पादों को सामान्यत: ऐसे करों से मुक्त रखा गया है कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाली महत्वपूर्ण मदों पर ये कर या तो नाममात्र के हैं अथवा उनकी दर अपेक्षाकृत कम है। यही कारण, उद्योगों की तुलना में कृषि के पक्ष में काम करते हैं।

यदि माननीय सदस्यों का यह तात्पर्य है कि कृषि पर भी वैसा ही ध्यान दिया जाए जैसा उद्योग पर दिया जाता है, तो मैं उनसे सहमत हूं हम यथा सामर्थ्य प्रयास करेंगे कि सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण कृषि उपेक्षित न हो। आप जानने ही हैं यह राष्ट्रीय कार्य महत्त्व और उद्योगों को ऋण, जिबली, सप्लाई तथा परमिट के रूप में सुविधाएं मिल रही हैं जबकि कृषिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारी सरकार इस पर जोर दे रही है और हम प्रयास करेंगे कि कृषि में अब तक जिन इलाकों की उपेक्षा हुई है उनकी उपेक्षा न हो। उड़ीसा के माननीय सदस्य ने विशेष रूप से कहा कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की समस्या पानी की समस्या है।

हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पानी का अभाव है और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पानी आपेक्षित मात्रा से अधिक है। हम इस तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विज्ञानकों को निर्देश दे चुका हूं कि वे धान तथा अन्य फसलों की ऐसी किस्मों का पता लगाएं जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध पानी में असानी से उग सकें। माननीय प्रधानमंत्री इस मसले को अनेक बार उठा चुके हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा रेगिस्तानी इलाकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश के रेगिस्तानी इलाकों के सुधार की निश्चित योजना है। हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सूखे इलाकों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि देश में खाद्यान का अधिक उत्पादन हो सके। इतना सब कहने के बाद में यह जरूर कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि कृषकों को उनकी उपज के लिए सरकार द्वारा दी जा रही कीमतों से कृषकों को नुकसान हो रहा है।

यदि मैं सरकारी कीमत-नीति के प्रभाव का संक्षेप में उल्लेख करूं तो आप महसूस करेंगे कि इससे कृषकों को खाद्यान्न का वार्षिक उत्पादन बढ़ाने में कितनी सहायता मिली है। सरकारी समर्थन मूल्य का कृषि क्षेत्र के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। चावल का उत्पादन 52-45 मिलियन टन से बढ़कर 1983-84 में 59.8 मिलियन टन हो गया। चालू वर्ष के दौरान भी अधिक उत्पादन होने की आशा है। पिछले चार सालों के दौरान क्रमशः प्रत्येक वर्ष गेहूं का रिकार्ड-उत्पादन हुआ है। चालू वर्ष के दौरान भी रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल अधिक उत्पादन की आशा है। इसी तरह, छठी योजना के अन्तर्गत निर्धारित 44 मिलियन टन के लक्ष्य से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसी प्रकार तिलिहनों का उत्पादन 100 लाख टन हुआ करता था। पिछले साल इनका उत्पादन बढ़कर 120 लाख टन तक पहुंच गया। इस साल लगभग 130 लाख टन उत्पादन की आशा है। दालों के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है हालांकि उत्पादन हमारी आवश्यकताओं से कम हो रहा है। हम दालों के उत्पादन की ओर विशेषकर जिन सूखे क्षेत्रों में दालों की खेती की जाती है, विशेष ध्यान देंगे (व्यवधान) मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य के मन में क्या है। जब कभी हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं किसान दालें न बोकर बेहतर किस्म की फसल उगाने के लिए कुछ और बोते हैं। हम दालों के ऐसे बीज विकसित करेंगे जिनसे पैदावार अधिक होती हो ताकि किसान दालें बोयें और दालों की खेती करने वाले क्षेत्र में कमी न हो। 1982-83 में गन्ने का उत्पादन 189.5 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया था लेकिन उसके बाद मौसम सहायक न रहा। कपास और जूट के मामलों में खराब मौसम के कारण लक्ष्य स्तर तक नहीं पहुंचा जा सका। 1983-84 में आलू और प्याज का रिकार्ड स्तर का उत्पादन हुआ। चालू वर्ष के दौरान उत्पादन के और बढ़ने की आशा है। सरकार की मूल नीति इस मामले में रुकावट नहीं है बल्कि इसके माध्यम से तो किसानों को पैदावार और बढ़ाने का प्रोत्साहन मिल रहा है। (व्यवधान) माफ करियेगा, मुझे अपने एक मित्र श्री एस०पी० साहू द्वारा की ग एक टिप्पणी पर कुछ कहना है। आशा नहीं थी कि वे ऐसा कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है। उनका यह कहना तर्क संगत नहीं है कि सत्तारूढ़ दल खाद्य तेलों के आयात के मामले में शामिल है। यह कहना तो आसान है किन्तु प्रमाणित करना मुश्किल। लेकिन आंध्र प्रदेश में मुझे एक बात पता चली है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ई०पी० और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम बदल कर 'रामारवुडी' रख दिया गया है। हम ईमानदारी में विश्वास करते हैं तथा ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं। यदि उक्त कार्यक्रम भारत सरकार ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किए हैं तो चंद वोट बटोरने के लिए आंध्र प्रदेश में उनका स्तर नहीं बदला जाना चाहिए। वोट प्राप्त करने का तरीका यह नहीं होना चाहिए सत्तारूढ़ पार्टी ने भी ऐसा कभी नहीं किया मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि इस कथन में सत्य नहीं है तथा माननीय सदस्य द्वारा इस सरकार के खिलाफ लगाये गए आरोपों का खंडन करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों, खासकर उन माननीय सदस्य को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वाद-विवाद आरम्भ किया और भारतीय किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार देश के कृषक समुदाय के उत्थान के लिए हर संभव क ताकि वह राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके और खाद्यान्न की पैदावार बढ़ा

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

8.17 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 22 मार्च, 1985/1 चैत्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक—स्टील स्लेट मैन्युफैक्चर (प्रेस विभाग)।